खण्ड-365, अंक-3
मंगलवार, 16 फाल्गुन, शक संवत् 1905
(6 मार्च, 1984 ई0)

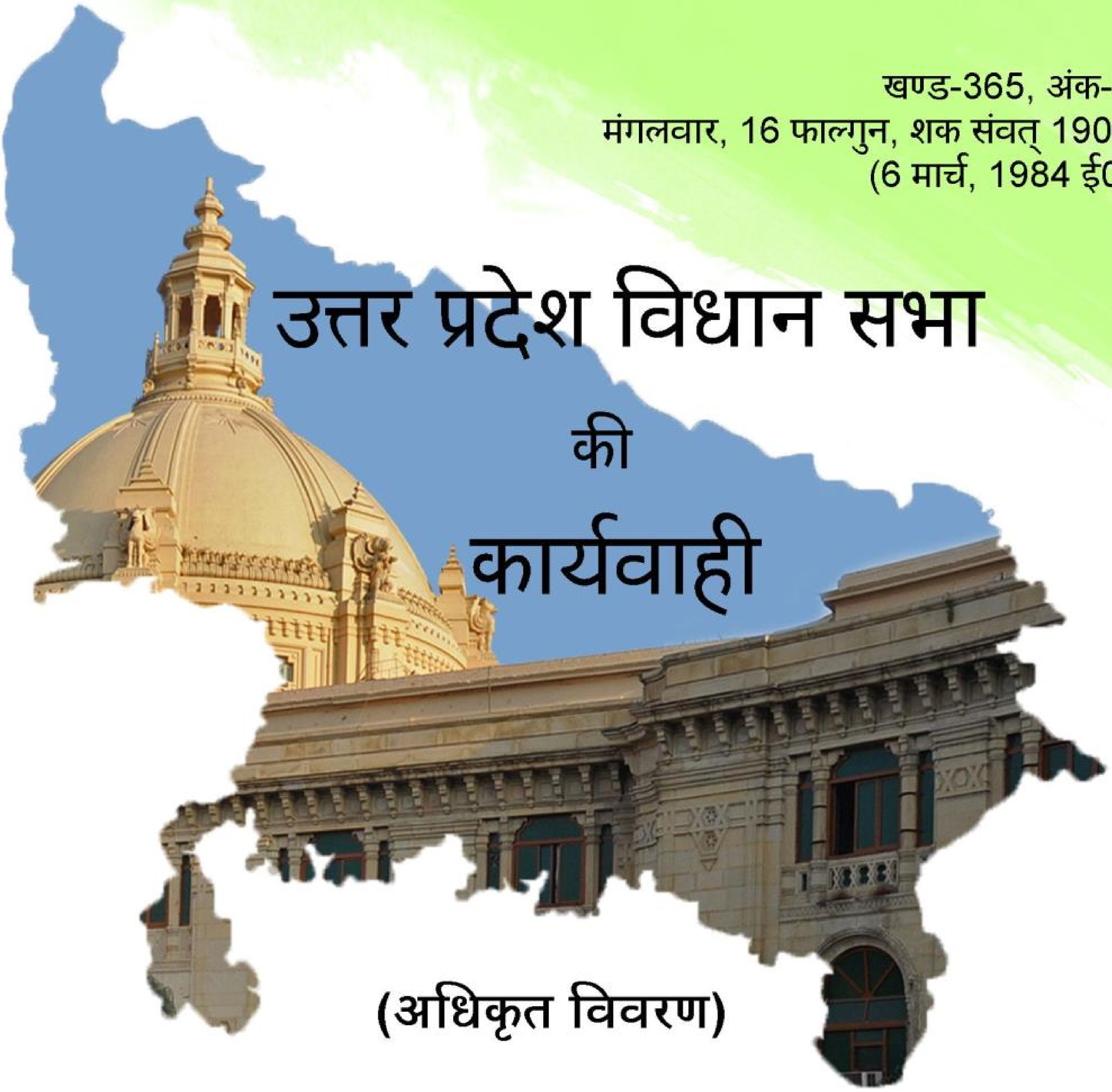

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 365 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1984

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य ..	1—4
प्रश्नों के उत्तर विलम्ब से प्राप्त होने के सम्बन्ध में शासन को निर्देश	5
प्रश्नोत्तर	5—98
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न ..	98—99
हसनगंज (उन्नाव) की पुलिस के जुल्म के सम्बन्ध में 301 के अन्तर्गत सूचना	99—100
झांसी एवं ललितपुर में बीज भण्डारों के बीज अंकुरित न होने से किसानों की क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना..	100
हैण्डलूम बुनकरों के बैंकों के कर्जों की वसूली रोकने की मांग के सम्बन्ध मे नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	100
परगना अधिकारी उतरौला (गोण्डा) द्वारा गांव समाज की भूमि के किये गये अवैधानिक पट्टों के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	101
मुजफ्फरनगर की मलिन बस्तियों के सुदृढ़ीकरण के लिए आवंटित धनराशि के सही वितरण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	101
ग्राम कटगरी, नैनीताल में अग्निकाण्ड से आहत व्यक्तियों को राहत दिये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	101—102
बस्ती जनपद में प्राइवेट बस मालिकों के आतंकवादी रवैये के कारण परिवहन निगम के कर्मचारियों में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	102—103
बीस सूत्रीय कार्य-क्रम सम्बन्धी समिति में जिला परिषद् के सदस्यों को सम्मिलित न किए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	103
भाषा निधि के सम्बन्ध में दिए गये आश्वासन की पूर्ति न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	103—105
सहकारिता मंत्री के आचरण के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न उठाये जाने का प्रयास	105
नियम 301 की सूचनाओं के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	105—106
लोक लेखा समिति (1983-84) का तृतीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	106
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों पर निर्णय न दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	106—107
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं (जारी)	108
श्री यदुनाथ सिंह के सदन से निलम्बन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	108—109

विषय	पृष्ठ-संख्या
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	109—117
वित्तीय वर्ष 1984-85 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (जारी)..	117—153
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	153
वित्तीय वर्ष 1984-85 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (जारी)	154
मोदीनगर टेक्सटाइल मिल (मोदीनगर) के मजदूर नेताओं को बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	154—160
जनपद इटावा के बुनकरों के सत्याग्रह के उपरान्त स्वीकार की गयी मांगों को पूरा न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	160—168
इटावा जनपद में लोकदल के प्रादेशिक अध्यक्ष एवं विधान परिषद् में विपक्ष के नेता श्री मुलायम सिंह यादव पर किये गये कथित प्राणघातक हमले के सम्बन्ध में चर्चा	168—184
नस्थियां	185—201

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दिनांक 6 मार्च, 1984 ई0

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री धर्म सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य 341

अकबर अहमद, श्री (नैनीताल)
अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अमर नाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अमीरुद्दीन, श्री (बिजनौर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अशफाक अहमद अन्सारी, श्री (बरेली)
अशोक कुमार बाजपेयी, श्री (इलाहाबाद)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री, (खीरी) (उर्फ सुल्तन भैय्या)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए0 सी0 ग्राइस, श्री (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्यान सिंह, सोलंकी श्री (बरेली)
कल्लू राम रत्नाकर, श्री (मिर्जापुर)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई) (बेगम एजाज रसूल)
कुबेर भण्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केदार नाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री (मुरादाबाद)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रागड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपाल राम वास, श्री (अल्मोड़ा)
गोपीनाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपीनाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवर्धन तिवारी, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर भैय्या, श्री (बलिया)
चन्दन सिंह, श्री (मथुरा)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो0 (बांदा)
चन्द्र बली ब्रह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्र भान सिंह, श्री (बांदा)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चन्दर सिंह, श्री (मेरठ)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छतर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)

छेदी लाल, श्री (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जटा शंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जयदीप सिंह बरार, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह बिष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जितेन्द्र शाह, श्री (जालौन)
जियाराम शुक्ल 'विकल साकेती' श्री (फैजाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेज नारायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेजबहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
तेजबहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
दयाल कृष्ण, श्री (मथुरा)
दलजीत सिंह, श्री (रामपुर)
दलसिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दीनानाथ, श्री (बस्ती)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मपाल सिंह, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुव प्रसाद राय, श्री (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
निजाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (बलिया)
निर्मल खत्री, श्री (फैजाबाद)
नेत्रपाल सिंह, श्री (एटा)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पंचानन राय, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुष्पा चौहान, श्रीमती (अलीगढ़)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायन द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलराम सिंह यादव, श्री (इटावा)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तर काशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बृज किशोर मिश्र, डाक्टर (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
ब्रह्मदत्त, श्री (देहरादून)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भीम सिंह सीना, श्री (मेरठ)
भूप सिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मंगलदेव, श्री (गोंडा)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)

मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज), (गोंडा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
मान्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मुहम्मद अमीन, श्री (इलाहाबाद)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ सिंह, श्री (मिर्जापुर)
यमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रणजीत सिंह जूदेव, श्री (झांसी)
रमाकान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री (रायबरेली)
रवीन्द्र, श्री (आजमगढ़)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राजमंगल पांडेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह, श्री (एटा)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डाक्टर (जौनपुर)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, (मिर्जापुर)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नारायण सिंह, श्री (एडवोकेट) (गाजीपुर)
राम नारायण पाठक, श्री (कानपुर)
रामपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पान्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, (बरेली)
रामसिंह रावल, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियाज अहमद, श्री (पीलीभीत)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूप राम, श्री (शाहजहांपुर)

रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
रेवती रमण सिंह, श्री (इलाहाबाद) (उर्फ मणिजी)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी गढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, डा० (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विलायती राम कत्याल, श्री (कानपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्वनाथ, श्री (देवरिया)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री (गोरखपुर)
वृद्धि नारायन सिंह, श्री (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भू नाथ, श्री, (आजमगढ़)
शरीयतुल्ला, श्री (मुरादाबाद)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिव नारायण सिंह नेगी (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिव मंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
श्याम नारायन तिवारी, (गोरखपुर)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याल सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
संजय सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सन्त बख्श रावत, श्री (लखनऊ)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सिकन्दर अली खां नवाब, श्री (शाहजहांपुर)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री (गाजियाबाद)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता, श्रीमती (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नो) (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सैय्यद जकीउद्दीन, श्री (मेरठ)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हर गोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद कुरील, श्री (उन्नाव)
हरि सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरी किशन श्रीवास्तव, (कानपुर)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी, श्री (मुरादाबाद)
हुकुम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)

नोट—गन्ना विकास मन्त्री श्री सुरेन्द्र पाल सिंह भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नों के उत्तर विलम्ब से प्राप्त होने के सम्बन्ध में शासन को निर्देश

श्री अध्यक्ष--

कृपया विशेष रूप से ध्यान दें। कल दो तारांकित प्रश्न तथा 15 अतारांकित प्रश्न जो माननीय मुख्य मंत्री से सम्बन्धित ह तथा 4 अतारांकित प्रश्न जो वन मंत्री से सम्बन्धित हैं, विधान सभा सचिवालय में कल रात करीबन 8 बजे प्राप्त हुए और रात्रि के नौ बजे के करीब मुझे अपने घर पर इन प्रश्नोत्तरों सम्बन्धी पत्रावली मिली। मैं पुनः इस बिलम्ब की ओर मंत्रीगण का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि प्रश्नों से सम्बन्धित नियमों तथा मेरी पूर्व व्यवस्था की ओर पूरी तरह से ध्यान दिया जाय। आज आखिरी दिन है आगे से प्रश्नोत्तर देर से आयेंगे तो वे कार्यसूची में शामिल नहीं हो सकेंगे।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, आप अपने नियम 313 का प्रयोग करके इन मंत्रियों को डिसमिस कर दीजिये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, आपकी इस व्यवस्था से हम लोगों का नुकसान होगा।

श्री अध्यक्ष--

इसे आगे देख लेंगे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 6 मार्च, 1984

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के पेंशन भोगी अध्यापकों एवं कर्मचारियों को पेंशन कम्यूट करने की सुविधा देने पर विचार

**1--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के पेंशन भोगी अध्यापकों एवं कर्मचारियों को पेंशन को कम्यूट करने की सुविधा देने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक कार्यवाही पूर्ण होने की सम्भावना है? यदि नहीं, तो क्यों?

शिक्षा एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

जी हां।

यथाशीघ्र निर्णय लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं, उठता।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, जरा प्रश्न जैसा लिखा है, देखें। पूछा यह कि इस सम्बन्ध में कार्यवाही कब तक पूरी होने की संभावना है। इन्होंने पहले हिस्से में कहा है कि "जी, हां और दूसरे हिस्से में लिखा है कि यथाशीघ्र निर्णय लिया जायगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि शासन ने अभी तक निर्णय नहीं लिया है, तो क्या शासन इस बात से सहमत है कि पेंशन भोगी अध्यापकों को पेंशन कम्यूट करने की सुविधा प्रदान करना है। मैं जानना चाहता हूं कि शासन इससे सहमत है या नहीं?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं दूसरा सवाल है कि क्या सहायता प्राप्त विद्यालयों के अध्यापकों को उनकी सेवानिवृत्ति पर वही सुविधाएं दी जाती हैं, जो राजकीय शिक्षकों को दी जाती हैं?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब सुविधाएं समान हैं, तो जिस तरह से मंहगाई में समानता है और एक आदेश से सारे कर्मचारियों की मंहगाई बढ़ जाती है, जो स्थानीय निकाय, सरकारी या गैर सरकारी सभी लोगों पर समान रूप से लागू होती है, तो इसी तरह से आवश्यक रूप से, इन अवकाश प्राप्त अध्यापकों को जो 60 साल के बाद अपने घर चले जाते हैं, लालफीताशाही में लटका कर वर्षों तक उनको मिलने वाली सुविधा में विलम्ब को दूर कर ऐसी व्यवस्था करने की कृपा करेंगे जिससे राज्य कर्मचारियों के साथ ही उनको भी वही सुविधाएं उपलब्ध हो जायेंगी, जो राज्य कर्मचारी प्राप्त करने जा रहे हैं ?

श्री अम्मार रिजवी--

इस पर विचार किया जा रहा है ।

श्री माता प्रसाद पान्डेय--

मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि सेवा निवृत्त अध्यापकों को सरकारी कर्मचारियों की तरह ही सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, तो क्या माननीय मंत्री इस पर विचार करेंगे कि जिस तरह से सरकारी कर्मचारियों की सेवा नियमावली है, उसके अन्तर्गत जो अध्यापकगण हैं, इनको दोहरा वेतनमान न देने पर विचार करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, सरकार हर उस बिन्दु पर विचार कर सकती है, जो माननीय सदस्यों द्वारा इस सम्मानित सदन में उठाया जाय ।

श्री भगवती सिंह बिशारद--

मान्यवर, क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब उन्होंने सिद्धान्त रूप से यह बात स्वीकार कर ली है कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के पेंशन पाने वाले शिक्षकों तथा राज्य कर्मचारियों की पेंशन नियमावली में कोई अंतर नहीं है, समान हैं, और उनको समान सुविधायें मिलेंगी, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यही शर्त जो बेसिक शिक्षा परिषद् के अवकाश प्राप्त अध्यापक हैं, उनको भी वही सुविधायें प्रदान कर रहे हैं या नहीं ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, इसके लिए अलग से प्रश्न होना चाहिए । इस वक्त तो माध्यमिक विद्यालयों की बात चल रही है ।

श्री अध्यक्ष--

जब मैंने प्रश्न को स्वीकार कर लिया है तो आप अलग से प्रश्न लाने के लिए नहीं कह सकते हैं ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, यह प्रश्न तो प्राथमिक विद्यालय से सम्बन्धित है । इस समय जो उत्तर दिया जा रहा है वह माध्यमिक विद्यालयों से सम्बन्धित दिया जा रहा है । मैं निवेदन कर रहा था कि इसके लिए अलग से नोटिस दें और अलग से प्रश्न दें ।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो अध्यापक अवकाश ग्रहण करते हैं, तो उसके बाद वह अपने स्थायी निवास स्थान पर चले जाते हैं । कभी-कभी होता यह है कि एक अध्यापक सीतापुर में नौकरी करता है और अवकाश के बाद वह बलिया जाता है, किन्तु उसे पेंशन लेने के लिए सीतापुर आना पड़ता है । सरकार इस विषय पर विचार कर रही थी कि उन अध्यापकों को उनके गृह जनपद पर ही पेंशन दिला दी जाय । इस सम्बन्ध में मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि वह इस विषय पर कब तक निर्णय ले लेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, शीघ्र ही निर्णय लिया जायेगा ।

जिला नैनीताल में लाल कुंवा क्षेत्र में सेंचुरी पल्प एन्ड पेपर फैक्ट्री की स्थापना, आवंटित भूमि का मूल्य तथा कच्चे माल की दर

**2—डा0 शिवानन्द नौटियाल, श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी तथा श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला नैनीताल में लाल कुंवा क्षेत्र में वन विभाग की भूमि पर सेंचुरी पल्प एण्ड पेपर फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है ? यदि हां, तो उक्त फैक्ट्री को कितनी वन भूमि किस दर पर कब आवंटित की गयी है ? क्या यह भी सही है कि सरकार से उक्त फैक्ट्री के कच्चे माल के आवंटन हेतु समझौता हुआ है ? यदि हां, तो कौन सा कच्चा माल किस दर पर किस मात्रा में प्रति वर्ष आवंटित किया जायेगा ?

वन एवं पशु धन राज्य मंत्री (श्री संजय सिंह)—

1—जी हां ।

2—मेसर्स सेंचुरी पल्प एण्ड पेपर मिल्स लि0 कलकत्ता को जिला नैनीताल के अन्तर्गत तराई पूर्वी वन प्रभाग के लाल कुआं क्षेत्र में कुल 396·405 एकड़ वन भूमि 41,62,305 रुपये अधिमूल्य तथा 4,16,230 रुपये वार्षिक लीज रेन्ट पर माह दिसम्बर, 1983 में आवंटित की गयी है ।

3—उक्त फैक्ट्री को कच्चे माल के आवंटन हेतु समझौता आपूर्ति से पूर्व निष्पादित करा लिया जायेगा ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में जैसा बताया है और मान्यवर, आज तक आपके सामने बहुत सी चीजें भी इस वन नीति के सम्बन्ध में आ भी चुकी हैं और इस सरकार ने एक इंच भूमि भी लोगों को देने से इन्कार कर दिया है । यह भी आपके संज्ञान में आ चुका है, पर्वतीय अंचल में इसीलिए बहुत से लोगों को उजाड़ दिया गया है और वे वन भूमि में नहीं रहेंगे । माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो यह सेंचुरी पल्प एण्ड पेपर फैक्ट्री, कलकत्ता से लाल कुवां लायी गयी है, यह कौन से फर्म है और क्या यह बिरला की फर्म है ? दूसरा, 400 एकड़ भूमि जो इस फैक्ट्री को तत्काल उपलब्ध करायी गयी है, क्या उसी प्रकार वन भूमि वहां के लोगों को तत्काल उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे, उसी मूल्य पर, जिस मूल्य पर यह भूमि फैक्ट्री को दी गयी है ?

श्री संजय सिंह—

मान्यवर, 1980 में जब फारेस्ट कनजरवेशन एक्ट लागू हुआ, उससे पहले ही इस पर सैद्धान्तिक रूप से निर्णय ले लिया गया था ।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि 1983 में इस जमीन का आवंटन किया गया और फारेस्ट कनजरवेशन एक्ट, 1980 में लागू हुआ । अब माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिस समय आपने इस भूमि का आवंटन किया था, उस समय इस पर केन्द्र से अनुमति ली गयी थी कि नहीं ?

श्री संजय सिंह—

मान्यवर, जैसा कि मैंने आपके माध्यम से पहले ही निवेदन किया था कि इस पर सैद्धान्तिक रूप से पहले ही निर्णय ले लिया गया था, चूंकि यह एक्ट 1980 में लागू हुआ, केन्द्र सरकार से इस पर अनुमति ले ली गयी थी ।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

मान्यवर, अभी कुछ दिन पहले हमने नियम 301 के अन्तर्गत इस विषय पर

इसी आदरणीय सदन में प्रश्न उठाया था। धारा, जगना और कोटा गांव टाइगर प्रोजेक्ट में आ गये हैं, जंगली जानवरों से उनको काफी नुकसान हो रहा है, इसलिए उनको वहां से बदलकर दूसरी जगह जमीन दिलवायी जाय। एक तरफ तो आप पूंजीपतियों को इतनी जमीन दे रहे हैं किन्तु दूसरी ओर आप इन गरीबों को जमीन नहीं दे रहे हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी इन गरीबों को कहीं अन्यत्र जमीन देकर उनको पुनः बसने पर विचार करेंगे ?

श्री संजय सिंह—

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं अपने साथियों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी लगभग एक हफ्ता पूर्व दिल्ली में हमारी सेन्ट्रल बोर्ड आफ फारेस्ट्री की मीटिंग हुई है, जिसमें भी यह प्रश्न उठा था, जो पहाड़ में समस्यायें हो रही हैं जमीनों की, भारत सरकार के कृषि मंत्री उसमें चेयरमैन थे, उनसे तय हुआ है कि जल्दी से जल्दी जो भी प्रपोजल्स हैं—चाहे डिस्ट्रिक्ट लेबिल पर या स्टेट लेबिल पर—उन सारी चीजों पर बात करके, उन्हीं के स्तर पर चीजों का, दो महीने के अंदर, जो समस्यायें हैं, उनका निराकरण करा दिया जायेगा और जितनी स्कीम के लिये जमीन अभी चाहिये, उनके लिये व्यवस्था करा दी जायेगी।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी यह नहीं बतलाया कि कौन से इण्डस्ट्रियल ग्रुप से यह सेन्चुरी पल्प एण्ड पेपर मिल ताल्लुक रखती है—उसका ताल्लुक बिड़ला से है या टाटा से है ? दूसरी बात यह है कि कच्चे माल के सम्बन्ध में, कच्चा माल क्या क्या उनको दिया जायेगा और उत्तर प्रदेश सरकार का उस कच्चे माल की सप्लाई में क्या-क्या कमिटमेंट है ?

श्री अध्यक्ष—

कमिटमेंट की हिन्दी कीजिए।

श्री रियासत हुसैन—

उसकी बाबत क्या शर्तें हैं कि कच्चा माल किस रूप में स्वीकार करेंगे ? तीसरा प्रश्न मेरा यह है कि यह जो फैक्ट्री बन रही है और जैसा कि मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा कि सैद्धान्तिक रूप से इसको पहले ही स्वीकार किया जा चुका था तो आखिर उसकी भी कोई तिथि होगी, उस कौन सी तिथि को सैद्धान्तिक रूप से इसको स्वीकार किया गया था और फिर यह सन् 1983 में आपकी लिखा-पढ़ी मुकम्मल हुई है ?

श्री संजय सिंह—

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय रियासत साहब ने 2-3 सवाल किये हैं। एक तो सवाल उनका यह था कि यह किस ग्रुप से सम्बन्धित है—तो इसकी बाबत मुझे यह कहना है कि मेरी जानकारी इस बात की है कि यह मेसर्स सेन्चुरी पल्प एण्ड पेपर मिल्स के नाम से है—अब यह किस उद्योग से सम्बन्धित है—इसकी जानकारी अगर वह चाहते हैं—तो करा दी जायेगी। दूसरी बात उन्होंने यह जाननी चाही कि सैद्धान्तिक रूप से यह कब निश्चित किया गया था—तो इसकी बाबत मुझे यह कहना है कि इसकी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। लेकिन, मैं कहना चाहूंगा कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है, तो उसकी बाबत एक पालिसी बनती है और वह पालिसी इस ऐक्ट के बनने के पूर्व ली गयी। तारीख जानना चाहते हैं माननीय सदस्य, तो उसकी जानकारी करा दी जायेगी। तीसरी बात उन्होंने जाननी चाही कि कच्चे माल की बाबत—तो इसमें यह कहना है कि यह अभी विचाराधीन है, जब कोई निर्णय होगा, तो उसमें विचार करेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी स्पष्ट करने की कृपा करेंगे कि किसी विषय में निर्णय लेना और उसके देने को सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार करना—इसमें क्या

अन्तर है ? यह भी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो संदर्भित अधिनियम है--इसके लागू होने के पहले अनेक जनहितकारी कामों के लिये--या जो इस सम्बन्ध में सर्वहारा लोगों को जमीन देने के लिये, वन भूमि का उपयोग करने के लिये, शासन ने सैद्धान्तिक निर्णय लिये हैं और जो इनकी बाबत सदन के पटल पर आश्वासन भी दिये गये हैं, सरकार ने एक बड़े उद्योग को, जो एक बड़े उद्योगपति से सम्बन्धित है, उसको तो जमीन दे दी है, लेकिन उन सब के बारे में, जिनके बारे में सद्धान्तिक निर्णय लिये गये थे, उनको जमीन न देने के क्या कारण हैं ?

श्री संजय सिंह--

जहां तक सैद्धान्तिक रूप से निर्णय लेने की बात है, मान्यवर, पहले कोई प्रोजेक्ट आता है, कोई आता है बात करने के लिये, फैक्ट्री लगाने के लिये, तो उस पर सरकार निर्णय लेगी कि फैक्ट्री कहां लगेगी--टर्म और कंडिशन को बाद में निश्चित करते हैं। जहां तक जमीन देने की बात है, मेरी जानकारी के अनुसार, उनको वह जमीन 25 एकड़ से देना शुरू किया था, उनकी पूरी जितनी आवश्यकता है, वह अभी तक नहीं दी जा सकी है। वहीं पर जो ग्रामीणों की बात है, उनकी बाबत जो आवश्यकता होती है, जो हमारे तरीके हैं जमीन देने के लिये--तो उसकी सारी फार्मेलिटीज हो रही हैं। उसके पहले ही सारी बात, पहाड़ के माननीय सदस्य, जिनकी उन्हें चिन्ता है, मैं आपसे निवेदन कर चुका हूं कि उसके बारे में एक उच्चस्तरीय मीटिंग हमारी होगी--अगले एक-दो महीने के अन्दर और जो आवश्यकताएं वहां की हैं, जो बहुत ही आवश्यक है, उनको अवश्य ही वहां जमीन दी जायेगी।

श्री कन्हैया लाल--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जब राज्य सरकार किसी उद्योगपति को कोई उद्योग लगाने की इजाजत देती है, तो क्या यह सोचती है कि उससे कितनी सुविधाएं मिलेंगी और वहां कितना लेबर आबजर्व होगा ? इसी क्रम में मैं यह जानना चाहता हूं कि इजाजत देते वक्त यह क्या सोचा था कि इस उद्योग में कितना लेबर लगेगा उसमें, कितना ट्रेंड होगा, कितना अनट्रेंड होगा और कितना स्थानीय लेबर उसमें होगा ?

श्री संजय सिंह--

इसके बारे में कार्यवाही हो रही है।

श्री भीखा लाल--

माननीय मन्त्री जी ने जिस अधिनियम का हवाला दिया, वह 1983 में लागू हुआ। यह बातचीत 1980 में शुरू हुई थी, जिसका परिपालन किया जा रहा है। इसी तरह से भूमिहीनों को अस्थायी पट्टे देने की बात सरकार ने की थी। 1983 से पहले, लेकिन भेदभाव बरता गया और उनको पट्टा नहीं दिया गया और बिड़ला ग्रुप को जमीन दे दी गयी।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी ने यह तो नहीं कहा है कि बिड़ला ग्रुप को जमीन दी गयी है। फिर भी मंत्री जी इसका उत्तर दे दें।

श्री संजय सिंह--

जहां तक पट्टे दिये जाने की बात है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।

श्री भगवती सिंह विशारद--

मैं माननीय वन मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो मेसर्स सेन्चुरी पल्प एण्ड पेपर मिल्स लि0 है, यह पब्लिक लिमिटेड कम्पनी है, प्राइवेट लिमिटेड है, पार्टनरशिप में

है या निजी उद्योग है ? और यह प्रार्थना-पत्र किसकी ओर से आया है ?

श्री संजय सिंह--

मैं पहले से निवेदन कर रहा हूं कि यह जो मेसर्स सेन्चुरी पल्प एण्ड पेपर मिल्स लि० हैं, उन्होंने इजाजत मांगी है। अब यह पब्लिक लिमिटेड है या प्राइवेट लिमिटेड है, इसकी जानकारी नहीं है।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, बड़े आश्चर्य की बात है कि एक अनुबन्ध हुआ, उसके लिये प्रार्थना-पत्र किसी न किसी के दस्तखत से तो आया ही होगा, लेकिन माननीय मंत्री जी को उसकी जानकारी नहीं है। क्या यह सही है कि वर्ष 1960 में बिड़ला कम्पनी ने जब बिड़ला फैक्ट्री लालकुंआ पर लगाने की इजाजत मांगी थी और उस समय सारा यूक्लिप्टिस बिड़ला को दे दिया गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि जितना उपलब्ध है, वह 6 महीने में खत्म हो जायगा, उसके बाद सरकार ने सारा यूक्लिप्टस "रा मैटेरियल" की शक्ल में बिड़ला फैक्ट्री को देने की बात कही है ?

श्री संजय सिंह--

मैंने पहले ही निवेदन किया कि "रा मैटेरियल" का मामला विचाराधीन है। जब कोई बात निश्चित हो जायगी तो सूचना दे दूंगा।

श्री शिव नारायण सिंह नेगी--

मैं माननीय वन मन्त्री से जानना चाहता हूं कि क्या इस उद्योग में स्थानीय लोगों को भी रोजगार देने का कोई प्राविधान किया गया है ? यदि हां, तो कितने प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार मिल जायगा ?

श्री संजय सिंह--

इसकी सूचना अभी उपलब्ध नहीं है। माननीय सदस्य को इसकी सूचना दे दी जायगी।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

यह इतना गम्भीर प्रश्न है, जो कि हमारे पर्वतीय अंचल के विकास से सीधा-सीधा जुड़ा हुआ है। इसके लिये ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे यहां एक पुल है, जिसको एक तरफ बना दिया है, लेकिन दूसरी तरफ की इजाजत नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ मंत्री जी लाख छिपायें बिड़ला जी को 400 एकड़ जमीन 1983 में दे दी। माननीय मन्त्री जी ने जैसा आपने उत्तर में कहा है, पूछना चाहता हूं कि जिन सड़कों की स्वीकृति वर्ष 1979 में और 1980 में इस सरकार ने दी थी, जहां पेयजल योजनाओं की स्वीकृति सरकार ने दी थी, अगर यही बात है कि उन योजनाओं को वन निगम द्वारा अवरोध होने के कारण रोक दिया गया, तो क्या इस पल्प फैक्टरी को लगाने पर भी ऐसा ही कोई प्राविधान सोच रहे हैं और पर्वतीय अंचल के लोगों को भी सुविधा देने के लिये तैयार हैं या नहीं ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, पहाड़ के इलाके में यह समस्या जरूर है कि कोई भी काम करें, वहां भूमि की आवश्यकता जरूर पड़ती है। जैसा राज्य मंत्री जी ने बताया है कि हर प्रोजेक्ट के बारे में यह कर दिया गया है कि कोई काम नहीं रुकेगा। इस बात के लिये प्राविधान किया जा रहा है कि आवश्यक कामों के लिये भूमि यथाशीघ्र उपलब्ध हो जाय।

श्री विद्या सागर नौटियाल--

मान्यवर, इस बिड़ला के मिल के लिए जो भूमि दी गयी है, उस भूमि

पर कितने मजदूरों के भवन बनेंगे और उन भवनों का नक्शा किस तरह का होगा और उसमें कुल कितने मजदूर काम करेंगे और इस सम्बन्ध में जो रूप-रेखा बनी है, क्या सरकार ने उसके बारे में पूरी तरह से जांच कर ली है या नहीं ? इसलिए श्रीमन्, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि श्री शिव नारायण सिंह नेगी और हम लोगों ने मिलकर एक रिपोर्ट दी थी कि बिड़ला को बे-वजा 500 एकड़ भूमि न देकर केवल 100 एकड़ भूमि दे दी जाए, उसमें भी काम चल सकता है, बजाए अपने एक स्टाफ के लिए एक मंजिला भवन बनाने के 5 मंजिला भवन बना दिया जाए जिससे काफी भूमि की बचत हो सकती है और इस प्रकार से 100 पेड़ कटने से बचाये जा सकते हैं, मान्यवर, इन पेड़ों को काटे जाने से बचाया जाना भी बहुत जरूरी है, सड़कें बन रही हैं तो उसमें पेड़ काटे जा रहे हैं, भूमिहीन पहाड़ी आ रहे हैं, तो वह अपने भवनों के लिये पेड़ों को काट रहे हैं इसी प्रकार से और भी पेड़ों को नष्ट करके धान उगाया जा रहा है। इसलिए मान्यवर, मेरा निवेदन है कि उस रूप-रेखा की अब तक जांच कर ली गयी है, अथवा नहीं ? यदि नहीं की गयी है, तो क्या अब कर ली जायेगी और सेंचुरी पल्प एण्ड पेपर फैक्टरी वालों को आवश्यकता से अधिक और कोई भूमि नहीं दी जायगी ?

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, कोई भी फैक्टरी जब लगायी जाती है तो उसके पूरे प्रोजेक्ट को देख लिया जाता है, और कोई भी निर्णय लेने से पहले चाहे कोई भी उद्योग स्थापित करना हो या सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण लगाने हों, उसके पूरी रूप-रेखा पर विचार कर लिया जाता है और सरकार इस पक्ष में है कि उत्तर प्रदेश में उद्योगीकरण होना चाहिए और सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण लगाये जाने चाहिए।

(श्री अध्यक्ष द्वारा अगला प्रश्न, पुकारे जाने पर)।

(शोर)

(सर्वश्री विद्या सागर नौटियाल, जसवंत सिंह विष्ट, डा० शिवानन्द नौटियाल तथा कुंवर सिंह नेगी खड़े होकर कहने लगे कि अभी कुछ प्रश्न इस पर और हम लोगों को करने का अवसर दिया जाय।).

श्री अध्यक्ष—

समय देखिए, एक प्रश्न पर कितना दिया गया है, अब मैं आज्ञा नहीं दूंगा, प्रश्न संख्या 2, मत्थी "ख" ले रहा हूं।

(व्यवधान)

(सर्वश्री विद्या सागर नौटियाल, जसवंत सिंह विष्ट, डा० शिवानन्द नौटियाल तथा श्री कुंवर सिंह नेगी सदन त्याग कर चले गये।)

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

जनपद फैजाबाद में हुई रेल दुर्घटना से मृतकों के आश्रितों को आर्थिक सहायता की मांग

*1—श्री मित्रसेन (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 14 नवम्बर, 1983 को जनपद फैजाबाद में हुई रेल दुर्घटना में मृतकों में से जिला एवं पुलिस प्रशासन फैजाबाद ने दर्जनों की लाशें गायब कर दी हैं जिससे मृतकों के आश्रितों को कोई आर्थिक सहायता नहीं मिल पायी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

मुख्य मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित आरोप सही नहीं पाये गये । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन पाने वाले को पेंशन का वितरण

*2--श्री भगवती सिंह विशारद--

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन पाने वालों को पेंशन वितरित करने के लिये वांछित धनराशि जिलों में जिलाधिकारियों को कब से नहीं भेजी गयी है और अब यह धनराशि जिलाधिकारियों को कब तक सुलभ हो जायेगी ?

प्राविधिक शिक्षा एवं श्रम राज्य मंत्री (श्री सुनील शास्त्री)--

वर्ष 1983-84 में वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर के पत्र संख्या 960-1015/वृ0 पें0 यो0/बजट-83-84, दिनांक 13 अप्रैल, 1983 द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों के जिलाधिकारियों को धन आवंटित किया गया था। विभिन्न जनपदों में पेंशनरों की संख्या मे अत्याधिक वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप अतिरिक्त धन की आवश्यकता पड़ी तदनुसार 59·10 लाख रुपए की अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10 फरवरी, 1984 को प्रदान कर दी गई है । श्रमायुक्त ने दिनांक 13 फरवरी, 1984 को विभिन्न जिलों के जिलाधिकारियों को आवश्यकतानुसार पेंशन वितरित करने के लिए धन उपलब्ध करा दिया है ।

श्री भगवती सिंह विशारद--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि 50·10 लाख रु0 देने के बाद अब वृद्धावस्था पेन्शन का भुगतान दिसम्बर, 1983 तक किये जाने के लिए अब कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी और क्या यह धनराशि जिलों में आवंटन हेतु भेज दी गयी है ?

श्री सुनील शास्त्री--

मान्यवर, जो संख्या वृद्धावस्था पेंशन पाने वालों की है, उसको देखते हुए तो 59·10 लाख रु0 की धनराशि आवंटित कर दी गयी थी और जैसा कि उत्तर में कहा गया है कि इस धनराशि को 13 फरवरी को सम्बन्धित जिले के जिलाधीश को भेज दी भी गयी है ।

श्री भगवती सिंह विशारद--

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि पिछले 9 महीनों से पेंशन वितरित नहीं हुई । जो धनराशि इन्होंने जिलों को भेजी है उससे केवल 3 महीने या फिर 6 महीने की पेंशन वितरित हो पावेगी और इसके बाद भी 6 महीने या 3 महीने की पेंशन का भुगतान करना बाकी रह गया है । तो इस सम्बन्ध में मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि 59 लाख 10 हजार रु0 की धनराशि देने के बाद भी और कितनी धनराशि देने की आवश्यकता है कि पेंशन वितरित करने की वांछित व्यवस्था हो सके ?

श्री सुनील शास्त्री--

मान्यवर, यह पूरे वर्ष के लिये धनराशि आवंटित की जाती है जो कि 3 करोड़ 56 लाख 281 हजार रु0 है यह धनराशि आवंटित की गयी थी विभिन्न जनपदों में पेन्शनरों की संख्या में वृद्धि हो जाने के कारण अतिरिक्त धन की आवश्यकता पड़ी जिसके अनुसार 59 लाख 10 हजार रु0 की अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत करके वहां प्रदान की गयी । जितनी पेंशन देनी होती है उस पूरी धनराशि के अतिरिक्त 59 लाख 10 हजार रु0 की अतिरिक्त आवश्यकता पड़ी, अब सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए धनराशि पूरी हो गयी है, अब कोई कठिनाई नहीं है ।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो धनराशि अब मजीर अलाट की गयी है वह उस हिसाब से अलाट की गयी कि वह धनराशि कम पड़ गयी। तो क्या कोई स्पेसिफिक कोटा नहीं है कि बूढ़ों को पेन्शन देने के लिए जो उनके पेंशन की धनराशि कम पड़ गयी और यह धनराशि कम पड़ जाने पर फरदर कोटा अलाट करना पड़ा। मान्यवर, वृद्धावस्था पेन्शन के लिए बराबर एप्लीकेशन्स आयेंगी और जितने लोगों के पेन्शन के लिए फार्म मंजूर हो जायगे उनकी पेन्शन न रुके तो यह जो धन आपने दिया है वह अब तक के पेंशनरों के लिए है लेकिन जो बराबर वृद्धावस्था पेंशन के लिए फार्म भरे जा रहे हैं और जिनको एक्सेप्ट करके आपको पेन्शन देनी है तो क्या कोई एसी निश्चित धनराशि होगी जो कि हर जिलों में जिलाधिकारियों को दी जायेगी कि जो अब फार्म भरे जा रहे हैं और जो वृद्धावस्था की पेन्शन आलरेडी पाते हैं जिसको पैसे का कोई सहारा नहीं होता है अपने गुजर-बसर के लिए वही इसके लिए भरता है तो उसे समय पर पेंशन मिल सके और कोई मुश्किल इसमें न हो तो इसके लिए क्या आप कोई तरकीब कर रहे हैं ?

श्री सुनील शास्त्री--

इस सम्बन्ध में मेरे स्तर पर अनुसरण किया जाता है। जैसे-जैसे वृद्धावस्था पेन्शनर बढ़ रहे हैं उसी के हिसाब से हम प्राविधान भी कर रहे हैं इसमें कोई कठिनाई सामने नहीं आने पावेगी। जितने भी प्रार्थना-पत्र स्वीकृत किये जायेंगे उनको समय पर पेन्शन अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।

जनपद मथुरा में दरबे कैनाल से नगला अतिया होते हुए नगला सीरिया तक जाने वाले मार्ग पर मिट्टी डालने की मजदूरी का भुगतान

*3--श्री सरदार सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मथुरा जनपद में दरबे कैनाल से नगला अतिया, लोहागढ़ होते हुए नगला सीरिया (तहसील मांट) तक जाने वाले मार्ग पर कार्य करने वाले मजदूरों को सा0 नि0 विभाग अस्थायी खंड मथुरा ने मार्ग पर मिट्टी डालने की मजदूरी का भुगतान अभी तक नहीं किया है, जिसके कारण वे उक्त कार्यालय के समक्ष दिनांक 30-1-84 से अनशन पर बैठे हुए हैं ? यदि हां, भुगतान न करने का क्या कारण है ? क्या शासन मजदूरों का भुगतान अविलम्ब कराने का कष्ट करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री विद्या भूषण)--

प्रश्नगत मार्ग पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कोई कार्य नहीं कराया गया है। इस मार्ग पर कुछ लोगों ने श्रमदान द्वारा मिट्टी डाला है, जिसके कारण मजदूरों के भुगतान का कोई प्रश्न नहीं उठता। दिनांक 30-1-84 से कुछ लोग अनशन पर बैठे थे, जो दिनांक 6-2-84 को माननीय सदस्य लोक सभा तथा जनपद के अधिकारियों के प्रश्नगत मार्ग के निरीक्षणोपरान्त समाप्त हो गया।

श्री सरदार सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुकम्पा से प्राथमिकता के आधार पर मेरा यह सवाल आया है जो कि हरिजनों व निर्बल वर्ग के लोगों से सम्बन्धित है। मेरे पास गवर्निंग बाडी की कार्यवाही है। इस गवर्निंग बाडी की मीटिंग में जो कि 8-1-83 को हुई थी, इस सड़क के लिए निहित व्यय और सड़क

दोनों को तय कर दिया गया था। यह भी तय हुआ था कि सार्वजनिक निर्माण विभाग इसको बनायेगा। मेरे साथ पी0 डब्लू0 डी0 के अधिशासी अभियन्ता और अधीक्षण अभियन्ता गये और मार्ग का निर्माण शुरू कराया गया। परन्तु जब पेमेन्ट की बात आयी तो उसे रुकवा दिया गया और कह दिया कि मैंने नहीं बनवाई है, यह सड़क। अब इस प्रश्न का गलत उत्तर देकर आपको भी गुमराह किया गया है। क्या मंत्री जी मेरी निजी जानकारी को सही मानकर निर्बल वर्ग के लोगों की मजदूरी तथा जो मार्ग बाकी है, इसको तुरन्त बनवायेंगे ? और इसकी जांच किसी अधिकारी से करायेंगे तथा दोषी पाये गये अधिकारी को क्या दण्डित करेंगे जिसने यह गलत उत्तर दिया है ?

श्री विद्या भूषण—

मान्यवर, माननीय सदस्य की भावनाओं को देखते हुए मैं इसकी जांच उच्च अधिकारी से करा दूंगा। जो मार्ग बनाने का प्रश्न है अगर वह पी0 डब्लू0 डी0 को दे दिया गया है, तो उसका समय पर निर्माण करा दिया जायेगा, और जो मजदूरी की बात बतायी है, वह भी दिला दी जायेगी।

श्री सरदार सिंह—

मान्यवर, उस सड़क को 31 मार्च के पहले बनना है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि कब तक वहां उच्च अधिकारी भेजा जायेगा और क्या माननीय मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि सड़क 31 मार्च के पहले बन जाये और जांच भी उसके पहले ही हो जाय। यह सड़क 31 मार्च के पहले ही बननी है।

श्री विद्या भूषण—

इसकी जांच करा दी जायेगी अगर सड़क सैंक्शन है और पी0 डब्लू0 डी0 को सौंप दी गई है, तो 31 मार्च तक सड़क बनवा दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष—

सैंक्शन को हिन्दी कीजिए, ऐसे नहीं चलेगा मामला।

श्री विद्या भूषण—

अगर सड़क बनने की स्वीकृति दे दी गयी है, तो उसको 31 मार्च तक बनवा दिया जायेगा।

[मंगलवार, दिनांक 6 मार्च, 1984 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1—श्री प्रियदर्शी जेतली—

[7वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 12 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

पशुधन विकास सहायक संघ, उत्तर प्रदेश द्वारा विसंगतियों के बारे में दिये गये ज्ञापन पर कार्यवाही

*2—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या पशुधन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पशुधन विकास सहायक संघ उत्तर प्रदेश ने दिनांक 25-3-83 को अपनी वेतन विसंगतियों के बारे में शासन को कोई ज्ञापन दिया है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संजय सिंह—

जी हां

विभिन्न विभागों के जिन सम्वर्गों में समय से पदोन्नति नहीं हो पा रही है या जहां पदोन्नति के अवसर ही नहीं हैं वहां वृद्धि अवरोध की समस्या को हल करने के लिए एक निश्चित समय के बाद पदधारक को अपेक्षाकृत उच्च वेतनमान देने के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है उसमें पशुधन विकास सहायकों की समस्या का प्रस्ताव भी विचार हेतु सन्दर्भित है। अतः ज्ञापन पर पृथक से कार्यवाही करना उचित नहीं समझा गया है।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वेतन आयोग ने जो अपनी संस्तुतियां की थीं, उनमें जो पशुपालन विभाग के कर्मचारी थे, इनके समकक्ष दूसरे विभाग के जो कर्मचारी थे, उनके वेतन मानों में विसंगतियां हो गयी, तो इस बारे में माननीय मंत्री जी आप क्या कर रहे हैं ? इसको मैं जानना चाहता हूं ?

श्री संजय सिंह—

मान्यवर, पशुधन विकास सहायकों के वेतनमान में जो विसंगतियां हैं, उनके सम्बन्ध में प्रपोजल अन्य विभागों के मामलों के साथ फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेज दिए गये हैं। जैसे ही निर्णय हो जायेगा यह लागू किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष—

अंग्रेजी शब्द के प्रयोग करने की आदत पड़ गयी है, क्या आप फाइनेंस को भी हिन्दी नहीं कर सकते हैं ? भविष्य में ध्यान रखिएगा।

श्री सुबेदार सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो विसंगतियां हैं, उनके निराकरण करने के लिए क्या कोई लेजिस्लेशन ला रहे हैं या कोई और उपाय कर रहे हैं ?

श्री संजय सिंह—

यह वेतनमानों में जो विसंगतियां रह गयी हैं उनको ठीक करने के लिये हैं, उन पर वित्त विभाग निर्णय ले रहा है। पशुधन विकास सहायकों के वेतनमान में जो विसंगतियां हैं, उनके बारे में हमारी ओर से प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज दिए गए हैं। इसलिए जब सब मामलों पर वित्त विभाग का निर्णय हो जायेगा तो उस पर भी हो जायेगा।

श्री मंजूर अहमद—

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेज दिया है, माननीय फाइनेंस मिनिस्टर साहब यहीं पर बैठे हुए हैं, उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि वह इस पर प्रकाश डालें।

श्री अध्यक्ष—

आप वित्त मंत्री कहें।

श्री मंजूर अहमद—

मान्यवर, वित्त मंत्री जी यहीं पर बैठे हुए हैं, क्या वह कोई इस बारे में आश्वासन देंगे, कृपया बतलाने का कष्ट करें ?

श्री ब्रह्म दत्त—

वेतन आयोग ने जो निर्णय लिया था। कुछ सम्वर्गों ने अपने वेतन मानों में विसंगतियों के बारे में ज्ञापन दिया है उनका परीक्षण कराया जा रहा है। बहुतों का परीक्षण हो चुका है और बहुतों का यथाशीघ्र निस्तारण कर दिया जायेगा।

तापीय विद्युत् योजनाओं के मुकाबले में जल विद्युत् योजनाओं को कार्यान्वित करने में प्राथमिकता की मांग

*3—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार भविष्य में तापीय विद्युत योजनाओं के मुकाबले में जल विद्युत योजनाओं को कार्यान्वित करने में निश्चित प्राथमिकता देगी ? यदि हां, तो क्या सरकार इस नीति को लागू करने के लिए निर्देश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री गोपी नाथ दीक्षित)—

प्रदेश में समान्वित विद्युत् विकास के लिए तापीय तथा जल विद्युत् दोनों

ही योजनाओं का कार्यान्वयन आवश्यक होता है। किसी भी योजना को प्रारम्भ करने से पूर्व, केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण तथा योजना आयोग की अनुमति अनिवार्य है। सातवीं पंच वर्षीय योजना में विद्युत की मांग, समापन समय (गेस्टेशन पीरियड) संसाधनों की उपलब्धता, परियोजना पर अनुमानित लागत तथा पूंजी निवेश पर शीघ्र प्रतिलाभ को देखते हुए, जहां तक सम्भव होगा जल विद्युत योजनाओं को प्राथमिकता देने का प्रयत्न किया जायेगा। यह भी देखना आवश्यक होगा कि प्रस्तावित जल विद्युत योजना पीकिंग अथवा बेसलोड में से किस के लिए सक्षम है ताकि परियोजना के चयन में समान्वित विकास का लक्ष्य पूरा हो सके।

श्री जयदीप सिंह बरार--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि तापीय विद्युत् परियोजनायें जो हैं उनके मुकाबले में जल विद्युत् परियोजनाओं का पर्यावरण आदि में प्रतिकूल प्रभाव कम पड़ता है। इसके अलावा उसके ट्रांसपोर्ट में जो बोटल-नेक आती हैं वे भी कम होती हैं। माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा था कि उन्हें कोयला सही नहीं मिल रहा था। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात को स्वीकार करती है कि जल विद्युत् परियोजनायें जो हैं वे तापीय विद्युत् परियोजनाओं से अधिक आवश्यक हैं, उन्हें निश्चित रूप से प्राथमिकता देगा और उसके लिये एक निश्चित रूप से नीति निर्धारित करेगी ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, इस सम्बन्ध में हमारा प्रयास यह है कि हम समान्वित विकास करें। जो तापीय विद्युत् गह हमने लाये हैं और जिनके लिये धन उपलब्ध उनको हम बनायें। जो जल विद्युत् परियोजनायें हैं जिनके लिये धन उपलब्ध है जिनसे पर्यावरण के लिये कोई खतरा नहीं है और जिसके लिये पिटिंग क्षमता मिलती है, उनको हम बनायें। हम जानते हैं कि जल विद्युत् योजनाओं के कारण ही सस्ती बिजली भी मिल सकती है इसी से समन्वित विकास सम्भव है। हमारा पूरा प्रयास है कि हम जल विद्युत् योजनाओं को वरीयता देंगे। सातवीं योजना में हम अवश्य प्राथमिकता इसे देंगे।

श्री जयदीप सिंह बरार--

माननीय मंत्री जी ने समन्वित विकास की बात कही कि जल विद्युत् योजना और तापीय विद्युत योजनाओं में समन्वय रखना चाहिये। क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि केन्द्रीय ऊर्जा बोर्ड के अध्यक्ष श्री के० सी० पन्त ने इस बात पर चिन्ता व्यक्त की है कि उत्तर प्रदेश में जल विद्युत् योजनाओं की तरफ कम ध्यान दिया गया है और तापीय विद्युत् उत्पादन के मुकाबले में उनकी क्षमता घटती जा रही है इसलिये यहां पर विद्युत् का संकट है ? क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या केन्द्रीय ऊर्जा बोर्ड के अध्यक्ष ने जो विचार व्यक्त किये हैं, सही हैं ?

श्री ब्रह्मदत्त--

मान्यवर, यह विचार तो समाचार पत्रों में मैंने भी पढ़े हैं। बात यह है कि हमारे यहां जो जल विद्युत योजनायें बनायी गयी हैं वे नदी में बांध बना कर और सुरंग से ले जाकर बनायी गयी हैं उनका सही उपयोग तभी हो सकेगा जब बांध बना कर बिजली भी तैयार हो सके और पानी का सही इस्तेमाल भी हो सके। सातवीं योजना में हमारा प्रयास है कि हम ऐसा कर सकेंगे।

श्री कदल--

मान्यवर, अभी तक 12 जल विद्युत् परियोजनाओं का सर्वेक्षण हो चुका था

और इनके लिये प्लान भी पहाड़ी में तैयार कर लिया गया था। जमुना में और रिहन्द में पानी कन्हड़ योजना के अन्तर्गत देने का कार्य भी हुआ था। इसके सम्बन्ध में जो योजनायें चल रही थीं और चलाने की संभावनायें थीं उनके सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

श्री ब्रह्मदत्त--

श्रीमन्, जो हमारी जल विद्युत् योजनायें हैं उनमें छिबरामऊ योजना पूरी हो चुकी है, कुड़हल और ढकानी की योजना भी पूरी हो चुकी है। राम गंगा भी पूरा हो गई है। साथ ही हरिद्वार में चिल्ला परियोजना भी पूरी हो चुकी है। खेतरी के बारे में कुछ दिक्कत थी सुरंग आदि की वह भी पूरा हो गया है। मनेरीभाली का प्रथम चरण पूरा होने वाला है, दो तीन महीने में काम पूरा हो जायेगा। लखवाड़ी, टिहरी, विष्णु प्रयाग श्रीनगर में भी काम प्रगति में है।

श्री ऊदल--

श्रीमन्, कनहर के मध्य प्रदेश के सम्बन्ध में बात होनी थी उस योजना का जिक्र माननीय मंत्री जी ने नहीं किया उसका बता दें जो काम संक्शन हुआ था, क्या हुआ ?

श्री ब्रह्मदत्त--

कनहर नदी के पानी को रिहन्द झील में डालने के लिए सर्वेक्षण कराने की बात थी सिंचाई की कुछ योजनायें कनहर पर चल रही हैं लेकिन उसे रिहन्द झील में डालने पर व्यय बहुत अधिक हो रहा है और मध्य प्रदेश सरकार को भी आपत्ति है तो उसका निराकरण करने के बाद ही अंतिम रूप दिया जा सकेगा।

श्री यदुनाथ सिंह--

जैसा माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि जल विद्युत् योजनाओं के समन्वित विकास में सुरंग बनाने की बात कही..

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न करें।

श्री यदुनाथ सिंह--

मंत्री जी नान-टेक्निकल इसलिए थोड़ा बताना चाहता हूं। कई जगह जैसे गंगा नदी जमुना नदी का पानी जलाशयों में डालकर जल विद्युत् योजनायें बना सकते हैं। इसमें उनको क्या कठिनाई हो रही है कि इस प्रकार की जल विद्युत् योजनायें उत्तर प्रदेश में चालू हो जायें क्योंकि तापीय विद्युत् योजना महंगी हो रही है। इसका सुझाव जैसा कि आपके श्री के० सी० पंत ने भी दिया है वह कब तक आप पूरा करेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त--

मैंने निवेदन किया कि 7वीं योजना में इसको पूरी वरीयता दी जायेगी ताकि समन्वित विकास हो सके।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्वेषणालय के अन्तर्गत नवसृजित रिसर्च डेवलपमेन्ट एवं क्वालिटी प्रमोशन सेल हेतु स्वीकृत धनराशि

*4--श्री पंचानन राय--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनके विभाग के अन्वेषणालय में नवसृजित क्वालिटी प्रमोशन एवं रिसर्च डेवलपमेन्ट सेल के लिए भारत सरकार से जो धनराशि स्वीकृत हुई उसके लिए निर्धारित क्रिया-कलापों के लिए आवश्यक धनराशि का क्या आकलन किया गया है ? क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वह धनराशि कितनी है और क्या वार्षिक बजटों में इसकी व्यवस्था की जा रही है ? यदि नहीं, तो सरकार किन संसाधनों से उक्त सेल के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर रही है ?

श्री विद्या भूषण—

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्वेषणालय के अन्तर्गत नवसृजित रिसर्च डेवलपमेन्ट एवं क्वालिटी प्रमोशन सेल हेतु भारत सरकार ने 2 लाख रुपये प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों के लिए 10 लाख रुपये की जो स्वीकृति दी है व सेल की स्थापना व कार्यों के सम्पादन दोनों प्रयोजनों हेतु है। सेल के कार्य-कलाप इस प्रकृति के हैं कि उनके लिए पृथक् धनराशि के आकलन की अपेक्षा नहीं है। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि की व्यवस्था राज्य के विभागीय बजट में प्रति वर्ष एकमुश्त प्राविधान के अन्तर्गत की जाती है।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, इस बात को सब लोग करीब-करीब जानते हैं कि आजकल सार्वजनिक निर्माण विभाग में जो सामग्री प्रयुक्त हो रही है उसकी क्वालिटी काफी खराब है और इसी लिए भारत सरकार ने 10 लाख रुपया रिसर्च और डेवलपमेन्ट सेल खोलने के लिए दिया है और उस 10 लाख रुपये को केवल वेतन पर खर्च कर दिया गया है। माननीय मंत्री जी भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि जिस तरह से इनका टेक्निकल सेल है जो सीधे शासन के नियंत्रण में काम करता है। तो उसी तरह से जो वैज्ञानिक इसमें रखे जायेंगे वे सीधे शासन के नियंत्रण में रखे जायेंगे क्योंकि यदि मुख्य अभियन्ता के अधीन होंगे तो निष्पक्ष जांच नहीं कर पायेंगे। तो उसको सुदृढ़ करने के लिए शासन के नियंत्रण में रखेंगे जिससे विभाग में प्रयोग होने वाली सामग्री की ठीक से जांच की जा सके ?

श्री विद्याभूषण—

मान्यवर, जैसा अभी हमारे विधायक ने अपने विचार बताये अगर इस व्यवस्था से इस सेल को डेवलप करके काम करना प्रदेश के हित में होगा तो शासन के नियंत्रण में कर दिया जायेगा।

पुलिस द्वारा राजकीय इन्टर कालेज, गोरखपुर के अध्यापक श्री त्रिभुवन सिंह की अकारण पिटाई के सम्बन्ध में शिक्षकों का आमरण अनशन

*5—श्रीमती गौरी देवी—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिले के कैन्ट थाने की पुलिस द्वारा राजकीय इन्टर कालेज, गोरखपुर के अध्यापक (श्री रिपुदमन सिंह) की अकारण पिटाई करने के कारण शिक्षकों ने दिनांक 11-8-83 से 18-8-83 तक विद्यालयों को बन्द किया तथा जिला अधिकारी कार्यालय पर अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर आमरण अनशन किया था ? यदि हां, तो मांगें क्या थीं और क्या कार्यवाही हुई ?

गृह होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री (श्री रणजीत सिंह जूदेव)—

प्राप्त सूचना के आधार पर यह सही नहीं है कि गोरखपुर जिले के कैन्ट थाने की पुलिस द्वारा राजकीय इन्टर कालेज, गोरखपुर के अध्यापक (श्री त्रिभुवन सिंह न कि श्री रिपुदमन सिंह) की अकारण पिटाई की गयी तथा 11-8-83 से 18-8-83 तक विद्यालय बन्द किया गया।

दिनांक 16-8-83 को राजकीय इन्टर कालेज, गोरखपुर के अध्यापकों द्वारा एक मौन जलूस निकाला गया तथा 17-8-83 को 50 शिक्षक दिनांक 18-8-83 को 40 शिक्षक एवं दिनांक 19-8-83 को 25 शिक्षकों ने जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष धरना दिया। शिक्षकों की मांगें निम्नवत् थीं :

(1) कैन्ट पुलिस स्टेशन आफिसर सहित उन (जिन्होंने तथाकथित वर्बर एवं अमानुषिक व्यवहार किया) समस्त पुलिस कर्मियों को निलंबित किया जाय ।

(2) जब तक अधिकारियों को उचित रूप से दंडित नहीं किया जाता तब तक समस्त अध्यापक अपनी कक्षाओं का बहिष्कार दिनांक 11-8-83 से करेंगे ।

(3) पूरी घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिये जायं ।

जिला प्रशासन एवं शिक्षकों के प्रतिनिधियों के मध्य दिनांक 19-8-83 को हुई वार्ता के दौरान श्री एस० एन० घोषाल के प्रति शिक्षकों के मस्तिष्क में उत्पन्न हुई भ्रान्तियों के स्पष्टीकरण किये जाने के फलस्वरूप शिक्षकों ने उसी दिन 16 बजे धरना एवं अध्यापन कार्य के बहिष्कार को समाप्ति की घोषणा की ।

श्रीमती गौरी देवी--

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि अध्यापकों की शिकायतों की जांच किससे करायी गयी और जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

मान्यवर, इसकी जांच स्वयं जिलाधिकारी ने किया था और उन्होंने इसमें राजीनामा कराया ।

श्रीमती गौरी देवी--

मान्यवर, मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि अध्यापकों को क्या स्पष्टीकरण दिया गया ।

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

श्रीमन, इसमें स्पष्टीकरण की बात नहीं है । एक अध्यापक को थाने में बुला लिया गया था और उसके बाद अध्यापकों ने रोष व्यक्त किया लेकिन बाद में बैठकर बातचीत हुई तो समस्या को हल कर लिया गया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मंत्री जी ने अपने आखिरी उत्तर में कहा है कि अध्यापकों के मन में जो भ्रांतियां थी उनका स्पष्टीकरण किया गया । तो शासन की ओर से कोई बात साफ की गयी होगी । इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि शासन की ओर से क्या स्पष्टीकरण दिया गया । प्रश्न के उत्तर के पूर्व में देखें तो लिखा है कि अकारण पिटाई की गयी, तो पिटाई का क्या कारण था ? जिलाधिकारी ने इसकी जांच किया तो जांच रिपोर्ट जो प्रस्तुत किया होगा उसमें अपनी जांच आख्या में पुलिसजनों को दोषी पाया गया, यह मेरी जानकारी है, तो इसमें क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

मान्यवर, जिलाधिकारी ने उनको दोषी नहीं पाया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

इस पूरे प्रश्न का मुख्य अंश है और मेरी जानकारी के आधार पर कि जिलाधिकारी और अधिकारियों ने इस बात को स्वीकार किया कि पुलिस ने गलती किया, यह स्पष्टीकरण दिया । तो मैं जानना चाहूंगा कि प्रशासन ने अध्यापकों के मन में जो भ्रांतियां थीं, जो स्पष्टीकरण दिया, तो जिलाधिकारी ने वह क्या स्पष्टीकरण, प्रशासन ने, दिया है और उसके बाद आपने क्या कार्यवाही किया ?

श्री रणजीत सिंह जुदेव--

मान्यवर, यह भ्रान्ति थी कि उनको बुलाकर, अध्यापकों को, थाने में बदतमीजी की गयी जबकि ऐसा नहीं हुआ था, मारपीट थाने में नहीं हुई । अध्यापकों से जब बातचीत हुयी तो वह मान गये और हड़ताल को समाप्त कर दिया ।

श्री बाबूलाल सिंह, संयुक्त सचिव, नियुक्ति विभाग के विरुद्ध पत्र की जांच

*6—श्री श्यामलाल बाजपेयी—

क्या मुख्य मन्त्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्त्ता ने श्री बाबूलाल सिंह, संयुक्त सचिव, नियुक्ति विभाग के विरुद्ध एक पत्र मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को 21 जुलाई, 1983 को दिया था ? यदि हां, तो पत्र में वर्णित तथ्यों के जांच-परिणाम क्या निकले ?

सूचना एवं सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो राज्य मन्त्री (श्री प्रमोद कुमार)—

जी हां। शिकायती-पत्र में अधिकारी के विरुद्ध उनके लखनऊ के आवासीय टेलीफून से गत एक वर्ष (22 जुलाई, 1982 से 21 जुलाई, 1983 तक) में आगरा किये गये टेलीफोनों की जांच करने तथा उनके पूर्ववर्ती अधिकारी के टेलीफोन बिलों से मिलान करने का अनुरोध किया गया था। शिकायतकर्ता ने अपने पत्र में यह शंका व्यक्त की थी कि अधिकारी ने आगरा के लिये अधिकतर टेलीफोन वहां के एस0 डी0 एम0 एवं पूर्ति अधिकारी को आगरा में बन रहे उनके मकान के लिये सीमेंट प्राप्त करने हेतु किये थे।

22 जुलाई, 1982 से 25 अगस्त, 1982 की अवधि को छोड़कर (जिसका बिल उपलब्ध नहीं हुआ) सम्बन्धित अधिकारी ने 26 अगस्त, 1982 से 21 जुलाई, 1983 तक की अवधि में आगरा जनपद के लिये कुल 41 फोन किये थे, जिनमें से एस0 डी0 एम0 तथा पूर्ति अधिकारी को कोई फोन नहीं किया गया था। सम्बन्धित अधिकारी ने उक्त 41 "काल्स" को सरकारी काल्स के रूप में सत्यापित किया है। बिलों से मिलान करने पर ज्ञात हुआ है कि इनके पूर्वाधिकारी के एक वर्ष के बिलों की धनराशि इनके एक वर्ष के बिलों से कम थी।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, मैं आपसे संरक्षण चाहते हुए पहले सम्बन्धित प्रश्न के इतिहास के बारे में दो शब्द बताना चाहता हूं, 1983-84 के बजट के बारे में विधान मंडल दल की जो बैठक हुई थी, उसमें उत्तर प्रदेश के तीन महाबली अधिकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई गई थी श्री श्रीशचन्द्र दीक्षित, आई0 जी0, पुलिस, श्री राम चन्द्र टकरू, गृह सचिव और यह श्री बाबूलाल सिंह, संयुक्त सचिव (नियुक्ति)। एक साल से निरन्तर प्रयास हो रहा है, 50 आरोप उस व्यक्ति के खिलाफ लगे हैं, लेकिन वह हिमालय की तरह अडिग है। अब मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इस अवधि में जो 41 फोन हुये हैं, उनमें से वहां के आगरा के अपर जिलाधिकारी (नागरिक आपूर्ति) को कितने फोन किये गये।

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, सदस्य ने यह जानना चाहा था कि इन्होंने एस0 डी0 एम0, परगनाधिकारी व जिला पूर्ति अधिकारी को कितने फोन किये थे, उसके बारे में जानकारी मंगाई गई थी और यह पाया गया कि अतिरिक्त जिलाधिकारी (आपूर्ति), जिला पूर्ति अधिकारी, जिला अधिकारी और आयुक्त को यह फोन किये गये थे।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, इस समय आपकी व्यावहारिक दृष्टि पूरे प्रदेश में है और आप चारों तरफ बधाई के पात्र हैं, इसलिये मैं भी आपका संरक्षण चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि संयुक्त सचिव (नियुक्ति) के रूप में श्री बाबू लाल सिंह समस्त ए0 डी0 एम0 और एस0 डी0 एम0 पर नियुक्ति के तहत एक साम्राज्य कायम किये हुये हैं। आगरा में यह दो-दो मकान बनाये हुये हैं, तो जैसा मन्त्री जी ने स्वीकार किया है इन्होंने अतिरिक्त जिलाधिकारी (आपूर्ति)

को सीमेंट, लोहा व सरिया की पूर्ति के बारे में फोन किये हैं, इसको देखते हुए क्या मन्त्री जी तत्काल उनका उस पद से तबादला करने की कृपा करेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार—

मैं पहले प्रश्न को साफ कर दूं, इन्होंने कहा है कि सीमेंट व सरिया के लिये उन्होंने फोन किया था और ऐसा मैंने कहा है तो ऐसी बात नहीं है। मैंने ऐसा नहीं कहा है कि सरिया और सीमेंट के लिए उनको उन्होंने फोन किया था। मैंने कहा है कि यह फोन किये हैं और यह जनहित में, प्रशासनिक दृष्टि से काम को निपटाने के लिये किये गये थे।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मुझे इस पर आपत्ति है, नियुक्ति विभाग के एक संयुक्त सचिव का अपर जिला अधिकारी (आपूर्ति) को फोन करने का क्या प्रशासनिक दृष्टि से सम्बन्ध हो सकता है और उनके साथ क्या जनहित हो सकता है ? इसलिये मन्त्री जी तथ्यों को तोड़ने-मरोड़ने का प्रयास न करें और स्पष्ट रूप से बताने की कृपा करें कि जब इतनी शिकायतें उसके विरुद्ध हैं तो अब तक आप उनको क्यों नहीं हटा रहे हैं और क्या उनको तत्काल आप हटाने की कृपा करेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार—

अतिरिक्त जिला अधिकारी, जिलाधिकारी, आयुक्त, अतिरिक्त जिलाधिकारी (आपूर्ति) और (प्रशासन) सबको इस अवधि में फोन किये गये हैं। जहां तक उनके स्थानान्तरण का प्रश्न है, जनहित में जब भी आवश्यक होगा, उनके स्थानान्तरण पर विचार किया जायेगा।

श्री मोहन सिंह—

माननीय मन्त्री जी के ऊपर के संदर्भ में, जब यह प्रश्न गया होगा, शासन के पास गया होगा और उनके पास इस समय पूरी सूचनायें होंगी, तो किसी भी संयुक्त सचिव का एक जिला पूर्ति अधिकारी, वहां के परगनाधिकारी, वहां के अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट (आपूर्ति) को निरन्तर और बार-बार फोन करने का क्या औचित्य या कारण है ? तो माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जब इनसे टेलीफोन करने के बारे में पूछताछ की गयी तो उन्होंने क्या कारण बताये ?

श्री प्रमोद कुमार—

प्रशासनिक कारणों को बताया जिनमें एक मानवीय आधार भी था और वह यह कि उस समय अतिरिक्त जिलाधिकारी श्री चतुर्वेदी की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उस सम्बन्ध में कुछ भुगतान आदि शीघ्र कराने के लिये भी आगरा में कई बार टेलीफोन्स किये।

(व्यवधान)

जनपद उन्नाव के अन्तर्गत थाना हसनगंज के ग्राम भरहा की श्रीमती रामा देवी व बिट्टो देवी द्वारा दिया गया रजिस्टर्ड शिकायती-पत्र

*7—श्री मोहन सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद उन्नाव के अन्तर्गत थाना हसनगंज के ग्राम भरहा, सम्सपुर की निवासी श्रीमती रामा देवी, पत्नी सुरेश सिंह तथा श्रीमती बिट्टो देवी पत्नी सरजू सिंह, निवासी धारा गढ़ी, थाना माखी ने संयुक्त रूप से एक शिकायती-पत्र अपनी भूमि में उगी धान की फसल को जबरदस्ती दिन में काटने के सम्बन्ध में जिला अधिकारी, उन्नाव को दिनांक 4 नवम्बर, 1982 को रजिस्टर्ड भेजा था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक कितने लोगों को गिरफ्तार कर, मुकदमा न्यायालय भेजा गया ? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में संदर्भित प्रार्थना-पत्र, दिनांक 4 नवम्बर, 1982 जिलाधिकारी, उन्नाव को प्राप्त हुआ जो श्रीमती रामा देवी तथा बिट्टी देवी की ओर से श्री सुरेश सिंह द्वारा दिया गया था। जांच से भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी मामला न्यायालय परगनाधिकारी हसनगंज में लम्बित पाया गया। प्रार्थना-पत्र में सर्वश्री नरेन्द्र सिंह, राजपाल सिंह शिवराज सिंह तथा महादीन के विरुद्ध लगाये गये आरोप सही नहीं पाये गये। फलस्वरूप किसी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का कोई औचित्य नहीं पाया गया।

जनपद फैजाबाद में टान्डा तापीय शक्ति परियोजना निर्माण में घोटाले की सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच

*8—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में टान्डा तापीय शक्ति परियोजना निर्माण 1979 तथा 1981 के बीच 5 लाख रुपए का घोटाला हुआ था? यदि हां, तो उक्त घोटाले का मुख्य अभियुक्त कौन है? क्या यह सही है कि उक्त घोटाले की जांच में 9 कर्मचारी दोषी पाए गए हैं? यदि हां, तो उनके विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही न किए जाने का क्या करण है? क्या यह सही है कि उक्त कान्ड में सम्बन्धित पत्रावली माह मार्च, 1983 से गायब है? यदि हां, तो क्या सम्पूर्ण मामले की जांच सी0 बी0 आई0 से कराए जाने के प्रश्न पर सरकार विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जी हां।

सम्पूर्ण मामले की जांच शासन से सतर्कता अधिष्ठान द्वारा की जा रही है। सतर्कता विभाग की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही घोटाले की धनराशि तथा मुख्य अभियुक्त का पता लगेगा। राज्य विद्युत् परिषद् की सतर्कता इकाई द्वारा की गयी जांच के आधार पर 9 कर्मचारी/अधिकारी दोषी पाये गये थे परन्तु शासन के सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच प्रारम्भ होने के कारण कार्यवाही स्थगित कर दी गयी है। मामले से सम्बन्धित पत्रावली गायब नहीं हुई है। सम्पूर्ण मामले की जांच शासन के सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जारी होने के कारण सी0 बी0 आई0 द्वारा जांच कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री गोपीनाथ वर्मा—

यह मामला मान्यवर, 1979-80 का है जिसमें 5 लाख रुपयों की सरिया का घोटाला है। इसी सदन में माननीय मंत्री जी ने घोषणा की थी कि इसमें 9 अधिकारी दोषी पाये गये हैं और उनको शीघ्र दंडित किया जायेगा। तो मैं जानना चाहता हूं कि किन कारणों से इन दोषी पाये गये लोगों के खिलाफ अभी तक कार्यवाही नहीं की गयी?

श्री ब्रह्मदत्त—

वह प्राथमिक जांच के आधार पर पाये गये थे, अब सतर्कता विभाग द्वारा खुली जांच के आदेश दे दिये गये हैं और उनकी रिपोर्ट मिलने पर सरकार शीघ्र कार्यवाही करेगी।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

इसी सत्र में इस मामले में मैंने भी एक प्रश्न पूछा था जो अतारांकित प्रश्न था और उसके उत्तर में यह चीज सामने आयी थी कि इतने अधिकारी दोषी हैं। मैंने यह पूछा था कि जो दोषी पाये गये हैं उनके विरुद्ध अलग-अलग क्या-क्या दोष हैं? इसी सदन में यह बताया गया था कि विभागीय जांच में वे दोषी हैं। उस समय भी प्रश्न के उत्तर को घुमा दिया गया था

और आज भी घुमाकर उत्तर दिया जा रहा है। खुली जांच से हमें क्या मतलब है।

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न करें।

श्री प्रियदर्शी जैतली--

मैं यह जानना चाहता हूं कि जब विभागीय जांच में वे दोषी पाये गये हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है ?

श्री अध्यक्ष--

(श्री तेजबहादुर गंगवार से)

मंत्री जी, आप कृपया खड़े हो जायें। सदन में बैठने से पूर्व आपको सदन के शिष्टाचार नियमों का पालन करना चाहिये।

(श्री तेजबहादुर गंगवार ने अध्यक्ष पीठ के प्रति नमन करते हुए पुनः आसन ग्रहण किया)

श्री ब्रह्मदत्त --

मान्यवर, मैं पहले निवेदन कर चुका हूं कि विभाग की सतर्कता इकाई की जांच में जिन लोगों के विरुद्ध प्रागदर्शन में मामला बनता है, उसकी खुली जांच सतर्कता विभाग करता है और इसका सम्बन्ध उसी से है। मान्यवर, जिस समय सतर्कता विभाग की रिपोर्ट उपलब्ध हो जायगी, माननीय सदन को अवगत करा दिया जायगा।

श्री गोपी नाथ वर्मा--

मान्यवर, इस मामले की जांच करने में कम से कम 4 मंत्रियों ने अपना पद छोड़ दिया, माननीय मुख्य मंत्री, ब्रह्म दत्त जी, शास्त्री जी, और बाल्मीकि जी। मान्यवर, जब माननीय मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया कि 9 अधिकारी दोषी पाये गये, तो क्या 9 अधिकारी अब भी उस परियोजना में कार्यरत हैं ? यदि हां, तो उन्हें हटाने पर माननीय मंत्री जी विचार करेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त--

मान्यवर, इसमें खास-खास 7 अधिकारी हैं, उनके बारे में मेरी निश्चित जानकारी है कि वे अब इस परियोजना में नहीं हैं, बाहर चले गये।

*9--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

[दिनांक 30-9-80 को अतारांकित प्रश्न संख्या--98 के द्वारा उत्तरित]

श्री वाचस्पति शर्मा, ज्येष्ठ अभि-

योजन अधिकारी के मकान

पर हमला

*10--श्री रियासत हुसैन--

क्या मुख्य मन्त्री को विदित है कि दिनांक 17-7-82 की शाम को पुलिस वालों ने श्री वाचस्पति शर्मा, ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी के मकान पर हमला करके मारा पीटा था जिसके फलस्वरूप दिनांक 18-7-82 को मुरादाबाद कचहरी में पूर्ण हड़ताल रही ? यदि हां, तो उस विषय पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 17-7-82 की शाम को श्री वाचस्पति शर्मा, कार्यवाहक ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, मुरादाबाद एवं श्री जसवीर सिंह, उप निरीक्षक, थाना सिविल लाइन्स के मध्य एक क्वार्टर के एलाटमेंट को लेकर एक दूसरे के विरुद्ध विवादित क्वार्टर पर मारपीट आदि के सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन्स पर क्रमशः अ0 सं0 530/82 अन्तर्गत धारा 147/148/452/323/324/379 भा0 द0 वि0 एवं अ0 सं0 530-ए, अन्तर्गत धारा 147/148/452/324/323/354/504/506 भा0 द0 वि0 पंजीकृत कराये गये जिनमें पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की जा चुकी है। मुरादाबाद कचहरी में दिनांक 18-7-82 को पूर्ण हड़ताल की बात सही नहीं है।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, यह सब देखते हुए कि यह झगड़ा पुलिस के एक सब-इन्सपेक्टर और एक ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी के दर्मियान में हुआ, जैसा कि उत्तर में कहा है। क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इसकी जो दोनों रिपोर्ट्स हुई, 530 और 530 ए, उसमें पहली रिपोर्ट का मुद्दई कौन था और इसका इन्वेस्टिगेशन किसने किया और 452 आदि जो ये धारायें हैं, ये जो नान-बेलेबुल धारायें हैं, इसमें गिरफ्तारी न होने का क्या कारण है ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

मान्यवर, पहला प्रश्न यह है कि जांच किसने की ? श्री के0 एन0 द्विवेदी, निरीक्षक ने इसकी जांच 24-7-82 को शुरू की ।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, मैंने तो प्रश्न में यही पूछा कि इस झगड़े में दो एफ0 आई0 आर0 530 और 530-ए हुई 530 का मुद्दई कौन था और 530-ए का मुद्दई कौन था जिसने एफ0 आई0 आर0 लिखाई । फाइनल रिपोर्ट लगने से पहले आई0 ओ0 ने क्या कार्यवाही की, क्योंकि, ये सब नान-बेलेबुल सेक्शन्स हैं ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

मान्यवर, 530 की रिपोर्ट जसबीर ने लिखाई और दूसरी वाचस्पति शर्मा ने लिखाई । मान्यवर, दोनों सरकारी अधिकारी थे, इसमें यह प्रयास किया गया कि इनके बीच में राजीनामा कराया जाय । मान्यवर, दोनों में फाइनल रिपोर्ट लग चुकी है । इन लोगों ने मुकदमा दर्ज होने के बाद कोई पैरवी नहीं की इसलिए फाइनल रिपोर्ट लग गयी ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, इस घटना को लेकर पूरी कलेक्टरी पूरी कचेहरी एकदम बन्द हुई, जिसको आपने इनकार किया है। मान्यवर, पूरी कचेहरी बन्द हुई, बार-एसोसियेशन से आप इसको इनक्वायरी करा लें. सारे मुकदमों की रिपोर्ट उस दिन की क्या है ? मेरा प्रश्न यह है कि 530 जो वाचस्पति शर्मा ने लिखाई मकान के मामले में उसकी पिटाई की गई । उसके बाद कौन सी कार्यवाही की गई क्या एक्शन लिया गया ? एक महीने के बाद आपसी फैसले की बात चलाई गई ।

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

दोनों सरकारी अधिकारी थे कुछ भ्रम के कारण यह उत्पन्न हो गया । अब आपस में राजीनामा हो गया है ।

श्री रियासत हुसैन--

मेरा प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ । मंत्री जी उसको छुपा रहे हैं । थानेदार के खिलाफ वाचस्पति शर्मा ने रिपोर्ट लिखाई, धारा 147, 148, 452, 323, 324 आदि लगी हैं जो काबिले गिरफ्तारी बिना वारेन्ट के हैं । इन सारी चीजों के बाद थानेदार के खिलाफ कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

जांच के लिए बुलाये गये तो यह लोग नहीं गये । इससे स्पष्ट होता है कि यह लोग मुकदमें को आगे बढ़ाना नहीं चाहते इसलिए खत्म कर दिया गया ।

श्री रियासत हुसैन--

इतनी गम्भीर घटना को छुपाने का प्रयास किया गया है । दोनों का बयान नहीं हुआ है ।

लखनऊ में तैनात पी0 सी0 एस0 अधिकारियों का लखनऊ से बाहर स्थानान्तरण

*11--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन के पांच वर्ष से अधिक लखनऊ में तैनात पी0 सी0 एस0 अधि-

कारियों को लखनऊ से बाहर स्थानान्तरित न किये जाने के क्या कारण हैं ? कौन-कौन से पी0सी0एस0 अधिकारी लखनऊ में लगातार पांच वर्ष से अधिक तथा दस वर्ष से अधिक एवं पन्द्रह वर्ष से अधिक से तैनात हैं ?

श्री प्रमोद कुमार—

अधिकारियों का स्थानान्तरण समय-समय पर जनहित की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शासन द्वारा किया जाता है। लखनऊ में लगातार पांच वर्ष से अधिक तथा 10 वर्ष से अधिक से तैनात पी0 सी0 एस0 अधिकारियों की सूची क्रमशः "क" एवं "ख" संलग्न है। लखनऊ में लगातार 15 वर्ष से अधिक से तैनात कोई अधिकारी नहीं है।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 185 पर।)

श्री राम आसरे शर्मा—

शासन की सामान्य नीति है कि पी0 सी0 एस0 अधिकारियों को 3 वर्ष से ज्यादा एक स्थान पर नहीं रखा जायेगा। मैं जानना चाहता हूं कि जिन अधिकारियों को सूची "क" में दिखाया है उन अधिकारियों में ऐसी कौन सी विशेषता है जो विशेषता दूसरे पी0सी0 एस0 अधिकारियों में नहीं है ?

श्री प्रमोद कुमार—

मैं स्पष्ट कर दूं ऐसा नियम नहीं है कि 3 वर्ष से ज्यादा नहीं रखा जायेगा। जो नियम है मैं उसको पढ़ देता हूं इससे स्पष्ट हो जायेगा। "सामान्यतः किसी भी पद पर अधिकारी अथवा कर्मचारी को यथासम्भव 3 वर्ष तक अवश्य रखा जाय। विशेष परिस्थितियों में यह अवधि 5 वर्ष तक की हो सकती है। यह इसलिए आवश्यक है कि अधिकारी को सौंपे गये कार्य को पूरा करने में उसके सामर्थ्य को आंका जा सके एवं उसे भी इतना समय मिले कि वह अपने कार्य को पूरी शक्ति एवं लगन के साथ कर सके।" इससे स्पष्ट है कि पांच वर्ष तक रखा जा सकता है।

श्री राम आसरे वर्मा—

मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में अभी मंत्री जी ने कहा कि विशेष परिस्थितियों में 5 वर्ष तक रखा जा सकता है। यदि यह बात सही है तो जिन लोगों को 10 वर्ष से ऊपर तैनात हुए हो गया है उनका स्थानान्तरण न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री प्रमोद कुमार—

जब मैं पढ़ रहा था तो शायद माननीय सदस्य ने ध्यान नहीं दिया। मैंने पद पर 5 वर्ष रखने की बात कही है स्थान पर नहीं, स्थान और पद में फर्क है।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि लखनऊ महानगर में श्री दिवाकर त्रिपाठी को नगर अपर जिलाधिकारी आपूर्ति के पद पर बने हुए कितने दिन हो गये और क्या विशेष योग्यता है इनकी जिसके कारण शासन लखनऊ में इन्हें सम्मान दे रहा है ?

श्री अध्यक्ष—

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

दूसरा सुन लें।

डा0 बृजकिशोर मिश्र—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं यहां निदेशक सेवा योजन के पद पर श्री मुन्शी सिंह सन्त जैसा पथभ्रष्ट एवं बलात्कार करने वाला अधिकारी कई वर्षों से तैनात है। उसके लिए शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, लगता है मेरे पहली बार कहने में कुछ त्रुटि हो गई। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में जानना चाहता हूं कि मेरे संज्ञान में जो परम सुयोग्य अधिकारी हैं उसके बारे में श्री देवी त्रिपाठी को लखनऊ में अपर जिला अधिकारी आपूर्ति के पद पर काम करते हुए कितने वर्ष हुए ?

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, 17 जनवरी, 1980 से यह कार्यरत हैं। क्योंकि पांच वर्ष पूरे नहीं हुए अतः यह नियमानुसार है।

श्री भीखा लाल—

मान्यवर, एक साल में पांच साल की जो बात कही उसे इस तरह से भ्रमित किया कि स्थान नहीं पद है। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि एक अधिकारी सचिवालय में है वह ग्रामीण स्तर पर क्या अयोग्य हो गये हैं ?

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, यहां तो योग्य व्यक्ति ढूंढ कर रखे जाते हैं।

उत्तर प्रदेश सचिवालय कर्मचारियों एवं सुरक्षा गार्डों में हुए हिंसक संघर्ष की जांच रिपोर्ट

*12—श्री मित्रसेन (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय कर्मचारियों एवं सुरक्षा गार्डों में हुए हिंसक संघर्ष दिनांक 26-27 नवम्बर, 1982 की जांच रिपोर्ट क्या है ? मुख्य रूप से कौन-कौन उच्च अधिकारी दोषी पाये गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

उत्तर प्रदेश सचिवालय के एनेक्सी तथा नवीन भवन में दिनांक 26 तथा 27 नवम्बर, 1982 को घटित घटनाओं के सम्बन्ध में अपराध अनुसंधान विभाग की अपराध शाखा द्वारा तथा मैजिस्टीरियल जांच की जा रही है। उक्त दोनों जांचों की रिपोर्ट अभी शासन को नहीं प्राप्त हुई है।

गांव खीली, जिला वाराणसी में कथित डकैती की घटना

*13—श्री ऊदल—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव खीली, थाना चौरी, जिला वाराणसी में तारीख 12 नवम्बर, 1983 की रात में कई घरों को डाकुओं ने लूट लिया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

प्राप्त सूचना के अनुसार वाराणसी जनपद के थाना चौरी क्षेत्र के अंतर्गत "खीली" नामक कोई ग्राम नहीं है। उक्त क्षेत्र में रवेली ग्राम है जहां पर दिनांक 12 नवम्बर, 1983 की रात में डकैती की कोई घटना प्रकाश में नहीं आई, अतः इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

श्री ऊदल—

मान्यवर, 12-11-83 को डकैती के बारे में उस थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज हुई ? या एक दो दिन के आगे-पीछे कहीं कोई इस तरह की रिपोर्ट दर्ज हुई है ?

श्री रणजीत सिंह जुदेव—

मान्यवर, चोरी की रिपोर्ट दर्ज है डकैती की नहीं है। अगर आप कहें तो पढ़ दूं।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि पड़ी तो डकैती, और आपके वहां के स्टेशन इचार्ज ने डकैती को चोरी में लिख दिया।

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

श्रीमन्, जिसके यहां चोरी हुई वह लिखा रहा है लेकिन माननीय सदस्य कह रहे हैं तो विचार कर लिया जाएगा ।

*14--श्री सरदार सिंह--

[6ठे गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या-18 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]।

जालौन जिले के नदी गांव नामक स्थान पर भारतीय सेना के सूबेदार की हत्या की अपराध अनुसन्धान द्वारा जांच

*14--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या गृह मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि दिनांक 9 नवम्बर, 1983 के आसपास की तिथियों में प्रश्नकर्त्ता ने जालौन जिले के नदी गांव नामक स्थान पर भारतीय सेना के एक सूबेदार की हत्या के प्रकरण में जो पत्र पुलिस महानिरीक्षक को दिया था, उस सम्बन्ध में हत्यारों को किस तारीख को गिरफ्तार किया गया तथा उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो इस विलम्ब का कारण क्या है ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 8 नवम्बर, 1983 पुलिस महानिरीक्षक को प्राप्त हुआ जिसके आधार पर मामले की जांच अपराध शाखा को सौंपी जा चुकी है । इस हत्या में आरोपित का0 डाल चन्द्र, का0 अतीक अहमद, का0 अमर पाल दिनांक 11 नवम्बर, 1983 को मुख्य न्यायायिक दंडाधिकारी, उरई के न्यायालय में आत्म समर्पण कर चुके हैं मामले में अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच की जा रही है ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी को इस घटना के सम्बन्ध में स्वयं जानकारी है क्योंकि पड़ोस के रहने वाले हैं । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि थानों में जो प्रथम सूचना दी गयी थी वह क्या है और ऐसी कौन सी परिस्थिति है कि उन कांस्टेबिल को जो उसी थाने के थे उनको तुरन्त गिरफ्तार न करके, वह दंडाधिकारी के समक्ष खुद हाजिर हुए ? इसका क्या कारण है ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

श्रीमन्, जो पुलिस कांस्टेबिल थे वह भाग गये थे वह न्यायालय में खुद हाजिर हुए हैं ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करें कि यह जो पुलिसकर्मी थे, वे इसी थाने में कार्यरत थे । इनकी यहां पर ड्यूटी लगायी गयी थी । इन्होंने एक सूबेदार की हत्या कर दी और फरार हो गये, तो इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही क्या की गयी ? इनको अब तक सस्पेंड क्यों नहीं किया गया, मुअतल क्यों नहीं किया गया । उन्होंने दो उल्लंघन किया और ड्यूटी से भाग गये, तो इस बारे में मंत्री जी बताने की कृपा करें ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

श्रीमन्, जमानत तो इन्होंने न्यायालय के समक्ष वहीं करा ली थी । कान्सटेबिल डालचन्द्र ने जमानत 11 नवम्बर, 1984 को करा ली थी तथा कान्सटेबिल अतीक अहमद तथा कान्सटेबिल अमर पाल ने भी वहीं सेशन के समक्ष करा ली थी । इन लोगों को सस्पेंड नहीं किया गया है, हां तबादला करके अन्यत्र भेज दिया गया है ।

हरियाणा, पंजाब, जम्मू और काश्मीर में निरीक्षक की नियुक्ति के बारे में कार्यवाही

*16--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1983 के चौथे मंगलवार के लिए प्रश्नकर्त्ता

द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 10 के 20-10-83 को प्राप्त लिखित उत्तर के सन्दर्भ में क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि निरीक्षक नियुक्त करने का मामला हरियाणा तथा पंजाब में कब से विचाराधीन है तथा वहां की सरकार को कब-कब लिखा गया है तथा मूल प्रश्न में जो जम्मू कश्मीर के बारे में पूछा गया है उसके बारे में शासन ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री सुनील शास्त्री--

निरीक्षक नियुक्त करने के लिए हरियाणा तथा पंजाब सरकार को 29 जुलाई, 1983 को लिखा गया था तथा 16 अगस्त, 1983 तथा 30 जनवरी, 1984 को पुनः स्मरण कराया गया था। हरियाणा सरकार से उत्तर प्राप्त हुआ है कि उनके राज्य में किसी को नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह निर्णय लिया जा चुका है कि यदि किसी राज्य के मजदूरों के शोषण की शिकायत प्राप्त होती है तो जिस राज्य में मजदूर कार्य कर रहा था और जिस राज्य का वह मजदूर था दोनों राज्यों के अधिकारियों की संयुक्त समिति इसकी जांच करेगी।

जम्मू एवं कश्मीर में उत्तर प्रदेश के श्रमिकों के भारी संख्या में कार्यरत होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी अतः उस राज्य में निरीक्षक नियुक्त करने के बारे में अभी तक नहीं लिखा गया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, यह एक बार पूछे गये प्रश्न के बारे में दोबारा पूछा गया है। सरकार के संज्ञान में यह बात मेरी ओर से तथा अन्य साधनों से भी आयी होगी कि हरियाणा, पंजाब, जम्मू और कश्मीर में हमारे प्रदेश के जो गरीब लोग मजदूरी करने जाते हैं, वहां उनका बड़े पैमाने पर शोषण होता है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जैसा कि उन्होंने प्रश्न के उत्तर में स्वीकार कर लिया है, उनकी ओर से किसी अधिकारी की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है और दोनों राज्यों की संयुक्त समिति कार्य करेगी, तो माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो मजदूरों का, गरीबों का शोषण हो रहा है, इससे उनको राहत दिलाने के लिए कोई समिति बनी और उस समिति ने कोई कार्यवाही कर अपनी आख्या दी ? उस आख्या पर सरकार ने क्या कार्यवाही की, कृपया संक्षेप में इसका विवरण दे दें ?

श्री सुनील शास्त्री--

मान्यवर, शासन के समक्ष इस बात को लाया गया था कि पंजाब प्रदेश में वहां पर जो उत्तर प्रदेश के श्रमिक जाते हैं, उनका शोषण हो रहा है। जब इस बात को शासन के समक्ष रखा गया तो शासन से एक पत्र पंजाब सरकार को इस आशय का लिखा गया कि वहां पर एक अधिकारी की नियुक्ति कर सकें, जो वहां पर उत्तर प्रदेश के कार्यरत श्रमिक के शोषण के बारे में शासन के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे, जिससे दोनों सरकारें विचार विमर्श करके उसका निराकरण कर सकें। लेकिन मान्यवर, जहां तक हरियाणा और जम्मू कश्मीर की बात है, वहां से कोई भी शिकायत इस प्रकार की शासन के समक्ष नहीं आयी। इसलिए शासन ने इस बात पर विशेष बल नहीं दिया कि उनको भी लिखें कि वहां हम अपने अधिकारी की नियुक्ति करना चाहते हैं, लेकिन हरियाणा के बारे में जब यह बात शासन के समक्ष रखी गयी तो उनको भी लिखा गया है। वहां की सरकार ने निर्णय लिया है कि यदि कोई शोषण की बात होगी तो संयुक्त रूप से विचार करके निराकरण कर लिया जायगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं केवल एक छोटी सी बात जानना चाहता हूं, यह कि शोषण की शिकायत मिली यह मंत्री जी ने स्वीकार किया है। आप संयुक्त समिति

बना रहे हैं। तो हरियाणा के लोग यह स्वीकार नहीं करेंगे कि वहां शोषण हो रहा है। अगर आपने कोई समिति बनाई है तो उनकी जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री सुनील शास्त्री--

मान्यवर, हरियाणा सरकार ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार का कोई भी अधिकारी आपको नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई शिकायत आएगी तो जांच समिति गठित कर देंगे, उसके बाद देख लेंगे। अभी तक जांच समिति गठित नहीं की गयी है। यह हरियाणा सरकार का सुझाव है। शासन ने पुनः हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार को लिखा है कि यहां के एक अधिकारी को वहां भेज दें जो वहां श्रमिकों के सम्बन्ध मे अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि जैसा मंत्री जी ने फरमाया कि जम्मू कश्मीर में हमारे यहां के श्रमिक काम नहीं कर रहे हैं, मैं अपने जनपद की बात बताता हूं कि कई तो मजदूर सेब के बागान में काम कर रहे हैं और सेब के ठेके ले रहे हैं। कई सौ की तादाद में हैं। अक्सर शिकायत मिलती है कि वहां के मालिक जरा सी भी बात की नौबत हो जाने पर उनका सामान निकाल कर फेंक देते हैं, नौकरों से निकाल देते हैं। उनका जो पैसा होता है, उसको जब्त कर लेते हैं, सामान जब्त कर लेते हैं। यह तो मजदूरों के साथ होता है, और जो लोग वहां बागान खरीदते हैं, उनके साथ भी वही होता है। मेरे जिले के कई सौ लोग यही काम करते हैं। क्या आप मेरी शिकायत सही मानकर कार्यवाही करेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री--

मान्यवर, जो भी और जितनी भी शिकायतें हमारे पास आयी हैं, वह लिखित में आयी हैं तथा शासन उन पर पूर्णरूप से कार्यवाही कर रहा है। माननीय सदस्य जिसके बारे में कह रहे हैं, मैं चाहूंगा कि वह इसे लिखित रूप में दे दें। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि इस पर कार्यवाही जरूर की जायेगी।

पोल्ट्री डेवलपमेन्ट कारपोरेशन, लखनऊ के श्रमिकों को सेवायोजकों द्वारा सेवामुक्त किये जाने की सूचना के सन्दर्भ में कार्यवाही

*17--श्री धम्मन सिंह गहलौत--

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पोल्ट्री डेवलपमेन्ट कारपोरेशन, गोपाल खेड़ा, मोहनलालगंज, लखनऊ के 27 श्रमिक सेवायोजकों द्वारा सेवा-मुक्त कर दिए गये हैं ? यदि हां, तो विभाग द्वारा 28 जनवरी, 1983 तक इस सन्दर्भ में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सुनील शास्त्री--

मेसर्स कमान्ड एरिया पोल्ट्री डेवलप-मेन्ट कारपोरेशन, गोपालखेड़ा, मोहनलाल गंज, लखनऊ के 26 श्रमिकों को सेवायोजकों द्वारा सेवामुक्त किये जाने की सूचना उपलब्ध है। उप श्रमायुक्त, लखनऊ द्वारा 26 श्रमिकों की सेवा समाप्ति का मामला अभिनिर्णय हेतु संदर्भित किये जाने की संस्तुति दिनांक 24-12-82 को की गयी थी और तदनुसार मामला औद्योगिक न्याया-धिकरण (2), लखनऊ को संदर्भित कर दिया गया है। यह केस न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत अभी विचाराधीन है।

नोट :--तारांकित प्रश्न संख्या 16 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

थाना फतेहपुर के कतिपय कर्मचारियों के विरुद्ध प्रार्थना पत्र पर की गयी कार्यवाही

*18—श्री प्रवीण कुमार यादव—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि ग्राम मीरनगर, थाना फतेहपुर, जिला बाराबंकी के सर्वश्री बनारसी लाल पुत्र नन्दन हरिजन व राम गोपाल पुत्र होली राम, सुशील कुमार पुत्र छेदी लाल व दयाराम पुत्र पंचा राम ने नवम्बर-दिसम्बर, 1981 में थाना फतेहपुर के कतिपय कर्मचारियों के विरुद्ध उन लोगों को परेशान करके रिश्वत वसूलने के सम्बन्ध में पुलिस कप्तान, बाराबंकी व पुलिस उप महा-निरीक्षक, भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उत्तर प्रदेश को कई प्रार्थना-पत्र दिए ? यदि हां, तो क्या उन पर कोई कार्य-वाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? क्या सरकार सम्बन्धित कर्मचारियों को वहां से हटाकर जांच करने के आदेश देने की कृपा करेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत विषय पर जनपद बाराबंकी के थाना फतेहपुर के ग्राम मीर नगर के श्री वनवासी पुत्र नन्दन व ग्राम पालपाटन के श्री रामगोपाल पुत्र होली राम का शिकायती-पत्र दिनांक 22-1-82 तथा श्री सुनील कुमार पुत्र छेदी लाल व दयाराम पुत्र पंचाराम निवासी ग्राम पालपाटन के दो शिकायती पत्र दिनांक 5-1-82 तथा 18-12-81 पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी तथा पुलिस उप महानिरीक्षक-भ्रष्टाचार उन्मूलन संगठन को प्राप्त हुए । पुलिस उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार उन्मूलन संगठन को प्राप्त हुए प्रार्थना-पत्र पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी को निस्तारण हेतु भेज दिये गये थे । श्री सुशील कुमार पुत्र छेदी लाल व दयाराम पुत्र पंचाराम के प्रार्थना-पत्रों की क्षेत्राधिकारी द्वारा जांच करायी गयी । जांच में लगाये गये आरोप निराधार एवं मिथ्यापूर्ण पाये गये । दो पुलिस कर्मियों के स्थानान्तरण हो चुके हैं । श्री वनवासी पुत्र नन्दन व श्री राम गोपाल पुत्र होली राम के शिकायती-पत्र में जांच के आदेश दे दिये गये हैं ।

*19—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

[5वें मंगलवार के लिए स्थगित]

*20—श्री भीखालाल—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

अतारांकित प्रश्न

राजकीय महिला पालीटेक्निक, लखनऊ, राजकीय पालीटकनिक, नरेन्द्र नगर, उत्तरकाशी एवं बिजनौर के छटनी शुदा अध्यापकों की पुनः नियुक्ति में अर्जित वेतन लाभ दिए जाने के सम्बन्ध में जानकारी

1—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1971 के बाद राजकीय महिला पालीटेक्निक, लखनऊ, राजकीय पालीटेकनिक, नरेन्द्र नगर, उत्तर काशी एवं बिजनौर से आर्किटेक्चर एवं कास्टयूम डिजाइन एवं ड्रेस मेकिंग पाठ्यक्रम के छटनीशुदा अध्यापकों को विभाग में पुनर्नियुक्ति पर पूर्व वेतन में अर्जित वेतन वृद्धियों का लाभ दिया गया है ? यदि हां, तो कितने अध्यापकों को यह लाभ दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

2—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि सन 1972

के बाद अब तक ऐसे छटनीशुदा अध्यापकों के लिए पुनर्नियुक्ति पा जाने पर पूर्व सेवा में अर्जित वेतन वृद्धि सम्बन्धी लाभ दिए जाने का कोई प्राविधान है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री सुनील शास्त्री--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

वन विभाग के टिहरी वृत्त में फारेस्टर्स की नियुक्तियां

3--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या वन राज्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वन विभाग के टिहरी वृत्त में माह जनवरी-फरवरी, 1983 में कुछ फारेस्टर्स की नियुक्तियां की गई हैं ? यदि हां, तो उनका चयन किस प्रक्रिया से किया गया है ?

श्री संजय सिंह--

जी हां ।

टिहरी वृत्त में माह फरवरी, 1983 में अल्पकालीन अवधि के लिए 8 फारेस्टर्स की नियुक्तियां की गयीं । इनका चयन मुख्य वन संरक्षक (नियोजन), उत्तर प्रदेश के द्वारा परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर किया गया ।

जनपद चमोली के ग्राम सभा हेलंग में भवन निर्माण कार्य

4--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली के विकास क्षेत्र, जोशीमठ में ग्राम सभा हेलंग में पशुपालन विभाग द्वारा कोई भवन निर्माण कार्य वर्ष 1979 में कराया गया ? यदि हां, तो इस पर क्या खर्चा हुआ, किसके द्वारा निर्माण कार्य किया गया ? क्या निर्माण कार्य का सम्पूर्ण भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक भुगतान हो जाएगा ?

श्री संजय सिंह--

प्रश्नगत भवन का निर्माण ग्राम सभा हेलंग द्वारा स्वयं किया गया है जिसमें 9,300 रुपए के व्यय का अनुमान है । इसमें 50 प्रतिशत सामग्री पर व्यय हुआ बताया गया है । शासन से इस सम्बन्ध में कोई पूर्व अनुमति ग्राम सभा द्वारा नहीं ली गई है । अतः भुगतान का प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद पर सम्पूर्ण कर्ज का विवरण

5--श्री श्यामलाल वाजपेयी--

क्या ऊर्जा मन्त्री उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद्, के ऊपर सम्पूर्ण कर्ज का विवरण देने की कृपा करेंगे ? क्या शासन राज्य के व्यापक हित में व्यवस्थित बिजली सप्लाई के लिए बिजली उत्पादन एवं वितरण का कार्य बिजली की दर तथा निश्चित घन्टों की सप्लाई की संविदा के आधार पर प्राइवेट उत्पादकों को आमंत्रित करके सौंपने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्या शासन ग्रामीण क्षेत्रों को 18 घंटे की निश्चित सप्लाई की घोषणा करेगा ? क्या शासन कृषि कार्य के लिए लगे विद्युत कनेक्शनों से मीटर के आधार पर पैसा लेने पर विचार करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त--

उ0 प्र0 राज्य विद्युत् परिषद के ऊपर वर्ष 1982-83 के अन्त में सम्पूर्ण कर्ज का विवरण निम्न प्रकार है :--

(रु0 करोड़ में)

(1) बाजार ऋण	246.07
(2) जीवन बीमा निगम ऋण	174.09
(3) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ऋण	136.91

	(रु0 करोड़ में)
(4) कृषि वित्त निगम ऋण	3.43
(5) शासकीय ऋण	2478.88
(6) पुलिस कल्याण निधि	25.00
(7) भाषा निधि	10.00
(8) छात्र कल्याण निधि	5.00
(9) शासकीय आकस्मिकता निधि	3.57
(10) विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से ऋण	46.64
योग ..	3129.59

राज्य में विद्युत की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए राज्य सरकार पिकप तथा उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद के माध्यम से राज्य में असिस्टेड सेक्टर में 500 मेगावाट का विद्युतगृह प्रदेश में लगाने के सम्बन्ध में विचार कर रही है।

वर्तमान परिस्थितियों में ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति करना इस समय सम्भव नहीं है।

कृषि कार्य के लिए मीटर द्वारा बिल प्रणाली आर्थिक, व्यवहारिक व मीटरों की समय-समय पर उपलब्धि न होने के कारण बन्द करनी पड़ी।

पर्वतीय विकास विभाग द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में तदर्थ नियुक्तियों पर विभाग द्वारा लगे प्रतिबन्ध की समाप्ति

6—श्री कुंवर सिंह नेगी—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के 6ठें मंगलवार के लिए निर्धारित प्रश्न कर्त्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 104 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय विकास विभाग द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में तदर्थ नियुक्तियों पर लगे प्रतिबन्ध को समाप्त कर दिया गया था ? यदि हां, तो फिर भी रिक्तियां क्यों नहीं भरी गयीं और कब तक रिक्तियां भर दी जाएगी ?

श्री विद्या भूषण —

पर्वतीय विकास विभाग द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में तदर्थ नियुक्तियों पर लगे प्रतिबन्ध को शासनादेश दिनांक 5-5-82 व 19-7-83 द्वारा एक-एक वर्ष के लिए शिथिल किया गया है।

विभागीय मापदन्ड के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों पर विभागीय सक्षम अधिकारियों द्वारा तदर्थ नियुक्तियां कर ली गई हैं। निरन्तर दो वर्ष से अधिक अवधि से रिक्त पड़े पदों पर नियुक्ति करने के विषय में कार्यवाही प्रगति पर है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को सिंचाई विभाग के समान वेतन तथा भत्ता देने की मांग

7—श्री भीखालाल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टेक्निकल एण्ड इन्डस्ट्रियल वर्कर्स फेडरेशन, गोंडा के महामंत्री श्री सत्य नारायण त्रिपाठी का पत्र दिनांक 30-9-83 प्रमुख अभियन्ता, सा0 नि0 विभाग को प्राप्त हुआ है जिसमें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुकूल 1-8-79 से सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को सिंचाई विभाग के समान वेतन तथा भत्ता देने की मांग की गई है ? यदि हां, तो इस प्रश्न पर अब तक क्या निर्णय किया गया और यदि नहीं तो क्यों ?

श्री विद्या भूषण —

जी हां, पत्र प्राप्त हुआ है। वेतन आयोग ने कथित आशय की सिफारिश नहीं की है। ऐसा कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

ग्राम मनापुर, थाना चौरी, जिला वाराणसी में डकैती की दर्ज रिपोर्ट पर कार्यवाही

8—श्री भोखालाल—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मनापुर, थाना चौरी, जिला वाराणसी में 7-9-1983 को रात में डकैती पड़ी, जिसकी रिपोर्ट दिनांक 10-9-1983 को अपराध संख्या 101 धारा 392 आई0पी0सी0 में दर्ज की गई जिसमें चार अभियुक्त नामजद किये गये तथा मौके पर दो जीवित हथगोले भी पाये गये लेकिन पुलिस ने इनको अंकित नहीं किया है और न मुलजिमों को गिरफ्तार किया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों और अब तक इस मामले में क्या कार्यवाही की गई ? क्या यह भी सही है कि नामजद मुलजिमान की कई अन्य मामलों में भी तलाश है ? यदि हां, तो उनको गिरफ्तार न करने का क्या कारण है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचनानुसार ग्राम मनापुर, थाना चौरी क्षेत्र में दिनांक 7-9-1983 को रात में डकैती की कोई घटना प्रकाश में नहीं आई बल्कि उक्त क्षेत्र में दिनांक 9/10-9-1983 की रात्रि में घटित घटना की लिखित सूचना उक्त ग्राम के श्री सदरी से प्राप्त होने पर एक अभियोग अन्तर्गत धारा 392 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया। प्रथम सूचना में नामांकित चारों अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्म समर्पण किया तथा विवेचनोपरान्त उनके विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया। अतः पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी का प्रश्न नहीं उठता। इन अभियुक्तों की किसी अन्य मामले में तलाश भी नहीं है।

जीवित हथगोलों के पाए जाने के सम्बन्ध में कोई उल्लेख न तो प्रथम सूचना में था न विवेचना के दौरान ही ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में आया।

ग्राम जबरौली की हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण

9—श्री सरदार सिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ जनपद के तहसील मोहनलालगंज के अन्तर्गत ग्राम जबरौली में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अधीन उक्त ग्राम की हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त बस्ती का विद्युतीकरण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री ब्रह्मदत्त—

जी नहीं। ग्राम जबरौली की हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण उक्त ग्राम का एल0 टी0 मेन्स बिछाकर विद्युतीकरण किये जाने के साथ में किया जाना है। वर्तमान में उक्त ग्राम से विद्युत कनेक्शन हेतु समुचित संख्या में प्रार्थना-पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में समिति के सीमित वित्तीय संसाधनों के अन्तर्गत ग्राम जबरौली का विद्युतीकरण (एल0 टी0 मेन्स बिछाकर) किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद मथुरा में सार्वजनिक निर्माण विभाग के दो खण्ड रखने की राजाज्ञा

10—श्री सरदार सिंह—

शासन की राजाज्ञा संख्या 2738 ई0 जो0/23-स0नि0-अनु0-5—329-ई0 जो0-82, दिनांक 18-5-1983 के संदर्भ में क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की

कृपा करेंगे कि क्या केवल प्रदेश के दो जिले जालौन व पीलीभीत ही लिये गये हैं ? यदि हाँ, तो इसका औचित्य क्या है ? क्या शासन मथुरा जनपद को भी इसी श्रेणी में रखने के प्रश्न पर विचार करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्या भूषण--

मैदानी क्षेत्र के ऐसे जनपद जहां सार्वजनिक निर्माण विभाग के केवल दो खण्ड हैं, मार्गों के कार्य तथा भवनों के कार्य के लिये अलग-अलग खण्ड नहीं रखे जाने के निर्णय के अधीन ऐसी व्यवस्था मथुरा में भी रखी गयी है जहां केवल दो खण्ड हैं ।

कनकहा से ग्राम जबरौली तक मार्ग का निर्माण कार्य

11--श्री सरदार सिंह--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी की जनपद लखनऊ की तहसील मोहनलालगंज के अन्तर्गत कनकहा से ग्राम जबरौली तक लगभग दो किलोमीटर की सड़क जनता शासन-काल में बनवाई गयी थी ? क्या यह सही है कि उक्त सड़क का समुचित रख-रखाव नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री विद्या भूषण--

कनकहा से ग्राम जबरौली तक मार्ग का निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा मण्डी परिषद् से प्राप्त धनराशि से केवल 2.30 कि0 मी0 की लम्बाई में निक्षेप कार्य के रूप में किया गया था । यह मार्ग मण्डी परिषद् का है, इसलिये उसका रख रखाव सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा है ।

जनपद मथुरा में रेगिस्तान के प्रभाव को कम करने के लिए वृक्षारोपण अभियान

12--श्री सरदार सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद मथुरा की सीमा से लगने वाली राजस्थान की सीमा पर रेगिस्तान को रोकने के लिये कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो योजना का प्रारूप क्या है और इस पर कब से कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संजय सिंह--

जी नहीं । परन्तु रेगिस्तान के प्रभाव को कम करने के लिए जनपद मथुरा में वृहद वृक्षारोपण अभियान के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों के अतिरिक्त भी वन विभाग द्वारा ग्राम समाज की भूमि, रेलवे लाइन तथा सड़कों के किनारे एवं वन ब्लाकों में 500 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रतिवर्ष वृक्षारोपण किया जा रहा है ।

जनपद मथुरा में ट्यूबवेलों को समय से विद्युत न देने के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

13--श्री सरदार सिंह--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद में ट्यूबवेलों को समय से विद्युत न देने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती-पत्र अन्य पत्रों के साथ दिनांक 23-2-83 को प्राप्त हुआ था, यदि हां, तो शिकायती-पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जी हां । अधिकारियों को सुचारु-रूप से बिजली उपलब्ध कराने के आदेश दे दिये गये और अक्तूबर, 1983 से प्रश्नगत क्षेत्र में विद्युत् व्यवस्था सामान्य है । शिकायती-पत्र के सूचनानुसार प्रश्नगत अधिकारी के भ्रष्टाचार की जांच भी करायी गयी किन्तु भ्रष्टाचार के आरोप के सम्बन्ध में कोई तथ्य नहीं मिले ।

ग्राम मुनेरा, जनपद मथुरा के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र

14--श्री सरदार सिंह--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जयनारायण सिंह, प्रक्षेप

ग्राम सभा, मुनेरा, जिला मथुरा का प्रार्थना-पत्र उक्त ग्राम के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में 1 फरवरी, 1983 को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो शिकायती-पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त--

जी-हां। ग्राम मुनेरा, जनपद मथुरा का विद्युतीकरण सामान्य योजना के अन्तर्गत सम्भव है जिसके लिए प्राप्त आवेदन-पत्र के आधार पर 15 प्रतिशत वार्षिक प्रतिलाभ तथा 10 प्रतिशत प्रतिलाभ के बराबर अनुबन्ध होना चाहिये। इस ग्राम के विद्युतीकरण के लिए लगभग 15,250 रु0 की लागत आती है। अभी तक केवल नौ व्यक्तियों ने लाईट का कनेक्शन लेने हेतु आवेदन-पत्र दिये हैं जिस पर उपरोक्त प्रतिलाभ नहीं मिल रहा है। इस कारण ग्राम के विद्युतीकरण का कार्य नहीं लिया गया है।

ग्राम सभा रायपुर मई, जिला मथुरा में विद्युतीकरण की मांग

15--श्री सरदार सिंह--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा रायपुर मई, जिला मथुरा के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में ग्राम सभा प्रधान का एक पत्र प्रश्नकर्ता की संस्तुति के साथ दिनांक 3 फरवरी, 1983 को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त--

जी हां।

विकास खंड राया, जनपद मथुरा में राजकीय सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्युतीकरण का कार्य किया जा रहा है। उक्त योजना के अन्तर्गत एल0 टी0 मेन्स बिछाकर विद्युतीकरण हेतु प्राप्त प्रार्थना-पत्र के आधार पर 15 प्रतिशत प्रतिलाभ और 10 प्रतिशत प्रतिलाभ के बराबर अनुबन्ध आवश्यक हैं। ग्राम सभा रायपुर मई के निवासियों से बिजली के कनेक्शन लेने हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुए। अतः उक्त ग्रामों का विद्युतीकरण अभी सम्भव नहीं है।

जनपद मथुरा में रोड राबरी अपराधों को रोकने के लिए की गई व्यवस्था

16--श्री सरदार सिंह--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 जून, 1982 से 1 मई, 1983 तक मथुरा जनपद में कितनी रोड राबरी हुई ? क्या स्थानीय पुलिस अपराधियों को पकड़ने में सफल रही ? क्या शासन मथुरा जनपद में राजकीय मार्गों पर होने वाले अपराधों को रोकने के लिए पुलिस की कोई विशेष व्यवस्था करेगा ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्रश्नगत अवधि के दौरान मथुरा जनपद में रोड राबरी के 4 अभियोग पंजीकृत हुए। इसमें से 3 अभियोगों का पता लगाया जा चुका है और 7 अभियुक्त बन्दी बनाकर जेल भेजे जा चुके हैं। एक अभियोग में अभियुक्तों का पता न चलने के कारण अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गई। जनपद मथुरा में इस प्रकार के अपराधों को रोकने के लिए समुचित रोड गश्त की व्यवस्था, कानवाई सिस्टम तथा वाहनों की चेकिंग की व्यवस्था की गई है।

चक गंजरिया फार्म में गायों की मृत्यु की जांच

17--श्री सरदार सिंह--

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष चक गंजरिया राजकीय फार्म पर गलत दवाई देने के कारण बारह उच्च कोटि की नस्लों की गायों की मृत्यु हो गई थी और मृत्यु के कारणों की जांच हेतु एक उच्चस्तरीय कमेटी बैठायी गयी थी ? यदि हां, तो जांच कमेटी की रिपोर्ट क्या है और

दोषी पाये गये अधिकारियों के खिलाफ शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संजय सिंह--

10 तथा 11 जून, 1982 को गायों की मृत्यु चक गंजरिया फार्म पर दवा पिलाई जाने के फलस्वरूप हुई थी इस सम्बन्ध में नियुक्त जांच समिति की जांच आख्या प्राप्त हो गई है जो विचाराधीन है, जिस पर शीघ्र ही निर्णय लेकर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

18--श्री सरदार सिंह--

[उसे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 111 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

मथुरा जनपद में तूफान से विद्युत आपूर्ति में व्यवधान

19--श्री सरदार सिंह--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद में मई-जून, 1983 में आये तूफान एवं वर्षा से ब्लाक बलदेव में बिजली के खंभे धाराशायी हो गये थे, जिसके कारण सारी विद्युत व्यवस्था अब तक अस्त व्यस्त है ? यदि हां, तो उक्त ब्लाक में अस्त-व्यस्त विद्युत व्यवस्था को कब तक व्यवस्थित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त--

मई-जून, 1983 को आये तूफान के कारण मथुरा जनपद में ब्लाक बल्देव में लाईनें टूटने और खंभों के गिर जाने के कारण विद्युत आपूर्ति में काफी व्यवधान रहा। विद्युत लाईनें सही प्रकार ठीक भी नहीं हो पायी थीं कि अत्यधिक वर्षा प्रारम्भ हो गई जिससे उपरोक्त कार्य के पूरा होने में समय लगा अक्तूबर, 1983 से उपरोक्त ब्लाक में विद्युत व्यवस्था सामान्य है।

मथुरा एवं वृन्दावन शहर को विद्युत आपूर्ति

20--श्री सरदार सिंह--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 जुलाई, 1983 से मथुरा एवं बृन्दावन शहर को 24 घंटे विद्युत सप्लाई की जा रही है ? यदि हां, तो प्रतिदिन विद्युत कटौती करने का क्या कारण है ? क्या शासन दोषी अधिकारियों को दन्डित करने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त--

जी हां।

मथुरा व वृन्दावन को 1 जुलाई, 1983 से 24 घन्टे विद्युत आपूर्ति का प्राविधान था। माह जुलाई से 21-10-1983 तक इन दोनों नगरों को बिजली की आपूर्ति निम्न प्रकार से की गयी :

माह	प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति का औसत समय	
	मथुरा	वृन्दाबन
7/83	22-51 घंटे	23-00 घंटे
8/83	22-14 ,,	22-48 ,,
9/83	23-16 ,,	23-43 ,,
10/83	23-36 ,,	23-40 ,,

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि उक्त दोनों शहरों को करीब-करीब 22-23 घन्टे की औसतन बिजली प्रतिदिन दी गयी। 24 घंटे से कम बिजली देने का कारण मुख्यतः आकस्मिक विद्युत कटौती है, जो कि प्रदेश में कभी-कभी तापीय विद्युत उत्पादन में अचानक गिरावट आ जाने से प्रणाली को पूर्ण क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिये करनी पड़ती

है । आकस्मिक विद्युत् कटौती के लिये कोई अधिकारी दोषी नहीं है । अतः किसी को भी इस कारण दण्डित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

21—श्री सरदार सिंह—

[3रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 146 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

जिलों में ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक व पुलिस अधीक्षक की नियुक्तियां

22—श्री सरदार सिंह—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कौन-कौन से जिलों में ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक व कौन-कौन से पुलिस अधीक्षक की नियुक्तियां हैं ? ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति करते समय शासन किन-किन बिन्दुओं पर विचार करता है ।

श्री श्रीपति मिश्र—

प्रदेश के 20 जिलों (आगरा अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, बरेली, फैजाबाद, गोरखपुर, आजमगढ़, झांसी, जालौन, कानपुर नगर, फतेहगढ़, इलाहाबाद, इटावा, नैनीताल, लखनऊ, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर एवं वाराणसी) में ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक नियुक्त हैं । ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनाती जिला विशेष की कानून एवं शान्ति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए अधिकारी विशेष की उपयुक्तता का आंकलन करने के पश्चात् जनहित में की जाती है ।

थाना सुरीर जिला मथुरा में दो सिपाहियों से बदमाशों द्वारा छीनी गयी रायफलें

23—श्री सरदार सिंह—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 2-7-83 को थाना सुरीर जिला मथुरा के दो सिपाहियों से गश्त देते समय दो रायफलें बदमाशों ने छीन ली थी ? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है ? शासन इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिये क्या कदम उठा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां । दिनांक 2-7-83 को कानिस्टेबिल सूरज सिंह व कानिस्टेबिल खिले सिंह, थाना सुरीर से गश्त में ससलआरे से खादरा पुल होते हुए गांव वेरा की ओर सायं 7 बजे जा रहे थे तो उनको 5 आदमी दिखायी दिये जिनको सिपाहियों ने गांव वाला समझा । दोनों सिपाही जैसे ही उनके सामने से गुजरे पांचों आदमियों ने एक साथ उन पर हमला कर दिया और उनको साइकिल से गिराकर हाथापाई करके उनकी रायफलें छीन लीं और भाग गये । दोनों सिपाहियों ने वापस थाना आकर इस घटना की सूचना अंकित करायी जिस पर अ0 सं0 101/83 अन्तर्गत धारा 395 भा0 द0 वि0 थाना सुरीर पर पंजीकृत किया गया । दिनांक 28/29-12-1983 को दोनों रायफलें अभियुक्त ब्रजवासी पुत्र गजाधर व मोहर सिंह पुत्र गपुआ, निवासी जरैलिया, थाना नौझील के कब्जा से बरामद कर ली गयी हैं । इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस गश्त पार्टी के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गयी है तथा स्थानीय पुलिस को आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं ।

थाना सुरीर, जिला मथुरा से पुलिस का रिवाल्वर चोरी

24—श्री सरदार सिंह—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 19-5-83 को थाना सुरीर, जिला मथुरा से पुलिस की एक रिवाल्वर चोरी गई थी ? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है ? चोर का पता लगाने के लिये अब तक

क्या प्रयास किये गये तथा दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई है ? थानों में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिये शासन क्या-क्या कदम उठा रहा है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां, कानिस्टेबिल चरन सिंह ने थाना सुरार, जनपद मथुरा पर दिनांक 19-5-83 को इस आशय की एक प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी कि बीती रात समय 20-55 पर उसने कानिस्टेबिल पहरा के समक्ष मालखाना खोलकर उप निरीक्षक श्री हुकुम सिंह यादव की रिवाल्वर 9 एम0 एम0 मय 20 कारतूस के अन्दर मालखाना में रख दी थी और जब सुबह मालखाना को खोला तो रिवाल्वर नहीं मिली। इस सूचना पर अ0 सं0 77, धारा 457/380 भा0द0वि0 थाना सुरोर पर पंजीकृत हुआ जिसमें विवेचना प्रचलित है। दिनांक 14-11-83 को उक्त रिवाल्वर अभियुक्त सोदान सिंह, निवासी शाहपुर थाना राया से बरामद हुई जिस पर अ0 सं0 261 अन्तर्गत धारा 25 ए0 ऐक्ट, थाना राया पर पंजीकृत हुआ। पुलिस अधीक्षक, मथुरा द्वारा कानिस्टेबिल चरन सिंह को निलम्बित कर दिया गया है। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त निर्देश दिये गये हैं।

आगरा डिपो की बस नं0 यू0आर0टी0 9704 को बदमाशों द्वारा लूटे जाने की दर्ज रिपोर्ट

25--श्री सरदार सिंह--

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 15-16 जुलाई, 1983 को रात्रि को लगभग 9·30 बजे राज्य परिवहन निगम की आगरा डिपो की बस नं0 यू0 आर0 टी0 9704 के यात्रियों को मथुरा जनपद के वृन्दावन थाने की सीमा में आगरा-दिल्ली राष्ट्रीय मार्ग पर सशस्त्र बदमाशों ने लूटा था ? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है ? शासन इस प्रकार के अपराधों को रोकने के क्या-क्या उपाय कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां। राज्य परिवहन निगम, ईदगाह डिपो, आगरा की बस संख्या यू0 आर0 टी0 9704 के कन्डक्टर श्री सियाराम ने पुलिस चौकी जैत, थाना वृन्दावन, मथुरा पर सूचित किया कि जैत व चौमुहा के बीच नेशनल हाइवे पर बस के अन्दर बैठी सवारियों में से कुछ लोगों ने चालक के पास आकर, तमंचा रख दिया और कुछ लोग बस में बैठी अन्य सवारियों को लूट-पाट करने लगे। कन्डक्टर की नगदी व घड़ी छीन ली और बस रुकवा कर उतर गये। इस सूचना पर अ0 सं0 181/83 अन्तर्गत धारा 395 भा0 द0 वि0 पंजीकृत किया गया। इस मामले में 4 अभियुक्त गिरफ्तार किये जा चुके हैं तथा एक अभियुक्त हाजिर अदालत हुआ और एक अभियुक्त के विरुद्ध धारा 82/83 जा0 फौ0 की कार्यवाही की गयी है। जनपद में इस प्रकार के अपराधों की रोक-थाम के लिए विशेष गश्त, कनवाई सिस्टम तथा वाहनों की चेकिंग की व्यवस्था की गयी है।

वेटरीनरी कालेज, मथुरा में हुई वित्तीय अनियमितताओं की विभागीय आडिट कराने के आदेश

26—श्री सरदार सिंह—

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई, 1973 में तत्कालीन निदेशक, पशुपालन विभाग, लखनऊ (डा0 गुरुशरन लाल) ने वेटरीनरी कालेज, मथुरा में वर्ष 1965 से 1970 की अवधि में हुई वित्तीय अनियमितताओं की विभागीय आडिट कराने के आदेश दिये थे ? यदि हां,

तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कितना घोर गबन पाया गया ?

श्री संजय सिंह—

जी हां । 24

अभिलेखों की जांच/सम्प्रीक्षा में रु0 13,211·93 के गबन की सम्भावना पाई गई थी जिसकी विस्तृत प्रशासनिक जांच तत्कालीन प्रधानाचार्य द्वारा नामित प्रो0 पी0 राय से करायी गयी । जिसमें उन्होंने श्री श्याम लाल सक्सेना तत्कालीन रोकड़िया को रु0 7,642·11 के लिए दोषी पाया । जिसके फलस्वरूप श्री सक्सेना से धनराशि वसूल करने, प्रतिकूल प्रविष्टि देने तथा एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने के लिये दण्ड दिये गये ।

मथुरा जिले के राया, बल्देव, वृन्दावन थानों में पुलिस बल की वृद्धि की मांग

27—श्री सरदार सिंह—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बढ़ती हुई अपराध संख्या को देखते हुए मथुरा जिले के राया, बल्देव व वृन्दावन थानों में पुलिस बल बढ़ाने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचनानुसार मथुरा जिले के राया, बल्देव व वृन्दावन थानों में दिनांक 16 मार्च, 1983 से पुलिस बल में निम्नलिखित वृद्धि कर दी गयी है :—

पुलिस बल में वृद्धि

थाना	उप निरीक्षक	हेड कान्स0	कान्स0
1—राया	3	1	10
2—बल्देव	2	1	4
3—वृन्दावन	3	1	4

ग्राम नगोड़ा, जिला मथुरा में विद्युतीकरण की मांग

28—श्री सरदार सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री फूल सिंह, प्रधान ग्राम सभा, नगोड़ा, विकास खण्ड राया, जिला मथुरा का पत्र उनके गांव में विद्युतीकरण करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता की सिफारिश के साथ दिनांक 1-2-83 को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जी हां ।

ग्राम नगोड़ा का विद्युतीकरण विकास खण्ड राया, जिला मथुरा का विद्युतीकरण सामान्य योजना के अन्तर्गत सम्भव है । इस ग्राम के विद्युतीकरण के लिए लगभग 19,500 रुपये का अनुमानित व्यय आता है । इस ग्राम को वर्ष 1983-84 में विद्युतीकरण हेतु जिला योजना समन्वय एवं कार्यान्वयन समिति द्वारा समावेश नहीं किया गया है । इस कारण इसका विद्युतीकरण का कार्य आरम्भ नहीं हो सका है ।

सरकारी सेवा में कार्य करने वाली महिलाओं की स्थिति के सम्बन्ध में कथित सर्वेक्षण

29—श्री सरदार सिंह—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या शासन ने अभी हाल में सरकारी सेवा में कार्य करने वाली महिलाओं की स्थिति के सम्बन्ध में 8 जनपदों में कोई सर्वेक्षण कराया है ? यदि हां, तो सर्वेक्षण रिपोर्ट क्या है ? शासन इस रिपोर्ट पर क्या-क्या कार्यवाही कर रहा है ? यदि नहीं कर रहा है, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

सरकारी सेवा में कार्य करने वाली महिलाओं की स्थिति के सम्बन्ध में 8 जनपदों में कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया है । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

लोक सेवा आयोग के माध्यम से उर्दू अनुवादकों के रिक्त पदों पर नियुक्तियां

30—श्री रियासत हुसैन—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के 7वें मंगलवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 208 के उत्तर के क्रम में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से उर्दू अनुवादकों के पदों पर नियुक्तियां कब से की गयी हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र—

लोक सेवा आयोग के माध्यम से उपलब्ध अभ्यर्थियों में से तीन अभ्यर्थियों, जिनके बारे में चरित्र एवं प्राग्वृत्त की जांच पुलिस व सी0 आई0 डी0 द्वारा पूरी हुई है, को क्रमशः दिनांक 13-12-83, 3-1-84 व 5-1-84 से नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है ।

फिल्म डिवीजन द्वारा मो0 अली जौहर पर वृत्त-चित्र बनाये जाने का विचार

31—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

क्या सूचना एवं जन सम्पर्क मन्त्री कृपया बतायेंगे कि फिल्म्स डिवीजन द्वारा मुजाहिद-ए-आजादी मौलाना मो0 अली जौहर पर कोई वृत्त-चित्र बनाया जाना विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक उसके बनने की सम्भावना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रमोद कुमार—

प्रामाणिक सामग्री के अभाव में वृत्त-चित्र बनाना सम्भव नहीं हो सका ।

फैजाबाद शहर में स्थित राजकीय इण्टर कालेज के पीछे रेलवे क्रासिंग पर रेलवे ब्रिज बनाने का कथित प्रस्ताव

38—श्री निर्मल खत्री—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद शहर में स्थित राजकीय इण्टर कालेज के पीछे की रेलवे क्रासिंग पर रेलवे ब्रिज बनाने के लिये प्रदेश सरकार अपना अंशदान रेलवे मन्त्रालय को करने को तैयार है और इस सन्दर्भ में प्रदेश सरकार की नीति क्या है ?

श्री विद्या भूषण—

जी नहीं ।

ऐसा कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है । रेल मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं यातायात गणना के आधार पर औचित्य पाये जाने की दशा में, रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी सेतु बनाने के लिये प्रदेश सरकार का सार्वजनिक निर्माण विभाग अथवा

सम्बन्धित सड़क प्राधिकारी द्वारा रेलवे के निर्धारित नियमों के अन्तर्गत अनुपातिक व्यय वहन किया जाता है ।

आगरा सेक्टर के सेक्टर अधिकारी का कार्यकाल व स्थानान्तरण

33—श्री सरदार सिंह—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सी0बी0सी0आई0डी0, आगरा सेक्टर के सेक्टर अधिकारी अपनी कुल सेवा में आगरा में ही सेवारत रहे हैं? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इनको अन्यत्र स्थानान्तरित करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

वर्तमान सेक्टर आफिसर अपनी कुल सेवा में आगरा में ही तैनात नहीं रहे हैं । सम्प्रति इनके स्थानान्तरण का कोई कारण अथवा औचित्य दृष्टिगोचर नहीं होता है ।

कु0 ऊषा पुत्री श्री रामपाल गिरि की दहेज न मिलने के कारण हत्या का पंजीकृत अभियोग

34—श्री किरन पाल सिंह—

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि कु0 ऊषा, पुत्री श्री रामपाल गिरि, निवासी दत्तनगर, लतीफपुर, थाना पलाना, जिला मेरठ की शादी श्री कृष्ण दत्त गिरि, निवासी अल्लीपुर आलमपुर, थाना परीक्षितगढ़, जनपद मेरठ के साथ 23 अप्रैल, 1983 को हुई थी ? क्या 13, 14 जुलाई की रात को ऊषा को ससुराल वालों ने दहेज न मिलने के कारण उसको पहले गला घोंटकर तथा बाद में मिट्टी के तेल से आग लगा कर मार दिया था जिसकी रिपोर्ट ऊषा के पिता ने 15 जुलाई, को खबर मिलने के बाद थाना परीक्षितगढ़ तथा एस0 एस0 पी0 मेरठ को कर दी थी ? यदि हां तो उक्त मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्रपति मिश्र—

जी हां ।

मामले में पंजीकृत अभियोग की विवेचना के उपरान्त मृतका के पति, देवर तथा श्वसुर तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है । अभियोग न्यायालय में विचाराधीन है ।

गंगोरी, जिला अलीगढ़ के नागरिकों द्वारा गंगोरी पुलिस के विरुद्ध शिकायती-पत्र

35—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गंगोरी, जिला अलीगढ़ के नागरिकों (सर्वश्री डा0 महेश चन्द्र ब्राह्मणेय आदि) द्वारा हस्ताक्षरित जिलाधिकारी, अलीगढ़ को सम्बोधित कोई शिकायती-पत्र की प्रतिलिपि इस आशय की जुलाई, 1983 के अन्तिम सप्ताह में मिली जिसमें गंगोरी पुलिस के विरुद्ध शिकायतें की गई थीं जिसके कारण वहां का बाजार कई दिन बन्द रहा ? यदि हां, तो शिकायतों का सारांश क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार अगस्त, 1983 के प्रथम सप्ताह में शासन को कथित शिकायती-पत्र की फोटो प्रति प्राप्त हुई थी जिसमें थानाध्यक्ष, गंगोरी का गौरीशंकर हलवाई की पत्नी से अवैध सम्बन्ध होना तथा उक्त हलवाई से दो प्रार्थना-पत्र प्राप्त कर दिनांक 24 जुलाई, 1983 को पुलिस द्वारा कुछ व्यक्तियों की अकारण पिटाई आदि करने की शिकायत की गई थी । इस शिकायती-पत्र में अंतिम आरोपों की जांच कराये जाने पर तथ्य इस प्रकार पाये गये कि अ0 सं0 85/84 धारा 394 भा0 द0 वि0 के वांछित अपराधी नरेन्द्र को थाना गंगोरी की पुलिस जब पकड़ने गई तो कस्बा गंगोरी के करीब एक हजार व्यक्तियों ने इकट्ठा होकर

पुलिस के साथ मजाहमत की, सरकारी जीप को क्षति पहुंचाई तथा एक रायफल मय 5 कारतूस छीन लिये इस घटना में कानिस्टेबिल रामवीर व अन्य कर्मचारी जनता द्वारा मारपीट किए जाने व तेजाब फेंके जाने से घायल हुए जिसके सम्बन्ध में थानाध्यक्ष, गंगीरी द्वारा अ0 सं0 86 व 87/83, धारा 395/397/412/342/326 भा0 द0 वि0 व 25 आर्म्स ऐक्ट 21 नामजद तथा 40–50 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत किये गये जिसमें विवेचना के उपरान्त आरोप--पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया जो न्यायालय में विचाराधीन है। मुल्जिमान की गिरफ्तारी न होने देने के कारण गंगीरी के व्यक्तियों ने आंशिक रूप से अपने–अपने सम्बन्धियों के कारण कि पुलिस उनको गिरफ्तार न कर सके एक दिन का बाजार बन्द रखा।

जनपद आजमगढ़ में ग्राम चालाकपुर के पास पुलिया बनाये जाने के सम्बन्ध में पत्र

36---श्री पंचानन राय--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में स्थित बिलरियागंज–रोनापार मार्ग पर ग्राम चालाकपुर के पास पुलिया बनाए जाने से सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ता का पत्र, दिनांक 17 अप्रैल, 1983 अधीक्षण अभियन्ता को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इसमें क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री विद्या भूषण--

जी हां।

ग्राम चालाकपुर के पास पुलिया बनी हुई है। तकनीकी दृष्टि से इस स्थान पर अतिरिक्त पुलिया की आवश्यकता नहीं है।

जनपद शाहजहांपुर में तिलहर–पुवाया मार्गों पर गर्रा नदी पर पुल निर्माण की मांग

37---श्री जगदीश सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में तिलहर–पुवांयां मार्गों पर गर्रा नदी पर पुल की मुझे सूचना पत्रांक संख्या 358 ई/23--सा0 नि0 अनु0–11, 19 जून, 1982 को दी गयी, परन्तु अभी तक पुल पर कोई निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है ? शुरू होने की कब तक आशा है ? कार्य शुरू न होने का क्या कारण है ?

श्री विद्या भूषण--

माननीय सदस्य को शासन के पत्र संख्या 3568–ई/23–सा0नि0 अनु0–11, दिनांक 19 जून, 1982 में निगोही–तिलहर मार्ग के किलोमीटर 13 में देहवा नदी पर पुल की स्वीकृति के सम्बन्ध में सूचना दी गयी है। इस पुल पर अभी निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।

कार्य के आगणन पर प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान किये जाने के पश्चात् ही कार्य आरम्भ किया जा सकेगा। पुल निर्माण हेतु उपयुक्त स्थल न मिलने के कारण कार्य का आगणन बनाने में विलम्ब हुआ। इस कारण कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका।

पुलिस अधीक्षक श्री जंगी सिंह एवं श्री अजय सिंह भटनागर के विरुद्ध भ्रष्टाचर निवारण संगठन द्वारा जांच

38---श्री श्याम लाल बाजपेयी--

क्या गृह मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि पुलिस अधीक्षक श्री जंगी सिंह एवं श्री अजय सिंह भटनागर पर गुप्तचर सतर्कता विभाग, भ्रष्टाचर निरोधक विभाग द्वारा कितनी जांचें चल रही हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र—

पुलिस अधीक्षक श्री जंगी सिंह एवं अजय सिंह के विरुद्ध सम्प्रति कोई सतर्कता जांच नहीं चल रही है। भ्रष्टाचार निवारण संगठन में श्री जंगी सिंह के विरुद्ध एक जांच तथा श्री अजय सिंह के विरुद्ध चार जांचें चल रही हैं।

जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत गोमती नदी पर (रेक्ष घाट) कथित पुल का निर्माण

39—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत रुदौली निर्वाचन क्षेत्र में स्थित गोमती नदी पर (रेक्ष घाट) के नाम से कोई पुल मास मार्च व अप्रैल, 1983 में स्वीकृत किया गया है? यदि हां, तो उस पर निर्माण कार्य कब तक आरम्भ कर दिया जायगा और उसकी लागत क्या होगी, तथा सम्बन्धित पुल बनकर कब तक तैयार हो जायगा?

श्री विद्या भूषण—

जी, नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला बाराबंकी में पुलिस सब-इंस्पेक्टर का कार्यकाल तथा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में नियम

40—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बाराबंकी में कितने पुलिस सब-इंस्पेक्टर ऐसे हैं, जिनकी उस जिले में नियुक्ति 20 मार्च, 1983 को 6 वर्ष से अधिक हो गयी है? एक ही जिले में एक सब-इंस्पेक्टर की एक ही बार में नियुक्ति की अवधि को नियन्त्रित करने के सामान्य नियम अथवा परम्परा क्या है?

श्री श्रीपति मिश्र—

20 मार्च, 1983 को केवल एक उप निरीक्षक को जनपद बाराबंकी में 6 वर्ष से अधिक अवधि की तैनाती हुई है। इस उप निरीक्षक का स्थानान्तरण उनके विरुद्ध होने वाली विभागीय कार्यवाही समाप्त होने तक स्थगित है।

उप निरीक्षक, नागरिक पुलिस एक जनपद में 6 वर्ष तथा परिक्षेत्र में 12 वर्ष सामान्य रूप से रह सकते हैं।

पुलिस उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निवारण संगठन, लखनऊ को पुलिस थाना कुर्सी, जिला बाराबंकी के विरुद्ध शिकायती-पत्र

41—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त, 1983 के दूसरे पाख में पुलिस उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को पुलिस थाना कुर्सी, जिला बाराबंकी के विरुद्ध रिश्वत लेने व अपराधों को छिपाने व घटाकर दर्ज करने की शिकायत मिली? यदि हां, तो क्या उसकी जांच की गई? यदि हां, तो कब और किसके द्वारा तथा जांच का नतीजा क्या रहा?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित आशय का कोई शिकायती-पत्र पुलिस उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्राप्त नहीं हुआ। अन्य प्रश्न नहीं उठता।

बांदा पुलिस द्वारा फर्जी मुठभेड़ दिखाकर की गयी हत्याएं

42—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनवरी, 1980 से अब तक बांदा

पुलिस द्वारा पुलिस से फर्जी मुठभेड़ दिखाकर संकड़ा, हरिजनों, अल्पसंख्यकों और निर्बल वर्ग के लोगों की निर्मम हत्याएं की गई हैं ? यदि हां, तो 14 जनवरी, 1980 से लेकर 20 मार्च, 1983 तक दिखाई गई पुलिस मुठभेड़ों की कुल संख्या एवं मारे गये तथा कथित बदमाशों के नामों व जातियों का पूरा विवरण क्या है । क्या सरकार इन तथाकथित मुठभेड़ों की उच्चस्तरीय न्यायिक जांच कराने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्राप्त सूचनानुसार फर्जी मुठभेड़ दिखाकर पुलिस द्वारा किसी की हत्या नहीं की गयी है । शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

पुलिस थाना कोठी, जिला बाराबंकी में दर्ज किये गये मुकदमों की जांच

43--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि 19 नवम्बर, 1982 का अ0 सं0 158 पर पुलिस थाना कोठी, जिला बाराबंकी में दर्ज किये गये धारा 302/201 ता0 हि0 के मुकदमा के नामजद मुल्जिमान थाना कोठी में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण 25 फरवरी, 1983 तक आजाद घूमते रहे और उनको गिरफ्तार करने की कोई कोशिश नहीं की गयी ? यदि हां, तो क्या सरकार उस मुकदमा सन्दर्भ में पुलिस कोठी के अकर्मण्यतापूर्ण आचरण की जांच भ्रष्टाचार निवारण संगठन के सुपुर्द करेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्राप्त सूचना के अनुसार थाना कोठी, जिला बाराबंकी पर दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 158 वर्ष 1982 धारा 302/201 भा0 द0 वि0 में नामजद अभियुक्तों के आजाद घूमते रहने और उन्हें गिरफ्तार करने की कोई कोशिश न किये जाने का कारण थाना कोठी में व्याप्त भ्रष्टाचार नहीं है अपितु मुकदमें में अभियुक्तों की नामजदगी रंजिश के आधार पर पायी गयी । अतः इस सम्बन्ध में थाना कोठी पुलिस के अकर्मण्यतापूर्ण आचरण की जांच भ्रष्टाचार निवारण संगठन से करायें जाने का कोई औचित्य नहीं है ।

ग्राम गौरा पोस्ट व थाना मोहनलालगंज में पुलिस द्वारा डाले गये छापे की कथित शिकायत की जांच

44--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 7/8 जुलाई, 1982 को रात ग्राम गौरा में पोस्ट व थाना मोहनलाल-गंज में उक्त थाने के तत्कालीन सब-इंस्पेक्टर व पुलिस सिपाहियों ने छापा डाला और लगभग 15,000 रु0 के जेवरात जबरदस्ती उठा ले गये जिसकी रिपोर्ट भी थाने पर नहीं लिखी गयी ? क्या इस सम्बन्ध में गृह सचिव ने कोई पत्र जिलाधिकारी, लखनऊ को नवम्बर, 1982 में लिखा था ? यदि हां, तो उक्त घटना के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्रश्नगत आशय का शिकायती-पत्र गृह सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को प्राप्त हुआ था जिस पर जिला मजिस्ट्रेट लखनऊ द्वारा परगना मजिस्ट्रेट मोहनलालगंज से जांच कराई गई । जांच से पुलिस के विरुद्ध लगभग 15 हजार रुपये के जेवरात जबरदस्ती उठा ले जाने आदि के आरोप प्रमाणित नहीं हुए ।

जांच से पाया गया कि ग्राम गौरा के मुसलमान निवासीगण एक मस्जिद बनवाना चाहते थे जिसके लिये ग्राम प्रधान द्वारा अनुमति न दिये जाने के कारण दोनों सम्प्रदायों के मध्य तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई । ग्राम में शान्ति बनाये रखने की दृष्टि से पुलिस द्वारा दोनों पक्षों के सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 151/107/116 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी ।

वाराणसी–फैजाबाद एवं लखनऊ–कानपुर के मध्य हुई ट्रेन डकैतियों का विवरण

45—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, 1982 के दूसरे पखवारे में एक ही तारीख में रेलवे स्टेशन वाराणसी और फैजाबाद के बीच तथा रेलवे स्टेशन लखनऊ व कानपुर के बीच दो रेलगाड़ियों में सशस्त्र डाके पड़े ? यदि हां, तो दोनों घटनाओं में अलग–अलग कितनी–कितनी मालियत की सम्पत्ति लूटी गयी और कितने–कितने यात्री घायल हुए व जान से मारे गये तथा 5 मई, 1982 तक की विवेचना के परिणाम क्या निकले ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां । प्राप्त सूचनानुसार 26–4–82 को लखनऊ कानपुर के बीच गंगा जमुना एक्सप्रेस में तथा वाराणसी फैजाबाद के बीच में सियालदह जम्मू तवी एक्सप्रेस में डकैती की घटना हुई जिनमें क्रमशः रुपये 1,50,000 (एक लाख पचास हजार) और रुपये 1,20,000 (एक लाख बीस हजार) के लगभग मूल्य की सम्पत्ति लूटी गयी । गंगा जमुना एक्सप्रेस वाली घटना में कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ तथा सियालदह जम्मू तवी एक्सप्रेस वाली घटना में 12 यात्री घायल हुए । किसी भी घटना में किसी की मृत्यु नहीं हुई । गंगा–जमुना एक्सप्रेस की डकैती के मामले में 5–5–82 तक 8 और सियालदह जम्मू तवी एक्सप्रेस के मामले में 11 अभियुक्त प्रकाश में आये थे जिनमें से क्रमशः 5 और 6 अभियुक्त गिरफ्तार करलिये गये थे ।

थाना रुदौली में प्रभारी अधिकारी श्री जगलाल की नियुक्ति की तिथि से चोरी, डकैती, कत्ल की घटनाएं

46—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के थाना रुदौली में प्रभारी अधिकारी श्री जगलाल की नियुक्ति की तिथि से 15 मई, 1983 तक कितनी चोरियां, डकैतियां, राहजनी, कत्ल, लूटपाट आदि की घटनायें हुईं और कितने में चार्जसीट लगाई गयी, कितने अपराधी पकड़े गये ? और क्या यह सत्य है कि इनके कार्यकाल में अपराधों की वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो घटनाओं के प्रति जिम्मेदार प्रभारी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ।

श्री श्रीपति मिश्र—

जनपद बाराबंकी के थाना रुदौली के थानाध्यक्ष श्री जगलाल प्रसाद की नियुक्ति की तिथि 21–6–81 से 15–5–83 तक 52 चोरी, 4 डकैती, 3 लूट, 8 कत्ल, तथा 60 भा0 द0 वि0 के अन्य अपराध हुए । इनमें से क्रमशः चोरी के अभियोगों में 20 डकैती में 4, लूट में 2, कत्ल में 8 तथा भा0 द0 वि0 के अन्य अभियोगों में 50 में आरोप–पत्र लगाया गया और कुल मिलाकर 182 अपराधी गिरफ्तार हुए । उपलब्ध तुलनात्मक आंकड़ों के अनुसार श्री जगलाल प्रसाद के कार्यकाल में डकैती को छोड़कर अन्य अपराधों में वृद्धि नहीं हुई है । अतः उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई ।

थाना अध्यक्ष नवागंज जिला गोंडा द्वारा यू0 पी0 एक्स टेम्पो नं0 7464 अपने कब्जे में लेकर पद का दुरुपयोग करने की शिकायत

47—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र श्री शान्तन सिंह पुत्र श्री गुरदास सिंह

निवासी मोहल्ला मुगलपुरा शहर व जिला फैजाबाद के प्रार्थना-पत्र सहित जो यू0 पी0 एक्स टेम्पो नं0 7464 पूर्व थानाध्यक्ष नवाबगंज, जिला गोंडा द्वारा 21 जनवरी, 1983 से अपने कब्जे में ले कर पद का दुरुपयोग करने से सम्बन्धित है फरवरी, 1983 के अन्तिम सप्ताह में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या प्रार्थना-पत्र से से संबंधित सारे तथ्यों की जांच कराकर दोषी थानाध्यक्ष को दंडित करने की कृपा करेंगे ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां। प्राप्त सूचना के अनुसार विवेचना में आरोप प्रमाणित नहीं हुए।

ग्राम कमखा, जनपद उन्नाव के श्री राजा राम यादव द्वारा पुलिस अधीक्षक, उन्नाव को दिया गया कथित पत्र तथा धारा 151 जा0 फौ0 के अन्तर्गत गिरफ्तारी

48--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कि ग्राम कमखा, थाना मौरामी, जनपद उन्नाव के श्री राजा राम यादव ने पुलिस अधीक्षक, उन्नाव को एक प्रार्थना पत्र दिनांक 2-11-1982 को दे कर इस बात की शिकायत की कि उसके घर दिनांक 1/2-11-1982 की रात को पड़ी डकैती की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उस पर कोई कार्यवाही न होने पर उसने आई0 जी0 पुलिस डी0 आई0 जी0 पुलिस, लखनऊ रेंज की सेवा में क्रमशः दिनांक 13-1-1983 व 31-1-1983 को शिकायती प्रार्थना-पत्र दिया जिस पर कोई कार्यवाही न करके उसके चालान दफा 151 जा0 फौ0 में कर दिया गया ? यदि हां, तो सम्बन्धित घटना की रिपोर्ट न दर्ज करने तथा अब तक उपरोक्त प्रार्थना-पत्रों पर किसी किस्म की कार्यवाही न किये जाने का कारण क्या है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में संदर्भित श्री राजाराम, निवासी ग्राम कमखा थाना मौरावां का प्रार्थना-पत्र दिनांक 2-11-1982 पुलिस अधीक्षक को प्राप्त नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त उसके प्रार्थना-पत्र दिनांक 13-1-1983 व 31-1-1983 भी आई0 जी0 पुलिस तथा डी0 आई0 जी0 पुलिस लखनऊ के कार्यालय में प्राप्त होना प्रतीत नहीं होता है। अतः उन पर कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता। जहां तक श्री राजा राम का चालान 151 जा0 फौ0 में किये जाने का संबंध है प्राप्त सूचना से ज्ञात हुआ है कि दिनांक 4-2-1983 को श्री राम पाल, प्रधान, ग्राम कमखा ने ग्राम समाज की भूमि में जबरदस्ती बबूल आदि काटे जाने के विषय में प्रार्थना-पत्र दिया जिसकी जांच से राजा राम तथा अन्य को मौके पर धारा 151 जा0 फौ0 में गिरफ्तार किया गया।

श्री नन्द कुमार उर्फ राम बिहारी द्वारा पुलिस थाना कोठी जिला बाराबंकी के विरुद्ध शिकायती-पत्र

49--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री नन्द कुमार उर्फ राम बिहारी पुत्र श्री शिवराम, ग्राम व थाना कोठी बाराबंकी ने अप्रैल, 1982 के अन्तिम सप्ताह और जनवरी, 1983 के तीसरे सप्ताह में पुलिस कप्तान व जिलाधिकारी, बाराबंकी तथा पुलिस उप महानिरीक्षक भ्रष्टाचार निवारण संगठन जवाहर भवन, लखनऊ को पुलिस थाना कोठी के जिला बाराबंकी के भ्रष्टाचार व डराकर रिश्वत वसूलने की बाबत दरख्वास्तें दीं ? यदि हां, तो अलग-अलग दोनों

दरख्वास्तों में अंकित विवरण व आरोप क्या हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री नन्द कुमार उर्फ राम बिहारी द्वारा 28 अप्रैल, 1982 को शिकायती तार व 17 जनवरी, 1983 को एक शिकायती-पत्र पुलिस कप्तान व जिलाधिकारी, बाराबंकी को दिया गया था। संदर्भित दरख्वास्तें पुलिस उप महानिरीक्षक भ्रष्टाचार निवारण संगठन को प्रकटतः प्राप्त नहीं हुई हैं। तार में थाना कोठी के थानाध्यक्ष द्वारा उनकी दुकान से 50 रु0 की खाद उधार लेकर पैसे न देने, उन्हें अपमानित करने व देख लेने की धमकी देने की शिकायतें की गयी थीं। शिकायती-पत्र दिनांक 17 जनवरी, 1983 में इंचार्ज, थाना कोठी द्वारा उनसे 189 रु0 के बर्तन व 50 रु0 की खाद कुल '239 रु0 का सामान खरीद कर कीमत न देने, प्रतिशोध में उन पर डकैत का माल खरीदने व खाद में मिलावट करने का आरोप लगाने, जान के पीछे पड़ने, पुलिस के दलालों व अपराधियों को उनकी जान लेने के लिये उकसाने तथा 443 रु0 की रिश्वत लेने की शिकायतें की गयी थी।

लखनऊ जनपद में नियुक्त उपनिरीक्षकों द्वारा वाहनों के क्रय में हुए व्यय तथा आय के स्रोत

50—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद में तैनात नागरिक पुलिस के कितने सब इंस्पेक्टर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी नियुक्ति के प्रथम 3 वर्षों के अन्दर ही मोटर साइकिल अथवा स्कूटर क्रय कर लिया है ? क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि उन पुलिस कर्मचारियों में से जिन्होंने उक्त प्रकार के वाहनों के क्रय हेतु मैनुअल आफ गवर्नमेंट आर्डर के प्रावधानों के अनुसार विभाग द्वारा आवश्यक स्वीकृति भी नहीं प्राप्त की है उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या इन पुलिस कर्मचारियों ने उक्त प्रकार के वाहनों के क्रय में हुए व्यय (धन) के आय के स्रोत के सम्बन्ध में कोई सूचना विभाग को उपलब्ध कराई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जनपद लखनऊ में नियुक्ति नागरिक पुलिस के चार उप निरीक्षक ऐसे हैं जिन्होंने अपनी नियुक्ति के प्रथम 3 वर्षों के अन्दर ही मोटर साइकिल क्रय की है। इन लोगों ने विधिवत इसकी सूचना विभाग को दी तथा वाहनों के क्रय में हुए व्यय (धन) के आय के स्रोत से भी लिखित रूप में अवगत कराया। शेष प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ जनपद में कार्यरत निरीक्षक तथा उपनिरीक्षक के पास मोटर चलाने का वैध लाइसेन्स

51—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ जनपद में नागरिक पुलिस में कुल कितने सबइंस्पेक्टर तथा इंस्पेक्टर कार्यरत हैं तथा उनमें से कितने के पास दिनांक 10-2-1983 से पूर्व बने हुए स्कूटर अथवा मोटर साइकिल चलाने के वैध लाइसेन्स हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र—

लखनऊ जनपद में नागरिक पुलिस में 362 उप निरीक्षक तथा 16 निरीक्षक कार्यरत हैं जिनमें से 70 उप निरीक्षकों एवं 11 निरीक्षकों के पास दिनांक 10-2-1983 से पूर्व बने हुए स्कूटर/मोटर साइकिल चलाने के वैध लाइसेन्स हैं।

सतर्कता विभाग द्वारा विद्युत अनुरक्षण खंड, लखनऊ में मारा गया कथित छापा

52—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि गत 30 एवं 31 मार्च,

1983 को विद्युत् अनुरक्षण खंड सा0 नि0 विभाग लखनऊ के किन-किन खंडों में सतर्कता विभाग के अधिकारियों ने छापा मारा एवं कागजात तथा रिकार्ड अपने कब्जे में किए ? यदि हां, तो इस मामले में कौन दोषी पाये गए एवं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री विद्या भूषण—

गत दिनांक 30 एवं 31 मार्च, 1983 को सतर्कता विभाग द्वारा लखनऊ में सार्वजनिक निर्माण विभाग के किसी भी विद्युत् अनुरक्षण खंड में छापा नहीं मारा गया और न इस तिथि को कोई रिकार्ड व कागजात कब्जे में किए गए। अतएव किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

विद्युत् अनुरक्षण खण्ड लखनऊ में अवर अभियन्ताओं की पदोन्नति के बाद अन्यत्र स्थानान्तरित करने हेतु आदेश

53—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या यह सच है कि विद्युत अनुरक्षण खण्ड सा0 नि0 वि0 लखनऊ में ऐसे अनेक लोग हैं जो जे0 ई0 से पदोन्नति के बाद भी यही पड़े हुए हैं ? यदि हां, तो क्यों और इनके अन्यत्र स्थानान्तरण न किए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री विद्या भूषण—

जी हां । श्री राम चन्द्र अवर अभियन्ता के पद पर विद्युत् अनुरक्षण खंड नं0-1 में दिनांक 12-10-73 से 30-11-77 तक कार्यरत थे तथा पुनः दिनांक 15-6-81 से सहायक अभियन्ता के पद पर इसी खंड में कार्यरत हैं ।

श्री यू0 पी0 सिंह अवर अभियन्ता के पद पर इसी खन्ड में दिनांक 1-3-79 से 16-6-81 तक कार्यरत थे तथा पुनः दिनांक 4-12-81 से सहायक अभियन्ता के पद पर इसी खण्ड में कार्यरत हैं ।

श्री एम0 सी0 निगम दिनांक 28-9-73 से 25-10-76 तक विद्युत् अनुरक्षण खण्ड लखनऊ में अवर अभियंता के पद पर कार्यरत थे तथा पुनः दिनांक 14-6-80 से विद्युत् अनुरक्षण खण्ड नं0 2 लखनऊ में सहायक अभियन्ता के पद पर कार्यरत हैं ।

इन सहायक अभियन्ताओं को अन्यत्र स्थानान्तरित करने हेतु प्रमुख अभियन्ता को आदेश दे दिए गए हैं ।

कोतवाली पुलिस, गाजीपुर द्वारा छापा मार कर बरामद की गयी सामग्री

54—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 4 मार्च को कोतवाली पुलिस ने गाजीपुर छापा मारकर 750 ग्राम मर्फीन तथा अन्य उपकरण बरामद किए हैं जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपया बताई जाती है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 4-3-83 को कोतवाली पुलिस गाजीपुर द्वारा सीरी तेली के यहां छापा मारकर 1 कि0 ग्रा0 मार्फिया, 250 ग्राम बेस, 250 ग्राम पाउडर तथा 300 ग्राम कार्बन उपकरण सहित बरामद किया गया । इस सम्बन्ध में अभियोग अंतर्गत धारा 9 ओपियम ऐक्ट/14 डी0 डी0 ऐक्ट में पंजीकृत करके 3 अभियुक्तों के विरुद्ध विवेचनोपरान्त दिनांक 4-5-83 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया है ।

55—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

[4थे मंगलवार के लिए स्थगित]

विद्युत् गृह-वार तापीय परियोजनाओं की उत्पादन एवं स्थापित क्षमता

56—श्री रेवतीरमण सिंह—

क्या माननीय ऊर्जा मन्त्री बतायेंगे कि तापीय विद्युत् परियोजनाओं में अलग-अलग जगहों पर वर्ष 1982-83 में कितना उत्पादन हो रहा है ? स्थापित क्षमता का कितना प्रतिशत हुआ और तापीय विद्युत् गृहों का अखिल भारतीय स्तर क्या है ?

श्री ब्रह्म दत्त—

वर्ष 1982-83 में विद्युत गृह-वार तापीय विद्युत का उत्पादन एवं स्थापित क्षमता का प्रतिशत उपभोग (प्लांट लोड फैक्टर) निम्न प्रकार रहा है :—

क्रम-संख्या	विद्युत् गृह का नाम	डिरेटेड क्षमता (मेगावाट)	1982-83	
			उत्पादन (मि0 यू0)	प्लांट लोड फक्टर (%)
1	2	3	4	5
1	ओबरा तापीय	250	982·1	44·8
2	ओबरा विस्तार-प्रथम	300	1099·3	41.8
3	ओबरा विस्तार द्वितीय	1000	3498·4	43·6
	कुल ओबरा ..	1550.	5579·8	43·4
4	पनकी	29	217·7	85·7
5	पनकी विस्तार	220	887·4	46·0
	कुल पनकी ..	249	1105·1	50·7
6	हरदुआगंज "अ"	70	195·1	31·8
7	हरदुआगंज "ब"	210	665·5	36·2
8	हरदुआगंज "स"	23 0	683·6	33·9
	कुल हरदुआगंज ..	510	1544·2	34·6
	कुल वृहत तापीय ..	2309	8229.1	42·2
	कुल छोटे तापीय तथा रिवर साइड पावर हाउस	172·5	191·2.	12·7
	कुल तापीय ..	2481·5	8420·3	40·1

ताप विद्युत् गृहों का वर्ष 1982-83 का अखिल भारतीय औसत प्लांट लोड फैक्टर 49·8 % रहा।

जनपद गोरखपुर के कतिपय विकास खन्डों में पशु चिकित्सा केन्द्र स्थापित किये जाने की मांग

57—श्रीमती गौरी देवी—

क्या पशुधन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा नवम्बर, 81 में गोरखपुर जनपद के जंगल बेलवार मिर्जापुर विकास खन्ड खोराबार बडगहन, छपिया विकास खंड पिपरौली कुस्मौल बेलीपार विकास खंड कौड़ीराम जंगल रामगढ़ उर्फ रजही एवं विशुनपुरा में पशु चिकित्सा केन्द्र स्थापित करने के लिए पत्र लिखा था ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संजय सिंह—

प्रश्नकर्ता का मास नवम्बर, 1981 का कोई पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता ।

इन स्थानों पर पशु चिकित्सा केन्द्र स्थापित करने क अभी कोई विचार नही है ।

गोरखपुर जनपद के अन्तर्गत ग्राम बेलवा में असामाजिक तत्वों द्वारा मकानों को जला देने की दर्ज रिपोर्ट

58—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जनपद अन्तर्गत थाना चौरी चौरा के ग्राम रेलवा खुर्द टोला पहाड़पुर के 16 परिवारों के मकानों में कुछ असामाजिक तत्वों ने अक्तूबर, 83 में आग लगा दी थी जिससे मकान जल कर राख हो गए थे ? यदि हां, तो जिला प्रशासन की ओर से क्या कार्यवाही की गयी और उन परिवारों को कितनी सहायता प्रदान की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्रीमती रम्भावती, साकिन बालाखुर्द थाना चौरी चौरा ने दिनांक 15-10-83 को 23 व्यक्तियों के विरुद्ध नामजद प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखायी जिसमें 7 परिवारों के मकानों को आगजनी से प्रभावित होना बताया गया है ।

जांच और घटना स्थल के निरीक्षण करने पर मौके पर केवल 4 परिवारों की झोपड़ी जलना पाया गया । शेष तीन व्यक्तियों का नाद व खूंटा उखड़ने का नुकसान हुआ था । विवेचनोपरान्त 23 व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय भेजा जा चुका है । प्रभावित परिवारों को 3700 रु0 की आर्थिक सहायता शासन द्वारा दी जा चुकी है ।

ग्राम चमरौआ, जनपद मुरादाबाद में हत्यायें

59—श्री रियासत हुसैन—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि दिनांक 24-6-83 को ग्राम चमरौआ, थाना मूढ़ा, जनपद मुरादाबाद में दो हत्यायें इलियास तथा सुल्तान की की गयी जिनकी अलग-अलग रिपोर्ट थाने में दर्ज हुई, परन्तु सी0 ओ0 (श्री पिप्पल) द्वारा क्राइम नं0 105-ए धारा 147, 148, 149, 323, 302, 427 के मुल्जिमानों के विरुद्ध उचित कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो सी0 ओ0 के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्रीपति मिश्र—

कथित हत्यायें दिनांक 24-6-83 को ग्राम चमरौआ, थाना मूढ़ा, जनपद मुरादाबाद में की गयी और उनकी अलग-अलग रिपोर्ट थाने में दर्ज हुई । कथित अपराध संख्या 105-ए के अभियुक्त अहमद जान व छोटे को बन्दी बना कर व शेष सभी अभियुक्त हाजिर अदालत होकर जेल भेजे गये जिनके विरुद्ध आरोप-पत्र दिनांक 14-7-83

को न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। अतः किसी भी अधिकारी व कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही किए जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

सचिवालय में तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की नयी नियुक्तियों में दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों को अवसर प्रदान न किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

60—श्री भीखा लाल—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सचिवालय के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की नई नियुक्तियां करने हेतु हाल ही में ली गई परीक्षा और साक्षात्कार में सचिवालय में वर्षों से दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों को सम्मिलित होने का अवसर प्रदान नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

सचिवालय में तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की नयी नियुक्तियां करने हेतु हाल ही में ली गयी परीक्षा और साक्षात्कार में सचिवालय में वर्षों से दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों को सम्मिलित होने का अवसर इसी कारण नहीं दिया गया कि उक्त परीक्षा दैनिक वेतन के आधार पर तैनातियों हेतु ली गयी थी और जिन कर्मचारियों को उसमें सम्मिलित होने का अवसर न प्रदान किए जाने की बात कही गया है वे पहले से ही दैनिक वेतन पर कार्यरत थे।

झांसी वन प्रभाग में कतिपय रेंजों में लगे मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी

61—श्री भीखा लाल—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड वृत्त के झांसी वन प्रभाग में तालबेहट, गौन, मडौरा, माताटोला, जखौरा, रेंजों में लगे दैनिक श्रमिकों को शासन द्वारा स्वीकृत सात रुपया प्रति दिन की दैनिक मजदूरी नहीं दी जा रही है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? वास्तविक मजदूरी क्या दी जा रही है ?

श्री संजय सिंह—

झांसी वन प्रभाग के ताउवेहट, गौना, मडौरा, माताटील, जखौरा रेंजों में वनों में कार्य करने वाले मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी 9 रु0 प्रति दिन है तथा वनों में कार्यरत सभी श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी 9 रु0 प्रतिदिन की दर से भुगतान की जा रही है।

झांसी वन प्रभाग के बालाबेहट राजघाट वाया अमझरा घाटी वन मार्ग पर चलने वाली प्राइवेट बसों पर बकाया रोड टैक्स

62—श्री भीखा लाल—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड वृत्त के तालबेहट—राजघाट वाया अमझरा घाटी मार्ग जो भाग वन विभाग का है, उस पर चलने वाली प्राइवेट बसों में विभाग द्वारा प्रतिवर्ष क्या राजस्व लिया जाता है ? प्रत्येक बस के जिम्मे कितना—कितना राजस्व बकाया है और इस समय बसें चल रही हैं अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संजय सिंह—

झांसी वन प्रभाग के गौना रेंज के बालाबेहट राजघाट वाया अमझरा घाटी वन मार्ग 5 मील है। इस पर चलने वाली प्राइवेट बसों से रोड टैक्स 10 रुपया प्रति मील प्रति माह की दर से देय होता है जो 600 रुपया प्रति वर्ष प्रति बस होता है। 12—8—80 से कोई बस परमिट न होने के फलस्वरूप कोई राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा है।

दिनांक 20—12—70 से 12—8—80 की अवधि में उक्त मार्ग पर तीन

प्राइवेट बसें चलती थीं जिन्होंने देय रोड फीस अदा नहीं की है । फलस्वरूप रोड परमिट दिनांक 12-8-80 से निरस्त कर दिये गये हैं । प्रत्येक बस पर बकाया रोड टैक्स निम्न प्रकार है--

	रु0
1--श्री जैनेन्द्र कुमार टंडैया	5,800
2--श्री शेर सिंह	5,800
3--श्री मुहम्मद नईम	5,800

इस समय उक्त मार्ग पर कोई बस नहीं चल रही है क्योंकि उक्त मार्ग इस योग्य नहीं है कि यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए बसों को चलाया जाय ।

नैनीताल जिले के रामपुर रेंज के अन्तर्गत पत्थर चट्टा में पोस्ट-वार सर्विस रीकंसट्रक्शन ट्रस्ट को दी गई भूमि

63--श्री भीखा लाल--

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नैनीताल जिले में रामपुर रेंज में पत्थर चट्टा फार्म की कितनी भूमि पोस्टवार सर्विस रीकन्स्ट्रक्शन ट्रस्ट को स्थानान्तरित की गई है और किस उद्देश्य से की गई ?

श्री संजय सिंह--

नैनीताल जिले के तराई केन्द्रीय वन प्रभाग के रामपुर रेंज के अन्तर्गत पत्थर चट्टा में उत्तर प्रदेश पोस्टवार सर्विस रिकंस्ट्रक्शन ट्रस्ट को 973.79 एकड़ वन भूमि द्वितीय विश्व महायुद्ध के सैनिकों एवं उसके परिवारों के कल्याणार्थ कृषि हेतु लीज पर दी गई है ।

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम के कर्मचारी श्री कमल सिंह की मृत्यु के सम्बन्ध में पत्र

64--श्री भीखालाल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम कर्मचारी संघ, गाजियाबाद के सचिव का प्रार्थना-पत्र दिनांक 5-5-83 उनको प्राप्त हुआ है, जिसमें निगम के कर्मचारी कमल सिंह के कार्यों और श्री बसन्त राम शर्मा, वरिष्ठ अभियन्ता के उपेक्षा पूर्ण रूप की शिकायत की गयी है और जांच की मांग की गई है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराई गयी ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला और क्या कार्यवाही की गई ?

श्री विद्या भूषण--

दिनांक 5-5-83 का एक प्रार्थना पत्र तो प्राप्त हुआ था किन्तु वह श्री कमल सिंह के कार्यों के बारे में नहीं था । प्राप्त पत्र श्री कमल सिंह की मृत्यु के सम्बन्ध में था और उस पर आवश्यक कार्यवाही की गई । श्री कमल सिंह के कार्यों के बारे में कोई पत्र हो तो माननीय सदस्य कृपया और विवरण दे तो उस पर कार्यवाही की जायगी ।

श्री जावेद आलम, वन रेंजर बांदा को मानदेय तथा प्रतिकूल प्रविष्टि विरोधी निर्णय दिये जाने का औचित्य

65--श्री भीखालाल--

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वन संरक्षक बुन्देलखंड वृत्त ने श्री जावेद आलम, वन रेंजर, बांदा को वर्ष 1981-82 में किये गये उत्कृष्ट कार्यों के लिये मानदेय की स्वीकृति प्रदान की तथा उसी वर्ष के उन्हीं कार्यों के लिये प्रतिकूल प्रविष्टि भी इनकी चरित्र पंजिका में दी ? यदि हां, तो यह दो परस्पर विरोधी निर्णय किन कारणों से किये गये ?

श्री संजय सिंह--

श्री जावेद आलम वन रेंजर, बांदा को वर्ष 1981-82 में काले हिरनों के नाजायज शिकारियों को पकड़ने के

लिये मानदेय दिया गया था। इनके रेंज में वृक्षारोपणों विशेषकर पथ वृक्षारोपणों की असफलता के लिये वन संरक्षक बुन्देलखंड वृत्त द्वारा इन्हें प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी है। इस प्रकार इन्हें एक कार्य विशेष के लिय मानदेय दिया गया तथा वृक्षारोपण में असफलता हेतु प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी अतः परस्पर विरोधी निर्णय होने का प्रश्न ही नहीं है।

झांसी वन प्रभाग में विभागीय कार्यों हेतु दैनिक मजदूरी

66—श्री भीखालाल—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी वन प्रभाग में विभागीय कार्यों के लिये श्रमिकों को शासन द्वारा स्वीकृत सात रुपया दैनिक मजदूरी नहीं दी जाती है? यदि हां, तो ऐसा क्यों? वास्तविक मजदूरी किस दर से दी जाती है?

श्री संजय सिंह—

झांसी वन प्रभाग में विभागीय कार्यों के लिये न्यूनतम दैनिक मजदूरी सात रुपये से नौ रुपये प्रतिदिन की दर से श्रमिकों को दी जा रही है।

कन्जरवेटर आफ फारेस्ट बुन्देलखंड के सरकारी बंगले के सुन्दरीकरण में हुआ व्यय

67—श्री भीखालाल—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कन्जरवेटर आफ फारेस्ट बुन्देलखंड ने सरकारी बंगला जिसमें वह निवास करते हैं वर्ष 1982-83 में सुन्दरीकरण में कितना धन व्यय किया और इससे पूर्व तीन वर्षों में कितना-कितना धन व्यय किया गया था?

श्री संजय सिंह—

प्रश्नगत बंगले के सुन्दरीकरण पर तो कोई व्यय नहीं किया गया परन्तु उसके रखरखाव व मरम्मत पर हुए व्यय का विवरण निम्नांकित है:—

	रु0
1982-83	4,976.00
1981-82	16,622.00
1980-81	..
1979-80	989.00

सचिवालय में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित अधिष्ठान में लिए जाने की मांग

68—श्री भीखालाल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिवालय (प्रशासन) विभाग के अन्तर्गत कुछ दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी गत एक वर्ष से अधिक से कार्यरत हैं? यदि हां, तो उन्हें नियमित अधिष्ठान में लिए जाने हेतु शासन ने कोई कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां। उन्हें नियमित अधिष्ठान में लिए जाने हेतु शासन ने कोई कार्यवाही नहीं की है। प्रशासनिक दृष्टि से इसका कोई औचित्य नहीं पाया गया।

69—श्री भीखालाल—

क्या मुख्य मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के स्थान पर कुछ नियमित नियुक्तियां की गई हैं यदि हां, तो इन नियमित नियुक्तियों में पूर्व दैनिक वेतन में कार्यरत "लिपिक कर्मचारियों को स्थान दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीपति मिश्र—

उपरोक्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के स्थान पर कोई नियमित नियुक्तियां नहीं की गयी हैं ।

जिला ललितपुर में थाना बार की पुलिस के विरुद्ध गांव में लूटपाट करने के सम्बन्ध में ज्ञापन

70—श्री भीखालाल—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 23 से 26 अप्रैल, 1983 तक ग्राम बम्होरी सहना, जिला ललितपुर में थाना बार की पुलिस ने गांव पर धावा बोलकर पुरुषों को मारपीट कर गांव से भगा दिया और बाद में घरों में घुसकर औरतों और बच्चों को पीटा और कई घरों की लूटपाट की और इसकी सूचना 30 अप्रैल, 1983 को जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक को राजनैतिक दलों के नेताओं तथा पत्रकारों ने एक ज्ञापन देकर दी ? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत आशय का एक ज्ञापन दिनांक 30-4-83, जो पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ ।

इस सम्बन्ध में जांच करायी गयी । जांच से विदित हुआ कि थाना बार के दो कान्स्टेबिलों जो गश्त तथा अन्य सरकारी कार्य के सम्बन्ध में गये थे, वापस आकर दिनांक 23-4-83 को थाने पर एक वीट सूचना अंकित कराई कि ग्राम बम्होरीसेना के भूतपूर्व प्रधान एवं वर्तमान प्रधान की पार्टियों के मध्य तनाव है और दोनों पक्षों में किसी समय संघर्ष होने की सम्भावना है । इस सूचना पर दिनांक 24-4-83 को पुलिस ग्राम बम्होरीसेना गयी एवं यह पाया कि दोनों पक्ष आपस में झगड़ा एवं गाली गलौज कर रहे थे । शान्ति बनाये रखने हेतु पुलिस द्वारा दोनों पक्षों के लोगों को गिरफ्तार करके धारा 107/116 जा0 फौ0 की कार्यवाही की गयी । गांव से पुलिस के चले जाने के बाद उसी दिन वर्तमान ग्राम प्रधान के पक्ष के कुछ व्यक्तियों ने एक व्यक्ति राम सेवक के घर पर हमला किया एवं परिवार के साथ गाली गलौज तथा मारपीट पर अमादा हो गये ।

दिनांक 25-4-83 को प्रतिपक्ष के कतिपय व्यक्तियों द्वारा लाठी एवं शस्त्रों से लैस होकर एवं घर में घुसकर राम सेवक को अपमानित किया गया जिसके सम्बन्ध में थाना बार पर अभियोग अन्तर्गत धारा 147/452/323/504/506/270 भा0 दं0 वि0 व धारा 27 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया । विवेचना के उपरान्त सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किये गये जो विचाराधीन न्यायालय हैं ।

प्रतिवादियों द्वारा स्थानीय पुलिस के विरुद्ध गांव में लूट पाट करने एवं महिलाओं की बेइज्जती करने के आरोप लगाये गये । इस सम्बन्ध में प्रश्नगत ज्ञापन दिनांक 30-4-83 भी दिया गया । इस प्रकरण की जांच परगना मजिस्ट्रेट द्वारा करायी गयी । जांच से पुलिस द्वारा अभियुक्त पक्ष की महिलाओं के साथ बलात्कार, दुर्व्यवहार किये जाने के आरोप प्रमाणित नहीं हुये । जांच से यह अवश्य पाया गया कि पुलिस कुछ भावावेश में आ गयी थी ।

स्थिति को तनाव से मुक्त करने के लिये प्रशासनिक आधार पर सम्बन्धित थानाध्यक्ष का स्थानान्तरण किया जा चुका है । भावावेश में कार्य करने के आरोप में थानाध्यक्ष एवं एक सब इन्सपेक्टर की व्यक्तिगत पत्रावली पर कठोर चेतावनी दी जा चुकी है ।

श्री निर्मल कुमार, स्थानिक अभियन्ता की इकाई में मजदूरों का भुगतान विलम्ब से होने के सम्बन्ध में जांच

71—श्री भोखालाल—

प्रथम सत्र, 1982 के दूसरे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 36 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जांच का क्या परिणाम निकला और जांचोपरान्त क्या कार्यवाही की गई ?

श्री विद्या भूषण—

जांच में श्री निर्मल कुमार, स्थानिक अभियन्ता की इकाई में मजदूरों का भुगतान विलम्ब से होने की अनियमितता पायी गयी जिसके लिये उन्हें एवं पांच अवर अभियन्ताओं को दन्डित कर दिया गया है ।

ग्राम मदारपुर में मदार साहब के चिल्ला गुम्बद में रखे गये लाल पत्थर के शेर को एस0 डी0 एम0 कालपी द्वारा अपने बंगले में रखे जाने के विरुद्ध कार्यवाही

72—श्री भोखालाल—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 10-4-83 के साथ श्री अब्दुल रशीद, सेक्रेटरी अन्जुमन तरक्की उर्दू, कालपी, जिला जालौन का प्रार्थना पत्र, जिसमें यह शिकायत की गई है कि ग्राम मदारपुर में मदार साहब के चिल्ला गुम्बद में रखा 385 वर्ष पुराना लाल पत्थर का शेर एस0 डी0 एम0 कालपी (श्री शंकर अग्रवाल) ने वहां से उठवाकर अपने बंगले के सामने रखवा लिया जिससे मुसलमान अल्पसंख्यकों की भावनाओं को काफी ठेस पहुंची ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में एस0 डी0 एम0 के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और क्या शेर यथा स्थल रखवाया गया ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां । इस शिकायत की जांच करवाई गई तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि शीत कालीन भ्रमण के दौरान श्री शंकर अग्रवाल, एस0 डी0 एम0, कालपी मदारपुर से गुजर रहे थे तो वहां पर टूटी कबरों व खन्डहरों के पास एक मस्जिद के बाहर एक टूटे हुए खन्डहर की आड़ में एक काफी भारी लाल पत्थर का शेर रखा हुआ पाया गया । पूंछताछ करने पर मालूम हुआ कि यह शेर एक ऊंची दीवार पर रखा था जिसे कुछ समय पहले किसी के द्वारा नीचे गिरा दिया गया । दौरे की वापसी पर तत्कालीन जिलाधिकारी, जालौन के परामर्श से इस कलाकृति की सुरक्षा के दृष्टिकोण एवं उसका नियमानुसार रजिस्ट्रेशन कराने के उद्देश्य से उक्त लाल पत्थर के शेर को तहसील कालपी के कार्यालय पर दिनांक 22-2-83 को रख दिया गया । तदुपरान्त कुछ व्यक्तियों ने तत्कालीन जिलाधिकारी एवं परगनाधिकारी, कालपी से सम्पर्क स्थापित किया । परगनाधिकारी ने इस बात से संतुष्ट होने पर कि यह धार्मिक वस्तु है उन व्यक्तियों से अपेक्षा की कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से वे नियमानुसार उसका रजिस्ट्रेशन करा लें और उपरोक्तानुसार कार्यवाही का आश्वासन मिलने के उपरान्त लाल पत्थर के शेर की कलाकृति उक्त व्यक्तियों को वापस मदारपुर ले जाने के लिए दे दी गयी थी जो उनके द्वारा यथास्थान रख दी गयी थी । उपरोक्त स्थिति को दृष्टि में रखते हुए श्री अग्रवाल के विरुद्ध किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गयी ।

श्रीमती अनवरी बेगम, जनपद बिजनौर को मकान के किराये के भुगतान किये जाने के आदेश

73—श्री भीखालाल—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती अनवरी बेगम पत्नी स्वर्गीय श्री हकीम हाजी, पो0 नेहटौर, जनपद बिजनौर के मकान का किराया जिसमें बिजली विभाग का कार्यालय स्थापित है, भुगतान न करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 29 अगस्त, 1982 संलग्नक सहित मुख्य मन्त्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ब्रह्मदत्त—

जी हां, चीफ जोनल इंजीनियर, उत्तर प्रदेश, राज्य विद्युत परिषद्, बरेली के पत्र दिनांक 4-2-84 द्वारा श्रीमती अनवरी बेगम को 100 रु0 प्रतिमाह की दर से दिनांक 15-8-77 से 31-3-84 तक के किराये के भुगतान किये जाने के आदेश दे दिये गये हैं ।

श्री लछिमन निवासी ग्राम शोशी, जिला उन्नाव द्वारा चकलबंसा सदौला रोड पर भूमि को वन विभाग से मुक्त करने की मांग

74—श्री भीखालाल—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री लक्षिमन, निवासी ग्राम शोशी, तहसील हसनगंज, जिला उन्नाव के बाग नं0 486/1 चकलबसी संडीला रोड की एक पंक्ति वन विभाग से मुक्त करने के सम्बन्ध में प्रभागीय वन अधिकारी अवध वन प्रभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या 1027/14-17, दिनांक 2 नवम्बर, 1981 के सन्दर्भ में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री संजय सिंह—

मामले में जांच करायी गयी तथा यह पाया गया कि श्री लक्षिमन, निवासी ग्राम शोशी, तहसील हसनगंज, जिला उन्नाव के पास उक्त मार्ग के वृक्षों पर अपने स्वामित्व का कोई प्रमाण नहीं है । शासन की कोई ऐसी नीति नहीं है जिसके अन्तर्गत वन विभाग अपने स्वामित्व के वृक्षों को निजी व्यक्तियों को हस्तान्तरित कर सके । इन वृक्षों पर वन विभाग का स्वामित्व है । अतः इन्हें किसी निजी व्यक्ति के पक्ष में मुक्त करना सम्भव नहीं है ।

ग्राम टिकैतपुर, थाना चोरी, जिला वाराणसी में पड़ी कथित डकैती

75—श्री भीखालाल—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 8-9 मार्च, 1983 की रात को ग्राम टिकैतपुर, थाना चोरी, जिला वाराणसी में डकैती पड़ी और डाकू कई व्यक्तियों को गोली से घायल करके कई हरिजनों के घरों को लूट ले गये ? यदि हां, तो उक्त मामले में अब तक कितने लोग गिरफ्तार किये गये हैं और रिपोर्ट किस धारा में दर्ज की गयी है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 8/9 मार्च, 1983 की रात को प्रश्नगत ग्राम में कोई डकैती नहीं पड़ी । अतः अन्य प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सरदार प्यारा सिंह द्वारा थाना खैरीघाट की पुलिस के विरुद्ध दिये गये प्रार्थना-पत्र पर कृत कार्यवाही

76—श्री भीखालाल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरदार प्यारा सिंह निवासी

ग्राम नैनिहा, थाना मोतीपुर, जिला बहराइच ने पुलिस अधीक्षक, बहराइच को एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 26 नवम्बर, 1982 इस आशय का दिया है कि थाना खैरीघाट की पुलिस ने उनको दिनांक 29 सितम्बर, 1981 को गिरफ्तार करके दो मुकदमे नं0 163/81 तथा 164/81 कायम किये और उनका बेल्जस्काट रिवाल्वर नं0 101974 जमा करा लिया जो अब पुलिस के मालखाना से गायब होना बताया जाता है ? यदि हां, तो उक्त मामले में क्या कार्यवाही की गयी और रिवाल्वर सरदार प्यारा सिंह को वापस किया गया अथवा नहीं ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्रश्नगत मामले में सूचना एकत्र की जा रही है ।

थानाध्यक्ष बदौसा, श्री सुखबीर सिंह चन्देल से मिलकर कुछ अराजकतत्वों द्वारा घरों को लूटे जाने की शिकायत

77--श्री भीखालाल--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मुड़फोरन का पुरवा, मजरा उतरवां, थाना बदौसा, जिला बांदा के निवासियों ने 12 जुलाई, 1982 को पुलिस अधीक्षक तथा जिलाधिकारी बांदा को प्रार्थना-पत्र देकर यह शिकायत की कि थानाध्यक्ष, बदौसा श्री सुखबीर सिंह चन्देल से मिलकर कुछ अराजकतत्वों ने हथियारों से लैस होकर उनके घरों को लूटा और स्त्रियों तथा बच्चों को मारा पीटा ? यदि हां, तो इसकी जांच करायी गयी अथवा नहीं ? यदि कराई गई तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्राप्त सूचना के अनुसार कथित तिथि दिनांक 12 जुलाई, 1982 को प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । प्रयास करने पर ग्राम मुड़फोरन पुरवा के "बेसहारा बिनत प्रार्थीगण" की ओर से पुलिस अधीक्षक बांदा की शिकायती प्रार्थना-पत्र दिनांक 6 जुलाई, 1982 प्राप्त हुआ, जिसकी जांच कराये जाने पर उसमें लगाये गये आरोप सही नहीं पाये गये । जांच से श्री सुखबीर सिंह तत्कालीन थानाध्यक्ष बदौसा और उनका स्टाफ दोषी नहीं पाया गया है, अतएव उनके विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री श्रवण कुमार तिवारी, ठेकेदार द्वारा कतिपय मार्गों में निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र

78--श्री भीखालाल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रवण कुमार तिवारी, कान्ट्रक्टर निवासी 32, तालिब सराय, उन्नाव के प्रार्थना-पत्र दिनांक 25 सितम्बर, 1982 तथा 8 अक्तूबर, 1982 और इसी संदर्भ में सिंचाई राज्य मंत्री भारत सरकार के निजी सचिव के पत्र क्रमशः 8 अक्तूबर, 1982 तथा 21 अक्तूबर, 1982 सचिव, सा0 नि0 वि0 को प्राप्त हुए हैं और जिसकी प्राप्ति श्री राजबिहारी लाल अनुसचिव सा0 नि0 वि0 अनुभाग-7 ने अपने पत्र दिनांक 2 दिसम्बर, 1982 द्वारा सिंचाई राज्य मंत्री भारत सरकार को भेजकर स्वीकार की गयी है ? यदि हां, तो सन्दर्भित विषय में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्या भूषण--

जी हां ।

श्री श्रवण कुमार तिवारी, ठेकेदार ने अपने पत्र दिनांक 25 सितम्बर, 1982 में पुरवा-मिर्रीकला-सोहरामऊ मार्ग के कि0मी0 11 से 16 तक मार्ग के अधिक क्षतिग्रस्त होने पर मिट्टी भरायी के कार्य फरवरी-मार्च, 1982 में तथा दूसरे पत्र दिनांक 8 अक्तूबर, 1982 में पुरवा

बिहार मार्ग के 3, 4, 5 कि० मी० में पटरी निर्माण का कार्य 4, 6 कि०मी० में इन्टरकोट कुटाई, 4 कि०मी० में हयूम पाइप पुलिया निर्माण कार्य माह जनवरी से अप्रैल, 1982 में श्री प्रभाकर सिंह, अवर अभियंता के आदेशानुसार कराये जाने की बात कही है। संबंधित अवर अभियन्ता द्वारा सूचित किया गया है कि उन्होंने श्री तिवारी को उपरोक्त कार्यों हेतु कोई आदेश नहीं दिया है। अतः इस प्रकरण की जांच दो सहायक अभियन्ताओं की कमेटी गठित कर करायी जा रही है। कमेटी की जांच आख्या प्रतीक्षित है।

उन्नाव जनपद में आग्नेयास्त्रों की बिक्री करने के लाइसेन्स हेतु प्रार्थना-पत्र

79—श्री भीखालाल—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जनपद में वर्ष 1980-1981 और 1982 में कितने व्यक्तियों ने आग्नेय अस्त्रों की बिक्री करने के लाइसेन्स प्राप्त करने के लिए प्रार्थना-पत्र किन तारीखों में दिये उनमें से किन प्रार्थना-पत्रों की संस्तुति जिलाधिकारी ने शासन को किन तारीखों में की तथा उनमें से किन-किन व्यक्तियों को लाइसेंस प्राप्त हो गये और कितने व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्रों पर संस्तुति किन कारणों से नहीं की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार उन्नाव जनपद में आग्नेयास्त्रों की बिक्री करने के लाइसेन्स हेतु 13 व्यक्तियों के वर्ष 1980-81 तथा 1982 में दिनांक 20 मार्च, 1980 से 20 अगस्त, 1982 के बीच प्रार्थना-पत्र विभिन्न तिथियों में प्राप्त हुए। इनमें से एक मामला दिनांक 25 मई, 1983 को शासन को संदर्भित हुआ, जिस पर शासन द्वारा निर्णय लेना शेष है। अवशेष मामलों में से पांच पर नियमानुसार जिला स्तर पर निर्णय ले लिया गया है तथा सात मामले उपयुक्तता के विषय पर सम्बन्धित अधिकारियों की आख्या की प्रत्याशा में जिला स्तर पर लम्बित हैं।

ब्लाक प्रमुख चुनाव के दौरान कम्युनिस्ट नेता श्री परमेश्वर दयाल सक्सेना आदि का ग्राम सूपा, थाना महोबा के अन्तर्गत अपहरण का पंजीकृत अभियोग

80—श्री भीखालाल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हमीरपुर जनपद के चरखारी विकास खंड में ब्लाक प्रमुख चुनाव के दौरान 29 मई, 1983 को कम्युनिस्ट नेता परमेश्वरी दयाल सक्सेना आदि का ग्राम सूपा, थाना महोबा के अन्तर्गत अपहरण हुआ था, जिसकी रिपोर्ट ब्लाक प्रमुख व उप ब्लाक प्रमुख ने 7 जून, 1983 व 10 जून, 1983 को जनपद के पुलिस अधीक्षक व जिलाधिकारी एवं मुख्य मंत्री को भेजी थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्रश्न में उल्लिखित पत्रों में से केवल एक पत्र दिनांक 7 जून, 1983 प्राप्त हुआ।

श्री चिरंजी लाल, उप ब्लाक प्रमुख के प्रार्थना-पत्र 7 जून, 1983 में की गई शिकायतों के आधार पर थाना महोबा, हमीरपुर में मुकदमा अपराध संख्या 29 /83 धारा 147/342/323 भा० दं० वि० बनाम फूल सिंह ग्राम सूपा और कुछ अज्ञात अराजक तत्वों के विरुद्ध पंजीकृत हुआ। विवेचनोपरान्त साक्ष्याभाव के कारण मामले में अन्तिम रिपोर्ट दिनांक 27 दिसम्बर, 1983 को न्यायालय प्रेषित की गई।

मंत्री, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग श्रमिक संघ (खीरी) लखीमपुर द्वारा विभागीय मजदूरों की समस्याओं, शिकायतों एवं मांगों के सम्बन्ध में दिये गये पत्र पर कृत कार्यवाही

81—श्री भोखालाल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मंत्री उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग श्रमिक संघ (खीरी), लखीमपुर द्वारा विभागीय मजदूरों की समस्याओं, शिकायतों एवं मांगों के सम्बन्ध में प्रेषित पत्र दिनांक 8-7-83 अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खन्ड लखीमपुर (खीरी) अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खन्ड नं0-1 तथा अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खन्ड नं0-2 लखीमपुर (खीरी) को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र में उल्लिखित समस्याओं, मांगों और शिकायतों पर उपरोक्त अधिकारियों द्वारा कौन सी कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं की गई, तो कब तक की जायगी ?

श्री विद्या भूषण —

जी नहीं ।

मंत्री, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग श्रमिक संघ, खीरी का एक पत्र दिनांक 7 जुलाई, 1983, प्रान्तीय खन्ड, खीरी एवं अस्थाई खन्ड 1 व 2, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खीरी में प्राप्त हुआ था । उसमें अंकित कुल सत्रह मांगों में अब तक 13 के सम्बन्ध में पूर्ण तथा शेष चार के सम्बन्ध में आंशिक कार्यवाही की जा चुकी है ।

उपाध्यक्ष, उ0 प्र0, सा0 नि0 वि0 श्रमिक संघ, शाखा बस्ती द्वारा विभागीय श्रमिकों की समास्याओं एवं शिकायतों के सम्बन्ध में पत्र

82—श्री भोखालाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपाध्यक्ष, उ0 प्र0, सा0 नि0 वि0 श्रमिक संघ, शाखा बस्ती द्वारा विभागीय श्रमिकों की समस्याओं एवं शिकायतों और मांगों के सम्बन्ध में प्रेषित पत्रांक 302/श्रमिक दिनांक 12-5-83 तथा पत्रांक 304/श्रमिक/दिनांक 12-5-83 को अधीक्षण अभियन्ता, 15वां वृत्त सा0 नि0 वि0 आजमगढ़ को प्राप्त हुए । यदि हां, तो उपरोक्त पत्रों में उल्लिखित श्रमिकों की कौन-कौन सी शिकायतों/समस्याओं और मांगों पर कौन-कौन सी कार्यवाहियां की गईं ? यदि नहीं की गई, तो कब तक की जायगी ?

श्री विद्या भूषण —

जी हां ।

सम्बन्धित दो पत्रों में उल्लिखित शिकायतों/समस्याओं एवं उन पर की गई/की जा रही कार्यवाही का विवरण संलग्न है ।

(देखिए नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 188 पर)

83—श्री भोखालाल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, सार्वजनिक निर्माण विभाग, श्रमिक संघ, शाखा बस्ती द्वारा प्रेषित पत्रांक 252/श्रमिक, दिनांक 19-8-83 अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग, निर्माण खन्ड, बस्ती को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो इस पत्र में उल्लिखित किन-किन शिकायतों, समस्याओं और मांगों पर अब तक क्या क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो कब तक की जाएगी ।

श्री विद्या भूषण —

जी हां ।

उक्त पत्र में उल्लिखित बीस सूत्रीय शिकायतों, समस्याओं और मांगों पर

कार्यवाही की गई। शिकायतें दूर कर दी गई और मांगें स्वीकार कर ली गईं जिससे श्रमिक संघ संतुष्ट हो गया है।

प्रान्तीय खन्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बस्ती में मस्टर रोलों के खो जाने से श्रमिकों के वेतन के भुगतान में विलम्ब

84—श्री भीखालाल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्तीय खन्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बस्ती में मस्टर रोलों के खो जाने के कारण कुल कितने श्रमिकों के वेतन का भुगतान नहीं किया गया है तथा वेतन भुगतान में हुए विलम्ब के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो कब तक की जाएगी ?

श्री विद्या भूषण—

प्रश्नगत मस्टर रोलों के विरुद्ध जांच के उपरान्त 41 श्रमिकों को भुगतान न किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। वेतन भुगतान में हुए विलम्ब के लिए प्रमुख अभियन्ता, सा0 नि0 वि0 को शीघ्र जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दे दिए गए हैं।

श्री रामनाथ पुत्र मुन्नू लाल, जिला सीतापुर की करेन्ट लगने से मृत्यु तथा मृतक के परिवार को क्षतिपूर्ति भुगतान

85—श्री भीखालाल—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 4-7-83 को श्री रामनाथ पुत्र मुन्नू लाल, निवासी सरैया, महिपति सिंह, जिला सीतापुर की मृत्यु देवकली फीडर के ढीले तार से करेन्ट लगने के कारण हो गई ? यदि हां, तो तार जमीन से कितना ऊंचा था और इस सम्बन्ध में मृतक के परिवार को कोई क्षति पूर्ति की गई और दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त—

जी हां।

जमीन से तार की ऊंचाई लगभग 12 फिट थी। मृतक के आश्रितों को तीन हजार रुपये अनुग्रह धनराशि भुगतान किए जाने के आदेश निर्गत कर दिए गए हैं। दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने पर उचित कार्यवाही की जाएगी।

जनपद सीतापुर में देवियापुर गांव के निकट करेन्ट आ जाने से श्री शमीम अहमद का मृत्यु, आश्रितों को प्रतिकर एवं अन्य देयों का भुगतान

86—श्री भीखालाल—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 17-7-83 को जनपद सीतापुर में जहांगीराबाद लाइन पर देवियापुर गांव के निकट नलकूप पर ब्रेक डाउन ठीक करते समय लाइन में अचानक करेन्ट आ जाने से श्रमिक शमीम अहमद की मृत्यु हो गई ? यदि हां, तो मृतक के परिवार के लोगों को कोई क्षति पूर्ति की गई ? दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जी हां।

मृतक श्री शमीम की विधवा को परिषद् में नौकरी दे दी गयी है। प्रतिकर एवं अन्य देयों के भुगतान का

मामला पूर्ण किया जा रहा है जो पूर्ण होते ही शीघ्र भुगतान कर दिया जायेगा । इस सम्बन्ध में दोषी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जा चुकी है ।

जिला विद्युत् उपभोक्ता संघ, फर्रुखाबाद द्वारा पारित प्रस्तावों की कथित प्रतिलिपि

87—श्री भीखा लाल—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला विद्युत् उपभोक्ता संघ, फर्रुखाबाद द्वारा पारित प्रस्तावों की प्रतिलिपि मुख्य मंत्री जी को संघ के संयोजक के पत्र, दिनांक 5-1-83 के द्वारा प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो प्रस्तावों के मुख्य बिन्दु क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री भगत सिंह, निवासी ग्राम टयूंगा, जिला कानपुर देहात की गोली लगने से मृत्यु

88—श्री भीखा लाल—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भगत सिंह पुत्र श्री सुखराही निवासी ग्राम टयूंगा, थाना भोगनीपुर, जिला कानपुर देहात का कत्ल, दिनांक 14-7-83 को कर दिया गया ? क्या यह भी सत्य है कि मृतक के भाई प्रताप सिंह द्वारा रिपोर्ट लिखाने के प्रयास के बावजूद थाना भोगनीपुर में रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी और मृतक की लाश भी पोस्टमार्टम के बाद उनको वापस नहीं की गयी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचनानुसार भगत सिंह की मृत्यु दिनांक 14-7-83 को गोली लगने से हुई ।

मृतक के भाई न तो रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पर गए न मृतक का शव ही लेने गए थे । अन्य प्रश्न नहीं उठता ।

क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी, लखनऊ के विषय में भ्रष्टाचार सम्बन्धी आरोप

89—श्री भीखा लाल—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा० एम० एल० कपूर, सहायक निदेशक, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान, सीतापुर रोड, लखनऊ द्वारा निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश लखनऊ को सम्बोधित अर्धशासकीय पत्रांक स्क्रिट/8/82, दिनांक 13-8-82 जिसमें क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी लखनऊ के विषय में भ्रष्टाचार सम्बन्धी कुछ आरोप लगाये गये हैं निदेशक को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर जांच करायी गयी अथवा नहीं और यदि करायी गयी तो क्या परिणाम निकला ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां ।

उक्त पत्र में क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी लखनऊ के विरुद्ध सम्प्रेषण सम्बन्धी गम्भीर अनियमितताओं की शिकायत की गयी थी । इन शिकायतों की जांच निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा कराई गई थी और कार्य प्रणाली में अनेक त्रुटियां पाई गईं । इन अनियमितताओं के लिये श्री एस० आर० दिघे, क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी, लखनऊ को प्रतिकूल प्रविष्टि दिये जाने का निर्णय लिया गया है ।

श्री राम विलाश शुक्ल, निवासी पूरेधना, थाना लम्भुवा, जिला सुल्तानपुर के घर पड़ी डकैती की जांच

90—श्री भोखा लाल—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 7 फरवरी, 1983 को श्री राम विलाश शुक्ल निवासी पूरेधना चौकी शम्भू गंज थाना लम्भुवा जिला सुल्तानपुर के घर पर डकैती पड़ी, लेकिन एस0 ओ0 लम्भुआ ने जुर्म को घटाने की नियत से धारा 323/147 में रिपोर्ट दर्ज कराई, जो पुलिस अधीक्षक के हस्तक्षेप से धारा 395/397 भा0 दं0 वि0 में परिवर्तित की गई ? यदि हां, तो एस0 ओ0 के विरुद्ध जुर्म को छिपाने के अपराध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, की गई तो क्यों और उक्त मुकदमें में अब तक कितने डकैतों को पकड़कर जेल भेजा गया है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार वादी श्री राम अधार शुक्ल ने प्रश्नगत घटना की रिपोर्ट थाना लम्भुवा में दिनांक 8-2-83 को भा0 दं0 वि0 की धारा 395/397 में पंजीकृत करायी थी। इसकी विवेचना उप निरीक्षक थाना लम्भुवा द्वारा की गयी थी जिन्होंने उक्त अपराध धारा 147/323 भा0 दं0 वि0 का पाया और तदनुसार मुकदमा उक्त धारा में परिवर्तित किया। वादी ने धाराओं में परिवर्तन की शिकायत पुलिस अधीक्षक से की जिस पर क्षेत्राधिकारी कादीपुर द्वारा जांच की गयी। जांच में मामला डकैती का नहीं पाया गया। तदोपरान्त विवेचना थानाध्यक्ष कादीपुर को सौंपी गयी और उनकी विवेचना के उपरान्त अपराध धारा 147/324/352 भा0 दं0 वि0 का पाया गया। विवेचनोपरान्त मामले को अंतिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त किया गया। चूंकि मामला जांच से डकैती का प्रमाणित नहीं हुआ, अतः प्रथम विवेचक के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। प्रश्न के शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

थाना भोजीपुरा के श्री योगेन्द्र सिंह, दरोगा के विरुद्ध शिकायती प्रार्थना-पत्र

91—श्री भोखा लाल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री नबी अहमद प्रधान ग्राम सभा हुर्वाडांडा, थाना भोजीपुरा, जिला बरेली का श्री योगेन्द्र सिंह, दरोगा के विरुद्ध शिकायती प्रार्थना-पत्र दिनांक 18 अप्रैल, 1983 प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 25 अप्रैल, 1983 के साथ उनको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायतों की जांच कराकर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां।

जांच से श्री योगेन्द्र सिंह, उप निरीक्षक के विरुद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध नहीं हुये।

बस्ती जनपद में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत कार्यरत अधिशासी अभियन्ता व सहायक अभियन्ता व उनका स्थानान्तरण

92—श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत कुल कितने अधिशासी अभियन्ता व सहायक अभियन्ता ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति के उक्त जिले में तीन वर्ष से अधिक हो चुके हैं, और अभी भी वे वहीं कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या उन्हें उक्त जिले से स्थानान्तरित करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्या भूषण--

बस्ती में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत 30 जून, 1983 को एक अधिशासी एवं चार सहायक अभियन्ता तीन वर्ष से अधिक अवधि से कार्यरत थे तथा हैं जिनका विवरण निम्नवत् है :--

सर्वश्री--

1--आर0 वी0 सिंह	अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, बस्ती ।
2--जंग बहादुर सिंह	सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, बस्ती ।
3--बी0 के0 सिंह	सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, बस्ती ।
4--राम नरेश सिंह	स्थानिक अभियन्ता, वि0 नि0 ई0, बस्ती ।
5--देव प्रयाग यादव	स्थानिक अभियन्ता, वि0 नि0 ई0, बस्ती ।

शासनादेश संख्या 1285 इ-जी/23-सा0 नि0 अनु0-5, दिनांक 27 अप्रैल, 1983 के अनुसार 30 जून, 1983 को चार वर्ष पूरा करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को ही स्थानान्तरण करने का सार्वजनिक निर्माण विभाग में निर्णय लिया गया था । वैसे शासन की स्थानान्तरण सम्बन्धी नीति के अनुसार विशेष परिस्थितियों में अधिकारी को एक स्थान पर पांच वर्ष भी रखा जा सकता है । श्री आर0 वी0 सिंह, अधिशासी अभियन्ता को दिनांक 30 जून, 1983 को 4 वर्ष पूरे हो गये थे तथापि बस्ती में कार्यों की अधिकता एवं कार्यों में अवरोध न पड़े इस कारण यह निर्णय लिया गया था कि श्री सिंह को एक वर्ष बस्ती में और रोका जाय । शेष अधिकारियों को दिनांक 30 जून, 1983 को 4 वर्ष पूरे नहीं हुए थे अतएव उन्हें दिनांक 30 जून, 1983 तक स्थानान्तरित करने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

इस वर्ष 1984-85 के वार्षिक स्थानान्तरण में उक्त अधिकारियों को बस्ती जनपद से अन्यत्र स्थानान्तरित करने की कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

जनपद बस्ती में डकैती, चोरी राहजनी व आगजनी व हत्या की घटनाएं

93--श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जनपद में 1 जनवरी, 1983 से 13 जून, 1983 तक कुल कितनी डकैती, चोरी राहजनी व आगजनी तथा हत्या की घटनायें हुई तथा उनमें कितने-कितने मुकदमों में मुल्जिमों की गिरफ्तारी हुई तथा किन-किन मुकदमों में फाइनल रिपोर्ट व चार्जशीट लगाई गई ?

श्री श्रीपति मिश्र--

सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी "ग" आगे पृष्ठ 191 पर ।)

डुमरियागंज तहसील के अन्तर्गत सेमरी विस्कोहर मार्ग पर खंडंजा लगाने का कार्य

94--श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग बस्ती द्वारा डुमरियागंज तहसील के अन्तर्गत सेमरी विस्कोहर मार्ग पर 4 कि0 मी0 ईंट का खड़ंजा लगाना वित्तीय वर्ष 1982-83 में प्रस्तावित था और क्या यह भी सही है कि उसके लिए टेन्डर भी मांग लिए गये थे ? यदि हां, तो उक्त मार्ग पर क्या खड़ंजा लगाया गया? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्या भूषण--

जी नहीं ।

जी हां । परन्तु केवल 2·00 किलो मीटर के लिए। जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम जखौला, थाना असोवन में श्रीमती फूला देवी के घर पड़ी कथित डकैती

95--श्री राधेश्याम पटेल--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के अन्तर्गत थाना असोवन के ग्राम जखौला में दिनांक 2/3-5-83 की रात को श्रीमती फूला बेवा जगन्नाथ के घर पर भीषण डकैती पड़ी थी, जिसकी रिपोर्ट थाना उपरोक्त में 3-5-83 को धारा 394, 397 आई0 पी0 सी0 के अन्तर्गत नामजद रिपोर्ट दर्ज हुई थी ? यदि हां, तो क्या उन मुल्जिमों को गिरफ्तार कर मुकदमा कायम किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 2/3-5-83 को ग्राम जखौला, थाना असोवन में श्रीमती फूला देवी के घर डकैती की घटना नहीं घटी और न ही दिनांक 3-5-83 को धारा 394/397 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत नामजद रिपोर्ट दर्ज हुई थी । अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद में कस्बा टाण्डा में साम्प्रदायिक दंगे के परिणामस्वरूप मृतक, घायल तथा लापता व्यक्तियों की सूची तथा आर्थिक सहायता

96--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में कस्बा टाण्डा में माह अक्तूबर, 1983 में साम्प्रदायिक दंगा हुआ था ? यदि हां, तो उक्त दंग में कुल मृतकों व घायल, लापताओं के नाम मय पता क्या हैं तथा आगजनी में कुल क्षतिग्रस्त मकानों की क्या स्थिति रही तथा कुल कितने व्यक्तियों को विभिन्न धाराओं में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया ? उनके नाम व पता क्या हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां ।

दंगे के परिणामस्वरूप मृतकों, घायलों तथा लापता व्यक्तियों के नाम व पता की सूची मेरे कार्यालय कक्ष में देखी जा सकती है । आगजनी से कुल 204 मकान क्षतिग्रस्त हुए । कुल 199 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत जेल भेजा गया जिसकी सूची मेरे कार्यालय कक्ष में देखी जा सकती है ।

97--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या यह भी सही है कि आगजनी में क्षतिग्रस्त तथा मृतकों के परिवार को आर्थिक सहायता व अन्य सहायता दी गई है ? यदि हां, तो क्रमवार धन व अन्य सहायता दिये जाने का पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां । दी गयी सहायता का विवरण संलग्नक सूची में अंकित है ।

(देखिए नत्थी "घ" आगे पृष्ठ 192 पर ।)

जिला मथुरा के गांव बादौठ में तीन व्यक्तियों की हत्या तथा अनुदान की मांग

98--श्री सरदार सिंह--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 24 अक्तूबर, 1983 को थान

नौझील, जिला मथुरा के गाँव बादौठ के एक ही परिवार के तीन व्यक्तियों की हत्या दिन दहाड़े कर दी गई थी ? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है ? दोषी व्यक्तियों के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई है तथा मृत व्यक्तियों के परिवारजनों को शासन ने क्या अनुदान दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां। श्री रवेन्द्र सिंह पुत्र महावीर सिंह, निवासी बादौठ, थाना नौझील ने दिनांक 24-10-83 को थाना नौझील पर इस आशय की प्रथम सूचना अंकित कराई कि 4 नामजद तथा 7-8 अज्ञात बदमाशों ने जो कि हथियारों से लैस थे, रंजिशन उसके चाचा अंगद सिंह पिता महावीर सिंह तथा ताऊ के लड़के खजान सिंह की हत्या गोली मारकर कर दी है और बदमाश घर से दो नाली लाइसेंसी बन्दूक लेकर फायर करते हुये भाग गये। इस सूचना पर अ0 सं0 112, धारा 396 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना से अपराध 147/148/149/307/302/380 भा0 दं0 वि0 का होना पाया गया। विवेचना से अज्ञात 7-8 बदमाशों का कोई पता नहीं चल सका। सभी नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है जो विचाराधीन न्यायालय है। मृत व्यक्तियों के परिवार जनों को कोई अनुदान शासन द्वारा नहीं दिया गया है क्योंकि मामला आपसी रंजिश का है।

श्री राम शरन, जनपद बुलन्दशहर को स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों की पेंशन दिलाने की मांग

99--श्री किरनपाल सिंह--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री राम शरन पुत्र श्री परसा निवासी इलना, जनपद बुलन्दशहर को इनके भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम में अविस्मरणीय योगदान के लिए 15 अगस्त, 1972 को प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा मेरठ नगर में ताम्रपत्र भेंट किया गया था ? क्या यह सही है कि श्री राम शरन को राज्य सरकार की ओर से स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी वाली कोई पेंशन नहीं मिल रही है ? यदि हां, तो क्यों ? उ0 प्र0 सरकार कब तक श्री राम शरन को एरियर सहित स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों वाली पेंशन दिलाने की व्यवस्था कर देगी ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां।

जी हां। श्री राम शरन को स्वतंत्रता संग्राम के सम्बन्ध में भागी सजा दो माह से कम होने के कारण वे नियमानुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की परिभाषा में नहीं आते हैं।

प्रश्न नहीं उठता है।

100--श्री प्रदीप कुमार यादव--

[5वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 59 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

श्री रमा शंकर, सहकारी पर्यवेक्षक द्वारा थाना कूड़ेभार, जिला सुल्तानपुर में अंकित रिपोर्ट

101--श्री मित्रसेन--

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि रमा शंकर, सहकारी पर्यवेक्षक, साधन सहकारी समिति हन्ना कुट्ट, विकास खंड धनपतिगंज, सुल्तानपुर ने दिनांक 27 जुलाई, 1981 को कोई रिपोर्ट थाना कूड़ेभार, जिला सुल्तानपुर में धारा 409 भा0 दं0 विधि के अन्तर्गत अंकित करायी थी ? यदि हां, तो मूल रूप से रिपोर्ट क्या है ? किसी धनराशि का गबन प्रकाश में आया है ? अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी नहीं। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

102--श्री थम्मन सिंह गहलौत--

[स्पष्टीकरण के आभाव में निरस्त।]

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता, उप निदेशक, अभियोजन, लखनऊ के विरुद्ध पद का दुरुपयोग करने की शिकायत

103--श्री थम्मन सिंह गहलौत--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें मुनीश कुमार चम्पावती, शरद कुमार आदि निवासीगण मोहल्ला भाटान, नगर बिजनौर, जिला बिजनौर का पत्र श्री रतिराम विधायक द्वारा 5 जनवरी, 1983 को संस्तुति किया हुआ दिनांक 10 जनवरी, 1983 का रजिस्टर्ड डाक से श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, उप निदेशक, अभियोजन, लखनऊ के द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करने के बारे में मिला है? यदि हां, तो क्या उस पर शासन द्वारा जांच करायी गई? यदि हां, तो क्या तथ्य प्रकाश में आये?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्रश्नगत पत्र प्राप्त हुआ है। मामले में पुलिस द्वारा जांच करायी गई है। विवेचना के फलस्वरूप श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, उप निदेशक, अभियोजन, लखनऊ के द्वारा अपने पद के दुरुपयोग करने की शिकायत की पुष्टि नहीं हुई है।

पशुधन विकास विभाग में सेलेक्शन ग्रेड पा रहे कर्मचारियों को नए वेतनमान की घोषणा

104--श्री थम्मन सिंह गहलौत--

क्या पशुधन विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा जुलाई, 1979 से नये वेतन मान लागू कर दिये जाने के बाद पशुधन विकास विभाग में कार्य करने वाले जो पहले से ही सेलेक्शन ग्रेड पा रहे थे, उनके लिये नये वेतनमान की घोषणा अब तक न किये जाने का क्या कारण है? शासन कब तक इसकी घोषणा कर देगा?

श्री संजय सिंह--

शासन द्वारा जुलाई, 1979 से नये वेतनमान लागू कर दिये जाने के बाद पशुधन विकास विभाग में कार्य करने वाले जो पहले से ही सेलेक्शन ग्रेड पा रहे थे उनके लिये नये वेतनमान सम्बन्धी शासनादेश जारी किये जा चुके हैं।

प्रदेश के सिंचाई विभाग में ट्रेड यूनियन ऐक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत यूनियनें तथा सदस्य संख्या

105--श्री थम्मन सिंह गहलौत--

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में ट्रेड यूनियन ऐक्ट, 1926 के अन्तर्गत कौन-कौन सी पंजीकृत यूनियनें कार्यरत हैं तथा उनकी सदस्यता संख्या क्या है?

श्री सुनील शास्त्री--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदेश की सिंचाई विभाग में ट्रेड यूनियन ऐक्ट 1926 के अन्तर्गत 22 पंजीकृत यूनियनें कार्यरत हैं। उनके नाम तथा प्रत्येक की सदस्य संख्या संलग्न तालिका में दर्शाई गई हैं।

(देखिये नत्थी "ङ" आगे पृष्ठ 193 पर)।

श्री बाबूराम, थाना मोतीपुर, जनपद बहराइच का पुलिस अधीक्षक को सम्बोधित प्रार्थना-पत्र की जांच

106--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बाबू राम पुत्र जियराल, निवासी ग्राम सेमरीमलमला, थाना मोतीपुर, जनपद बहराइच का प्रार्थना-पत्र जो दिनांक 21/22 जनवरी, 1983 की रात्रि आवेदक के घर पड़े भयंकर डकैती की रपट न लिखे जाने तथा मुल्जिमान से थाना स्टाफ की सांठ-गांठ होने से सम्बन्धित था और जो क्षेत्रीय विधायक श्री जटा शंकर सिंह द्वारा पुलिस अधीक्षक बहराइच के समक्ष 30 जनवरी, 1983 को प्रस्तुत किया गया और संस्थापित पुलिस क्षेत्राधिकारी, नानपारा की जांच पूरी हो चुकी है ? यदि हां, तो तथ्य क्या है और तदनुसार क्या कार्यवाही की गई ? यदि कार्यवाही पूरी नहीं हुई, तो विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री बाबू राम पुत्र जियालाल, निवासी ग्राम सेमरी-मलमला, थाना मोतीपुर, जनपद बहराइच का पुलिस अधीक्षक, बहराइच को सम्बोधित प्रार्थना-पत्र, दिनांक 29 जनवरी, 1983 को दिनांक 21/22 जनवरी, 1983 की रात्रि को आवेदक के घर में पड़ी डकैती की रपट सूचना देने के समय न लिखे जाने तथा पकड़ गये व्यक्तियों को थाने से छोड़ देने के विषय में था, पर पुलिस क्षेत्राधिकारी नानपारा की जांच पूरी हो चुकी है। जांच में मुख्यारक्षी द्वारा तहरीर के आधार पर मुकदमा कायम करना सही पाया गया किन्तु विवेचक द्वारा विवेचना में शिथिलता करना पाया गया। विवेचक को भविष्य में सचेत रहने के लिये कठोर चेतावनी दी गई है। प्रश्न के शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

उझानी कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक श्री बाबू राम मिश्रा के विरुद्ध ज्ञापन

107--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बदायूं जिले के अन्तर्गत उझानी कस्बे के नागरिकों ने कोई ज्ञापन जनवरी, 83 में जिला प्रशासन तथा प्रदेश सरकार को उझानी कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक प्रभारी श्री बाबू राम मिश्रा के विरुद्ध दिया ? यदि हां, तो उस ज्ञापन में क्या आरोप लगाए गए हैं तथा शासन ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां। उक्त ज्ञापन में दिनांक 27/28-11-82 को रात्रि में कस्बा उझानी, जनपद बदायूं में घटित घटना से सम्बन्धित अभियुक्तों का पता न लगाने तथा श्री बाबू राम मिश्रा, प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली उझानी का स्थानान्तरण न किए जाने का आरोप लगाया गया था।

श्री बाबू राम मिश्रा, प्रभारी निरीक्षक, उझानी का जनपद बदायूं से स्थानान्तरण हो चुका है। कस्बा उझानी जनपद बदायूं में दिनांक 27/28-11-82 की रात्रि में घटित घटना के सम्बन्ध में थाना उझानी पर पंजीकृत अ0 सं0 560 अन्तर्गत धारा 460 भा0 दं0 वि0 में स्थानीय पुलिस द्वारा आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित कर दिया गया था, परन्तु धारा 173(8) द0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा मामले की अग्रिम विवेचना की जा रही है।

रामपुर जिले के ग्रामों में विद्युतीकरण तथा स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की मांग

108--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि रामपुर जिले के विकास खंड मिलक ग्राम

निपनिया (18-12-70) लखीमपुर खीरी लखीमपुर विष्णु (18-2-78) धनेली पूर्वी (9-3-72) ऐचोरा (1978) तथा धौनकपुर (9-10-80) में ग्राम विद्युतीकरण करना तथा स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करना कब से विचाराधीन है ? क्या यह सही है कि उपरोक्त गांव में उनके सामने लिखी तिथियों में ग्राम सभा द्वारा अधिशासी अभियन्ता कार्यालय में धन जमा किया गया ? यदि हां, तो अब तक विद्युतीकरण न हो पाने का क्या कारण है तथा कब तक हो जायेगा ?

श्री ब्रह्मदत्त--

ग्राम निपनिया विकास खंड मिलक जनपद रामपुर का एल0 टी0 मेन्स बिछाकर 1964 में विद्युतीकरण हुआ था और ग्राम प्रधान निपनिया ने स्ट्रीट लाइट लेने हेतु सर्विस कनेक्शन चार्जेज 18-12-70 के बजाय 28-12-70 को टाउन इंचार्ज मिलक के यहां जमा किये थे। इस कारण अधिशासी अभियन्ता रामपुर के प्रकाश में नहीं आ सका और स्ट्रीट लाइट के लिए कनेक्शन नहीं दिया जा सका। इस कनेक्शन को इस माह में दे दिया जायेगा।

लखीमपुर विष्णु ग्राम विकास खंड मिलक जनपद रामपुर का विद्युतीकरण एल0 टी0 मेन्स बिछाकर 15-12-77 में किया गया था ग्राम में स्ट्रीट लाइट का धन 18-2-78 में जमा किया गया और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था दिनांक 20-2-78 को कर दी गयी।

धनौली पूर्वी ग्राम विकास खंड मिलक जनपद रामपुर का विद्युतीकरण एल0 टी0 मेन्स बिछाकर 1968-69 में हुआ था। स्ट्रीट लाइट हेतु ग्राम सभा द्वारा कोई भी धनराशि 9-3-72 को जमा नहीं की गयी। इस कारण स्ट्रीट लाइट कनेक्शन देने का प्रश्न नहीं उठता।

ऐचोरा ग्राम विकास खंड मिलक जनपद रामपुर का विद्युतीकरण एल0 टी0 मेन्स बिछाकर दिनांक 24-1-81 को कर दिया गया था। स्ट्रीट लाइट हेतु ग्राम सभा से कोई धन 1978 में प्राप्त नहीं हुआ है। इस कारण स्ट्रीट लाइट कनेक्शन देने का प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम धौनकपुर नाम का विकास खंड मिलक जनपद रामपुर में नहीं है। परन्तु उक्त विकास खंड में भौनकपुर नाम का ग्राम है जिसका विद्युतीकरण एल0 टी0 मैन्स बिछाकर 7-3-81 में कर दिया गया था और यहां की ग्राम सभा से स्ट्रीट लाइट हेतु कोई धन 9-10-80 को जमा नहीं हुआ है। इस कारण स्ट्रीट लाइट कनेक्शन देने का प्रश्न नहीं उठता।

बदायूं जनपद के उझानी कोतवाली क्षेत्र में चोरी डकैती राहजनी एवं हत्या की घटनाएं

109--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बदायूं जनपद के अन्तर्गत उझानी कोतवाली के क्षेत्र में 10 फरवरी, 83 से 17 फरवरी तक चोरी, डकैती, राहजनी एवं हत्याओं की कितनी घटनाएं हुई एवं उनमें से कितने अपराधी पकड़ गए ?

श्री श्रीपति मिश्र--

बदायूं जनपद के अन्तर्गत उझानी कोतवाली क्षेत्र में 10 फरवरी, 1983 से 17 फरवरी, 1983 तक चोरी की दो, डकैती की दो, राहजनी की शून्य तथा हत्या की एक घटना घटित हुई। इनमें सात अभियुक्त गिरफ्तार किए गये।

110--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[दिनांक 21-2-84 को अतारांकित प्रश्न संख्या-40 द्वारा उत्तरित।]

हीवेट पालीटेक्निक, लखनऊ की भूमि एवं बाग आदि की नीलामी के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, लखनऊ को दिए गए आदेश

111—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनके द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 1982 को दिए गए वक्तव्य में जैसा कि उल्लेख किया गया है कि हीवेट पालीटेक्निक, लखनऊ की भूमि एवं बाग आदि के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, लखनऊ को आदेश दे दिए गए हैं तो बतायेंगे कि विगत वर्ष 1981-82 में कृषि हेतु जो भूमि नीलाम की गयी थी उससे पालीटेक्निक की कितनी आय हुई तथा वर्ष 1982-83 में वह भूमि नीलाम न करके पुनः उन्हें व्यक्तियों को खेती करने हेतु क्यों और कैसे दे दी गयी तथा वर्ष 1982-83 में कितनी आय हुई ?

श्री सुनील शास्त्री—

दिनांक 27 अगस्त, 1982 को विधान परिषद में माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा नियम 105 के अन्तर्गत दिये गये वक्तव्य में हीवेट पालीटेकनिक लखनऊ की भूमि पर खेती एवं बाग उपज की नीलामी के विषय में जिलाधिकारी लखनऊ को कोई भी आदेश दिये जाने का उल्लेख नहीं है। अतः अवशेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

हीवेट पालीटेक्निक, लखनऊ के अध्यापकों व कर्मचारियों के वेतन का भुगतान

112—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि हीवेट पालीटेक्निक, लखनऊ की आर्थिक स्थिति इतनी जर्जर हो गई है कि शासन से अनुदान की सम्पूर्ण धनराशि प्राप्त हो जाने के बाद भी उक्त संस्था के अध्यापकों एवं कर्मचारियों को प्रति माह निश्चित तिथि को वेतन का भुगतान नहीं हो पाता है तथा भविष्य निर्वाह निधि का जो धन काटा जाता है वह लम्बी अवधि तक नियत कोष में नहीं जमा होता है। परिणामस्वरूप उक्त संस्था में प्रशिक्षण कार्य प्रायः प्रभावित होता रहता है ? क्या शासन इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाने की कृपा करेगा ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी नहीं। हीवेट पालीटेक्निक लखनऊ के अध्यापकों एवं कर्मचारियों को वेतन सामान्यतः समय से ही दिया जाता रहा है, परन्तु संस्था द्वारा अनुदान प्राप्त करने के पश्चात् कभी-कभी कर्मचारियों के वेतन भुगतान में विलम्ब, ट्रेजरी से धनराशि आहरण एवं वितरण प्रक्रिया में अधिक समय लगने के कारण हुआ है। संस्था का बजट प्राविधान कम होने के कारण पिछले कुछ महीनों में कर्मचारियों को केवल शुद्ध देय वेतन का भुगतान किया जाता रहा है एवं भविष्य निर्वाह निधि की धनराशि कोषागार में जमा नहीं हो सकी है। संस्था के लिए अतिरिक्त धनराशि अनुपूरक मांगों के माध्यम से प्राविधानित कर दी गई है।

सार्वजनिक उद्योग ब्यूरों में तृतीय श्रेणी में कार्यरत तकनीकी पदों पर अस्थायी कर्मचारी

113—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि तृतीय श्रेणी में कार्यरत तकनीकी पदों पर सभी को सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो में नियमित रूप से स्थायी घोषित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि दो शेष सहायकों को छोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां। सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो में तृतीय श्रेणी में कार्यरत तकनीकी पदों पर सभी को अस्थायी कर्मचारी घोषित किया गया है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

श्री गौरी शंकर यादव, एडवोकेट, जिला मैनपुरी द्वारा मैनपुरी पुलिस से जान माल की रक्षा की मांग

114—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र जिसका प्राप्ति की स्वीकृति उनके कार्यालय के पत्र सं0 एम0/1215/सी0 एम0/2/83, दिनांक 4-4-83 द्वारा की गयी है जिसमें श्री गौरी शंकर यादव, एडवोकेट, जिला मैनपुरी ने जान-माल की रक्षा मनपुरी पुलिस से करने की मांग की है, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां ।

श्री गौरी शंकर यादव की सुरक्षा हेतु स्थानीय प्रशासन द्वारा यथासमय यथावश्यक व्यवस्था की जाती रही है । जिला मजिस्ट्रेट को इस सम्बन्ध में निर्देशित कर दिया गया है ।

हीवेट पालीटेक्निक में व्याप्त आर्थिक अपराधों एवं वित्तीय अनियमितताओं आदि के सम्बन्ध में रिपोर्ट

115—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि हीवेट पालीटेक्निक, लखनऊ में नियुक्त प्राधिकृत नियन्त्रक ने अपनी जो रिपोर्ट शासन को उक्त पालीटेक्निक में व्याप्त आर्थिक अपराधों एवं वित्तीय अनियमितताओं आदि के सम्बन्ध में प्रेषित की है वह प्राविधिक शिक्षा मंत्री के द्वारा दिनांक 27-8-82 को दिए गये वक्तव्य के विपरीत है ? यदि हां, तो इस भिन्नता का क्या कारण है ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां ।

वह अपेक्षित जांच पर आधारित नहीं है ।

ग्राम अमौनी, जिला बाराबंकी के विद्युतीकरण की मांग

116—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित श्री बंशी लाल तथा अन्य ग्रामवासियों द्वारा हस्ताक्षरित पत्र सं0 2678/1982, दिनांक 28-5-82 को ग्राम अमौनी, पो0 रामपुर जनक, जिला बाराबंकी के विद्युतीकरण किए जाने के सम्बन्ध में था तथा जिसके पाने की स्वीकृति आपके कार्यालय के पत्र संख्या 946 ई0 एस0 एम0 ई0/82, दिनांक 3 जुलाई, 1982 द्वारा दी गयी है, के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या उक्त गांव का विद्युतीकरण कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त—

जी हां ।

ग्राम अमौनी, मौजा बनगवां, बाराबंकी का विद्युतीकरण राजकीय सामान्य योजना के अन्तर्गत होना है । जिसके लिए प्राप्त प्रार्थना-पत्रों के आधार पर 15 प्रतिशत राजस्व प्रतिलाभ एवं 10 प्रतिशत प्रतिलाभ के बराबर विद्युत् कनेक्शन हेतु अनुबन्ध आवश्यक है । उपरोक्त ग्राम के निवासियों ने बिजली के कनेक्शन लेने हेतु आवेदन-पत्र नहीं दिये हैं ऐसी परिस्थिति में विद्युतीकरण सम्भव नहीं है ।

प्रदेश में सिविल जज सी0 जे0 एम0 तथा अतिरिक्त जिला जज के रिक्त पद

117—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में सिविल जज सी0 जे0 एम0 तथा अतिरिक्त जिला जज के कितने पद 1-6-83 को रिक्त हैं ? रिक्त पद न भरने के क्या कारण हैं ? ये कब तक भर दिए जायेंगे ?

श्री श्रीपति मिश्र—

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, ने सूचित किया है कि 1-6-83 को सी0 जे0 एम0 का कोई पद रिक्त नहीं था। सिविल जज का एक पद रिक्त था तथा उसे भर दिया गया था। अतिरिक्त जिला जज के 84 पद रिक्त थे जिसमें 63 पद माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जून/जुलाई, 1983 में ही भर दिये गये थे। 16 पदों पर नियुक्ति के लिये माननीय उच्च न्यायालय के प्रस्तावों पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है। शेष 5 रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय से पत्र-व्यवहार चल रहा है।

चील्ह-गोपीगंज मार्ग का सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण करने का प्रस्ताव तथा अवैध कब्जों को हटाने की कार्यवाही

118—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 पहले मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-101 के उत्तर में क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत भूमि का स्वामित्व कब तक जिला परिषद् मिर्जापुर द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग को स्थानान्तरित कर दिया जायेगा तथा अवैध कब्जों को हटाने की कार्यवाही कब तक सम्पन्न करा दी जायेगी ?

श्री विद्या भूषण—

चील्ह-गोपीगंज मार्ग को सार्वजनिक निर्माण विभाग को विधिक रूप से हस्तान्तरित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उस पर विचार किया जा रहा है।

जब तक उक्त मार्ग विधिवत सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित न हो जाय, उस पर किसी प्रकार के अतिक्रमण को हटाने का दायित्व जिला परिषद मिर्जापुर का है। प्राप्त सूचना के अनुसार उनके द्वारा इस विषय में प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की जा रही है।

राज्य वस्त्र निगम (स्पिनिंग मिल) काशीपुर, नैनीताल के श्रमिकों के उत्पीड़न किए जाने के सम्बन्ध में पत्र

119—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्त्ता द्वारा प्रेषित पत्र सं0 8008/82 दिनांक 24 फरवरी, 1983 जो उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम (स्पिनिंग मिल) काशीपुर, नैनीताल के श्रमिकों के उत्पीड़न किए जाने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो शासन द्वारा अभी तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां। माननीय सदस्य के उक्त पत्र के साथ मंत्री भारतीय मजदूर संघ, नैनीताल का पत्र दिनांक 12 फरवरी, 1983 भी प्राप्त हुआ था, जिसमें उल्लिखित आरोप जांच कराने पर सत्य नहीं पाये गये। श्री ज्ञान सिंह, स्टोर ब्वाय को नौकरी से हटाये जाने का विवाद अभिनिर्णय में भेज दिया गया है।

हीवेट पालीटेकनिक, लखनऊ में नियुक्त प्राधिकृत नियंत्रक को वेतन, मानदेय तथा अन्य देय भत्ता

120—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या प्राविधिक शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि हीवेट पालीटेकनिक लखनऊ, में नियुक्त प्राधिकृत नियन्त्रक को 1500.00 वेतन आनरेरियम तथा 300 रु0 वाहन भत्ता क्यों और किस आधार पर दिया जाता है ?

श्री सुनील शास्त्री—

अधिसूचना दिनांक 17-6-1982 द्वारा नियुक्त प्राधिकृत नियंत्रक को प्रतिमाह 1500 रु0 मानदेय एवं 300 रु0 आउट डोर ड्यूटी भत्ता दिया गया था।

उक्त सुविधा कार्य सम्पादन हेतु सेवा निवृत्ति के समय उनकी परिलब्धियों के आधार पर स्वीकृत की गयी थी।

मेसर्स लक्ष्मी शुगर एन्ड आयल मिल्स लि0, हरदोई के श्रमिकों के बकाये के सम्बन्ध में पत्र

121—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्त्ता द्वारा प्रेषित पत्र संख्या 8064/83, दिनांक 25 फरवरी, 1983 जो मेसर्स लक्ष्मी शुगर एन्ड आयल मिल्स लि0, हरदोई के श्रमिकों के बकाए के भुगतान के सम्बन्ध में है प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो शासन द्वारा उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां।

श्रमिकों के वर्ष 1981-82 के बोनस तथा रिटेनिंग एलाउन्स का भुगतान किया जा चुका है किन्तु वित्तीय कठिनाइयों के कारण माह अप्रैल, मई व जून, 1982 का वेतन तथा वर्ष 1980-81 के बोनस का भुगतान नहीं हो सका है। इसके अतिरिक्त ग्रेच्युटी तथा भविष्य-निधि का भी बकाया है। इन बकायों के शीघ्र भुगतान हेतु प्रयास किया जा रहा है।

माननीय विधायक के उक्त पत्र के साथ प्राप्त मंत्री, शुगर मिल मजदूर संघ, हरदोई के पत्र दिनांक 16-2-83 में उल्लिखित श्रमिकों की प्रताड़ना के आरोप की पुष्टि नहीं हुई है। शासनादेश दिनांक 15 जुलाई, 1982 तथा अन्य शासनादेशों व अधिनियमों का सामान्यतः पालन किया जा रहा है।

हीवेट पालीटेक्निक, लखनऊ को आटोमोबाइल कोर्स के लिए साज-सज्जा करने हेतु कथित अनुदान

122—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या प्राविधिक शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हीवेट पालीटेक्निक में वर्ष 1981-82 व 1982-83 में आटोमोबाइल कोर्स से लिए साज-सज्जा क्रय करने हेतु कितनी धनराशि का अनुदान दिया गया था ? उक्त धनराशि का उपयोग क्या निर्धारित मद में किया गया है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री सुनील शास्त्री—

हीवेट पालीटेक्निक, लखनऊ को वर्ष 1981-82 व 1982-83 में आटोमोबाइल कोर्स के लिये साज-सज्जा क्रय करने हेतु कोई अनुदान नहीं दिया गया। शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बदायूं के उझानी नगर में कतिपय व्यक्तियों की हत्या तथा गिरफ्तारी

123—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बदायूं जनपद के उझानी नगर में 27/28 नवम्बर, 1982 की रात्रि को मुहल्ला साहूकारा में एक ही परिवार के 5 व्यक्तियों की हत्या की गयी ? यदि हां, तो अपराधी कौन है तथा उसकी गिरफ्तारी कब और कहां हुई ?

श्री श्रीपति मिश्र—

बदायूं जनपद के उझानी नगर में दिनां 27/28 नवम्बर, 1982 की रात्रि में मोहल्ला साहूकारा में एक ही परिवार

4 व्यक्तियों एवं उनके नौकर की हत्या की गई थी। इस मामले में स्थानीय पुलिस थाना उझानी द्वारा की गई विवेचना से अभियुक्तगण (1) चन्दन पुत्र रतन, (2) प्रेम पाल पुत्र हीरालाल (3) शेर सिंह पुत्र रतन, (4) विजय पुत्र महीपाल, मनोहरी पुत्र महीलाल, (6) रामवीर पुत्र गान्धर्व, (7) मुन्ना पुत्र रग्घा निवासीगण ग्राम बनपोई, थाना मोहम्मदाबाद, जिला फर्रुखाबाद (8) मुन्ना पुत्र गजाधर, निवासी हथरा थाना वजीरगंज, जिला बदायूं प्रकाश में आये। इनमें से अभियुक्त चन्दन पुत्र रतन को स्थानीय पुलिस ने दिनांक 6-2-1983 को थाना वजीरगंज क्षेत्र के ग्राम रहरिया की पुलिया पर गिरफ्तार किया था, परन्तु इस अभियुक्त की गिरफ्तारी अभी संदिग्ध है। धारा 173 (8) दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत मामले की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है।

124—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[चौथे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 55 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

विद्युत् मजदूर संघ, लखनऊ की विभिन्न मांगों के संबंध में दिये गये ज्ञापन पर कार्यवाही

125—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 14-9-1982 को विद्युत मजदूर संघ, लखनऊ की विभिन्न मांगों के सम्बन्ध में कोई ज्ञापन सरकार को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो मजदूरों की क्या मांगें हैं तथा शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जी हां। मजदूरों की मांगें तथा उन पर विद्युत् परिषद् द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है :

मांगों पर की गयी कार्यवाही—

1—श्री परमानन्द शर्मा जब तक परिषद सेवा में हैं, उनका वेतन बंद नहीं किया जा सकता है। सतर्कता विभाग से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर दोषियों के विरुद्ध यथावश्यक कार्यवाही की जायेगी।

2—श्री के0 पी0 सिंह को दिनांक 2-12-1982 को कार्य मुक्त किया जा चुका है और वे गाजियाबाद में कार्य कर रहे हैं।

3—श्री राम किशोर के स्थानान्तरण आदेश रद्द किये गये क्योंकि मुख्य अभियंता (जल विद्युत्) लखनऊ ने ओबरा से एक जूनियर क्लर्क का स्थानान्तरण बुलंदशहर मंडल में कर दिया था उनके कार्यभार ग्रहण करने के फलस्वरूप बुलंदशहर में कोई पद रिक्त नहीं रह गया संघ के साथ वार्ता में लिये गये निर्णय का अनुपालन हो चुका है।

4—श्री राधे श्याम ने हाई कोर्ट से स्टे प्राप्त कर लिया है अस्तु मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

5—संबंधित कर्मचारी को निलम्बित किया गया और विभागीय कार्यवाही के अंतर्गत उन्हें आरोप-पत्र दिया जा रहा है। एफ0 आई0 आर0 के अधीन जो पुलिस कार्यवाही चल रही है, उसकी रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

4—श्री एस0 डी0 भारद्वाज के विरुद्ध कोई शिकायती-पत्र परिषद को प्राप्त नहीं हुआ है।

7—श्री तनेजा के विरुद्ध अधीक्षण अभियंता, विद्युत वितरण मंडल, गाजियाबाद द्वारा जांच की जा रही है।

8—विशिष्ट विवरण के अभाव में कार्यवाही संभव नहीं है।

9—विशिष्ट विवरण के अभाव में कार्यवाही संभव नहीं है। बिजली की चोरी के जो भी मामले परिषद के सामने आते हैं, उन पर तुरन्त कार्यवाही की जाती है।

10—कर्मचारियों के स्थानान्तरण परिषदीय हित में किये जाते हैं।

11—श्री एच0 सी0 गुप्ता के विरुद्ध सतर्कता जांच चल रही है। श्री जगत सिंह तथा श्री आर0 प्रसाद के विरुद्ध विशिष्ट अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर कार्यवाही संभव हो सकेगी।

सीतापुर जनपद के विकास खंडों में श्रमिक संगठनकर्त्ताओं की नियुक्ति

126—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या श्रम मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर जनपद में विकास खंड स्तर पर एक-एक श्रम संगठक की नियुक्ति होनी है जिसके लिए 31-12-82 को साक्षात्कार भी हो चुका है? यदि हां, तो अभी तक साक्षात्कार का परिणाम घोषित कर नियुक्ति न करने का कारण क्या है तथा नियुक्ति कब तक कर दी जायगी?

श्री सुनील शास्त्री—

भारत सरकार की असंगठित ग्रामीण मजदूरों को संगठित करने की योजना के अन्तर्गत सीतापुर जनपद के आठ विकास खंडों में एक-एक संगठन-कर्त्ताओं की नियुक्ति की जानी थी। इन संगठनकर्त्ताओं की चयन प्रक्रिया जनवरी, 1983 में पूर्ण कर ली गई तथा इनको केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, कानपुर द्वारा दिनांक 26-10-83 से 25-12-83 तक आयोजित किए गए प्रशिक्षण सत्र में प्रशिक्षण हेतु भेजा गया तथा इनकी औपचारिक नियुक्ति प्रशिक्षण शिविर में योगदान की तिथि से की जा चुकी है।

श्री राम दुलारे, थाना हरगांव, जिला सीतापुर द्वारा श्री सगीर तथा श्री मोहम्मद अली के विरुद्ध शिकायती-पत्र

127—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री राम दुलारे, निवासी ग्राम कटेसर, थाना हरगांव, जिला सीतापुर द्वारा 27-5-83 तथा 3-6-83 को क्रमशः सगीर आदि तथा मोहम्मद अली आदि के विरुद्ध शिकायती-पत्र एस0 पी0, सीतापुर को मिला, जिसमें यह शिकायत की गई है कि उन्हें (श्री रामदुलारे को) प्रतिपक्षीगण मार डालना चाहते हैं और पुलिस प्रतिपक्षीगण को मदद कर रही है? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री श्रीपति मिश्र —

जी हां। इस सम्बन्ध में जांच कराई गई जांच से मामला अहस्तक्षेपीय अपराध का होना पाया गया। पुलिस द्वारा दोनों पक्षों को समझा दिया गया था तथा शान्ति बनाये रखने हेतु दोनों पक्षों के विरुद्ध धारा 107/116 दं0 प्र0 सं0 की कार्यवाही की गई थी जो विचाराधीन न्यायालय है।

हीवेट पालीटेक्निक, लखनऊ में टेली-विजन रिपेयरिंग कोर्स में प्रथम, द्वितीय व तृतीय बैच के छात्रों से लिए गए छात्र शुल्क की जांच

128—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या प्राविधिक शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 जनवरी, 1981 से हीवेट पालीटेक्निक में टेलीविजन रिपेयरिंग का कोर्स तीन अलग-अलग बैचों में लगभग 100 छात्र प्रत्येक बैच में भर्ती करके प्रशिक्षण दिया गया और उनसे प्रथम बैच के छात्रों से 425 रुपये प्रति छात्र, द्वितीय बैच के छात्रों से

550 रु0 एवं तीसरे बैच से 600 रु0 शुल्क वसूला गया ? इसकी शिकायत निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, सचिव, प्राविधिक शिक्षा सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद् से की गई ? जब शासन द्वारा जांच की गई उस समय तृतीय बैच की प्रशिक्षण चल रहा था ? प्रधानाचार्य ने केवल तृतीय बैच का एक फर्जी आय का विवरण प्रस्तुत किया ? प्रथम एवं द्वितीय बैच आय एवं व्यय का विवरण शासन के समक्ष प्रेषित नहीं किया गया ? यदि हां, तो इस पर शासन द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी नहीं। हीबेट पालीटेकनिक लखनऊ में वर्ष 1981 में टेलीवीजन रिपेयरिंग कोर्स में अलग अलग तीन बैचों में क्रमशः 83, 38 एवं 12 कुल 133 छात्रों को प्रवेश दिया गया, जिनमें से 106 छात्रों ने पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त किया।

प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय बैच के छात्रों से क्रमशः रु0 425 रु0 500 तथा रु0 600 प्रति छात्र शुल्क लिया गया।

शिकायतों के आधार पर की गयी जांच के समय संस्था के प्रधानाचार्य ने उक्त कोर्स का कोई खाता उपलब्ध नहीं कराया। शासन द्वारा संस्था के सभी अभिलेखों का विशेष आडिट करने के आदेश दिये गये किन्तु संस्था द्वारा अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के कारण अभिलेखों का विशेष आडिट नहीं हो सका है।

सार्वजनिक उद्यम विभाग के सभी संवर्गों के लिए सेवा नियमावली

129—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक उद्यम विभाग के सभी संवर्गों के लिए सेवा नियमावली कब तक बन कर तैयार हो जायगी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

सार्वजनिक उद्यम विभाग के अधीन सार्वजनिक उद्यम ब्यूरों संगठन के सभी सेवा संवर्गों की सेवा नियमावली बनाने की कार्यवाही चल रही है। निर्धारित औपचारिकताओं की पूर्ति के उपरान्त उक्त नियमावली यथाशीघ्र तैयार हो जायेगी।

मुंसिफ पदों पर नियुक्ति हेतु अन्तिम प्रतियोगितात्मक परीक्षा

130—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मुन्सिफ पदों के लिए जो अन्तिम परीक्षा ली गयी वह किस वर्ष ली गयी तथा उसका परीक्षाफल अब तक न निकलने का क्या कारण है, कब तक निकलने की आशा है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

लोक सेवा अयोग, उत्तर प्रदेश, द्वारा मुन्सिफ पदों पर नियुक्त हेतु अन्तिम प्रतियोगितात्मक परीक्षा 31 दिसम्बर, 1983 से 2 जनवरी, 1984 तक ली गयी। आयोग ने परीक्षाफल घोषित होने में अभी कुछ समय लग जाना बताया है।

जनपद आजमगढ़ के ब्लाक पवई तथा फूलपुर के कतिपय गांवों का विद्युतीकरण

131—श्री अब्दुल कलाम—

क्या उर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के ब्लाक बबई तथा फूलपुर में सन् 1980-81, 1981-82 व 1982-83 में किन-किन गांवों का विद्युतीकरण किया गया है और किन-किन हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया गया है ? क्या यह सही है कि कुछ ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य अपूर्ण है ? यदि हां तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त—

जनपद आजमगढ़ में ब्लाक बब नहीं है बल्कि पवई है। ब्लाक पव

फूलपुर में वर्ष 1980-81, 81-82 व 82-83 म वर्षवार विद्युतीकृत ग्रामों व हरिजन बस्तियों, एल0 टी0 मेन्स बिछाकर, की सूची संलग्न है। इन ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य प्राक्कलन में दिए गए प्राविधान के अनुसार पूर्ण किया गया है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 194 पर)

जनपद आजमगढ़ में मझुई नदी पर पुल का निर्माण कार्य

132—श्री अबुल कलाम—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में पवई निडपुर मार्ग पर पहाड़पुर के पास मझुई नदी पर पुल का निर्माण कार्य कब पूरा हुआ है और इसी मार्ग पर करहा नाले के पुल का निर्माण कब पूरा हुआ है ? क्या यह सही है कि सड़क पर मिट्टी का कार्य पूरा न होने के कारण रास्ता बन्द है ? यदि हां, तो यह कार्य क्यों पूरा नहीं कराया गया और कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

श्री विद्या भूषण—

मझुई नदी के पुल का निर्माण वर्ष 1981 में तथा करहा नाले के पुल का निर्माण वर्ष 1982 में पूर्ण हुआ।

करहा नाला पुल के पहुंच मार्ग पर मिट्टी का कार्य पूर्ण न हो सकने के कारण मार्ग पर यातायात के लिये व्यवधान है। ठेकेदार द्वारा कार्य छोड़ देने के कारण मिट्टी का कार्य पूर्ण नहीं हो सका। अब इस कार्य को विभागीय पद्धति से कराया जा रहा है और कार्य प्रगति पर है।

सूफीपुर मसलम पट्टी-अहरौला मार्ग, जनपद आजमगढ़ के निर्माण हेतु कृषकों की अधिगृहीत की गयी भूमि तथा प्रतिकर का भुगतान

133—श्री अबुल कलाम—

क्या सर्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सूफीपुर मसलम पट्टी, बस्ती मुजबल, अहरौला मार्ग नहर के किनारे से एक नई सड़क का निर्माण हुआ है ? यदि हां, तो क्या सड़क में जिन किसानों की भूमि ली गयी है उसका मुआवजा उन्हें दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक दिया जायगा ?

श्री विद्या भूषण—

सूफीपुर मसलम पट्टी-अहरौला मार्ग का निर्माण प्रगति में है।

जी अभी नहीं। मार्ग के 12 कि0 मी0 भाग के अन्तर्गत आने वाली भूमि के 21 ग्रामों में चकबन्दी प्रक्रिया चल रही है अतः इस भूमि को सार्वजनिक हित में चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत छोड़ने की कार्यवाही की जा रही है। शेष 8 कि0 मी0 भाग के 8 ग्रामों की भूमि अर्जन की विज्ञप्तियां प्रकाशित हो जाने के उपरान्त प्रभावित किसानों को प्रतिकर का भुगतान शीघ्र कर दिया जायेगा। विज्ञप्तियां जारी करने की कार्यवाही की जा रही है।

जनपद गोरखपुर के कतिपय मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में पत्र

134—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें दिनांक 10 नवम्बर, 82 को प्रश्नकर्त्ता का पत्र गोरखपुर जनपद के मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में

प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ हो जायगा ?

श्री विद्या भूषण--

जी, हां । दिनांक 10 नवम्बर, 1982 के कुछ पत्र प्राप्त हुए हैं ।

इन पत्रों के प्रस्तावित मार्गों में से रानीड़ोंहा-मिर्जापुर मार्ग 8·00 किलोमीटर तथा बेलीपार से बेला मार्ग 4·00 किलोमीटर की लम्बाई में शासन द्वारा स्वीकृत किया गया है । शेष मार्ग जिला सेक्टर योजना के अन्तर्गत आते हैं । अतः जिला योजना में विचार करने हेतु प्रस्ताव, सम्बन्धित अधिकारियों को भेज दिये गये हैं, जिनकी स्वीकृति जिला समिति के अनुमोदन तथा आवश्यकतानुसार धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्त स्वीकृत मार्गों पर कार्य आरम्भ करने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

श्री वाई० सी० गुप्ता, सहायक अभियन्ता निर्माण हल्द्वानी उपखन्ड फूलबाग, जिला नैनीताल के विरुद्ध शिकायती पत्र

135--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री वाई० सी० गुप्ता, सहायक अभियन्ता निर्माण खंड हल्द्वानी उपखन्ड फूलबाग, जिला नैनीताल के विरुद्ध 4 जुलाई, 1983 को एक शिकायती-पत्र प्रश्नकर्ता द्वारा मन्त्री जी को दिया गया था ? यदि हां, तो जांचकर्ता ने जांच में क्या तथ्य सही पाए ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ?

श्री विद्या भूषण--

जी हां । जांचकर्ता ने कोई तथ्य सही नहीं पाये । अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

136--श्रीमती गौरी देवी--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।

जनपद गोरखपुर में पुलिस कर्मियों की पदोन्नति हेतु ली गयी परीक्षा

137--श्रीमती गौरी देवी--

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद में दिनांक 20-2-82 को पुलिस रूल्स 191 व 455 के अन्तर्गत पुलिस कर्मियों के पदोन्नति हेतु परीक्षा ली गयी और साक्षात्कार भी लिया गया ? यदि हां, तो क्या परीक्षा-फल घोषित करके पुलिस कर्मियों को पदोन्नति दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कितनों को ?

श्री श्रीपति मिश्र--

गोरखपुर जनपद में दिनांक 20-2-1982 को आफिस मैनुअल प्रस्तर-191 तथा पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर-455 के अन्तर्गत पुलिस कर्मियों की पदोन्नति हेतु कोई परीक्षा नहीं ली गयी थी । अतः शेष का प्रश्न ही नहीं उठता ।

गोरखपुर जनपद स्थित चौरी-चौरा में स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों द्वारा दिए गए ज्ञापन पर कार्यवाही

138-श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 6 फरवरी 1982 को गोरखपुर जनपद स्थित चौरी-चौरा में स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों द्वारा मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन को स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों

एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों की समस्याओं के लिए 3 ज्ञापन-पत्र दिए थे ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

नियोजन एवं राजनीतिक पेन्शन मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)--

दिनांक 6 फरवरी, 1982 का कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ नहीं पाया गया। किन्तु दिनांक 1 मार्च, 1982 का मुख्य मंत्री जी को संबोधित ज्ञापन प्राप्त हुआ जिसमें चौरी-चौरा कान्ड से सम्बन्धित यातना भोगी सेनानियों के आश्रितों को पुनर्व्यवस्थित किए जाने हेतु अनुदान देने की बात कही गई थी। चूंकि सम्बन्धित नियमों में इस प्रकार का कोई प्राविधान नहीं है, अतः इस मांग को स्वीकार करना संभव नहीं पाया गया। पत्र प्रेषकों को तदनुसार उत्तर भी भेजा जा चुका है।

प्रदेश के निजी क्षेत्र में 500 मेगावाट क्षमता वाला विद्युत् संयन्त्र लगाने का प्रस्ताव

139-श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि प्रदेश में निजी क्षेत्र में 500 मेगावाट क्षमता वाला विद्युत संयन्त्र लगाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? क्या यह भी सच है कि सितम्बर, 1982 में विद्युत विभाग ने 500 मेगावाट विद्युत संयन्त्र के लिए पूर्वी जिलों को अनुपयुक्त बताया है और उसे गाजियाबाद में लगाने की संस्तुति की है ? यदि हां, तो उसके आधार क्या हैं ? क्या यह भी सही है कि गोरखपुर में राप्ती रोहिन जल विद्युत परियोजना और आजमगढ़ में दोहरी घाट विद्युत परियोजना का प्रस्ताव रद्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त --

जी हां।

जी नहीं। तकनीकी कारणों से बड़े तापीय विद्युत गृहों के हर जगह लगाना सम्भव नहीं है। इस प्रकार के विद्युत गृह ऐसे स्थान पर ही बनाए जा सकते हैं जहां पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो तथा कोयला पहुंचाने के ठोक साधन भी उपलब्ध हो।

गोरखपुर में राप्ती रोहिन जल विद्युत परियोजना राज्य विद्युत परिषद की जानकारी में नहीं है। गोरखपुर के समीप राप्ती नदी पर सहजनवा में एक तापीय विद्युत गृह लगाने की सम्भावना बनाई गई थी। परन्तु सिंचाई विभाग के अनुसार बलरामपुर के समीप बैराज परियोजना के कार्यान्वित होने के पश्चात राप्ती नदी से पर्याप्त मात्रा में पानी की उपलब्धि की सम्भावना न होने के कारण इस स्थान का परित्याग कर दिया गया था।

आजमगढ़ जिले में दोहरी घाट के समीप 2×210 मेगावाट की तापीय प्रायोजना का प्राक्कलन मई, 1978 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को अनुमोदन हेतु भेजा गया था। प्रस्तावित परियोजना के लिए कोयल 1989-90 के पूर्व उपलब्ध न होने के कारण व इन्दारा से दोहरीघाट तक 33 कि0 मी0 की मीटर गेज लाइन के ब्राड गेज में परिवर्तन का रेल मंत्रालय द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना में प्राविधान न होने के कारण माह फरवरी, 1981 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण भारत सरकार द्वारा परियोजना प्राकलन वापस कर दिया गया था।

140-श्रीमती गौरी देवी--

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त।]

सब इंस्पेक्टर पुलिस (श्री तेजराम प्रेमी) थाना महानगर, लखनऊ को निलम्बन काल की अवधि का भुगतान

141—श्री प्रियदर्शी जेतली—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सब-इंस्पेक्टर पुलिस (श्री तेज राम प्रेमी) थाना महानगर, लखनऊ दिनांक 8 जुलाई, 1978 से जून, 1983 तक निलम्बित थे ? क्या यह सही है कि वे दिनांक 18-1-83 को कोर्ट द्वारा बाइज्जत बरी कर दिए गए हैं ? यदि हां, तो क्या उन्हें निलम्बित काल का बकाया वेतन एवं नया वेतनमान दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र —

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री तेज राम प्रेमी उप निरीक्षक, नागरिक पुलिस, थाना महानगर दिनांक 8-7-78 से 24-5-83 तक निलम्बित रहे। उन्हें न्यायालय द्वारा दिनांक 18-1-83 को दोष-मुक्त कर दिए जाने के फलस्वरूप निलम्बन काल का बकाया वेतन एवं नए वेतनमान के अवशेष की धनराशि का भुगतान कर दिया गया है।

श्री के0 पी0 गुप्ता, विजयनगर, गाजियाबाद द्वारा अनैतिक धंधा चलाए जाने के विरुद्ध जांच

142—श्री भीखा लाल—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री के0 पी0 गुप्ता विजयनगर गाजियाबाद द्वारा एक फर्जी संस्था की आड़ में अनैतिक धंधा चलाने के विषय में मन्त्री कम्युनिस्ट पार्टी गाजियाबाद का शिकायती-पत्र प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 15 जून, 1983 के साथ उनको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इसकी जांच कराई गई ? यदि हां, तो परिणाम क्या निकला ?

श्री श्रीपति मिश्र —

जी हां।

मामले की जांच कराई गई। साक्ष्य के अभाव में किसी संस्था की आड़ में, श्री के0 पी0 गुप्त द्वारा वेश्यावृत्ति का अड्डा चलाये जाने का आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। उनके विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से बलात्कार के दो मुकदमें पंजीकृत हैं। उनमें से बलात्कार का एक मामला महाराष्ट्र की एक लड़की से सम्बन्धित है। इस मामले की विवेचना जारी है। दूसरा मुकदमा गाजियाबाद की एक लड़की से सम्बन्धित है। श्री के0 पी0 गुप्त की गिरफ्तारी दिनांक 7-2-84 को की जा चुकी है और सम्बन्धित आरोप-पत्र 14-2-84 को न्यायालय भेजा गया है।

बाढ़ प्रकोप से पारीछा परियोजना को क्षति तथा कारणों की जांच

143—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1983 में बाढ़ प्रकोप के कारण पारीछा तापीय परियोजना, झांसी को कितनी धनराशि की क्षति हुई ? क्या शासन ने इस अप्रत्याशित क्षति के कारणों की छानबीन की है ? यदि हां, तो जांच की रिपोर्ट क्या है ?

श्री ब्रह्म दत्त—

सन् 1983 के बाढ़ प्रकोप से पारीछा परियोजना में लगभग 384·00 लाख रु0 की क्षति हुई। इसकी जांच शासन द्वारा गठित समिति द्वारा की जा रही है जिसकी रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है।

बस्ती एवं अयोध्या के बीच पत्थरों पर नाम व दूरी अंकित कराने का निर्देश

144—श्री निर्मल खत्री—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर–अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग पर दूरी दर्शाने वाले कि0 मी0 पत्थरों पर अयोध्या का नाम व दूरी अंकित कराने पर क्या शासन विचार कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक उक्त कार्य पूर्ण हो जायगा ?

श्री विद्या भूषण—

जी हां । भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय के निर्देशों के अनुपालन में बस्ती एवं अयोध्या के बीच किलोमीटर पत्थरों पर अयोध्या का नाम और दूरी अंकित कर दी गयी है ।

मंगारी बाबतपुर से पलही पट्टी मार्ग, जिला वाराणसी में गिट्टी कुटाई का कार्य

145—श्री ऊदल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मंगारी बाबतपुर से पलही पट्टी मार्ग, तहसील व जिला वाराणसी में गिट्टी तीन किलोमीटर तक रोड के किनारे कई वर्षों से पड़ी है ? यदि हां, तो इसको सड़क पर डालकर कुटाई न करने का कारण क्या है और इसकी कुटाई कब तक कर दी जायगी ?

श्री विद्या भूषण—

जी हां । प्राविधिक परीक्षक की आपत्तियों के कारण गिट्टी की कुटाई नहीं करायी जा सकी थी । आपत्तियों के निराकरण के बाद अब कुटाई का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है जो प्रगति पर है ।

जलालपुर, जिला जौनपुर में सई नदी पर नया पुल बनाने का प्रस्ताव

14 —श्री ऊदल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जलालपुर, जिला जौनपुर में सई नदी के पुल को भारी यातायात के लिये जुलाई, 1983 से बैरियर लगा कर बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या नया पुल बनाने का प्रस्ताव है या उसी पुल की मरम्मत की जायगी ? क्या यह सही है कि अब तक मरम्मत का कार्य भी शुरू नहीं किया गया है । क्या इस पुल को असुरक्षित घोषित किया गया है ?

श्री विद्या भूषण—

प्रश्नगत पुल को 17 मई, 1983 से बन्द कर दिया गया है और उसके स्थान पर नया पुल बनाने का प्रस्ताव है ।

वर्तमान पुल की मरम्मत भी प्रगति पर है ।

जी हां । पुल को असुरक्षित घोषित किया गया है ।

जौनपुर—वाराणसी मार्ग से पिंडरा हाल्ट स्टेशन रोड की स्वीकृति

147—श्री ऊदल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर–वाराणसी मार्ग से पिंडरा हाल्ट स्टेशन रोड की स्वीकृति दो वर्ष पूर्व से हो चुकी है ? यदि हां, तो अब तक उक्त हाल्ट स्टेशन रोड बनाने का कार्य क्यों नहीं शुरू किया गया है ?

श्री विद्या भूषण—

जी हां। भूमि उपलब्ध न होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका है।

पिंडरा–देवराई, सराय मार्ग, जिला वाराणसी में मिट्टी का कार्य

148—श्री ऊदल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिंडरा देवराई, सराय मार्ग जिला वाराणसी में सिर्फ दो किलोमीटर तक ही मिट्टी का कार्य किया गया है और जमीन उपलब्ध होते हुए गांव सराय में क्यों अब तक मिट्टी का कार्य नहीं किया गया और इस मार्ग में एक पुल तथा कई पुलियों का निर्माण क्यों नहीं किया गया ? क्या यह सत्य है कि दो किलोमीटर में मिट्टी (खड़ंजा) पड़ी है और एक किलोमीटर की कुटाई भी नहीं की गई है ?

श्री विद्या भूषण—

प्रश्नगत मार्ग पर केवल 1·70 कि0 मी0 तक ही मिट्टी का कार्य किया गया है। उक्त के अतिरिक्त भू–स्वामियों से स्वेच्छा से जमीन उपलब्ध न हो पाने के कारण मिट्टी का कार्य नहीं किया जा सका। इस मार्ग में पुल का निर्माण नहीं किया जाना है। पुलियों का निर्माण कार्य ईंटों की आपूर्ति के अभाव में प्रारम्भ नहीं किया जा सका है।

जी नहीं।

1·70 कि0 मी0 लम्बाई में मिट्टी डालकर कुटाई की गयी है।

लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पी0 सी0 एस0 परीक्षा में विकलांग कोटे के तहत चयन

149—श्री गजेन्द्र सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पी0 सी0 एस0 परीक्षा, 1981 जिसका साक्षात्कार अगस्त–सितम्बर, 1982 में सम्पन्न हुआ, में सम्मिलित विकलांगों के सात (7) अभ्यर्थियों में से आरक्षण कोटे के अनुसार तीन अभ्यर्थियों का चयन किया गया ? क्या यह भी सही है कि उक्त सफल अभ्यर्थियों में से दो ने अपना कार्यभार अभी तक ग्रहण नहीं किया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या शासनादेश संख्या 7–1–70–कार्मिक–2, दिनांक 20 मई, 1981 के अनुसार उक्त साक्षात्कार में सम्मिलित विकलांग अभ्यर्थियों में से चौथे तथा पांचवें स्थान पर आये हुए अभ्यर्थियों की नियुक्ति करके विकलांग कोटे को पूर्ण करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

उक्त परीक्षा के आधार पर विकलांग कोटे के तहत व्यक्तित्व परीक्षा हेतु बुलाये गये 10 अभ्यर्थियों में से तीन अभ्यर्थियों का चयन किया गया जिनमें से एक अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश सिविल (प्रशासकीय शाखा) सेवा के लिए चयनित किया गया था। नियुक्ति अनुभाग–3 के शासनादेश सं0–6313/दो–(3)–27/3(2)/78, दिनांक 1 मार्च, 1979 द्वारा उत्तर प्रदेश सिविल (प्रशासकीय शाखा) सेवा के लिए अक्षम श्रेणी के व्यक्तियों के लिए आरक्षण न रखने का निर्णय लिया गया था, फलस्वरूप अक्षम व्यक्तियों के लिए तीन रिक्तियों के स्थान पर वास्तव में केवल दो ही रिक्तियां शेष रहीं।

जी हां। दो अभ्यर्थियों में से एक अभ्यर्थी द्वारा अभी तक स्वास्थ्य परीक्षण नहीं कराया गया है। दूसरे अभ्यर्थी की नियुक्ति के आदेश दिनांक 20 दिसम्बर, 1983 को भेजे जा चुके हैं परन्तु अभी तक उसके कार्यभार ग्रहण की सूचना प्राप्त नहीं हो पायी है।

प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि प्रश्नगत आरक्षित पदों पर सम्बन्धित अभ्यर्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिशा में कार्यवाही चल रही है।

राज्य सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में विकलांग अभ्यर्थी के आरक्षण के विषय में श्री योगेश चन्द्र मिश्रा विधायक का पत्र

150—श्री गजेन्द्र सिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 1981 में विकलांग अभ्यर्थी के आरक्षण के विषय में मुख्य मंत्री को प्रेषित श्री योगेश चन्द्र मिश्रा, विधायक के पत्र दिनांक मार्च, 1983 के संदर्भ में आवश्यक जांच के लिए सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आदेश संख्या 15/55/1983—कार्मिक—1, दिनांक 27 अप्रैल, 1983 (एफ0 नं0 3/ई0—1/82—83) जारी किया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां।

इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जांच की जा रही है। प्रश्न नहीं उठता।

श्री विजय प्रताप पाठक, हेड कांस्टेबिल व श्री जनार्दन पाण्डेय, कान्सटेबिल द्वारा सरकारी आवास को बिना अनुमति एवं आवंटन के अवैधानिक कब्जा करने के संबंध में निलम्बन तथा बहाली

151—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री विजय प्रताप पाठक, हेड कांस्टेबिल नं0 947 व श्री जनार्दन पांडेय, कांन्सटेबिल, फायर ब्रिगेड स्टेशन, गोरखपुर को पुलिस लाइन गोरखपुर में निर्माण निगम द्वारा निर्मित क्वार्टर को बिना आवंटन के अवैधानिक रूप से कब्जा करने के सम्बन्ध में दिनांक 16 मई, 1983 को निलम्बित कर दिया गया है ? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है ? सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

श्री विजय प्रताप पाठक, हेड कान्सटेबिल नं0 947 व श्री जनार्दन पान्डे कान्सटेबिल फायर ब्रिगेड स्टेशन, गोरखपुर ने पुलिस लाइन, गोरखपुर में निर्माण निगम द्वारा निर्मित सरकारी आवास को बिना अनुमति एवं आवंटन के अवैधानिक रूप से जबरदस्ती कब्जा कर लिया था जिसे खाली करने के लिए दिनांक 29 अप्रैल, 1983 को नोटिस जारी किए जाने के उपरान्त भी जब उन्होंने आवास को खाली न कर अनुशासन के प्रतिकूल कार्य किया तो इन कर्मचारियों को आदेश उल्लंघन करने पर दिनांक 16 मई, 1983 को निलंबित कर दिया गया। तदुपरान्त श्री विजय प्रताप पाठक एवं श्री जनार्दन पान्डे ने क्रमशः दिनांक 11 जनवरी, 1984 तथा 20 जनवरी, 1984 को आवास खाली कर दिया जिसके फलस्वरूप इन्हें क्रमशः दिनांक 14 जनवरी, 1984 तथा 20 जनवरी, 1984 को बहाल कर दिया गया है।

152—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री जनार्दन पाण्डेय, कान्सटेबिल फायर ब्रिगेड स्टेशन, गोरखपुर का कोई प्रार्थना—पत्र एस0 एस0 पी0, गोरखपुर द्वारा उसे अकारण ही निलम्बित किये जाने के

सम्बन्ध में माह जून, जुलाई, 1983 में पुलिस उपमहानिरीक्षक गोरखपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में उल्लिखित मुख्य मुद्दा क्या है ? अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां, प्रश्नगत प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें मुख्य बिन्दु यह था कि आर0 आई0 को 200 रु0 का पूर्ति न करने के कारण उन्हें सरकारी आवास आवंटित नहीं किया गया । इस आरोप की जांच अपर पुलिस अधीक्षक से करायी गयी । जांच के फलस्वरूप यह आरोप असत्य पाया गया ।

153—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

क्या सरकार कृपया बतायगी कि श्री जनार्दन प्रसाद पाण्डेय कान्सटेबिल एवं श्री विजय प्रताप पाठक, हेड कान्सटेबिल फायर बिग्रेड स्टेशन, गोरखपुर का दिनांक 16 मई, 1983 से अब तक छः मास से अधिक निलम्बन अवधि व्यतीत हो जाने के बावजूद उनके निलम्बन के सम्बन्ध में अब तक अन्तिम निर्णय न लिए जाने का क्या कारण है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

श्री जनार्दन पांडेय एवं श्री विजय प्रताप पाठक को निर्माण निगम द्वारा निर्मित आवासों में किये गये अनाधिकार प्रवेश को खाली करने के लिए 29 अप्रैल, 1983 को नोटिस दी गयी थी, जिसका अनुपालन न करने पर दिनांक 16 मई, 1983 को निलम्बित कर दिया गया । जब उन्होंने क्रमशः दिनांक 11 जनवरी, 1984 तथा 20 जनवरी, 1984 को आवास खाली कर दिया तो दिनांक 14 जनवरी, 1984 तथा 20 जनवरी, 1984 को बहाल कर दिया गया ।

अध्यक्ष छात्र संघर्ष समिति, राजकीय पालीटेक्निक कालेज, झांसी के मांग पत्र पर कार्यवाही

154—प्रोफेसर चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री कृपया बतलायेंगे कि प्रदेश के पालीटेक्निक के तृतीय वर्ष के छात्रों को इस वर्ष विगत वर्षों की भांति बैंक पेपर्स की सुविधा दिलाने के लिए अध्यक्ष छात्र संघर्ष समिति, राजकीय पालीटेक्निक कालेज, झांसी का दिनांक 3 नवम्बर, 1983 का कोई मांग-पत्र प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उक्त मांग-पत्र में मुख्य मांगें क्या थीं ? उक्त मांगों की पूर्ति हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां, छात्र संघर्ष समिति का एक दिनांक रहित पत्र नवम्बर, 1983 में प्राप्त हुआ था ।

पत्र में मुख्य मांग वर्ष 1983 की परीक्षा में बैंक पेपर के लिए अर्ह घोषित परीक्षार्थियों को परीक्षाएं उसी सत्र में कराये जाने की थी ।

मांग व्यावहारिक न होने कारण कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

155—प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा—

[दिनांक 14-2-84 को अतारांकित प्रश्न संख्या 67 द्वारा उत्तरित ।]

मैनपुरी जिले के विभिन्न थानों में पुलिस मुठभेड़ में मृत व्यक्ति

156—श्री सूबेदार सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 1 जनवरी, 1981 से 30 नवम्बर, 1983 तक मैनपुरी जिले के विभिन्न थानों के अन्तर्गत पुलिस ने मुठभेड़ में कितने व्यक्तियों को मार गिराया ? उनमें कितना और किन-किन पर पारितोषिक घोषित था ?

श्री श्रीपति मिश्र--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मैनपुरी जिले में फर्जी मुठभेड़ की शिकायतें

157--श्री सूबेदार सिंह तथा श्री विष्णु-दयाल वर्मा--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मैनपुरी जिले में फर्जी मुठभेड़ की कितनी शिकायतें 1 जनवरी, 1981 से 20 दिसम्बर, 1983 तक शासन को प्राप्त हुई ? कितने मामलों में पुलिस कर्मी दोषी पाये गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्रश्न में उल्लिखित सूचना एकत्र करने में जो समय एवं श्रम व्यय होगा वह उसकी उपादेयता के अनुकूल न होगा ।

श्री राम नरेश, रिटायर्ड कांस्टेबिल, थाना कासिमनगर, जनपद हरदोई का बीमे की धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में पत्र

158--श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम नरेश, रिटायर्ड कांस्टेबिल, पुत्र श्री राजबहादुर अस्थाना, निवासी ग्राम मांडर, थाना कासिमपुर, जनपद हरदोई का दिनांक 14-11-83 को उनके बीमे की धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में कोई पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उपरोक्त विभागीय बीमे की धनराशि का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्रश्नगत-पत्र प्राप्त हुआ है । श्री राम नरेश, सेवा निवृत्त कान्सटेबिल के बीमे की धनराशि प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रारूप (ट्रेजरी फार्म नं0 425-बी) में आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक था और अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण करने के लिए पुलिस अधीक्षक उन्नाव को आवश्यक निर्देश दिये गये हैं ।

आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील में राजकीय नलकूप

159--श्री पंचानन राय--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील में कितने राजकीय नलकूप हैं जिनका बी0 एल0 फार्म जमा है, उन्हें कनेक्शन अभी तक न दिये जाने का क्या कारण है ? इनमें से कौन-कौन से ऐसे हैं जिनका निर्माण वर्ष 1980 में हो गया था ? इन राजकीय नलकूपों को कब तक विद्युत् कनेक्शन दे दिया जायगा ?

श्री ब्रह्मदत्त--

आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील के 4 राजकीय नलकूपों (संख्या 151, 152, 153 व 154 एस0 जी0) के0 बी0 एण्ड फार्म दिनांक 1-8-83 और 5 राजकीय नलकूपों (संख्या 155, 156, 157, 158 व 159 एस0 जी0) के बी0 एण्ड एल0 फार्म दिनांक 3-12-83 को प्राप्त हुए थे । उनमें से 4 राजकीय नलकूपों (151, 152, 153 व 154 एस0 जी0) का ऊर्जीकरण कर दिया गया है । शेष 5 नलकूपों के ऊर्जीकरण का कार्य प्रगति पर है तथा इनका ऊर्जीकरण इस वर्ष के अन्त तक पूर्ण होने की आशा है ।

वर्ष 1980 में निर्मित तीन राजकीय नलकूप संख्या 152, 153 एवं 154 एस0 जी0 का ऊर्जीकरण किया जा चुका है ।

प्राविधिक शिक्षा विभाग में विद्युत् अभियन्त्रण में प्रवक्ता के कुल स्वीकृत पद

160—श्री पंचानन राय—

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के राजकीय पालीटेक्निकों में विद्युत् अभियंत्रण के प्रवक्ता के कुल कितने पद स्वीकृत हैं और इन पदों पर 23-12-83 को कितने डिग्रीधारी तथा कितने टी0 टी0 टी0 आई0 डिप्लोमा होल्डर्स कार्यरत हैं ?

श्री सुनील शास्त्री—

प्राविधिक शिक्षा विभाग में विद्युत् अभियंत्रण में प्रवक्ता के कुल 47 पद स्वीकृत हैं। इन पदों में से 23-12-83 को 10 पदों पर डिग्री धारी तथा 29 पर टी0 टी0 टी0 आई0 डिप्लोमा होल्डर्स कार्यरत थे।

जनपद वाराणसी के थाना चौरी में दी गई जीप

161—श्री बनवारी राम—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी के थाना चौरी में जीप दी गई है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां, जनपद वाराणसी के थाना चौरी के लिए दिनांक 15-1-84 से जीप दी गयी है।

श्री राम बाबू, निवासी ग्राम रघुरामपुर, जिला उन्नाव के घर पड़ी डकैती

162—श्री भीखा लाल—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 8-9 अक्तूबर, 1983 की रात को राम बाबू पुत्र शिरिश्ते लाल, निवासी ग्राम रघुरामपुर, थाना बांगरमऊ, जिला उन्नाव के घर डकैती पड़ी, जिसमें डकैत अन्य सामान के अलावा राम बाबू की लाइसेन्सी बन्दूक भी उठा ले गये और इस घटना में दो व्यक्तियों को नामजद किया गया ? यदि हां, तो नामजद मुलजिमों को कब गिरफ्तार किया गया और बन्दूक क्या बरामद हो गई ? यदि नहीं, तो पुलिस क्या अग्रिम कार्यवाही कर रही है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां। अन्य सामान के अलावा डकैत रामबाबू के पिता की लाइसेंस बन्दूक भी ले गये। वादी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में (1) खजान उर्फ नन्हा चमार, निवासी ग्राम रघुरामपुर तथा (2) मुन्ना उर्फ सन्तू अन्सारी, निवासी कस्बा व थाना बांगरमऊ को नामजद किया जिनको क्रमशः दिनांक 31-10-83 व 27-12-83 को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा गया और दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया है। अभी तक बन्दूक बरामद नहीं हुई। बन्दूक की बरामदगी के लिये भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं।

थाना इंचार्ज, बिलग्राम, जिला हरदोई का स्थानान्तरण व जांच

163—श्री हरी शंकर—

क्या मुख्य मंत्री प्रश्नकर्ता के पत्र पर थाना इंचार्ज बिलग्राम, जिला हरदोई के स्थानान्तरण करने व उनके विरुद्ध अविलम्ब जांच हेतु दिनांक 18/19 नवम्बर, 1983 को आदेश दिये हैं ? यदि हां, तो उनका स्थानान्तरण कब किया गया और जांच का क्या परिणाम रहा ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां।

पुलिस उप महानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र, लखनऊ से प्राप्त सूचना

अनुसार थाना इंचार्ज बिलग्राम, हरदोई का स्थानान्तरण दिनांक 5-1-1984 को किया गया है ।

जांच से थाना इंचार्ज बिलग्राम, हरदोई के विरुद्ध लगाये गये आरोप सही नहीं पाये गये हैं ।

ग्राम निबिया, जनपद फर्रुखाबाद की हरिजन बस्ती के विद्युतीकरण की मांग

164—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद के विकास खंड राजेपुर के ग्राम निबिया की हरिजन बस्ती के विद्युतीकरण के लिये प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या 753/का/82, दिनांक 14-12-82 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत् अनुरक्षण खंड, फतेहगढ़ को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो क्या इस ग्राम की हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त—

जी हां :

ग्राम निबिया, विकास खंड राजेपुर, जनपद फर्रुखाबाद का विद्युतीकरण एल0 टी0 मेन्स बिछाकर अभी नहीं हुआ है । जिस समय उक्त ग्राम का विद्युतीकरण एल0 टी0 मेन्स बिछाकर किया जायेगा तो उसकी हरिजन बस्ती के विद्युतीकरण करने पर विचार किया जायेगा ।

फर्रुखाबाद के मोहल्ला हाता करम खां के विद्युतीकरण के विषय में पत्र

165—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद से मोहल्ला हाता करम खां के विद्युतीकरण के विषय में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 768/का/82, दिनांक 14-12-82 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत् अनुरक्षण खंड, फतेहगढ़ को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो क्या इस मोहल्ले में इच्छुक व्यक्तियों को विद्युत् कनेक्शन दे दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो इस अत्यधिक विलम्ब का क्या कारण है और इसके लिये कौन-कौन दोषी हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जी हां ।

फर्रुखाबाद के मोहल्ले हाता करम खां में परिषद् के एल0 टी0 मेन्स नहीं हैं । इस मोहल्ले के विद्युतीकरण करने के लिये लगभग 12,000·00 रुपये खर्च करने का अनुमानित व्यय आता है । परिषद् के आदेशानुसार मोहल्ले के व्यक्तियों से इतने आवेदन-पत्र आने चाहिये कि अनुमानित व्यय का 15 प्रतिशत प्रतिलाभ मिल सके और इतने उपभोक्ताओं के अनुबन्ध होने चाहिये जिससे 10 प्रतिशत प्रतिलाभ सुनिश्चित हो सके । अभी उस मोहल्ले में बिजली लेने हेतु इतने प्रार्थना-पत्र नहीं हैं इसलिये कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है ।

कुक्कुट पालक संघर्ष समिति, उरथ बाजार, गोरखपुर की समस्याओं के सम्बन्ध में पत्र की जांच

166—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या पशुधन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 13 सितम्बर, 1983 को कुक्कुट पालक संघर्ष समिति, उरथ बाजार, गोरखपुर की समस्याओं के सम्बन्ध में एक पत्र लिखकर समस्याओं के निराकरण की मांग की थी ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संजय सिंह—

जी हां ।

इस सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी (परि0) गोरखपुर के माध्यम से जांच करायी गयी। जांच रिपोर्ट में लगाये गये आरोप असत्य पाये गये।

प्रदेश के राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा बनाये जा रहे तापीय विद्युत् गृह

167—श्री रेवतीरमण सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा (1) अनपारा मिर्जापुर में (2) टान्डा फैजाबाद में (3) पारीछा झांसी में तापीय विद्युत् गृह बनाये जा रहे हैं ? यदि है, तो उत्पादन कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री ब्रह्मदत्त—

जी हां।

उत्पादन प्रारम्भ होने का अपेक्षित लक्ष्य निम्न प्रकार है :—

तापीय विद्युत् गृह व क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का अपेक्षित लक्ष्य
(1) 2×110 मेगावाट पारीछा, झांसी।	3/84, 9/84
(2) 3×210 मेगावाट आनपारा "अ", मिर्जापुर	12/84, 6/85, 12/85
(3) 4×110 मेगावाट टांडा, फैजाबाद	12/85, 6/86, 12/86, 6/87

नारायण वेजीटेबुल प्रोडक्ट, सीतापुर पर विद्युत् का बकाया वसूलने की कार्यवाही

168—श्री हरगोविन्द वर्मा—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में सुहागिन (डालडा) मिल पर पिछले कितने वर्षों से बिजली का बकाया है ? क्या सरकार बकाये की धनराशि को ब्याज सहित वसूलने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त—

जनपद सीतापुर में सुहागिन (डालडा) मिल के नाम से कोई भी विद्युत् कनेक्शन नहीं है बल्कि एक विद्युत् कनेक्शन नारायण वेजीटेबुल प्रोडक्ट, सीतापुर के नाम से है, जो सुहागिन डालडा का उत्पादन करते हैं, जिस पर माह अक्तूबर, 1979 से जनवरी, 1984 तक 10,10,681·63 रु0 की धनराशि बकाया है। इस धनराशि में से 9,72,210·32 रु0 की वसूली न्यायालय द्वारा स्थगित कर दी गई है, शेष धनराशि 38,471·31 रु0 भी उक्त स्थगन आदेश से सम्बन्धित होने के कारण न्यायालय के आदेशानुसार ही वसूल हो सकेगी।

जहां तक बकाये धनराशि को ब्याज सहित वसूलने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में विद्युत् परिषद् द्वारा बकाये धनराशि पर ब्याज नाम से कोई धनराशि वसूलने का प्राविधान नहीं है, बल्कि सरचार्ज के रूप में विलम्ब से भुगतान के कारण अधिभार बकाये की धनराशि सहित वसूल किया जाता है। इस मामले में न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अनुसार ही बकाये की वसूली अधिभार सहित वसूल करना सम्भव होगा।

कुमारी अन्जुम आरा को विद्युत् करेन्ट लग जाने से आर्थिक सहायता की मांग

169—श्री सत्यपाल सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुमारी अन्जुम आरा पुत्री श्री बशीर अहमद निवासी ग्राम कमारा, थाना पुवायां, जिला शाहजहांपुर दिनांक 12 सितम्बर, 1980 को विद्युत् करेन्ट

लग जाने से अंगहीन हो गई है ? क्या विद्युत विभाग से उक्त लड़की को कोई आर्थिक सहायता दी गई ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो सहायता प्रदान करने की व्यवस्था कब तक कर दी जावेगी ?

श्री ब्रह्मदत्त--

जी हां।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा कु0 अन्जुम आरा की अर्जन क्षमता में शतप्रतिशत ह्रास प्रमाणित किये जाने की दशा में कु0 अन्जुम आरा को दस हजार रुपये अनुग्रह धनराशि भुगतान किये जाने के आदेश निर्गत किये जा चुके हैं। यदि अर्जन क्षमता का ह्रास शतप्रतिशत से कम प्रमाणित किया जायगा तो अनुग्रह धनराशि का भुगतान उसी अनुपात में कम हो जायगा।

जनपद शाहजहांपुर में ग्राम बंधा के पास टूटी पुलिया के निर्माण की मांग

170--श्री सत्यपाल सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर की तहसील तिलहर के अन्तर्गत तिलहर से बरखेड़ा रोड पर ग्राम बंधा के पास पुलिया टूटी पड़ी है ? यदि हां, तो इस पुलिया पर स्थायी अथवा अस्थायी व्यवस्था कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्या भूषण--

जी हां।

अस्थायी व्यवस्था करा दी गई है। प्रश्न नहीं उठता।

तिलहर से बरीखास रोड को पूरा कराने की मांग

171--श्री सत्यपाल सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 2 अगस्त, 1983 के आस-पास में कोई आवेदन पत्र श्री दामोदर दास गंगवार, प्रधान, ब्लाक तिलहर, जिला शाहजहांपुर द्वारा तिलहर से बरीखास रोड को पूरा कराने के विषय में जिला अधिकारी, शाहजहांपुर, अधिशासी अभियन्ता सा0 नि0वि0, अस्थाई खंड नं0 1, शाहजहांपुर तथा सा0 नि0 वि0 मंत्री को दिया गया था ? यदि हां, तो उपरोक्त सड़क का निर्माण पूरा कराने में क्या कार्यवाही की गई है तथा इस सड़क को कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

श्री विद्या भूषण--

एक पत्र श्री दामोदर दास गंगवार, प्रधान का दिनांक 28 सितम्बर, 1983 का जिलाधिकारी, शाहजहांपुर के माध्यम से दिनांक 5 अक्तूबर, 1983 को अस्थायी खंड शाहजहांपुर में प्राप्त हुआ था। मार्ग की कुल लम्बाई 12 कि0मी0 है। इस मार्ग के प्रथम 3·27 में मार्ग निर्माण का कार्य है। 1·27 जिला परिषद् के पास है, 2 कि0मी0 सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास है जिसमें खड़ंजे का कार्य स्वीकृत है। इसमें 1·8 कि0मी0 में खड़ंजा लगाया जा चुका है तथा 400 मीटर में कार्य प्रगति पर है। मार्ग का शेष भाग निर्माण के लिए स्वीकृत नहीं है। अतः पूरा करने का प्रश्न नहीं है।

ग्राम ख्वान्तड़ी, जनपद पिथौरागढ़ को सरकारी अभिलेखों में विद्युतीकृत दिखाये जाने का आधार

172--जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा घोषित जयन्ती ग्राम ख्वांतड़ी, ग्राम सभा बातड़ी, विकास खंड कनालीछीना, जनपद पिथौरागढ़ का विद्युतीकरण 1976-77 में किया गया है ? यदि हां, तो उक्त ग्राम में कितने

विद्युत् कनेक्शन दिये गये हैं ? क्या यह सही है कि सरकारी अभिलेखों में उक्त ग्राम को विद्युतीकृत दिखाया गया है ? यदि, हां तो उसका आधार क्या है ?

श्री ब्रह्म दत्त—

ग्राम खवान्तड़ी का विद्युतीकरण भूल से वर्ष 1978 में विद्युतीकृत घोषित किया गया था। चूंकि उक्त ग्राम विद्युतीकृत नहीं है, अस्तु वहां कोई कनेक्शन नहीं दिये गये हैं। यह सही है कि पूर्व में यह ग्राम विद्युतीकृत दिखाया गया था किन्तु वास्तविकता ज्ञात होने पर उक्त ग्राम को विद्युतीकृत ग्रामों की सूची से पृथक् कर दिया गया है।

सिकन्द्रा विद्युत् गृह, कानपुर देहात के जूनियर इंजीनियर श्री वी0 के0 गुप्ता द्वारा किये गये भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच

173—श्री रामस्वरूप वर्मा—

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्त्ता द्वारा अग्रसरित श्री विश्वनाथ कटियाराव विजय बहादुर, ग्राम सिकन्द्रा, जिला कानपुर देहात का दिनांक 3-9-83 का प्रार्थना-पत्र ग्राम सिकन्द्रा विद्युत् गृह कानपुर देहात के जू0 ई0 (श्री वी0 के0 गुप्ता) द्वारा किये गये भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त जू0 ई0 के विरुद्ध सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जी नहीं। प्रश्नकर्त्ता द्वारा अग्रसारित ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र शासन में प्राप्त नहीं हुआ है।

174—श्री मित्रसेन—

[4थे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 117 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

श्री अमर नाथ गुप्ता, अधि0 अभियन्ता, राज्य विद्युत् परिषद् के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच

175—श्री विजय सिंह राना—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके पत्र संख्या एम0/6163/सी0 एम0-2/82, दिनांक 1[illegible]-11-82, के सन्दर्भ में श्री अमर नाथ गुप्त, अधि0 अभियन्ता, राजकीय विद्युत् परिषद् के भ्रष्टाचार की जांच के सन्दर्भ में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? तथा जांच रिपोर्ट क्या है ? यदि नहीं, तो अब कब तक जांच रिपोर्ट आ जायेगी ?

श्री ब्रह्मदत्त—

श्री अमर नाथ गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता, राज्य विद्युत् परिषद् के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच, मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत्) एवं महा प्रबन्धक (वितरण) के माध्यम से करायी जा रही है। जांच रिपोर्ट 31 मार्च, 1984 तक प्राप्त होने की आशा है।

जाब्तागंज, डकैती कांड (नजीबाबाद), जिला बिजनौर में श्री हेमेन्द्र पाल की मृत्यु

176—डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जाब्तागंज डकैती कांड (नजीबाबाद) जिला बिजनौर में 3-4 नवम्बर, 1983 की रात में पड़ी डकैती में हेमेन्द्र पाल नाम के जूनियर इंजीनियर की मौके पर ही मृत्यु हो गयी ? इस सम्बन्ध में शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ? इस मामले में अभी तक अभियुक्त पकड़े क्यों नहीं गए ? सरकार की जांच का माध्यम क्या है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

दिनांक 4-11-83 को प्रातः 4-05 बजे श्री श्यामबीर सिंह पुत्र सुखदेव प्रसाद, निवासी जाबतागंज, थाना नजीबाबाद, जिला बिजनौर ने थाना नजीबाबाद पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी कि कतिपय अज्ञात व्यक्तियों ने रात के लगभग 3 बजे उसके घर पर हमला करके भतीजे हेमेन्द्र पाल को गोली से घायल कर दिया है और वह अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। इस सूचना पर अ0 स0 659, अन्तर्गत धारा 397/398, भा0 दं0 वि0 पंजीकृत हुआ, दिनांक 4-11-83 को घायल हेमेन्द्र पाल की अस्पताल में मृत्यु हो जाने के कारण उक्त अभियोग को धारा 396 भा0 दं0 वि0 में परिवर्तित कर दिया गया। मामले की विवेचना स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है। विवेचना से अपराधीगण द्वारा कोई सामान लूट कर ले जाना नहीं पाया गया, इसलिये अपराध अन्तर्गत धारा 147/148/302 भा0 दं0 वि0 में परिवर्तित किया गया। अब तक की विवेचना से किसी व्यक्ति के विरुद्ध साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण गिरफ्तार नहीं किया गया है। विवेचना प्रचलित है।

श्री पुरुषोत्तम पुत्र भूरी सिंह की बस एक्सीडेन्ट से मृत्यु की थाना रकाबगंज, आगरा में वर्ज रिपोर्ट

177--श्री विजय सिंह राना--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जिले में थाना रकाबगंज के अन्तर्गत दिनांक 18-7-83 को प्रातः 7-30 बजे प्राइवेट बस नं0 पी0 यू0 एम0 778 की टक्कर से श्री पुरुषोत्तम सिंह पुत्र श्री भूरी सिंह, निवासी ग्राम कोटकी बगीची की मृत्यु हुई जिसमें पुलिस द्वारा बिना ड्राइवर को गिरफ्तार किये बस को छोड़ने का क्या कारण है? क्या यह सही है कि एक मृत व्यक्ति को ड्राइवर दिखाकर मामले में फाइनल रिपोर्ट लगायी गयी है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री अजमेर सिंह पुत्र श्री जगजीत सिंह जाट, निवासी ग्राम कोट की बगीची रकाबगंज, आगरा द्वारा थाना रकाबगंज पर इस आशय की प्रथम सूचना अंकित कराई गई कि दिनांक 18-7-83 को प्रातः 7-30 बजे श्री पुरुषोत्तम पुत्र भूरी सिंह का एक्सीडेंट एक प्राइवेट बस नम्बर पी0 यू0 एम0 778 से हो जाने के कारण वह घायल हो गया है तथा बस ड्राइवर बस छोड़कर भाग गया है इस सूचना पर अपराध संख्या 451 अन्तर्गत धारा 279/337/338/427 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया। दिनांक 28-7-83 को घायल पुरुषोत्तम की मृत्यु हो जाने के कारण उपरोक्त अभियोग धारा 279/304 ए/427 भा0 द0 वि0 में परिवर्तित किया गया। विवेचना के मध्य दुर्घटना से सम्बन्धित बस नम्बर पी0 यू0 एम0 778 का टेक्नीकल परीक्षण कराने के उपरान्त पुलिस द्वारा बस, बस मालिक की सुपुर्दगी में दे दी गई। भागे हुए ड्राइवर की गिरफ्तारी का प्रयास किया गया किन्तु वह गिरफ्तार नहीं किया जा सका। बाद में उक्त ड्राइवर की मृत्यु हो जाने के कारण मामले की विवेचना अन्तिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त की गयी। जांच से यह बात सही नहीं पायी गई कि किसी मृत व्यक्ति को सम्बन्धित ड्राइवर दिखाकर मामले की विवेचना समाप्त की गयी।

ग्राम रसधान से ग्राम डरापुर को जाने वाला सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में पत्र

178—श्री रामस्वरूप वर्मा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित ग्राम अमौली ग्राम जरौली आदि गांवों के निवासियों का प्रार्थना-पत्र दिनांक 8 नवम्बर, 1983 ग्राम रसधान से ग्राम डरापुर को जाने वाली सड़क बनाने के सम्बन्ध में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्या भूषण—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

हरिजन ग्रामों, निजी और सरकारी नलकूपों के ऊर्जीकरण का लक्ष्य

179—श्री रेवतीरमण सिंह तथा श्री राम गोविन्द—

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1982-83 में विद्युतीकरण का क्या लक्ष्य रखा गया था और कितना पूरा हुआ ? कितने हरिजन ग्रामों का तथा निजी और सरकारी नलकूपों के ऊर्जीकरण का लक्ष्य रखा गया था और कितना पूरा हुआ ?

श्री ब्रह्मदत्त—

वर्ष 1982-83 में विद्युतीकरण का लक्ष्य और उपलब्धि निम्न प्रकार है :—

	लक्ष्य	उपलब्धि
1—निजी नलकूप	36000	23923
2—ग्रामों का सी० ई० ए० परिभाषा के अनुसार विद्युतीकरण	4000	5842
3—ग्रामों का एल० टी० मेन बिछाकर विद्युतीकरण	2000	3705
4—हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण	2700	3834
5—सरकारी नलकूपों का विद्युतीकरण	2363	1364

थाना देहली गेट, मेरठ के इंस्पेक्टर (श्री ज्ञान सिंह) के भ्रष्ट कार्य-कलापों के सम्बन्ध में ज्ञापन

180—श्री मंजूर अहमद—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 15 दिसम्बर, 1983 को प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ व्यापार संघ, मेरठ के कुछ कार्यकर्त्ताओं का थाना देहली गेट, मेरठ के इंस्पेक्टर (श्री ज्ञान सिंह) के भ्रष्ट कार्य कलापों के सम्बन्ध में ज्ञापन प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र एवं ज्ञापन में आरोप क्या थे और इस सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां । आरोप रिपोर्ट न लिखने, फर्जी मुकदमा कायम करने, अवैध धन कमाने, दुकानदारों को मारने-पीटने व अपमानित करने आदि के हैं जिनके सम्बन्ध में जांच भ्रष्टाचार निवारण संगठन को सौंप दी गई है ।

तहसील कासगंज की काली नदी पर ओन घाट पर पुल बनाने हेतु पत्र

181--श्री राजेन्द्र सिंह चौहान--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का माह सितम्बर, 1983 में जनपद एटा की तहसील कासगंज की काली नदी पर ओन घाट पर पुल बनाने हेतु पत्र प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री विद्या भूषण--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

इलाहाबाद केनिंग कम्पनी बमरौली, इलाहाबाद में स्थायी/अस्थायी श्रमिकों की संख्या एवं देय दैनिक मजदूरी

182--श्री मित्र सेन--

क्या श्रम मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद इलाहाबाद में बमरौली हवाई अड्डे के पास स्थित बिड़ला केनिंग कम्पनी में विगत 15-16 वर्षों से कार्यरत मजदूरों की अभी तक स्थायी नियुक्ति नहीं की गयी है ? क्या यह सही है कि उन्हें 5.60 रुपया (पांच रुपये साठ पैसे) मात्र मजदूरी दैनिक दी जाती है जो न्यूनतम मजदूरी से भी कम है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री--

इलाहाबाद केनिंग कम्पनी, बमरौली, इलाहाबाद में स्थायी श्रमिकों की संख्या 111 है । 83 अस्थायी श्रमिक हैं क्योंकि कार्य मौसमी प्रकृति का है । अतः सभी श्रमिकों को स्थायी करने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रतिष्ठान के नियोजकों एवं श्रमिकों की यूनियन के मध्य हुए समझौते के अनुसार अकुशल अस्थायी पुरुष श्रमिकों को 5.60 रु0 प्रति दिन तथा महिला अकुशल श्रमिकों को 5.47 रु0 प्रति दिन मजदूरी दी जाती है ।

हाल ही में इस उद्योग को न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की अनुसूची में सम्मिलित कर लिया गया है ।

सचिवालय में चतुर्थ तथा तृतीय श्रेणी के मुस्लिम वर्ग के कर्मचारियों का प्रतिशत

183--श्री रेवती रमण सिंह तथा श्री राम गोविन्द--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सचिवालय में चतुर्थ तथा तृतीय श्रेणी के कितने कर्मचारी अल्प संख्यक वर्ग (मुस्लिम) के हैं ? कुल कार्यरत कर्मचारियों में इनका क्या प्रतिशत है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

उत्तर प्रदेश सचिवालय में चतुर्थ श्रेणी में 265 कर्मचारी अल्प संख्यक वर्ग (मुस्लिम) के हैं । सचिवालय में चतुर्थ श्रेणी में कार्यरत कुल कर्मचारियों में इनका प्रतिशत 12.24 है ।

तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है ।

सर्वश्री बब्बन बाबू, मो0 फकीर खां एवं श्री राम सूरत दुबे को बन्दूक लाइसेन्स दिए जाने के संबंध में विधायक श्री माधव प्रसाद का पत्र

184--श्री रामस्वरूप वर्मा--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि माह जून, जुलाई, 1983 में बन्दूक (अग्नेय स्त्र) 12 बोर के लाइसेंस की स्वीकृति हेतु विधायक, श्री माधव प्रसाद

की सबल संस्तुति एवं पत्र के साथ किन-किन व्यक्तियों के कुल कितने प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी फैजाबाद को प्राप्त हुए हैं और उन पर अब तक कौन सी कार्यवाही की गई तथा किन-किन व्यक्तियों के लाइसेन्स स्वीकृत किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्राप्त सूचना के अनुसार माह जून/जुलाई, 1983 में प्रश्न में उल्लिखित विधायक महोदय के तीन संस्तुति पत्र सर्वश्री बब्बन बाबू मो0 फाकिर खां एवं श्री राम सूरत दूबे को बन्दूक का लाइसेन्स दिए जाने के बारे में जिला मजिस्ट्रेट फैजाबाद को प्राप्त हुए। इनमें से सर्वश्री बब्बन बाबू व मो0 फाकिर खां को बन्दूक के लाइसेन्स स्वीकृत किये जा चुके हैं तथा शेष एक मामले में पुलिस की आख्या मांगी गयी है ।

185--श्री राम स्वरूप वर्मा--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

186--श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

[4थे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 191 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

दहेज हत्या को बचाये जाने के सम्बन्ध में पुलिस महानिरीक्षक को भेजा गया पत्र

187--श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 9-12-1983 को पुलिस द्वारा किस दहेज हत्या को बचाये जाने के सम्बन्ध में पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश को प्रश्नकर्ता का पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सरकार ने सी0 आई0 डी0 के किस व्यक्ति से जांच करायी और जांच के बाद मामले में क्या तथ्य उजागर हुए ?

श्री श्रीपति मिश्र--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

188--श्री सत्यपाल सिंह--

[दिनांक 14-2-1984 को तारांकित प्रश्न संख्या 14 द्वारा उत्तरित ।

तहसील महराजगंज, गोरखपुर मुख्यालय पर चल रहे टूरिस्ट सिनेमा में कार्यरत श्रमिकों को निकाल दिये जाने के सम्बन्ध में पत्र

189--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता के दिनांक 18-5-1983 का कोई पत्र तहसील महाराजगंज, गोरखपुर मुख्यालय पर चल रहे टूरिस्ट सिनेमा में कार्यरत श्रमिकों को निकाल दिए जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है जिसकी प्राप्ति स्वीकृत आपने अपने पत्रांक 525-ई-एस0 एम0 एल0। 83, विधान भवन लखनऊ दिनांक 24 मई, 1983 द्वारा किया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री सुनील शास्त्री--

जी हां ।

माननीय विधायक ने अपने पत्र दिनांक 18-5-1982 द्वारा मुख्यतः मेसर्स गणेश टुअरिंग टाकीज, महराजगंज गोरखपुर के सेवायोजकों द्वारा दो श्रमिक सर्वश्री बेनी प्रसाद तथा श्रवण कुमार को दिनांक 12-8-1982 से सेवा से पृथक् किये जाने तथा कर्मचारियों को कम मजदूरी दिये जाने की शिकायत की है ।

उक्त दोनों श्रमिकों के सेवा से पृथक् किये जाने का विवाद दिनांक 7-10-1983 को श्रम न्यायालय, गोरखपुर को अभिनिर्णय हेतु संदर्भित कर दिया गया है ।

श्रम निरीक्षक गोरखपुर ने वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 के अन्तर्गत 2 निदेशवाद प्राधिकारी के समक्ष दायर किये

जो कि दिनांक 20-9-1983 को निर्णीत हुआ तथा प्रतिष्ठान के 6 कर्मचारियों को कम भुगतान की गयी धनराशि तथा टूअरिंग टाकीज के मालिकों से 25 60 प्रति कर्मचारी प्रतिकर की धनराशि के रूप में भुगतान के आदेश पारित किये गये जिसका भुगतान संबंधित कर्मचारियों को दिलाया जा चुका है ।

सिनेमा मालिक के विरुद्ध न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत प्राभियोजन भी दायर किया गया था । दिनांक 8-6-1983 को 200 रु0 अर्थदण्ड न्यायालय द्वारा नियोजकों और प्रबन्धकों पर लगाया गया ।

आजमगढ़ के दोहरीघाट ब्लाक के सूरजपुर पशु चिकित्सालय के भवन निर्माण तथा फतेहपुर मंडरा ब्लाक के तिघरा गांव में नया पशु चिकित्सालय खोलने की मांग

190—श्री राज कुमार राय-

क्या पशुधन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र आजमगढ़ के दोहरीघाट ब्लाक के सूरजपुर, पशु चिकित्सालय घोसी ब्लाक के मधवरा, पशु चिकित्सालय के भवन निर्माण तथा फतेहपुर मण्डल ब्लाक के तिघरा गांव में नये पशु चिकित्सालय खोलने हेतु नवम्बर, 1983 में मिला था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री संजय सिंह—

जी हां ।

आजमगढ़ के दोहरीघाट ब्लाक के सूरजपुर पशु चिकित्सालय के भवन निर्माण का जिला योजना में प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । घोसी ब्लाक के मझवारा पशु चिकित्सालय का भवन निर्माण जिला योजना वर्ष 1984-85 में धनराशि उपलब्ध होने पर निर्भर करता है ।

फतेहपुर मण्डल ब्लाक के तिघरा गांव में वर्ष 1984-85 में नया पशु चिकित्सालय खोलने का मामला भी धनराशि उपलब्ध होने पर निर्भर है ।

विकास खंड दोहरीघाट के ग्राम दरगाह तथा ब्लाक फतेहपुर मडांव ब्लाक गांव चचाईपार में पशु सेवा केन्द्र की स्थापना

191—श्री राज कुमार राय—

क्या पशुधन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्त्ता का 1 जुलाई, 1983 से नवम्बर, 1983 के बीच आजमगढ़ जिले के दोहरीघाट ब्लाक के दरगाह गांव फतेहपुर मंडाव ब्लाक के परसूपुर चर्चाई पार गांव में स्टाकमैन सेन्टर खोलने हेतु मिला था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री संजय सिंह—

जी हां ।

विकास खंड दोहरीघाट के ग्राम दरगाह तथा ब्लाक फतेहपुर मडांव गांव के चचाईपार में पशु सेवा केन्द्र की स्थापना वर्ष 1983-84 में की जा रही है ।

ग्राम परसपुर में पशु सेवा केन्द्र खोलने के लिए कोई भी प्रस्ताव जिला योजना से प्राप्त नहीं हुआ । अतः नये केन्द्र की स्थापना करने का प्रश्न नहीं उठता ।

थाना झंगहा, जिला गोरखपुर की पुलिस द्वारा श्री विनोद कुमार अवस्थी की गिरफ्तारी

192—श्री हरिवंश सहाय—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम बकसेड़ी, थाना झंगहा, जिला गोरखपुर के श्री विनोद कुमार अवस्थी को दिनांक 21-11-83 को थाना झंगहा, जिला गोरखपुर की पुलिस ने पकड़ा ? यदि हां, तो इसका चालान

किस जुर्म में किया गया ? क्या इनके ऊपर कोई रपट दर्ज थी ? इन्हें किसके सुरागरसी पर चालान किया गया । क्या सुरागरसी करने वाले के विरुद्ध उनके परिवार के तरफ से कोई मुकदमा थाने में कायम किया गया था ? यदि हां, तो पूरा विवरण क्या है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां । श्री विनोद कुमार अवस्थी का चालान धारा 395/397 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत किया गया । श्री अवस्थी के विरुद्ध कोई रपट दर्ज नहीं थी और इनकी गिरफ्तारी विवेचना के दौरान मुखबिर की सुरागरसी पर की गई थी । सुरागरसी करने वाले के विरुद्ध उनके परिवार के तरफ से कोई मुकदमा थाने में कायम नहीं किया गया था । प्रश्न के शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

मेसर्स सुहागिन डालडा मिल (मेसर्स बालाजी वेजीटेबुल प्रोडक्ट्स प्रा0 लि0), सीतापुर में कार्यरत कर्मचारी

193--श्री हरगोविन्द वर्मा--

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुहागिन डालडा मिल, सीतापुर में कितने कर्मचारी मुस्तकिल हैं और कितने कर्मचारी अस्थायी हैं तथा कितने दैनिक वेतनभोगी हैं और इन तीनों को अलग-अलग प्रति दिन कितना वेतन दिया जाता है ?

श्री सुनील शास्त्री--

मेसर्स सुहागिन डालडा मिल (मेसर्स बालाजी वेजीटेबुल प्रोडक्ट्स प्रा0 लि0), सीतापुर में कुल 102 कर्मचारी कार्यरत हैं और वे सब स्थायी हैं । प्रतिष्ठान में कोई कर्मचारी अस्थायी अथवा दैनिक वेतन भोगी नहीं है । इन स्थायी कर्मचारियों को निम्नलिखित दैनिक वेतन दिया जाता है ।

श्रेणी	दैनिक वेतन
1--अत्यन्त कुशल	रु0 21.02 पै0
2--कुशल	रु0 19.10 पै0
3--अर्ध कुशल	रु0 17.75 पै0
4--अकुशल	रु0 17.37 पै0

प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रति व्यक्ति विद्युत् उपभोग के आंकड़े

194--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रति व्यक्ति विद्युत् उपभोग के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं ? यदि हां, तो क्या नियोजन मंत्री जिलानुसार विगत पांच वर्षों के प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग के आंकड़े बताने की कृपा करेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त--

राज्य योजना संस्थान से प्राप्त वांछित आंकड़े वर्ष 1976-77 से वर्ष 1980-81 तक उपलब्ध हैं जोकि संलग्न हैं ।

यह उल्लेखनीय है कि ऐसे आंकड़े उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद द्वारा नहीं रक्खे जाते ।

(देखिये नत्थी "छ" आगे पृष्ठ 197 पर ।)

दिल्ली-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग नं0 24 में रेलवे क्रॉसिंग के निकट गति अवरोधों को हटवाकर चेतावनी बोर्ड लगाने की मांग

195--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या स0 नि0 मंत्री को जानकारी है दिल्ली-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग नं0

10 पर जनपद गाजियाबाद के कस्बा पिलखुआ में दो जगह पर चुंगी चौकियों के नजदीक और जनपद बरेली के कस्बा मीरगंज और कस्बा फतेहगंज के पास रेलवे क्रासिंग पर ऐसे गति अवरोध केन्द्रीय सरकार की बिना अनुमति के लगाये गये हैं जिन पर धीमी से धीमी गति पर गाड़ी निकालने में भारी असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इन स्थानों पर गति-अवरोधों को हटवाकर वहां समुचित आकार की चेतावनी बोर्ड लगवाने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्याभूषण--

प्रश्न में उल्लिखित दिल्ली-लखनऊ राष्ट्रीय मार्ग का नम्बर 10 नहीं वरन 24 है ।

जिला अधिकारी, गाजियाबाद के अनुरोध पर राष्ट्रीय मार्ग नं0 24 में जनपद गाजियाबाद में कस्बा पिलखुआ में गति अवरोधक नहीं वरन रैम्बिल स्ट्रिप बनाये गये हैं । भारत सरकार परिवहन मंत्रालय के मुख्य अभियंता को जनपद गाजियाबाद के उनके दौरे पर पिलखुआ कस्बे के उक्त रैम्बिल स्ट्रिप दिखाये गये थे तथा जिला अधिकारी का अनुरोध एवं इस स्थान पर रैम्बिल स्ट्रिप्स बनाये जाने की आवश्यकता से अवगत कराया गया था जिस पर उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की थी । भारत सरकार परिवहन मंत्रालय की लिखित अनुमति मांगी गई है ।

जनपद बरेली के कस्बा मीरगंज और कस्बा फतेहगंज के रेलवे क्रासिंग के निकट पूर्व में रेलवे विभाग द्वारा गति अवरोधक नहीं वरन एक सेट रैम्बिल स्ट्रिप बनाया गया था । दूसरा रैम्बिल स्ट्रिप का सेट परिवहन मंत्रालय के आदेशानुसार सा0 नि0 विभाग द्वारा बनाया गया है ।

उक्त रैम्बिल स्ट्रिप, भारी यातायात की गति पर नियंत्रण रखने तथा दुर्घटनाओं को रोकने के आशय से बनाये गये हैं । अतः इन्हें हटाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

उक्त स्थानों पर चेतावनी बोर्ड लगे हुए हैं ।

खड़बड़िया मिहरन सुबन्स चिलबिलिया मार्ग, फैजाबाद में कृषकों की अध्याप्त की गयी भूमि तथा प्रतिकर का भुगतान

196--श्री मित्रसेन--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि खड़बड़िया मिहरन सुबन्स चिलबिलिया मार्ग, फैजाबाद में किन-किन कृषकों की जमीन कब अध्याप्त की गयी ? उन्हें अब तक प्रतिकर न दिए जाने का क्या कारण है ?

श्री विद्या भूषण--

इस मार्ग में 3·12 एकड़ भूमि निःशुल्क उपलब्ध हो गई है । शेष 1·36 एकड़ भूमि संलग्न सूची में अंकित कृषकों की ली गयी है । भूमि अध्याप्ति की विज्ञप्तियां जारी करने की कार्यवाही की जा रही है । विज्ञप्तियां जारी हो जाने के उपरान्त प्रतिकर शीघ्र भुगतान कर दिया जायेगा ।

(देखिए नत्थी "ज" आगे पृष्ठ 201 पर ।)

गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा दिया गया ज्ञापन तथा उनकी गिरफ्तारी

197--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह जुलाई, में जिलाधिकारी के चेम्बर में छात्र नेताओं का गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ के महामंत्री श्री देवेन्द्र नाथ दुबे के नेतृत्व में ज्ञापन देते समय कोई गिरफ्तारी हुई थी ? यदि हां, तो किस मामले में ? क्या छात्रों की मांगों को पूरा किया गया ? यदि नहीं, तो कब पूरा किया जायगा ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां ।

प्राप्त सूचनानुसार श्री देवेन्द्र नाथ दूबे, महामंत्री, गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ, कुछ अन्य छात्रों सहित, जब दिनांक 30-7-1983 को मध्याह्न लगभग 1 बजे जिलाधिकारी, गोरखपुर के कार्यालय कक्ष में जा रहे थे, वहां पर नियुक्त चपरासी श्री रंगी लाल द्वारा उन्हें रोका गया, किन्तु चपरासी को धक्का देकर तथा मारपीट कर वे जबरन जिलाधिकारी के कक्ष में घुस गये तथा शोर मचाने लगे जिससे सरकारी कार्य में अवरोध उत्पन्न हो गया । अतः चपरासी की लिखित सूचना पर दिनांक 30-7-1983 को थाना कैन्ट, गोरखपुर पर 5 अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 353 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत अभियोग संख्या 422/83 पंजीकृत हुआ । सूचना पाकर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चार अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया ।

उक्त छात्रों ने दिनांक 30-7-1983 को जिलाधिकारी को एक लिखित ज्ञापन दिया था जिसमें उन्होंने गोरखपुर जनपद में गुन्डा दमन दल के उप-निरीक्षक श्री चन्द्र शेखर और श्री आर0 के0 सिंह की शिकायत की थी और उन्हें दण्डित किये जाने की मांग की थी ?

इस ज्ञापन में की गई शिकायत की जांच कराई गई । जांच में उक्त दोनों उप-निरीक्षकों के विरुद्ध लगाये गये आरोप सही नहीं पाये गये । अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के चौथे मंगलवार (1-3-83) के लिए निर्धारित श्री मंजूर अहमद द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 41 के मूल उत्तर में संशोधन ।

श्री मंजूर अहमद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 7-9-82 से लेकर 6-10-82 तक शहर मेरठ व सदर कैन्ट मेरठ के कितने हथियार बन्दूक व रिवाल्वर लाइसेंसधारियों के लाइसेंस जमा कराये गये और कितनों के नहीं ? जिनके नहीं जमा कराये गये, उसके क्या कारण थे ?

मूल उत्तर

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार मेरठ शहर व सदर कैन्ट मेरठ में कुल 1339 लाइसेन्सधारी हैं । दिनांक 7-9-82 से 6-10-82 तक की अवधि में कुल 641 लाइसेंसधारियों के शस्त्र बन्दूक, रिवाल्वर आदि सम्बन्धित थानों पर जमा कराए गये थे । 698 लाइसेन्सी के शस्त्र जमा नहीं कराए गए क्योंकि इनमें से बहुत से लाइसेन्सी मिलेट्री अधिकारी/कर्मचारीगण, पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण, बैंक गार्ड आदि थे एवं कुछ वे थे जो नगर व कैन्ट के दंगे से प्रभावित तथा कर्फ्यू क्षेत्र के निवासी नहीं थे । इनमें से कुछ ऐसे भी लाइसेन्सदार थे जो मेरठ से लाइसेन्स प्राप्त करके अब बाहर निवास करते हैं तथा कुछ लाइसेन्सी उक्त अवधि में मेरठ नगर एवं मेरठ कैन्ट से बाहर थे ।

संशोधित उत्तर

प्राप्त सूचना के अनुसार मेरठ शहर व सदर कैन्ट मेरठ में कुल 1339 लाइसेन्सधारी हैं । दिनांक 7-9-82 से 6-10-82 तक की अवधि में कुल 585 लाइसेन्सधारियों के शस्त्र बन्दूक, रिवाल्वर आदि सम्बन्धित थानों पर जमा कराए गए थे । 754 लाइसेन्सी के शस्त्र नहीं जमा कराए गए क्योंकि इनमें से बहुत से लाइसेन्सी मिलिट्री अधिकारी/कर्मचारीगण, पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण, बैंक गार्ड आदि थे एवं कुछ

थे जो नगर व कैन्ट के दंगे से प्रभावित तथा कर्फ्यू क्षेत्र के निवासी नहीं थे। इनमें से कुछ ऐसे भी लाइसेन्सदार थे जो मेरठ से लाइसेन्स प्राप्त करके अब बाहर निवास करते हैं तथा कुछ लाइसेन्सी उक्त अवधि में मेरठ नगर एवं मेरठ कैन्ट से बाहर थे।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न नियम 301 के अन्तर्गत था। जब नियम 301 आ जायेगा, तभी यह व्यवस्था का प्रश्न हो सकता है।

*श्री सूबेदार सिंह--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आप अतारांकित प्रश्न संख्या 156 और 157 को देखें। उसमें जो उत्तर दिया गया है वह हमारी प्रक्रिया तथा नियमावली के विपरीत है जबकि हम यह अपेक्षा करते हैं कि प्रश्नों के उत्तर नियमानुसार दिये जायं। सूचना एकत्र की जा रही है, ऐसा उत्तर में लिखा गया है या फिर कह दिया जाता है कि व्यय बहुत होगा। मान्यवर, आप नियम 32 को देखें इसमें लिखा गया है कि "प्रश्नों के उत्तर के लिए जो दिन नियत किया गया हो उस दिन का उपवेशन आरम्भ होने के एक दिन पूर्व प्रश्नों के लिखित उत्तरों की प्रति सम्बद्ध सदस्य को उपलब्ध करा दी जायेगी।" दूसरा मान्यवर, आप नियम 38(2) को भी देख लें। उसमें लिखा है कि "किसी प्रश्न का उत्तर उस तिथि को दिया जायगा जिसके लिये वह सूची-बद्ध किया गया हो। यदि सदस्य द्वारा अपेक्षित सूचना उपलब्ध न हो तो मंत्री तद्नुसार स्थिति बतायेंगे और अध्यक्ष इतना अधिक समय, जिसे वे परिस्थितियों को देखते हुए उपयुक्त समझें, दे सकेंगे और उत्तर के लिए कोई तिथि नियत करेंगे।" मान्यवर, इन नियमों के अन्दर हमको यह हक है कि जो सूचनायें हम अपने सवाल पर मांगे उसका उत्तर हमको सही मिलना चाहिए। आज मैनपुरी में लोगों का मर्डर किया जा रहा है तथा लोगों का एनकाउन्टर किया जा रहा है, परन्तु यह सरकार जानबूझकर सही तथ्यों पर परदा डालने की कोशिश कर रही है। इसलिए मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं और अपेक्षा करता हूं कि इनका सही और समुचित उत्तर दिलवाया जाय?

श्री अध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आपने सुना? आप भविष्य में इस बात का ध्यान रखेंगे। वैसे मैं इस पर शासन का ध्यान आकर्षित कर चुका हूं, फिर भी आप लिखकर दे दें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

जी हां।

श्री गोपीनाथ वर्मा--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, आप प्रश्न संख्या 96 और 97 को देखें। जिसमें मैंने पूछा था कि जनपद फैजाबाद में कस्बा टाण्डा में माह अक्तूबर, 1983 में साम्प्रदायिक दंगा हुआ था? यदि हां, तो उक्त दंगे में कुल मृतकों व घायलों, लापताओं के नाम मय पता क्या हैं? परन्तु माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने उत्तर में लिखा है कि दंगे के परिणाम-स्वरूप मृतकों, घायलों तथा लापता व्यक्तियों के नाम व पता की सूची मेरे कार्यालय कक्ष में देखी जा सकती है। उनके कार्यालय में तो हम सब देख सकते हैं, परन्तु जो सूचना हमने मांगी थी, वह इस सदन में नहीं दी गई। इस प्रकार प्रश्नों का उत्तर तोड़-मरोड़ कर दिया जा रहा है। इस बात को यह स्वीकार करते हैं कि दंगे में 6 लोग मरे। 3 लोगों को तो इन्होंने आर्थिक सहायता 15,000 रुपए की दे दी। प्रत्येक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

परिवार को 5000 रुपए दिये गये। 2 लोगों को अभी देना शेष हैं और एक व्यक्ति लावारिस मरा है। मान्यवर, मेरे प्रश्न का समुचित उत्तर नहीं आया है, कृपया आप इसमें शासन से समुचित उत्तर दिलवाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--

यदि आप उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो नियमानुसार आप इसकी सूचना मुझे लिखित रूप में दें, तब मैं शासन से इस पर पूछूंगा।

श्री किरन पाल सिंह--

मान्यवर, मैं यह कहना चाह रहा हूं कि मैंने आपको श्री विनोद कुमार, दैनिक प्रभात, मेरठ की बाबत एक फोटोस्टेट कापी दिखलायी थी।

श्री अध्यक्ष--

हां, दिखलायी थी।

श्री किरन पाल सिंह--

मान्यवर, मैं मेरठ से आ रहा हूं। मैं इसकी बाबत कुछ जानकारी देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

अब तो प्रश्नों का समय समाप्त हो गया है और 301 की सूचनाएं ले ली गयी हैं।

श्री किरन पाल सिंह--

मान्यवर, यह बहुत गम्भीर मामला है।

श्री अध्यक्ष--

जब नियम 56 को लूंगा, तब आपको अवसर देने की बात पर विचार किया जायेगा, बाद में सुनूंगा। अभी आप बैठें। अभी तो नियम 301 की सूचनाएं ली जा रही हैं।

हसनगंज (उन्नाव) की पुलिस जुल्म के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

आज नियम 301 के अन्तर्गत 14 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं--इसमें श्री सन्त बख्श रावत, श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री खैरुल बशर, श्री मसरूर जाफरी, श्री सोमांश प्रकाश, श्री बिहारी लाल और श्री परमात्मा प्रसाद सिंह की सूचनाओं को स्वीकार किया है। बाकी को अस्वीकार किया है। इसमें श्री सरदार सिंह की सूचना 200 शब्दों से अधिक थी, इसलिए अस्वीकार हुई। और मारकण्डेय चन्द्र की सूचना इसलिए अस्वीकार हुई क्योंकि दिनांक 1-3-1984 को श्रीमती गौरी देवी द्वारा यही सूचना सदन के संज्ञान में लायी जा चुकी है।

[समय 12 बजकर 26 मिनट]

*श्री सन्त बख्श रावत--

महोदय, उन्नाव जिले के थाना हसनगंज की पुलिस, गुन्डों व असामाजिक तत्वों से साठगांठ करके, जवार के, पिछड़े, हरिजन एवं हैसियतदार लोगों के विरुद्ध साजिशें कराकर लूट खसोट में लगी हुई है। यहां के बड़े दरोगा लाल बहादुर वर्मा और छोटे दरोगा भास्कर ने जवार के गुन्डे राम खेलावन को दलाल बना रखा है। अभी 10-12 दिन पहले इन्होंने राम खेलावन के जरिए चिलौला के सुल्तान पुत्र हिरई पासी के दो हजार रुपए के बांस और तीन चार बबूल के पेड़ कटवा लिए। बीबीपुर के बख्तावर से रुपया ऐंठने और आतंक पैदा करने के लिये उसे रामखेलावन के द्वारा बुरी तरह से पिटवाया। राम खेलावन के गिरोह के एक आदमी ने डा0 रविदेव सिंह के कई पेड़ काट लिए और इन थानेदारों ने उसमें हिस्सा लिया। डा0 रविदेव सिंह ने इस्तगासा दायर किया तो इन दरोगाओं ने उन्हें आतंकित किया और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनका गांव में रहना छुड़वा दिया । इन लोगों ने सुरक्षा, आतंक, जुल्म और निराशा का वातावरण व्याप्त कर रखा है ।

अतः मैं थाना हसनगंज के उक्त वारोगाओं के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही और खुली जांच की मांग करता हूं जिससे क्षेत्र में आतंक का वातावरण समाप्त हो ।

झांसी एवं ललितपुर में बीज भण्डारों के बीज अंकुरित न होने से किसानों की क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

महोदय, मैं आपकी अनुमति से सदन के संज्ञान म अति लोक महत्व की सूचना देना चाहता हूं कि झांसी जनपद तथा ललितपुर जनपद में रबी की फसल हेतु बीज भंडारों से गेहूं दिया गया था उसके बोने पर वह अंकुरित नहीं हुआ जब किसानों ने दोनों जनपद के कृषि अधिकारियों को इसकी जानकारी दी तब भी कोई देख-रेख न होने से दोनों जनपदों की सैकड़ों एकड़ खेती में रबी की फसल नहीं हो सकी, जनपदों का गरीब किसान फसल की पैदावार न होने से बेहद परेशान है रोटी-रोजी के लिये मोहताज हैं । अतः मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि—

1—किसानों को पैदावार का मुआवजा दिया जाये जिसका कि वितरण तुरन्त किया जाय ताकि किसान बच्चों की फीस तथा घर के खर्चे चला सकें ।

2—उन दोषी कृषि अधिकारियों को दण्डित किया जाय जिसके द्वारा उपेक्षा बरती गयी है ।

3—अनियमितताओं के जांच हेतु माननीय कृषि मंत्री द्वारा एक समिति बनायी जाय जो एक माह के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे ।

हैंडलूम बुनकरों के बैंकों के कर्जों की वसूली रोकने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री खैरुल बशर—

पिछले एक वर्ष से प्रदेश का हैंडलूम व्यवसाय गम्भीर संकट पूर्ण अवस्था से गुजर रहा है लगभग 50 वर्ष के अन्दर इतनी बड़ी मंदी और इतना बड़ा भीषण संकट लोगों ने नहीं देखा था, इधर मंहगाई अपना विकराल रूप धारण किए हुए है इस पृष्ठभूमि में बुनकर फाका-कसी और भुखमरी के चंगुल में फंसा है । इसी बीच बैंकों के कर्जों की वसूली जिसे सरकार ने 31 दिसम्बर, 1983 तक रोक दिया था कि बुनकर मूल धन जमा कर दे तो उसको ब्याज सरकार देगी । इसकी सूचना बैंकों को नहीं मिली जिसके कारण जनवरी, 1983 से फिर जोर जबरदस्ती कुड़की नीलामी और घर पकड़ जारी है । सरकार ने अभी तक वसूली रोकने का आदेश दोबारा नहीं भेजा ।

लोक महत्व की इस अविलम्बनीय समस्या को सरकार के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि तत्काल बुनकरों से हर प्रकार की वसूली रोकी जाय, तुरन्त बैंकों को एवं जिला प्रशासन को सूचना दी जाय एवं बैंकों के कर्जा जमा करने की तिथि ब्याज की छूट के साथ 30-9-1984 तक बढ़ाने की घोषणा की जाय ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

परगना अधिकारी उतरौला (गोण्डा) द्वारा गांव समाज की भूमि के किये गये अवैधानिक पट्टों के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मसरूर जाफरी—

मान्यवर, जनपद गोण्डा विधान सभा क्षेत्र उतरौला में गांव समाज की निकली भूमि पर पट्टे के माध्यम से परगना अधिकारी, उतरौला द्वारा धन के बल पर नियमों से हटकर पट्टे की संस्तुति दे रहे हैं। परिणामस्वरूप ग्राम सभा ब्रह्मभारी में हरिजनों की आबादी पर अन्य जाति गांव सभा द्वारा पट्टा हुआ जबकि यह पट्टा केवल हरिजन वर्ग ही को होना चाहिए था जबकि सरकारी कागज में हरिजन आबादी अंकित थी। परगनाधिकारी ने प्रधान गांव सभा से सांठ-गांठ करके उक्त अन्य जाति के लोगों को पट्टे की संस्तुति दे दी। इसके अतिरिक्त इस पर हरिजनों तथा पट्टा पाने वाले अन्य जाति के लोगों के बीच में विवाद चल रहा था। उतरौला पुलिस की लिखित सूचना पर भी 107 की कार्यवाही परगनाधिकारी कर देते तो कोई लड़ाई झगड़ा न होता। कई हरिजन चोट खाये हुए बलरामपुर चिकित्सालय में दाखिल हैं।

अतः लोक महत्व की सूचना को सदन के संज्ञान में लाकर ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग करता हूं और ऐसे अवैधानिक पट्टों को निरस्त करने की मांग करता हूं।

मुजफ्फरनगर की मलिन बस्तियों के सुदृढ़ीकरण के लिये आवंटित धनराशि के सही वितरण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सोमांश प्रकाश—

मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मेरे जनपद मुजफ्फरनगर में केवल सिटी बोर्ड मुजफ्फरनगर के लिये 68 लाख रुपये की जो धनराशि मलिन बस्तियों के सुदृढ़ीकरण के लिये शासन द्वारा स्वीकृत की गयी है, इस धनराशि के आवंटन के विषय में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस जनपद में 4 नगरपालिका एवं 14 टाउन एरिया और भी हैं जिनमें भी मलिन बस्तियां हैं उनका भी सुदृढ़ीकरण आवश्यक है। मैं सदन के माध्यम से यह चाहता हूं कि जनपद के केवल एक ही सिटी बोर्ड में इतना रुपया देकर बाकी और नगर-पालिकाओं व टाउन एरियाओं में रहने वाले गरीब लोगों के साथ अन्याय किया गया है। अतः मैं चाहता हूं कि इसकी शीघ्र ही जांच करा ली जाय तथा स्वीकृत की गयी धनराशि को जनपद की सभी टाउन एरियाओं एवं नगरपालिकाओं में वितरित कर मलिन बस्तियों का सुदृढ़ीकरण कराये जाने के आदेश शासन द्वारा दिये जायं।

ग्राम कटगरी, नैनीताल में अग्नि-कांड से आहत व्यक्तियों को राहत दिये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बिहारी लाल—

जिला नैनीताल में विकास खंड सितारगंज के अन्तर्गत ग्राम कटगरी में दिनांक 2 फरवरी, 1984 को भीषण

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अग्निकांड में 16 अल्पसंख्यक गरीब मुसलमानों की झोपड़ियां जल गयी हैं जिससे उनकी सारी सम्पत्ति नष्ट हो गयी हैं। अग्निकांड में मवेशियों का भी नुकसान हुआ है। इन लोगों के पास जीवन-यापन हेतु कोई सामग्री नहीं बची है। सरकार की ओर से इन्हें कोई राहत नहीं दी गयी है जब कि ये निःसहाय गरीब लोग बहुत अधिक परेशान एवं चिन्तित हैं। इन लोगों को झोपड़ियां बनाने हेतु लकड़ी वन विभाग द्वारा नहीं दी जा रही है। ये लोग बहुत संकट में हैं और इनमें भयंकर असन्तोष एवं आक्रोश व्याप्त हो गया है। अतएव, मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के सुनिश्चित प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर माननीय राजस्व मंत्री से निवेदन करता हूं कि इन असहाय गरीब लोगों को हर सम्भव राहत तत्काल पहुंचाने की कृपा करें तथा इनको पुनर्वासित करने में सहयोग प्रदान करें।

बस्ती जनपद में प्राइवेट बस मालिकों के आतंकवादी रवैये के कारण परिवहन निगम के कर्मचारियों में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री परमात्मा प्रसाद सिंह--

माननीय, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन और सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि सड़क परिवहन निगम कर्मचारी परिषद् के लोगों ने निजी बस चालकों के आतंकवादी रवैये एवं जबरिया निगम बस स्टेशन के अन्दर घुसकर निजी बस चालकों द्वारा सवारियों को भर लिए जाने के विरुद्ध, बस्ती जनपद में समस्त बसों को और काउन्टर को भी एक मार्च से सड़क पर ला दिया है, जिससे यातायात में अवरोध उत्पन्न हो गया है। परिवहन निगम के कर्मचारियों का कहना है कि निजी बस व टैक्सी वालों को जिला प्रशासन संरक्षण देता है, इसलिये आय कम होती है। जब तक अनधिकृत बस एवं टैक्सी का चालान नहीं रुकेगा एवं निजी बस एवं टैक्सी स्टैन्ड निगम बस स्टेशन से एक किलोमीटर से दूर नहीं किया जायेगा तब तक समस्त बसें व बुकिंग काउन्टर सड़क पर से ही चलेंगे। उल्लेखनीय है कि इस अभूतपूर्व व्यवस्था से निगम की आय प्रतिदिन 15 से 20 हजार रु0 तक बढ़ गयी है।

अतः शासन से मांग है कि अनधिकृत निजी बस एवं टैक्सी चालन पर अविलम्ब रोक लगाये एवं निजी बस व टैक्सी स्टन्ड से एक मिलोमीटर दूर करायें।

बीस सूत्रीय कार्यक्रम सम्बन्धी समिति में जिला परिषद् के सदस्यों को सम्मिलित न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री कुंवर सिंह नेगी--

मान्यवर, कल सर्वश्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, विद्यासागर नौटियाल, नरेन्द्र सिंह भण्डारी और मैंने एक तारांकित प्रश्न किया था कि "क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतायेंगे कि जिला परिषदों के चुनाव कब तक करायेंगे" इस पर मान्यवर, मैंने एक अनुपूरक प्रश्न किया था कि ब्लाक स्तर पर जो बीस सूत्रीय कार्यक्रम सम्बन्धी समिति बनी है, उसमें क्या जिला परिषद् के सदस्यों को भी सम्मिलित करने का कष्ट करेंगे? इस पर माननीय मंत्री जी ने यह जवाब दिया था कि यह शासन की नीति से सम्बन्धित प्रश्न है, इसलिए इसका उत्तर देना उचित नहीं है। तब मान्यवर, इस पर आपने अपनी व्यवस्था दी थी कि जब मैंने इस प्रश्न को स्वीकार कर लिया है, तब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तब माननीय मंत्री जी ने यह उत्तर दिया था कि इसके लिए सूचना की आवश्यकता है। परन्तु इसके बाद माननीय नरेन्द्र सिंह भण्डारी के अनुपूरक प्रश्न में यह पूछा गया कि जब माननीय मंत्री जी ने इस समिति में गांवों के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रधान एवं प्रमुखों को नामित किया गया है तो क्या जिला परिषद् के सदस्यों को भी इस समिति में सम्मिलित किया जायेगा, यदि नहीं तो आपको ऐसा करने में क्या आपत्ति है। तब माननीय मंत्री जी ने यह उत्तर दिया कि बीस सूत्रीय समिति सभी जन-प्रतिनिधियों की है, तो मान्यवर, इसमें हमारी तरफ से यह सवाल उठता है कि जन-प्रतिनिधि जिला परिषद् के सदस्य भी हैं क्योंकि उनको भी चुना गया है और जब से उनको चुना गया है उनको कोई कार्य या अधिकार नहीं दिये गये हैं, इसलिए मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब वह भी जन-प्रतिनिधि हैं तो उनको उस समिति में सम्मिलित क्यों नहीं किया जा रहा है और जब कि अपने स्वयं कहा है कि इस बीस सूत्रीय कार्यक्रम समिति में सभी जन-प्रतिनिधि होंगे, तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप इन जिला परिषद् के सदस्यों को जन-प्रतिनिधि नहीं मानते हैं यदि मानते हैं तो फिर उन्हें भी इसमें सम्मिलित क्यों नहीं करते हैं, अगर आप यह कहें कि हम उन्हें जन-प्रतिनिधि ही नहीं मानते तब तो यह प्रश्न नहीं उठता है।

इसीलिए मान्यवर, हमने यह औचित्य का प्रश्न उठाया है कि जो शासन देश इन्होंने निकाला है, डा० जे० पी० सिंह, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश बीस सूत्रीय कार्यक्रम समिति, लखनऊ द्वारा दिनांक 5 जनवरी, 1984, जिसमें यह लिखा है कि "बीस सूत्रीय कार्यक्रम" को प्रभावकारी सम्यक ढंग से क्रियान्वयन हेतु विकास खंड समितियों का गठन किया गया है, तो मान्यवर, इसमें जिला परिषद् के सदस्य नहीं लिये गये हैं। इसलिए मान्यवर, मैं यह औचित्य का प्रश्न उठा रहा हूं कि जब जिला परिषद् के सदस्यों को भी जन-प्रतिनिधि माना गया है तो इन्हें भी इस समिति में सम्मिलित किया जाना चाहिए, जो नहीं किया जा रहा है, इसका औचित्य क्या है? मैं इसलिए इसके बारे में इस प्रश्न को उठा रहा हूं और मैं इस पर आपका निर्णय चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

मैंने माननीय नेगी जी को सुना, जहां तक उनके द्वारा उठाये गये औचित्य के प्रश्न का सम्बन्ध है जो नेगी जी ने कहा है इसके द्वारा उन्होंने कल अर्थात् दिनांक 5-3-84 को सदन में पूछे गये तारांकित प्रश्न 1 पर हुए अनुपूरक प्रश्नोत्तर के दौरान माननीय राज्य मंत्री द्वारा दिये गये एक उत्तर के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण चाहा है। नियम 300 के उप नियम (2) के अनुसार औचित्य का प्रश्न उसी कार्य के सम्बन्ध में उठाया जा सकता है जो कि सदन के समक्ष हो। परन्तु माननीय श्री नेगी जी जो विषय उठाना चाहते हैं वह आज सदन के समक्ष नहीं है। यदि पहले पूछे गये किसी उत्तर के सम्बन्ध में वह अग्रेतर स्पष्टीकरण कराना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें विधिवत् दूसरे प्रश्न की सूचना देनी चाहिये। मैं औचित्य के प्रश्न के रूप में इसे अस्वीकार करता हूं और इसको उठाने की आज्ञा नहीं देता हूं।

भाषा निधि के सम्बन्ध में दिये गये आश्वासन की पूर्ति न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय अध्यक्ष जी, हिन्दी के उन्नयन के बारे में जो आज कल आपकी भावना है उसी से प्रभावित होकर मैं हिन्दी के सम्बन्ध में एक प्रश्न उठाना चाहता हूं कि मान्यवर, इसी आदरणीय सदन में लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व एक निश्चय करके यह फैसला किया गया था कि हिन्दी के विकास के लिये लेखकों और कवियों को प्रोत्साहित करने के लिये 10 करोड़ रु० से भाषा निधि की स्थापना की जायेगी और उस निधि की स्थापना भी हो गयी परन्तु बाद में यह पता चला कि यह 10 करोड़ रु० बिजली बोर्ड को दे दिया गया। मान्यवर, उसी बिजली बोर्ड को जिसको हम और आप सभी जानते हैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि जिसकी हालत खस्ता है । उस धनराशि पर अब तक 80 या 90 लाख रु0 ब्याज का भी मिल गया होगा लेकिन डेढ़ वर्ष व्यतीत होने के बाद भी आज तक कोई नियमावली भी नहीं बनी । नियमावली न बनने के कारण यह परिणाम हुआ है कि हिन्दी के क्षेत्र में आज तक कोई रचनात्मक कार्य जो होने चाहिये थे, नहीं हो सके हैं और हिन्दी का विकास रुक सा गया है ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय गुप्त जी, आप जरा रुक जायं, माननीय सहकारिता मंत्री जी को बुलाया जाय ।

श्री अम्मार रिजवी संसदीय कार्य मंत्री--

वह इस समय यहां है नहीं ।

श्री अध्यक्ष--

हां, गुप्त जी अब आप बोलें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं यह निवेदन कर रहा था कि आज तक नियमावली नहीं बन पायी है जिसके परिणाम स्वरूप भाषा निधि से जो वांछित व्यय होना चाहिये था वह नहीं हुआ है । शासन को जो हिन्दी राज्य भाषा है उसके विकास के कार्यान्वयन में शासन की यह उपेक्षापूर्ण नीति साफ इस बात की परिचायक है कि इस आदरणीय सदन के नियमों पर असम्मान प्रकट किया जा रहा है । मैं इस बात पर पूर्ण बल देता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि आज तक नियमावली क्यों नहीं बनी इसका शासन से पता लगवायें और हिन्दी के पैसे से जो बिजली जलायी जा रही है इसकी ओर शासन का ध्यान दिलाने की चेष्टा करें ।

*श्री अम्मार रिजवी--

अध्यक्ष जी, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है उसमें दो बातों का जिक्र किया है । एक तो धन के बारे में तथा दूसरा नियमावली न बनने के बारे में कि इस ओर कोई कार्य नहीं हो रहा है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से राजेन्द्र कुमार गुप्त जी को सूचित करना चाहूंगा कि 28 मई, 1982 को निधि बन गयी । इसका रुपया राज्य विद्युत् परिषद को दिया गया और उसके इन्टरेस्ट की निधि से स्टाफ आदि का सारा काम निश्चित किया गया मान्यवर, इसकी नियमावली तैयार हो चुकी है और इसकी आज तक तीन बैठकें भी हो चुकी हैं । सारे उद्देश्यों वह हर एक चीज व नियम का पालन किया गया है । इस पर कार्य हो रहा है, भारत सरकार से पत्राचार भी हो रहा है और काफी कार्यवाही इस सम्बन्ध में हो चुकी है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

एक-आध काम को बता भी दें ।

श्री अम्मार रिजवी--

नियमावली बनने के बाद भाषा निधि संचालन समिति की तीन बैठकें हुईं । संचालन निधि द्वारा भाषा निधि के उपयोग के सम्बन्ध में निर्णय लिए गये कि संस्कृत, तेलगू, तमिल, मलयालम, कन्नड़ तथा अन्य भारतीय भाषाओं व अन्तर्राष्ट्रीय भाषाओं के लक्ष्य प्रतिष्ठित साहित्यिक कृतियों का योजनाबद्ध रूप से हिन्दी में अनुवाद, लेखन व प्रकाशन का कार्य किया जाय । भाषा निधि संचालन समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि संस्कृत तथा अन्य भारतीय भाषाओं तथा विश्व की अन्य भाषाओं की उत्तम साहित्यिक कृतियों का चित्रित बाल सुलभ साहित्य के रूप में हिन्दी में प्रकाशन किया जायगा । तीसरा निर्णय यह लिया गया है कि संचालन समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि हिन्दी के प्रचार एवं प्रसार के सम्बन्ध में मुद्रण तथा समाचारों के त्वरित आदान-प्रदान में कार्यरत संस्थाओं को विकासशील प्रणाली तथा आधुनिक साधनों को अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा । इस समय अखिल भारतीय हिन्दी निधि प्रतिष्ठान

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है और जो दूसरे संगठन हैं उनसे बराबर विचार विमर्श हो रहा है, उनसे परामर्श की जा रही है। इसकी नियमावली बना दी गई है और जो ऋण से ब्याज प्राप्त होगा, उससे इसको प्रोत्साहित किया जा रहा है। मान्यवर, यह कहना कि निधि बना दी गयी है और कोई कार्य नहीं हो रहा है, इसका कोई औचित्य नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, जो सदन में शासन की ओर से दिए गये आश्वासन के बारे में हैं। जैसा कि मैंने पहले भी व्यवस्था दी है, सदन में दिये गये आश्वासनों की पूर्ति के सम्बन्ध में इस सदन की आश्वासन समिति आवश्यक कार्यवाही करने के लिए सक्षम है और ऐसे मामलों में औचित्य का प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अतः मैं इसे भी अस्वीकार करता हूं। मैं समझता हूं कि आश्वासन जो सदन में दिए जाय उनकी पूर्ति शासन को स्वयं शीघ्रातिशीघ्र कर लेना चाहिये। इससे आश्वासन समिति का काम भी कम होगा और जनहित की पूर्ति भी होगी। भविष्य में इसका ध्यान रखा जाय।

सहकारिता मंत्री के आचरण के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न उठाये जाने का प्रयास

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, जिनके कुकृत्यों का भंडाफोड़ होने वाला है, वह मंत्री तो हैं ही नहीं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय श्री राम आसरे वर्मा से सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें उन्होंने सहकारिता राज्य मंत्री के आचरण के विषय में प्रश्न उठाना चाहा है। माननीय सदस्य ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि उनके क्या डिटेल्स हैं ?

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मैं उन्हीं तथ्यों की जानकारी देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप इसको लिखकर दे दीजिएगा।

श्री राम आसरे वर्मा—

वह तथ्य मैं अभी आपके सामने पेश कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

डिटेल्स नहीं आये हैं इसलिए कोई औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है। आप डिटेल्स लिखकर दे दीजिएगा। मैं कल ले लूंगा।

श्री राम आसरे वर्मा—

आप एक मिनट सुन तो लें। मैंने सहकारिता मंत्री के आचरण के सम्बन्ध में एक प्रश्न उठाया है।

श्री अध्यक्ष—

जब तक आप डिटेल्स नहीं देंगे और निश्चित रूप से बात नहीं कहेंगे तब तक इसको नहीं लिया जा सकता है। आप कल दे दीजिएगा।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, डिटेल क्या होता है।

श्री अध्यक्ष—

पूरा विवरण होता है।

नियम 301 की सूचनाओं के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। 301 में सूचनाएं देने का क्या नियम है, उनको स्वीकार करने का क्या नियम है ? उनको स्वीकार करने का क्या माप दण्ड है ? क्या केवल आपका विवेक है अथवा लाटरी है ?

श्री अध्यक्ष--

उसके लिए नियम बने हुए हैं, इसी आधार पर काम होता है । आप बैठें।

श्री राम आसरे वर्मा--

श्रीमन, एक व्यवस्था का प्रश्न है । वह यह है कि मैं नियम 301 के अन्तर्गत एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता था जिसकी मैंने आपके पास सूचना भेजा थी । इस नियम के अंतर्गत जो सूचना सदन के सामने प्रस्तुत की जाती है वे अविलम्बनीय लोक महत्व की तो होती ही हैं साथ ही दो सौ शब्दों से वह अधिक नहीं होनी चाहिये। जो सूचना मान्यवर, आपको दी गयी थी वह अविलम्बनीय भी थी और लोक महत्व की भी थी साथ ही वह दो सौ शब्दों से अधिक भी नहीं थी । लेकिन...

श्री अध्यक्ष--

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं । आप बैठें ।

श्री राम आसरे वर्मा--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

यह सब कुछ नहीं लिखा जायेगा । नियमों को देखें ।

श्री राम आसरे वर्मा--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

आप किसकी इजाजत से बोल रहे हैं ? कृपया बैठें । आप मेरे कक्ष में आयें मैं आपको चाय पिलाऊंगा ।

नोट--[× ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

लोक लेखा समिति (1983-84) का तृतीय प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष--

मद संख्या 4 के सम्बन्ध में मैं माननीय सदन से यह कहना चाहता हूं कि मैंने सभापति लोक लेखा समिति को उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की लोक लेखा समिति (1983-84) का तृतीय प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की अनुमति दी है । प्रतिवेदन की प्रतियां माननीय सदस्यों को प्रेस से प्राप्त होने पर उपलब्ध करा दी जायेगी ।

श्री हुकुम सिंह--

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की लोक लेखा समिति (1983-84) का तृतीय प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक महा-लेखा परीक्षक की रिपोर्ट 1979-80 (राजस्व प्राप्तियां) के प्रस्तर संख्या 9.1 "नजूल भूकियों का प्रबन्ध" पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं ।

विशेषाधिकार की अवहेलना प्रश्नों पर निर्णय न दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री केदार नाथ सिंह--

मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

आप लिखकर दे दें । मैं मद संख्या 5 ले रहा हूं ।

श्री केदार नाथ सिंह--

मान्यवर, मैंने लिखकर दिया है । दो विशेषाधिकार अवहेलना की सूचनायें आपको दी हैं नियम 64 के अन्तर्गत । एक मैंने 27-2-84 को माननीय

†छापा नहीं गया ।

नगर विकास मंत्री के विरुद्ध दी है और दूसरी माननीय राजस्व मन्त्री के विरुद्ध 3-2-84 को दी है, लेकिन उस पर आपकी तरफ से कोई निर्णय नहीं दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष--

मैं सरकार से उसके सम्बन्ध में जानकारी हासिल कर रहा हूं, छानबीन कर रहा हूं, देख रहा हूं । उत्तर आने के बाद में आपको अपने कक्ष में बुलाऊंगा उसके बाद कोई निर्णय हो सकेगा ।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाए

श्री अध्यक्ष--

आज नियम 56 के अन्तर्गत 12 सूचनायें प्राप्त हुई है । पहली सूचना श्री मोहन सिंह की शिक्षकों द्वारा हाई स्कूल एवं इन्टर की परीक्षा संचालन का बहिष्कार किये जाने तथा परीक्षा समिति द्वारा परीक्षा तिथि आगे बढ़ाने से असन्तोष के सम्बन्ध में दूसरी श्री भीखालाल की इसी तरह की सूचना है, तीसरी श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री ने प्रदेश में कुकिंग गैस सिलेन्डर में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न संकट के सम्बन्ध में, चौथी श्री कुंवर सिंह नेगी, श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री शिवानन्द नौटियाल तथा श्री विद्यासागर नौटियाल की उत्तरकाशी में एप्पल स्केब बीमारी के भीषण प्रकोप से सेब उद्यानों को करोड़ों की छति के सम्बन्ध में, पांचवी श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की राज्य कर्मचारियों द्वारा अपनी न्यायोचित मांगों के लिये सामुहिक अवकाश ले लिये जाने के सम्बन्ध में, छठी श्री सरदार सिंह की जनपद सुल्तानपुर में हलियापुर मार्ग-तिरहुत बाजार व अन्य स्थानों पर माध्यमिक शिक्षक संघ के पद यात्रियों पर असामाजिक तत्वों द्वारा किये गए आक्रमण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, सातवीं श्री शंकर सिंह भूमि विकास बैंक में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले कर्मचारियों को गैर कानूनी तरीके से बर्खास्त किये जाने आदि-आदि के सम्बन्ध में आठवीं श्री मोहम्मद आजम खां तथा श्री मसरूर जाफरी ने जनपद गोंडा, विधान सभा क्षेत्र, उतरौला के ग्राम सभा चीती के प्रधान की हत्या के सम्बन्ध में, नवीं श्री गोपीनाथ वर्मा ने जनपद फैजाबाद में टांडा इल्तफातगंज, गुलेपुर, मुन्डेरा तथा अन्य जगहों पर बुनकरों के विद्युत् कनेक्शन काटे जाने के सम्बन्ध में तथा श्री यदुनाथ सिंह की अकालियों द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद-25 की प्रतियां जलाने से जन असंतोष के बारे में है । इसका हमसे कोई मतलब नहीं है ।

श्री अकबर हुसैन, श्री रियासत हुसैन तथा श्री राम गोविन्द की, 3/4 फरवरी, 1984 को ग्राम मनोहरपुर में जनपद मुरादाबाद में भीषण अग्निकांड से हुई क्षति तथा किसी तरह की सहायता न दिये जाने से उत्पन्न असन्तोष के सम्बन्ध में है ।

श्री मख्तार अनीस की, सीतापुर जनपद में शासन के आश्वासन के बावजूद भी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में लगान वसूली के सम्बन्ध में है । अब श्री मोहन सिंह अपनी बात कहेंगे इसमें श्री भीखालाल जी का भी नाम है ।

श्री यदुनाथ सिंह--

मान्यवर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 को ...

श्री अध्यक्ष--

माननीय यदुनाथ सिंह कृपया आप बैठें, मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं । माननीय मोहन सिंह को मैंने बुलाया है ।

(व्यवधान)

आपको मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं । आप अपने स्थान पर बैठें । माननीय यदुनाथ सिंह कृपया अपने स्थान पर बैठें ।

श्री यदुनाथ सिंह के सदन से निलम्बन का प्रस्ताव

श्री यदुनाथ सिंह—

मैं नहीं बैठूंगा। संविधान का अवमान हो रहा है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय यदुनाथ सिंह कृपया आप बैठें।

(व्यवधान)

नहीं तो माननीय यदुनाथ सिंह सदन छोड़ें।

श्री यदुनाथ सिंह—

मैं संक्षेप में बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष—

पहले आप बैठें, आप आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

श्री यदुनाथ सिंह—

निश्चित रूप से भारत के संविधान की . .

श्री अध्यक्ष—

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं। आप नहीं बैठते हैं तो सदन छोड़ें।

श्री यदुनाथ सिंह—

मैं नहीं छोड़ूंगा, सदन के फ्लोर में जाकर आराम से कुर्सी पर बैठ कर पढ़ूंगा।

(श्री यदुनाथ सिंह सदन के फ्लोर पर रिपोर्टर की कुर्सी खींच कर बैठ गये और कुछ पढ़ने लगे)

श्री अध्यक्ष—

मैं आपसे पुनः निवेदन कर रहा हूं कि सदन छोड़ें, माननीय यदुनाथ सिंह सदन छोड़ें।

(श्री यदुनाथ सिंह के सदन न छोड़ने पर)

(व्यवधान)

मैं श्री यदुनाथ सिंह को इंगित करता हूं।

श्री अम्मार रिजवी (संसदीय कार्य मंत्री)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री यदुनाथ सिंह को सदन से निलम्बित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री यदुनाथ सिंह को सदन से निलम्बित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

श्री यदुनाथ सिंह आप सदन से बाहर जायें (बाहर न जाने पर)। मार्शल इनको सदन से बाहर करें।

(व्यवधान)

(मार्शल ने गार्डों की सहायता से श्री यदुनाथ सिंह को बाहर किया)

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, जरा सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

सब को सुनूंगा। जो नियम में आता है उसी प्रकार सुनूंगा। माननीय मोहन सिंह आप बोलें।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमारा प्रदेश इस देश में नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—

मैंने मोहन सिंह जी को बुलाया है।

श्री मुहम्मद आजम खां—

उसके बाद सुनेंगे।

श्री अध्यक्ष—

क्या सुनेंगे ? आप बैठें ।

(व्यवधान)

मैंने मोहन सिंह जी को बोलने के लिये कहा है । माननीय आजम खां, कृपया आप बैठें ।

श्री मुहम्मद आजम खां—

माननीय मोहन सिंह जी के बाद सुनेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

इस पर कोई आज्ञा नहीं दूंगा ।

कार्य—स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, इस समय सम्पूर्ण प्रदेश में एक गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गयी है । 20 मार्च से उत्तर प्रदेश इन्टरमीडियेट और हाईस्कूल की परीक्षायें सम्भावित हैं जिसमें इस प्रदेश के 14 लाख परीक्षार्थियों को शामिल होना है । लेकिन उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अन्दर जो परीक्षा समिति है उसने अध्यापकों की हड़ताल के संदर्भ में इन परीक्षाओं को चलाने के लिए एक प्रस्ताव पास कर दिया है । उनका कहना है कि 5 अप्रैल से परीक्षायें हों और प्रयोगी (प्रैक्टिकल) परीक्षायें उसके उपरान्त की जायं जिसका परिणाम है कि पूरे प्रदेश में बहुत से विद्यालयों में जहां अध्यपकों ने परीक्षा बहिष्कार की सूचना दिया है वहां के प्रधानाचार्यों ने अभ्यास पुस्तिकायें और प्रश्न पत्र वापस कर रहे हैं जिससे प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में अराजकता की स्थिति पैदा हो गयी है और शासन की दुविधा है कि कोई मंत्री आता है तो कहता है कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जायेगा और कोई कहता है कि प्रबंधकीय व्यवस्था चालू रहेगी । नतीजा है कि डाक्टर अम्बार रिजवी जो शिक्षा मन्त्री हैं जब से आये हैं तब से सम्पूर्ण शिक्षा जगत में एक अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गयी है ।

आज यह सरकार नहीं बता पा रही है कि 20 मार्च से जो परीक्षायें बोर्ड की सम्भावित है वह होंगी कि नहीं । यदि होंगी तो उनके संचालन की जिम्मेदारी किस पर होगी चूंकि अध्यापकों की हड़ताल पिछले कई महीनों से चल रही है उससे निपटने के बारे में कोई स्पष्ट नीति और दिशा शासन की नहीं है जिससे अध्यापकों ने अपने आन्दोलन का रुख बदल दिया है और मूक प्रदर्शन शुरू किये हैं । सुल्तानपुर में गुंडों के जरिए अध्यापकों को पिटवाया गया है । इसलिए शासन को इसके बारे में एक स्पष्ट नीति बताना चाहिए कि परीक्षाओं के संचालन की क्या व्यवस्था किया है कि 20 मार्च से परीक्षायें होंगी या जैसा परीक्षा समिति की संस्तुति है उसके हिसाब से परीक्षायें टाली जायेंगी । मान्यवर, इस सम्बन्ध में सूचना नहीं होगी तो पूर्व में जो प्रिपरेशन लीव घोषित हो गयी है और प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन अभी तक नहीं हो सका है और जिसके बारे में सूचना आ रही है कि अध्यापकों ने इन परीक्षाओं को लेने से इंकार कर दिया है तो उसकी सरकार ने क्या व्यवस्था किया है । इसके बारे में स्पष्ट घोषणा करें जिससे प्रदेश के 14 लाख परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों की शंका का समाधान हो सके, इसलिए इस पर चर्चा करा दें ।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, मैं भी परीक्षाओं के संबंध में बोलना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

क्या नियम 56 के प्रस्ताव को आप स्वीकार कर रहे हैं ।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, इस सदन में आपने कई बार नियम 56 में अनुमति दिया है जैसे बाराबंकी में अध्यापक मरे थे तो आपने अनुमति दिया श्री यशपाल सिंह, बुलन्दशहर को नियम 56 में आपने अनुमति दिया था।

श्री अध्यक्ष --

आप कहें कि मैं विरोध नहीं प्रकट कर रहा हूं बल्कि ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

मान्यवर, आपका व्यक्तित्व हम सभी के ऊपर है। माननीय सदस्य खड़े हैं, मोहन सिंह जी ने जो कार्य-स्थगन का प्रस्ताव रखा है उसके समर्थन में बोलने के लिए वह खड़े हैं, यह कार्य स्थगन प्रस्ताव सरकार के खिलाफ एक तरह से अविश्वास, जिसको अंग्रेजी में सेन्सर कहते हैं, तो मुझे आपत्ति नहीं है। यदि सत्ता पक्ष में कोई माननीय सदस्य, अविश्वास प्रकट करता है तो उसका हम स्वागत करते हैं, आप नाहक उनसे कुछ कहते हैं। इसलिए मान्यवर, आप उनको बोलने दें और सरकार के खिलाफ जो सेन्सर, अविश्वास आया है उसका मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि वह समर्थन करेंगे।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, आज 6 मार्च हो रहा है और 2 प्रतिशत भी प्रयोगात्मक परीक्षायें इस प्रदेश में नहीं हो सकी हैं। 16 मार्च से होली का अवकाश है और परीक्षाओं की तिथियां, परीक्षा समिति की क्या होंगी क्योंकि तिथियां तय करने का समिति का अधिकार है इसके अलावा तमाम जनप्रतिनिधियों की मांग थी कि बालिकाओं के जो परीक्षा केन्द्र हैं, पूर्व की भांति, उन्हीं विद्यालयों में रखे जायं जहां की वह बालिकायें हैं।

यह तमाम जनप्रतिनिधियों और अभिभावकों ने मांग की थी। इस पर परीक्षा समिति ने विचार किया और विचारोपरान्त उसने सेल्फ सेन्टर बनाना आवश्यक समझा जो फाइनल क्लासेज नहीं हैं। अध्यापकों की हड़ताल से जो क्षति हुई है, छात्रों को पढ़ाने के लिए उनसे संघ ने अपील किया है। इसलिए अब 5 अप्रैल से परीक्षाएं कराने का परीक्षा समिति ने निर्णय लिया है। यह बिलकुल उचित नहीं होगा कि लिखित परीक्षाएं प्रयोगात्मक परीक्षाओं के पूर्व हों, बिना उसके लिखित परीक्षाएं कैसे हो सकती हैं।

(श्री भीखालाल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

इसमें एक-एक माननीय सदस्य के बोलने का तय हुआ है।

श्री भीखालाल--

जब आपने उनको बोलने का अवसर दिया है तो हमारा तो पूरा हक है। मैं तो इसका प्रस्तावक हूं। जिस तरह से मोहन सिंह जी ने दिया है परीक्षा समिति ने परीक्षाए टालकर 5 अप्रैल से कराने का निश्चय किया है, शासन अपनी घोषणाएं लागू करवाने में असमर्थ है। तो इस बात को लेकर पूरे प्रदेश में बड़ा असन्तोष व्याप्त है। नियम 56 के अन्तर्गत काम रोको प्रस्ताव हमारे विरोधी दल के लोगों का एक अस्त्र है, जिसके द्वारा हम सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं। यदि वह पास हो जाता है तो वह शासन के खिलाफ एक प्रस्ताव होता है। इस कार्यस्थगन प्रस्ताव के बारे में मान्यवर, आप स्वयं देखें और मानें कि शासन में बैठे लोग भी इसको स्वीकार करते हैं, तो इससे बढ़कर और इससे महत्वपूर्ण कोई बात नहीं हो सकती है, कोई प्रस्ताव नहीं हो सकता है। मान्यवर, इसलिए इसको आप अवश्य स्वीकार करें क्योंकि जो असन्तोष विरोध पक्ष में

है वही शासक दल में भी है। इसलिए इस पर विचार किया जाए, यह आवश्यक है।

*श्री रियासत हुसैन--

मैं इस बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह कोई नया मामला नहीं है। जब से सदन बैठा है, उसी समय से अध्यापकों की हड़ताल चल रही थी। पूरा सदन उसको लेकर चिन्तित था और पूरे सदन ने मांग की थी कि लड़कों के इम्तहान समय पर हों, लेकिन सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अब वह मामला आ गया है, अब इम्तहान समय पर नहीं होगा, घोषणा हो गई। इसलिए यह विषय बड़ा गम्भीर है, जिस विषय को हम पहले से कहते आ रहे हैं, उसमें सरकार के ध्यान न देने के कारण आज स्थिति बिगड़ गई है। मान्यवर, इसलिए इस पर आप चर्चा करवा दीजिए, ताकि इस समस्या का कोई रास्ता निकल सके।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष --

(एक सदस्य के खड़े होने पर) आप तो बाबा हैं हमारे, बैठें।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

प्रदेश में 14 लाख से अधिक विद्यार्थियों के भविष्य का सवाल है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। शासन समय से परीक्षा कराने का पूरा प्रयास कर रहा है और उसकी पूरी व्यवस्था की जा रही है। हमें पूरा विश्वास है कि आपके और सदन के माध्यम से हम इसे हल कर लेंगे। हम अध्यापकों से भी अपील करना चाहेंगे कि वह 14 लाख से अधिक विद्यार्थियों के भविष्य से न खेलें और इसमें पूरा सहयोग दें शासन को इम्तहान समय से कराने में। मैं आश्वस्त करना चाहूंगा सदन को, मोहन सिंह जी को और दूसरे मेम्बरों को कि जो व्यवस्था हो सकती है परीक्षा कराने की, सारी व्यवस्था कराई जा रही है। साथ ही में अध्यापकों से भी बातचीत कर रहा हूं और हमें विश्वास है कि अध्यापक हमारा सहयोग करेंगे और हम समय से परीक्षा कराने में सफल होंगे। इसलिए यह कार्य स्थगन प्रस्ताव किसी तरह बनता नहीं है, यह केवल ऐडमिनिस्ट्रेटिव मामला है। यह सुलझाया जा रहा है, जैसी सूचना होगी, जो भी कार्यवाही होगी, उससे सदन को सूचित करूंगा।

श्री रियासत हुसैन--

जब प्रेक्टिकल इग्जामिनेशन्स हुए ही नहीं हैं तो कैसे इम्तिहान समय से सम्भव है?...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

नियम 56 के अन्तर्गत जो यह सूचना प्राप्त हुई है वैसे इसे तो मैं अस्वीकार करता हूं, लेकिन शासन को निदेश देता हूं कि कल पौन घंटे की चर्चा इस विषय पर होगी।

*श्री कुंवर सिंह नेगी--

मान्यवर, उत्तरकाशी में लगभग 20 लाख सेब के पेड़ हैं और उन पर एक "एपिल स्कैब" नाम की भीषण बीमारी फैल गई है। सेब के पेड़ इस बीमारी से बुरी तरह से प्रभावित हैं। हिमाचल प्रदेश से यह बीमारी यहां आई है। 1983 में यह बीमारी वहां लगी थी। उत्तरकाशी के लगभग 70 प्रतिशत सेब उद्यान इस बीमारी से प्रभावित हैं। इस क्षेत्र में सबसे उत्तम किस्म का सेब होता है जो विदेशों तक में जाता है। यह बीमारी आस पास के 4 अन्य ब्लाकों में भी फैलती जा रही है। टिहरी तक में इस बीमारी के फैलने की आशंका पैदा हो गई है। इसकी रोकथाम के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कदम नहीं उठाया गया है और इससे सेब के काश्तकार बहुत चिन्तित हैं। दवा के छिड़काव का भी कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है। यह बहुत ही गम्भीर मामला है। इससे वहां की आर्थिक स्थिति पर भी बड़ा गहरा विपरीत प्रभाव पड़ेगा। यह एक लोक हित का और सारे प्रदेश के हित का सवाल है। इसलिए आप इस पर चर्चा अवश्य मान्यवर, कराने का कष्ट करें।

*श्री विद्यासागर नौटियाल--

इसके लिए मान्यवर, हमारे यहां एक सचल दल था उसे समाप्त कर दिया गया है। टेहरी में भी यह हिमाचल प्रदेश का रोग फैल रहा है। यह सरकार चूंकि खुद एक रोग ग्रस्त सरकार है, इसलिए उस रोग को रोकने की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। यह बीमारी ऊंचाई के हिसाब से फैलती है। नैनीताल में जो एक उप निदेशक का कार्यालय था उसको भी लखनऊ बुला लिया गया है। अभी तक दो निदेशक के पद थे, एक पर्वतीय क्षेत्र के लिए, एक मैदानी क्षेत्र के लिए। अब दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया है। नैनीताल से उसका कार्यालय हटा लेने से पहाड़ों में फलों में लगने वाली बीमारी की रोकथाम करने के उपायों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यह सरकार वहां के लिए इतनी जागरूक है कि उसने वहां के निदेशक का पद ही समाप्त कर दिया है। इतनी भयंकर बीमारी के बारे में भी यह सरकार तनिक भी चिन्तित नहीं है। इसलिये मैं यह निवेदन करता हूं कि इस पर कार्य स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करें और इस पर चर्चा करायें।

श्री अध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री, आपको कुछ कहना है?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, इसमें निदेशक एग्रीकल्चर, डायरेक्टर को निदेश दिया जायगा कि वह जाकर स्वयं पता लगायें और इस सिलसिले में जो भी कार्यवाही करनी है वह कार्यवाही की जायगी। दवायें आदि भेजी जायेंगी और प्रयास किया जायगा कि बीमारी का पता लगाया जाय और दरख्तों का इलाज किया जाय। मान्यवर, इसके लिये कार्य-स्थगन प्रस्ताव किसी भी प्रकार से उचित नहीं है, इसमें सारी जो कार्यवाही है वह की जायगी।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, जो समस्यायें और विवाद उत्पन्न होते हैं उनको समय पर न निपटने के कारण प्रदेश में विशेष समस्यायें उत्पन्न हो रही हैं। इसी तरह की समस्या हमारी राज्य कर्मचारियों की है। राज्य कर्मचारी अपनी कुछ मांगों को लेकर, जैसे समयबद्ध वेतन दिया जाय आवास और चिकित्सा भत्ता दिया जाय, पेंशन नियमों में सुधार आदि अनेक मांगों को लेकर शासन पर दबाव डालते रहे हैं और शासन का ध्यान आकर्षित करते रहे हैं लेकिन शासन ने कोई फैसला नहीं लिया है। इसका परिणाम यह हुआ कि पूरे प्रदेश के राज्य कर्मचारियों में असन्तोष और उत्तेजना का वातावरण व्याप्त है। उन्होंने आन्दोलन के रूप में प्रदर्शन किया, धरना दिया और रैली किया और उसके बाद उन्होंने कल और आज पूरे प्रदेश में, सामूहिक अवकाश लिया। सामूहिक अवकाश के कारण सम्पूर्ण प्रदेश का शासकीय कार्य प्रभावित हुआ और जनता को क्षति हुई। मान्यवर, अगर उनके असंतोष को शान्त न किया गया तो समस्या जटिल हो सकती है और पूरे प्रशासन में स्थगन उत्पन्न होगा, गतिरोध उत्पन्न

होगा जिससे प्रशासन की छवि धूमिल होगी। इसलिये मैं चाहूंगा कि इस कार्य स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करा दीजिये। मान्यवर, घटना आज और कल की है और अविलम्बनीय लोक महत्व की है और इससे सम्पूर्ण प्रदेश का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि राज्य कर्मचारियों द्वारा जो आन्दोलन जारी किया गया है जिसमें सामूहिक अवकाश लिया गया है उससे उत्पन्न प्रश्न पर आप चर्चा करा दें कार्य स्थगन प्रस्ताव के तहत।

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी आपको कुछ कहना है।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, जहां तक राज्य कर्मचारियों का सम्बन्ध है उनकी जब भी कोई न्यायोचित मांग आयी है सरकार ने उस पर बहुत ही सहानुभूति पूर्वक विचार किया है। लेकिन मान्यवर, यह सम्भव नहीं है, आपके माध्यम से मैं सदन को और सबको सूचित करना चाहूंगा कि हर मांग को मान लिया जाय। इस वक्त जो राज्य की वित्तीय स्थिति है, 1185 करोड़ रुपया सिर्फ तन्ख्वाह पर दिया जा रहा है। इसको देखते हुए और जो हमारे संसाधन हैं, हमारी जो डेवलपमेन्टल एक्टीविटीज हैं, तो उनके ऊपर इससे बड़ा प्रभाव पड़ता है। जनता पर टैक्सेज बढ़ते हैं और जो विकास के कार्य हैं वह प्रभावित होते हैं। तो मान्यवर, यह सम्भव नहीं है।

मैं आपके माध्यम से यह भी अपील करना चाहता हूं कि सरकार की जो वित्तीय स्थिति है और जो हमारे संसाधन हैं उसको कर्मचारी समझाने की कोशिश करें और यह समझने की कोशिश करें कि इस प्रकार से प्रदेश के ऊपर अगर कोई चीज आ जाती है, कोई चीज बढ़ायी जाती, भत्ता बढ़ाया जाता है तो गरीब जनता पर, किसान पर उसका असर पड़ता है। मैं आपके माध्यम से माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी को यह बताना चाहता हूं कि यह सम्भव नहीं है कि हर मांग को मान लिया जाय। अगर हर चीज का यही तरीका होगा, नारे लिखे हैं कि हमारी मांगें पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। तो मान्यवर, हर चीज को मजबूर करके और गरीब जनता पर, किसान पर टैक्स लगाकर उनको परेशान करके अगर करवायी जाय तो यह सम्भव नहीं है। सरकार पूरी तरह, सहानुभूति पूर्वक, हर बात पर विचार करने के लिये तैयार है लेकिन इसके साथ ही साथ जो हमारे वित्तीय संसाधन हैं उससे बाहर हम नहीं जा सके। मैं इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि कार्य स्थगन, इस पर नहीं बनता है यह एक एडमिनिस्ट्रेटिव बात है, प्रशासनिक चीज है। इस पर कार्यवाही की जा रही है। अगर कोई मांग मानने के काबिल होगी तो अवश्य मानी जायेगी।

श्री गोपी नाथ वर्मा--

मान्यवर, पूरे प्रदेश में मौजूदा समय में पावर लूम पर लगे हुये बुनकरों का कारोबार चौपट होता जा रहा है क्योंकि सरकार समय-समय पर विद्युत् सप्लाई नहीं कर पा रही है और उनको कच्चा माल मुहैय्या नहीं कर पा रही है। समय-समय पर उन पर फर्जी विद्युत् बिल बनाकर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है और उनके बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। मान्यवर, टांडा में विद्युत वितरण खंड अकबरपुर जिला फैजाबाद के अधिशासी अभियन्ता ने डंडे के बल पर सैकड़ों कनेक्शन काट दिये हैं। इससे पूरे शहर में असंतोष और आक्रोश का वातावरण है। इसी प्रकार से मऊ, आजमगढ़, बहराइच में भी यही स्थिति है। उक्त नगरों में दंगे के कारण बुनकरों का कारोबार खराब रही, और उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। परेशान करने के उद्देश्य से उनके कनेक्शन काट दिये गये हैं। मैं निवेदन करूंगा कि

उनके कनेक्शन काटा जाना उचित नहीं है। फर्जी बिल बनाकर बकाया दिखाकर उसके आधार पर कनेक्शन काट दिया जाना न्याय संगत नहीं है। उनके आक्रोश को समाप्त किये जाने हेतु फर्जी बिलों को ठीक कराया जाय तथा काटे गये कनेक्शनों को जोड़ा जाय। पावर लूम उद्योग को चलाने के लिये जिन्होंने ऋण लिया है उनको माफी की घोषणा की जाय। मान्यवर, यह प्राथमिकता का विषय है और अविलम्बनीय लोक महत्व का है। इस पर मैं चाहूंगा कि सरकार से वक्तव्य दिलवायें।

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)--

मान्यवर, मैं इसको दिखलवा लूंगा और जो भी सम्भव होगा उसको पूरा कराने का काम करूंगा।

*श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, इस प्रदेश में लोकतन्त्र जीवित रहेगा या नहीं यह संदेह की बात बन गयी है। माननीय मुलायम सिंह, नेता विरोधी दल, विधान परिषद् पर आक्रमण हुआ। मान्यवर, 4 तारीख को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की पदयात्रा सुल्तानपुर जिले में हो रही है। वहां पर हमारे यात्री जब यात्रा कर रहे थे तो युवा कांग्रेस के लोग जीप में भरकर आये और उन पद यात्रियों को गालियां दीं और उनका रास्ता रोका। यह घटना हलियापुर मार्ग पर हुई। 4 तारीख को माध्यमिक शिक्षक संघ के नेता श्री मान्धाता सिंह जी विधान परिषद्, अपर हाउस के मेम्बर हैं, श्री ओम प्रकाश शर्मा और श्री आर० एन० ठकुरई, सुल्तानपुर जिले में पद यात्रा कर रहे थे। मान्यवर, तिरहुत बाजार में राजा तिरहुत पर कांग्रेस और युवा कांग्रेस के लोग आये और उन्होंने आक्रमण किया। जब वह चाय पी रहे थे। चाय वाले की दूकान को बन्द करवा दिया गया और बाजार को बन्द करवा दिया गया और पानी और चाय नहीं पीने दिया गया। वह लोग जब उस इलाके के थाने पर गये तो दीवान मिला। उसने रिपोर्ट लिखने से इंकार कर दिया। उससे जब यह पूछा गया कि बड़े दरोगा कहां गये हैं तो उसने बताया कि श्रीमती इन्दिरा गांधी की मीटिंग है, इसलिये दरोगा जी और छोटे दरोगा जी भीड़ इकट्ठी करने गये हैं और ट्रेक्टर लेने गये हैं। तो मान्यवर, उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। इसी प्रकार से हमारे एक विधायक प्रतापगढ़ के हैं वह आजकल इलाहाबाद अस्पताल में हैं, उनके ऊपर गुन्डों ने आक्रमण किया। सरकार द्वारा सुनियोजित तरीके से विरोधियों को दबाने के लिये उन पर आक्रमण कराये जा रहे हैं। जो हमारे प्रजातांत्रिक अधिकार हैं, प्रदर्शन करने, सभा करने, पदयात्रा करने आदि के उसमें विघ्न पहुंचाया जा रहा है और गुन्डों द्वारा उन पर आक्रमण कराया जा रहा है और मारा जा रहा है। इसलिये यह जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं उस पर खतरे का सवाल है। जनप्रतिनिधियों की जिन्दगी का सवाल है। हमारे हक का सवाल है। मैं निवेदन करूंगा कि आज इस पर अवश्य चर्चा कराइये। यह बहुत लोक महत्व का मामला है। आपको भी खतरा हो सकता है।

श्री शंकर सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, भूमि विकास बैंक, उत्तर प्रदेश की स्थापना किसानों की सहायता के लिये हुई थी। लेकिन आज भूमि विकास बैंक जो है वह मुट्ठी भर अधिकारियों के भ्रष्टाचार और काले कारनामों का अड्डा बनकर रह गया है।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश भूमि विकास बैंक के भ्रष्ट मुट्ठी भर अधिकारियों ने वहां पर करोड़ों रुपये के घपले किये हैं। बैंक के कुछ कर्मचारियों ने इन घपलों की ओर शिकायत करके सरकार का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ध्यान आकर्षित किया । मान्यवर, इन कर्मचारियों को भ्रष्ट अधिकारियों ने गैर कानूनी ढंग से बरखास्त कर दिया । इनका जो षड़यन्त्र है, इसमें विभागीय मन्त्री भी सम्मिलित हैं । इन अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने विभागीय मन्त्री को फिरेट कार उपहार में दी है, वह उसका उपयोग कर रहे हैं । हमारा जो कार्य स्थगन प्रस्ताव है, उसको बल देने के लिये यह बिलट्स 17 दिसम्बर, 1983 का, टाइम्स आफ इंडिया 26 फरवरी, 1984 का और आज समाचार-पत्र 5 मार्च, 1984 का आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, जिनमें मान्यवर, बिलट्स में यह है हेडिंग कि भूमि विकास बैंक में करोड़ों रुपये के घपले । टाइम्स आफ इंडिया में है "दि बैंक फारमर कैन नाट बैंक अपान" और 'आज' में है कि मन्त्री जी को रिश्वत देने का नायाब तरीका । मान्यवर, जो विभागीय मन्त्री को आज समाचार-पत्र में रिश्वत देने का नायाब तरीका बताया गया है, वह इस प्रकार है :—

> दिनांक 25 फरवरी को यू0पी0 कोआपरेटिव बैंक, लालबाग में, उस बैंक के प्रशासक केशव पांडेय द्वारा 10 हजार रुपये फिक्स्ड डिपाजिट में माननीय मन्त्री जी के नाम फर्जी हस्ताक्षर करके जमा कर दिया ।

श्री अध्यक्ष—

क्या आपने देखे हैं ?

श्री शंकर सिंह—

मान्यवर, देखा नहीं है, डिटेल दे रहा हूं । इसकी मान्यवर, जो सूचना है, वह दे रहा हूं, इसकी पुष्टि कर लीजिये । मान्यवर, फर्जी हस्ताक्षर से यह रुपया जमा हुआ । जब मन्त्री जी ने कहा कि हमारे हस्ताक्षर से जमा करवाओ, तो प्रशासक केशव पांडेय ने बैंक से वह फार्म वापस लेते हुये मन्त्री जी के असली हस्ताक्षर का फार्म बैंक में रख दिया और फिर इस तरह 3 मार्च, 1984 को मन्त्री जी के हस्ताक्षर से एफ0 डी0 का रुपया मन्त्री जी ने वापस ले लिया । मान्यवर, एफ0 डी0 6 महीने का था, इससे पहले रुपया वापस नहीं लिया जा सकता था, फिर भी एक हफ्ते के अन्दर वापस ले लिया, जब कि नियमानुसार 10 हजार रुपया कैश न जमा होकर बाई चेक जमा किये जाने चाहिये थे । यह यहीं लखनऊ का ही मामला है । मान्यवर, जहां तक भूमि विकास बैंक का सवाल है, उसमें आमदनी दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, 1983 में पिछले वर्ष की तुलना में 50 लाख कम आमदनी हुई । इसमें जो फर्जी ऋण दिये गये हैं, इन संदिग्ध ऋणों से हानि 63.85 लाख रुपये इस वर्ष हुई । इसी तरह से 12 करोड़ रुपये यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया के बण्ड खरीदे गये । ये बाण्ड जो हैं रिजर्व बैंक की सलाह के विपरीत खरीदे गये, जब कि रिजर्व बैंक 77 रु0 पर हन्ड्रेड बाण्ड के हिसाब से देने को तैयार था, उन्होंने प्राइवेट फर्म से 80 रुपये पर हन्ड्रेड रुपीज बाण्ड की दर से खरीदे, इससे बैंक को भारी हानि हुई, परन्तु भ्रष्ट अधिकारियों को भारी कमीशन प्राप्त हुआ ।

ये बाण्ड नियमानुसार बैंक के बोर्ड की स्वीकृति से खरीदे जा सकते थे, परन्तु बोर्ड को डिजाल्व हुये 3 वर्ष हो चुके हैं इसलिये अधिकारियों को इन बाण्डों को खरीदने का अधिकार ही नहीं था । 8 लाख से 10 लाख रुपये विज्ञापन पर प्रति वर्ष देहली की फर्म को देते हैं, जबकि वही विज्ञापन स्थानीय फर्मों द्वारा काफी सस्ती दरों पर किये जा सकते हैं । इन भ्रष्ट अधिकारियों में कुछ के विरुद्ध जांच भी की गई और जांच द्वारा आरोप-पत्र लगाये गये, जिनसे साबित हुआ कि इन अधिकारियों ने बैंक की कई ब्रान्चों पर फर्जी ऋण देने वाले अधिकारियों से रिश्वत लेकर उनको

बचाया है और भी कई अनियमिततायें सिद्ध हुई, परन्तु उनके विरुद्ध आरोप-पत्र लगाने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई, क्योंकि उनका कहना है कि विभागीय मन्त्री हमारे साथ हैं इसलिये उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जिन कर्मचारियों ने उनके विरुद्ध शिकायत की है, उनमें से बहुतों को बरखास्त किया जा रहा है और बहुतों को आतंकित किया गया है। मान्यवर, इस कारण से बैंक के ईमानदार कर्मचारियों में भी क्षोभ व्याप्त है। प्रदेश के किसानों को भी पर्याप्त मात्रा में ऋण नहीं मिल रहा है। किसान परेशान हो रहे हैं। इसलिये इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय में तुरन्त कार्यवाही की आवश्यकता है। मान्यवर, यह अत्यन्त आवश्यक है इस विषय पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा करायी जाय।

श्री अम्मार रिजवी—

श्रीमन्, यदि आवश्यक समझूंगा तो इस सारे प्रकरण की जांच करा कर कार्यवाही करेंगे अखबारों का हवाला माननीय सदस्य ने दिया है, इससे कोई कार्य-स्थगन का प्रश्न नहीं बनता, लेकिन ध्यान आकर्षित कराया है, इसके लिये धन्यवाद। जांच करा कर फिर आपको बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य सरदार सिंह और माननीय गोपी नाथ वर्मा के बारे में भी बता दें।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, इस समय मेरे पास इसकी सूचना नहीं है, इसकी भी जांच करा लूंगा।

*श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के अन्दर करीब आधे से ज्यादा जिले बाढ़ में डूब गये और हमारा जिला पूरे उत्तर प्रदेश के अन्दर जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में घाघरा और गोमती नदी के किनारे के जो अफेक्टेड जिले हैं, उसमें से था, सबसे अधिक प्रभावित था। उस बाढ़ के आने से हमारे यहां कुछ नहीं बचा। सीतापुर, लखीमपुर, बहराइच में कुछ नहीं बचा। हमारे यहां की यह हालत थी कि सड़कों के ऊपर 5-5, 6-6 फिट पानी भरा था। उससे गन्ना चला गया, लाही चली गई, अरहर चली गई, धान और मक्का चला गया। गेहूं की फसल खेत में लगी है। मान्यवर, लगान की वसूली डंडे के बल पर हो रही है। मान्यवर, यह सरकार मुख्य मन्त्री, संसदीय कार्य मन्त्री यहां रोज बार-बार कहते हैं कि जहां 100 प्रतिशत का नुकसान हुआ है, लगान माफ कर देंगे। कलेक्टरों के पास लगान माफी की कोई सूचना नहीं है। मैंने कई कलेक्टरों से पूछा। शासन को लिखकर उन लोगों ने भेजा है कि इस जिले में 100 प्रतिशत नुकसान हुआ है।

हमारे सीतापुर जिले की महमूदाबाद और बिसवां तहसील में लाठी के बल पर लगान की वसूली हो रही है। संसदीय कार्य मन्त्री जी को अपने क्षेत्र के बारे में कुछ पता नहीं है मैं हमदर्दी रखता हूं इसलिये बता रहा हूं कि आपके क्षेत्र में भी डंडे से बल पर वसूली हो रही है। मैं थानगांव में था 15-15, 20-20 आदमियों की कुड़की हो रही है, बैंक की वसूली भी जारी है, हर तरह की वसूली जारी है। मैं निवेदन करूंगा कि जहां 100 प्रतिशत नुकसान हुआ है वहां पर अकेले सीतापुर नहीं सारे जिलों की वसूली की कार्यवाही रोकी जाय और बैंक की तकावी और कोआपरेटिव बैंक की वसूली रोकी जाय। वरना आपकी सरकार का नाश तो हो ही रहा है उसमें यह और जुड़ रहा है, आप बच्चा पाठक को बुलवा लें और सख्ती से आदेश दें कि वसूली रोकी जाय।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकार बार-बार घोषणा करती है कि हम वसूली को रोक रहे हैं और कलेक्टरों को चुपके से कह देती है कि वसूली जारी रखी जाय। घर गिरी का जो पैसा दिया जा रहा है दो सौ रुपये का चेक देते हैं उसमें 50 रुपये लेखपाल पहले रख लेता है। आज यह हालत हो गई है। इस पर मान्यवर, स्पष्ट वक्तव्य होना चाहिये और कलेक्टरों को हिदायत होनी चाहिये कि अविलम्ब वसूली रोकें। माननीय संसदीय कार्यमन्त्री जी जहां 100 प्रतिशत नुकसान हुआ है वहां पर लगान समूचा माफ करने की अविलम्ब घोषणा करें। यह अविलम्बनीय महत्व का प्रश्न है शासन से इस पर वक्तव्य दिलवायें और तत्काल मन्त्री जी से आश्वासन दिलायें कि कलेक्टरों को लगान वसूली स्थगित करने के लिये तुरन्त वायरलेस किया जायेगा।

श्री अम्मार रिजवी--

इससे पहले ओलावृष्टि की बात आयी थी तो आपके समक्ष रखा था कि कलेक्टरों को मुख्यालय से आदेश दिये गये हैं जहां पर नुकसान हुआ है दैवी आपदाओं की वजह से वहां पर वसूली रोक दी जाय। यही बात उन जगहों के लिये है जहां बाढ़, सूखा में 80 प्रतिशत से 100 फीसदी फसल तबाह हुई है। अगर ऐसी जगहों पर वसूली की जा रही है तो आदेश दिये जायेंगे कि वसूली रोक दी जाय।

श्री सरदार सिंह--

हमारे यहां के बारे में आपने कुछ नहीं कहा।

श्री अम्मार रिजवी--

मैंने हर जगह के लिये कहा है जहां इस प्रकार का नुकसान हुआ है।

श्री मुख्तार अनीस--

मैंने दो बातें कही थी, पहली जो शासन के देय है उसको रोका जाय और जो बैंक का कर्ज है उसको रोका जाय।

श्री अध्यक्ष--

मैंने माननीय मोहन सिंह के बारे में निर्णय दे दिया था, कुंवर सिंह नेगी की सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुये निर्देश देता हूं कि मन्त्री जी जांच करके मुझको प्रतिलिपि भेजेंगे और श्री कुंवर सिंह नेगी को उसकी सूचना देंगे। श्री सरदार सिंह की सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया है। श्री शंकर सिंह की सूचना को मैंने वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है।

श्री गोपी नाथ वर्मा के मामले में आप ध्यान देते हुए और कार्यवाही करते हुए मुझे भी सूचित करेंगे और श्री मुख्तार अनीस का मसला आप के जिले का ही है। खासतौर से तमाम प्रदेश के बारे में जो आश्वासन दिया गया है उसमें जिलाधीशों को सूचना देंगे जितने भी कार्य-स्थगन प्रस्ताव हैं सबको मैं अस्वीकार करता हूं।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, श्री मुख्तार अनीस के मामले में आश्वासन छः सात बार दिए गये पूरे नहीं करते मान्यवर, घोषणा करवा दें।

वित्तीय वर्ष 1984-85 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमागत)†

*श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन् इस साल माननीय वित्त मंत्री जी ने 4,629·00 करोड़ रु0 के खर्चे का बजट प्रस्तुत किया है। जिसमें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†दिनांक 5 मार्च, 1984 की कार्यवाही से।

59·32 करोड़ का घाटा है पिछले साल से 6 करोड़ रुपये का इनका खर्चा बढ़ गया पिछले साल जो खर्चा था वह 4 हजार 18 करोड़ रुपया था। 600 करोड़ रुपया बढ़ गया। श्रीमन्, सबसे पहले मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जो यहां मौजूद हैं उनका बहुत ही लज्जाजनक बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, काकोरी में जो शिलान्यास हुआ जिसमें प्रधानमंत्री जी आईं जिसमें काकोरी से संबंधित लोगों को सम्मान दिया था आजादी में हिस्सा लेने वाले लोगों के सम्मान की बात कही लेकिन एक बात समझ में नहीं आई एक तरफ तो सम्मान देना चाहते हैं और दूसरी तरफ अपमान बार-बार किया, आपने ही नहीं किया आपको प्रधानमंत्री ने भी किया। आपको अगर याद न हो, कैसे याद आ जाएगा। लेकिन उस दिन की कार्यवाही टेपरिकार्ड हुई है वह देख लें। आप सब लोगों ने उस दिन के शहीदों के बारे में जो आजादी हासिल करने के दीवाने थे उन सबको यह कहा कि

(इस समय 1 बज कर 38 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री भीखा लाल पीठासीन हुए।)

'काकोरी डकैती' आप उठाकर टेपरिकार्डर देख लीजिए आप उस दिन का अखबार देख लीजिए आपने यह नहीं कहा कि इन आजादी के दीवानों ने सरकारी खजाने पर कब्जा किया था आपने कहा, ट्रेन की डकैती का केस' मुझे समझ में नहीं आता जिन्होंने हंसी खुशी से फांसी का फंदा चूमा उनके बारे में आप भी यही राय रखते हैं, वह डकैती थी। जिन्होंने नेशनल मूवमेन्ट चलाने के लिए अंग्रेज की सरकार के खजाने पर कब्जा किया। मैंने बड़े गौर से प्रोसीडिंग को सुना।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, माननीय प्रधान मंत्री जी ने, अपनी पूरी स्पीच में मान्यवर, डकैती शब्द का इस्तेमाल नहीं किया आप मंगा लें और माननीय रियासत हुसैन साहब आ जायें मैं भी आ जाऊं और आप भी सुन लें।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, शब्द 'लूटा गया' खजाना लूटा गया सबने लूटने का लफ्ज कहा इस पर बड़ा अफसोस मुझे है चूंकि उन लोगों का सम्मान आप करना नहीं चाहते थे यह तो आपकी मजबूरी है कि उन लोगों द्वारा जो आजादी मिली है उस पर आप ऐश आराम से गुजर कर रहे हैं।

श्रीमन्, मुझे इस बात का अफसोस है। श्रीमन्, 20 सूत्रीय कार्यक्रम की बात पर ही सारा बजट है। मगर श्रीमन्, बीस सूत्री कार्यक्रम के बारे में प्लानिंग कमीशन की जो रिपोर्ट है, उसमें आपको क्या केटेगेराइज किया है, आपने देखा या नहीं, उन्होंने आपको डिकेटेगेराइज किया है। उन्होंने यह कहा है कि जमीन के बटवारे को छोड़कर और जितना भी काम किया है आपने, यह सब का सब डिकेटेगेराइज है। केरल वगैरह स्टेट्स के साथ आपको जोड़ा गया है। सिर्फ 35 प्रतिशत काम हुआ है।

बीस सूत्री कार्यक्रम चलाने के लिये इस सदन के अन्दर जब बात हुई कि स्टेट लेबिल पर सारी पार्टियों की समिति बने तो इनके आदेश जारी हुए कि जिला स्तर पर बीस सूत्री कार्यक्रम के लिये कमेटी बने। उसमें जो प्रस्ताव है, जो सदस्यों की सूची है, उसमें इन्होंने लिखा है कि जनपद के समस्त संसद सदस्य' लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि चीफ मिनिस्टर साहब देखें, कि श्री सुरेन्द्र मोहन, जो एम0 पी0 हैं, आगरा के उनको उस लिस्ट में एक्सक्लूड कर दिया है। जो दूसरी पार्टी के एम0 पी0 हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया है। उन्होंने माननीय मंत्री जी को पत्र भी लिखा है कि वे बीस सूत्री कार्यक्रम समिति में नहीं हैं जबकि होना चाहिये। लेकिन जब आप चाहते हैं अपने आदमी तो ऐसी तो सैकड़ों

चिट्ठियां पड़ी हैं। ला एन्ड आर्डर के बारे में देखें तो कहा गया है बड़ी भारी अच्छी हो गयी है, सब ठीक है। समझ में नहीं आता कि कैसे ठीक है।

ला एन्ड आर्डर की जो बड़ी घटनाएं हैं उनको अगर आप देखें, मैं 2-4 घटनाओं का खास-तौर से हवाला देना चाहता हूं। मगरासा कांड का अभी तक पता नहीं चल सका है कि हत्या करने वाले कौन थे। कानपुर के अन्दर चार लड़कियों का मर्डर हुआ। इसका पता नहीं चल सका कि कैसे हुआ। इन्क्वायरी में आया है कि पुलिस ने एकाएक सील करके पोस्टमार्टम कराकर रिपोर्ट दे दी। कहते हैं कि फांसी से मरी हैं। उनके पैर जमीन से लगे हुए थे, आंखें नहीं निकलीं और पुलिस ने एकाएक मामले को खतम करने के लिये पोस्टमार्टम कराकर रिपोर्ट दे दी कि फांसी से मर गयीं। मंत्री जी का रक्षक था उसको ट्रेन से फेंक दिया गया। गुलाब सेहरा जी के साथ था। 1-2-1984 की खबर है। श्रीमन्, बैराज में चार लोग मारे गये, उसमें एक बूढ़ी औरत जिंदा जल गयी। बदायू में लगातार 3 बसें और ट्रकें लूटी गयीं। एक सब इन्सपेक्टर को गोली मार दी गयी जालौन में मेरठ कचेहरी में गोली चली। कान्स्टेबिल द्वारा तीन हजार रुपये लूटे गये। पांच आदमियों के इनकाउन्टर के मामले में विधायक जितेन्द्र पाल जी को मरण वृत्त रखनी पड़ी। खबर में आया है 2-3-1984 को कि जो दरोगा बड़ा पापी और गुनहगार है, वह पुलिस में भर्ती है, वह बहुत बड़ा क्रिमिनल है।

श्रीमन्, कानपुर में दिन दहाड़े किदवई नगर में डकैती हुई। ये घटनायें देखी जायं तो कैसे कह सकते हैं कि ला एन्ड आर्डर अच्छा है, हमें यह बताया जाय। इनकाउन्टर बदस्तूर कायम है, लूट कायम है, फिर भी कहा जाता है कि ला एन्ड आर्डर अच्छा हो गया। हमारी समझ में यह बात नहीं आयी 60 की फौज डी0 आई0 जी0 की और डेढ़ लाख की फोर्स मौजूद है..

श्रीमन्, आज अखबारों में खूब पढ़ने को मिलता है कि फलां-फलां जगह इन्होंने ऐसा कर दिया है। इसकी इनके यहां कोई कमी नहीं है। मुरादाबाद में 13 अगस्त, 1980 को जो कान्ड हुआ उसमें अभी तक किसी को सजा नहीं मिली है। जो मस्जिद तोड़े गये थे, उनका अभी तक रिस्टोरेशन नहीं किया गया है। उसके बाद मेरठ का कान्ड हुआ। अभी कुछ दिन पहले टांडा और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कान्ड हुआ। जिस माइनोरिटीज के लिए आप कहते हैं, उसे आप जरा ध्यानपूर्वक देखें। आज क्लास 'ए' में 3·4 परसेन्ट माइनोरिटीज के लोग हैं, क्लास बी में केवल 5·30 परसेन्ट हैं, क्लास सी में केवल 7·10 परसेन्ट हैं तथा क्लास डी में केवल 9·15 परसेंट लोग हैं। यदि इनका टोटल एवरेज लिया जाय तो इनकी संख्या केवल 7·47 परसेन्ट है। जिन माइनोरिटी के बारे में एक अकलियत कमीशन बनाया गया था तथा जिसने जो-जो रिकमेन्डेशन की थीं, उनमें से आप किस-किस को पूरा करने जा रहे हैं? यदि आप किसी को पूरा करने जा रहे हैं तो आप उसकी इस सदन में घोषणा कर दें। माननीय सदस्या उसकी चेयरमैन भी रही हैं। उसमें जो मुसलजान मेम्बरान हैं, उनके ऊपर हाथ रख कर क्या उनके वायदों को आप पूरा करने जा रहे हैं। चाहे वह राजनैतिक हो, आर्थिक हो और चाहे वह सामाजिक हो, आज किसी भी क्षेत्र में कोई कार्य नहीं कर रहे हैं।

श्रीमन्, देवा शरीफ में 100 लोग एक बस के गंगा में डूब जाने से मर गये, उसकी आप इन्क्वायरी करवाइये। उसके पीछे क्या मामला है और किस तरह से वह बस दुर्घटनाग्रस्त हुई, इन कारणों का आप पता लगायें। आज पांचवीं बार आपने जो उर्दू का अध्यादेश दिया है, अभी उसकी तिथि बिजनैस एडवाइजरी कमेटी द्वारा तय नहीं हुई है

कि उसे कौन सी तारीख को सदन में लाया जाय, किन्तु सड़कों पर जा कर आप देखिये कि वहां क्या-क्या लिखा है ? आपकी कैबिनेट बटी हुई है । अभी आप यह नहीं बता सकते कि कैबिनेट में आप सब लोगों को उस पर क्या ओपीनियन है अर्थात् कैबिनेट की क्या ओपीनियन है उस पर । लेकिन आप उर्दू के बारे में यह फैलाना चाहते हैं कि इसी सदन के अन्दर उर्दू के लिए बिल को पास किया जायेगा । इधर 14 तारीख को हाई-कोर्ट में इसके लिए तिथि निश्चित हुई है क्योंकि उर्दू के खिलाफ हाई-कोर्ट में रिट दायर की गई है । आप उसके निर्णय को देख रहे हैं । हाई-कोर्ट के निर्णय के बाद ही आप विचार करेंगे कि इसे सदन में लाया जाय या नहीं । आपकी नियत साफ नहीं है । जो अकलियती कमीशन बैठाया गया था, उसकी रिकमेन्डशन को भी पूरा करने म आपकी नियत साफ नहीं है ।

श्रीमन्, आज तक उपाध्यक्ष का चुनाव हो जाना चाहिए था, परन्तु अभी तक नहीं कराया गया है । आप 13 तारीख तक उपाध्यक्ष का चुनाव करा देंगे ? आज रूल्स का वायोलेशन आप कर रहे हैं, नियम 14 की पूर्ति आप नहीं कर रहे हैं । आज हरिजनों को जिन्दा जलाया जा रहा है । कानपुर में हरिजनों का जो हास्टल है, उसमें विजिलेन्स द्वारा इनक्वारी करायी गयी । विजीलेन्स ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 20-1-83 को सबमिट कर दी । विजीलेन्स की रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया कि उस हास्टिल में 38 एसे आदमी रहते हैं, जो हरिजन नहीं हैं । उसमें कुछ ठाकुर हैं और कुछ पाल हैं । वे सभी लोग छात्रवृत्तियां भी ले रहे हैं और जो रियायतें हरिजन छात्रों को दी जाती हैं, वे सभी उनको दी जा रही हैं । बालमीकि, चमार-यह विजिलेंस की रिपोर्ट है । फर्जी करके वह आपके ठाकुर, पाल, हरिजनों का हक ले रहे हैं । 60-60 आदमियों का पता नहीं है, छात्रवृत्ति कानपुर के अन्दर ली जा रही है । इसमें साढ़े चार लाख का घोटाला है, इसकी बाबत विजिलेंस की रिपोर्ट है, आडिट की रिपोर्ट है, उस पर आज तक कोई कार्यवाही आपने नहीं की । किसी तरह से कार्यवाही हो जाय, तो इसमें स्थिति साफ हो यह हरिजनों की हालत है । उसके बाद अगर आप चलें, तो उसमें इस वक्त की हालत को देखें महंगाई वगैरह आदि को आपने इस वक्त कहां पहुंचा दिया है । यह मेरे पास पूरी फीगर्स हैं । नवम्बर, 1980 में श्रीमन्, आपके लखनऊ के जो रेट थे और अब जो रेट हैं, उसको एक तुलनात्मक स्थिति है, इस पर जरा गौर करें । मान्यवर, उरद की दाल का रेट था उस समय 3.60 रु0 किलो, अब वह 8 रु0 किलो है । अरहर की दाल का रेट उस वक्त 3.20 रु0 किलो था, अब वह 8 रु0 किलो है । चावल मोटा 1.60 रु0 किलो था, अब वह 5 रु0 किलो है ।

डाक्टर धर्मपाल सिंह--

आप पुराने जमाने के रेट बता रहे हैं ।

श्री रियासत हुसैन--

यह मैं आपके जमाने की बात-बता रहा हूं । मैं जनता पार्टी के शासन की बात नहीं कर रहा हूं । नवम्बर, 1980 में आप थे ।

बासमती चावल जो 3.20 रु0 किलो था, अब वह 10 रु0 किलो है । सरसों का तेल उस वक्त 9 रु0 किलो था, आज वह 22 रु0 किलो है । आटा मिल का यह 1.30 रु0 का था, 90 किलो का बैग, अब वह 270 रु0 है । लकड़ी 30 रु0 क्विंटल थी, अब 100 रु0 क्विंटल है । कोयला 48 रु0 क्विंटल था, अब 100 रु0 क्विंटल है । यह आपके शासन के जमाने की हालत है ।

अब मैं पब्लिक अंडरटेकिंग्स की बाबत आता हूं। पता नहीं आप आगे उन्हें कायम रखेंगे या नहीं। पब्लिक अंडरटेकिंग्स में 15 करोड़ रुपए महीने का नुकसान है। इस पर तमाम बार मसले उठ चुके हैं। प्राइमरी स्कूलों में 27 हजार जगहें खाली हैं। ओबरा आपका जल गया है, उसमें बताया गया कि 30 करोड़ का नुकसान हो गया। लेकिन, मैं कहता हूं उसमें 100 करोड़ से कम का नुकसान नहीं हुआ है और उस नुकसान के अलावा आप उस नुकसान की कल्पना करें जो कामर्शियल, इन्डस्ट्रियल में, एग्रीकल्चर में, जो बिजली न मिलने की वजह से, विद्युत में कटौती की वहज से, हुआ। आपने दो घंटे कावाल एरियाज में कटौती की 3 घंटे की म्युनिसपिल एरियाज में कटौती 4 घंटे की टाउन एरियाज में की और 18 घंटे की रूरल एरियाज में की। जो 6 घंटे की बिजली उस हिसाब से रूरल एरियाज में दी जानी चाहिए थी, वह भी पूरे-पूरे तरीके से नहीं गयी। मान्यवर, आज भी उर्जा के सम्बन्ध में यहां एक प्रश्न आया था, आप उसमें तीस मारखां पना दिखा रहे थे। मैं उसी सम्बन्ध में एक सवाल करना चाह रहा था, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय नें उस पर मौका नहीं दिया।

मान्यवर, इसके अलावा सान्याल साहब ने रेडियो पर एक भेटवर्ता में अपना बयान दिया, प्रदेश में विद्युत उत्पादन की स्थिति बतायी। मान्यवर, विद्युत् के उत्पादन से प्रदेश का विकास जड़ा हुआ है। मान्यवर, आज विद्युत की हालत क्या है। मान्यवर, 37 सौ मेगावाट जनरेटिंग केपिसिट है और जनरेशन है 17-सौ मेगावाट। डिमांड है 24 सौ मेगावाट मान्यवर, उन्होंने जो स्थिति रखी थी, यह उसी से सम्बन्धित है। आपके कहने के मुताबिक 22 से 24 पैसे हमको मिल रही है रिकवरी, जब कि कास्ट बैठ रहा है 60 पैसे। इस तरह से हर साल बिजली बोर्ड को 140 करोड़ रिअम्बर्समेन्ट करें। यह सान्याल जी ने कहा। मान्यवर, उन्होंने भूमिका बांध दी कि बिजली बोर्ड का कर्जा मिलने के लिये उसकी लिमिट बढ़ायी जाय 140 करोड़ की बात उन्होंने आज ही से बता दी कि रिअम्बर्समेन्ट करें। मान्यवर, 1988-89 तक बिजली के उत्पादन का जिक्र किया गया, यह कहा गया कि 1988-89 तक 38 सौ मेगावाट हो जायेगा। लेकिन मान्यवर, आप देखें उस वक्त कितनी डिमांड बढ़ जायेगी। मेरे मतानुसार तब 5000 मेगावाट की डिमांड हो जायेगी, 24 सौ मेगावाट के आज के बजाय तब 5,000 मेगावाट हो जायेगी। उत्पादन तो इनका बढ़कर तब 17 सौ के बजाय 38 सौ हो जायगा, लेकिन डिमांड भी ती बढ़कर 24 सौ के बजाय तब पांच हजार हो जायेगी। इसके अलावा, मान्यवर, बड़े शर्म की बात है कि पूरे देश में जितने भी ट्यूबवेल हैं, 80 प्रतिशत अकेले पंजाब में हैं और बाकी बचे 20 प्रतिशत में आप भी हिस्सेदार हैं।

गन्ने की कीमत के बारे में आपके मन्त्रियों ने ऐलान किया है कि क्रसिंग सीजन के पहले अदा कर देंगे। 35 करोड़ रु0 का बकाया है गन्ने की कीमत का। आपके पास 20 सूत्रीय कार्यक्रम के सिवाय कुछ नहीं है। जो दिल्ली से प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट छपी है, उस सम्बन्ध में अंग्रेजी की दो लाइनें पढ़ने की इजाजत चाहता हूं। उसमें लिखा है कि :

"दिस इज रिवील्ड इन ऐन इवेलुएशन मेड बाई दि प्लानिंग कमीशन फार दि पीरियड फ्राम अप्रैल 1983 टु जनवरी, 1984 दंट दि एरियां इन ह्विच दि स्टेट परफारमेन्स इज वेरी पुवर आर-रिहैब्लीटेशन, आफ बान्डेड लेबर, हाउसिंग फार इकोनामिकली वीकर सेक्शन, विलेज इलेक्ट्रीफिकेशन एन्ड

दि नेशनल रूरल डेवलपमेन्ट प्रोग्राम।" इसके आग उन्होंने लिखा है कि :

"इन मेनी आफ दि एरियाज यू0 पी0 हैज बीन प्लेस्ड इन दि फोर्थ कैटेगरी एलांगविद मनीपुर, केरल, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, जम्मू कशमीर, त्रिपुरा।"

आपकी यह हैसियत है कि चौथे नम्बर पर रखे गये हैं। इस बीस सूत्रीय कार्यक्रम का यह हश्र है। सच बात यह है कि इनको इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। इनकी इस बात से दिलचस्पी है कि मंत्री कौन बनने वाला है, कौन निकलने वाला है। इससे इन्होंने इन-स्टेबिलिटी पैदा की है। पता नहीं सरकार कब बदलेगी। हर डिपार्टमेन्ट का हैड डायरेक्टर यह देखता है कि पता नहीं मन्त्री परिषद कब रिशफिल हो जाय। जब इन चीजों की तरफ ध्यान दिया जाता है तो बड़ा अफसोस और इस बात की तकलीफ होती है कि खर्चा 600 करोड़ का बढ़ा दिया लेकिन आज शिक्षक, पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला अध्यापक, सरकारी मुलाजिम, किसान मजदूर कोई भी सन्तुष्ट नहीं है।

मोदी नगर का मसला चल रहा है पांच आदमियों की भूख हड़ताल अनिश्चितकाल के लिये जी0 पी0 ओ0 पर शुरू हो गयी है। श्री सुरेन्द्र मोहन की भूख हड़ताल आपने आश्वासन देकर तुड़वायी, जो भी शर्तें रखी गयी हों। कोई भी सिचुएशन सामने आये, वक्त टालने के लिये आप झूठे-सच्चे वादे कर देते हैं। आप भूल जाते हैं कि दूसरी बार आपके वही वायदे गम्भीर समस्या के रुप में उभर कर सामने आते हैं लेकिल आपको इसमें दिलचस्पी नहीं है कि ये सारे मामले हल हों। इसके साथ ही माननीय मंत्री जी को यह संकेत करना चाहता हूं कि सेन्टर में भी जिस तरह से बजट पेश हुआ है, सब की ओपीनियन यही है कि इलेक्शन सामने आ रहा है, यह "इलेक्शन बजट" है, आप भी इस बात को ध्यान में रखिय कि आप भले ही मन्त्रियों को "कास्ट वाइज" बना दें और यह कहें कि हमने सबको प्रतिनिधित्व दिया है, लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है। जब तक मजदूर, किसान, छात्र, अध्यापक, सरकारी मुलाजिम की समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे तब तक इस बजट में आपको, जो मिनिस्ट्री आपने बढ़ायी है, उससे सफलता मिलने वाली नहीं है। जनता बैलेट के जरिये से आपको निकालकर खड़ा कर देगी।

*श्री जियाराम शुक्ल विकल 'साकेती'—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे सामान्य बजट की चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। जब से माननीय वित्त मंत्री जी ने यह बजट प्रस्तुत किया है सदन में मैंने पक्ष और विपक्ष के माननीय नेताओं की बातें सुनीं, नेता विरोधी दल को सुना और अभी भाई रियासत साहब को भी सुना। यह सब अपने-अपने ढंग से कहने की बातें हैं और इन लोगों की बहस में मुझे ऐसी कोई बात नहीं दिखाई पड़ी और न ही उसमें कोई रचनात्मक सुझाव हैं। रियासत भाई कभी-कभी बजट पर बात करते हैं और कभी सामान्य प्रशासन पर और कभी ला एण्ड आर्डर पर और कभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की बात कर गये और बार-बार उन्होंने मैडम का नाम लिया श्रीमती इंदिरा जी का नाम लिया, तो इस पर मैं यह कहता हूं कि--

"महोदय जब कभी यह इंदिरा का नाम लेते हैं, कुछ भी कहें लेकिन कलेजा थाम लेते हैं।"

लेकिन मैं साथ ही एक तुलसी की चौपाई से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि--

तुलसी अपने राम को रीझि भजै या खीझ,
बीज पड़े भुई जामहिं, उल्टा पड़े की सीध।"

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो चाहे जिस तरह से भी आप उनका नाम लें, कलेजा थाम ही लेते हैं। मान्यवर, सामान्य बजट जो प्रस्तुत किया गया है सदन में, वह पूर्णरूपेण सर्वांगीण है और उसमें सर्वांगीण विकास के समस्त लक्षण हैं, सारी बातें उसमें कही गयी हैं, इसी तरह से--

"कीरति भनिति भूति भलि सोई,
सुरसरि सम सबकर हित होई।"

कीरत की तरह से काव्य और सम्पत्ति की तरह से गंगा के समान यह सबको हित पहुंचाने वाला है और इससे समाज के प्रत्येक वर्ग को लाभ मिलेगा। साथ ही साथ यह भी स्मरण रखने की बात है कि परियोजना में उत्तर प्रदेश की वार्षिक दर 5-7 प्रतिशत है जो हमारे पूरे देश के विकास की दर से अधिक है, तो मान्यवर, इससे यह लगता है कि हमारे प्रदेश में जो भी कार्य हो रहे हैं, उसमें प्रगति हो रही है और इसके अन्दर किसी प्रकार से कमी नहीं है, फिर हमको निराश नहीं होना चाहिये और न ही इसकी जरूरत है। इसमें जो भी योजनाएं ली गयीं हैं हर एक का उत्पादन बढ़ा है, चाहे खाद्यान का हो, गन्ने का हो, राज्य की प्रति व्यक्ति आय हो वह भी बढ़ी है, सीमेंट का उत्पादन बढ़ा है और विशेष कर विधवा पेंशन, निराश्रित पेंशन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सम्बन्धी योजनाएं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनायें तथा आई0 आर0 डी0 जितनी भी योजनाएं हैं, उन सब में काम हुए हैं और यह योजनाएं हमेशा से प्रगति के रास्ते पर हैं। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि यह जो बजट माननीय मंत्री जी द्वारा पेश हुआ है, उसमें किसी भी वर्ग को छोड़ा नहीं गया है। प्रत्येक ब्लाक के लिए 5 लाख की लघु सिंचाई योजना आ गयी है जो कृषि के उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से आई0 आर0 डी0 योजना के अन्तर्गत हमारे क्षेत्र ब्लाक कटेहरी, फैजाबाद में जो सामान का बंटवारा किया गया है, पात्र व्यक्तियों में, उसका मैंने स्वयं निरीक्षण किया और उसको सही पाया। हां, इसका मतलब यह भी नहीं है कि कहीं पर कोई गड़बड़ी है ही नहीं गड़बड़ी जरूर है और इस पर अगर आपकी सृजनात्मक आलोचनाएं होंगी तब उन्हें हम अवश्य सराहेंगे और इन सब पर काबू पाने के लिए आप सब का भी सहयोग जरूरी है और हमारी सरकार का इस ओर हाथ यदि आप बटाएं और साथ दें तो हमारा काम और आसानी से हल हो सकता है।

ऐसा कुछ है कि जो हरिजनों को अनुदान दिया जाता है, बैंकों से ऋण का भुगतान किया जाता है उसमें कुछ ऐसी बातें सामने आती हैं। तो इस सम्बन्ध में मेरा अपना एक व्यक्तिगत सुझाव है कि सरकार को इस ओर जरूर ध्यान देना चाहिये और जो भी अनुदान हरिजन को या भूमिहीनों को दिया जाय वह तब तक न बांटा जाय या उसे बंटा हुआ पूर्ण न माना जाय जब तक कि उस पर ग्राम प्रधान के, ब्लाक प्रमुख के व क्षेत्रीय विधायक के हस्ताक्षर न हों या यह अनुदान उन तीनों के सामने वितरित हो और उस पर तीनों के हस्ताक्षर हो जायं। क्षेत्रीय विधायक चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का हो उसके दस्तखत होने के कारण कोई गड़बड़ी नहीं होने पायेगी। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस योजना को जरूर लागू किया जाय। यदि हम लोगों के सामने कोई धनराशि बांटी जायेगी तो कोई घोटाला नहीं होने पावेगा क्योंकि हम जनता के बीच से ही आते हैं और उसी जनता के बीच से हमें फिर लड़ाई करने के लिये तैयारी करनी है इसलिये इसमें फिर कोई घोटाला किये जाने की सम्भावना नहीं रह जायेगी।

इसी के साथ ही साथ में यह कहना चाहता हूं कि माननीय रियासत भाई तो चले गये। अब उनके भाषण से जो दर्द नजर आया, कभी उसका अहसास नजर आया और कभी दोनों ही नहीं

नजर आये तो इससे प्रभावित हो कर मैं चार लाइनें सुनाना चाहता हूं कि:—

तस्कीन नहीं, दर्द नहीं, अहसास नहीं है,
अब कोई भी सरमाया इनके पास नहीं है।
पहले था अहसास, न था दर्द मोहब्बत,
अब दर्द मोहब्बत है तो अहसास नहीं है।

इसी ऊहापोह में डूबते उतराते हुए माननीय रियासत भाई बोल रहे थे और अब शंकर सिंह जी उस पर बोलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बजट की सामान्य चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया और मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट की सामान्य चर्चा पर बोलने की अनुमति प्रदान की है। मान्यवर, यह बात सत्ता पक्ष वाले भी मानेंगे कि यह सरकार और इस सरकार का जो यह बजट है यह पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने वाला है और गरीब लोगों का घोर विरोधी है।

मान्यवर, पूंजीपतियों की मदद तो यहां नियम और कानून तोड़ कर की जाती है। अभी सदन में कुछ दिन पहले मैंने मामला उठाया था कि मान्यवर, जो वित्त मंत्री जी का चुनाव क्षेत्र है मंसूरी, वहां पर भू-गर्भ वैज्ञानिकों की राय से वहां की जमीन कमजोर होने की वजह से दो मंजिल से अधिक के बड़े मकान बनाने की अनुमति नहीं है लेकिन वित्त मंत्री जी की सरकार में, इस शासन में 1982 में यह रोक हटा दी गयी और दिल्ली के कालोनाइजर्स ने नियमों को तोड़ कर वहां पर सात-सात और आठ-आठ मंजिले भवन बनाने की अनुमति प्राप्त कर ली है।

मान्यवर, इसी तरह से आज मैंने मामला उठाया था कि लाल कुंवा, जिला नैनीताल में बिड़ला को 400 एकड़ जमीन सेंचुरी पल्प एण्ड पेपर मिल के लिये सस्ते दामों पर क्यों दी गयी। ये वन संरक्षण की बात करते हैं। 1980 में वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। मान्यवर, मैंने उदाहरण दिया कि जनपद चमोली में हरमानी पिंडर पर 70 हजार रु0 खर्च हो गया है और 1980 में उसकी स्वीकृति भी हो गयी है परन्तु उसको रोक दिया गया और ·01 हेक्टेयर जमीन की वजह से उसे बिड़ला जी को दे दिया। यह 400 एकड़ भूमि जिस पर साल के व शीशम के पेड़ खड़े थे तो इस तरह से 10 हजार पेड़ काट लिये गये। इसकी सूचना केन्द्रीय सरकार को भी नहीं है। मैं कृषि मंत्री, श्री राव वीरेन्द्र सिंह से मिला था तो उन्होंने कहा कि हमको जानकारी नहीं है। यहां पर इस मंत्रिमंडल ने, इस सरकार ने जबरदस्त घोटाला किया है, योजनाबद्ध अपराध किया है। मैं जानना चाहता हूं कि यह गरीबों की सरकार है या अमीरों की?

मान्यवर, मैंने एक प्रश्न किया था कि यहां पर दो साल में जो मनोरंजन टैक्स फिल्मों पर माफ किया गया उससे प्रदेश को कितनी हानि हुई है? तो वित्त मन्त्री जी का उत्तर आया कि इसमें वर्ष 1982-83 में 6 फिल्मों को और 1983-84 में 1 अक्तूबर तक 7 फिल्मों को मनोरंजन कर से मुक्ति प्रदान की गयी। 1982-83 में 249·46 लाख रु0 और दिसम्बर, 1983 तक 330 लाख रु0 की मनोरंजन कर से हानि हुई है प्रदेश को। मान्यवर, दो साल में यह 7 करोड़ से अधिक का घाटा मनोरंजन कर की मुक्ति के कारण इस प्रदेश को उठाना पड़ा है। उनके पास अमीरों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के लिये पैसा है परन्तु गरीबों के लिये पैसा नहीं है ।

निर्बल वर्ग के आवास के लिये जो भवन का या गृह निर्माण का पैसा बांटा जाता है उसके लिय अभी भी तीन हजार रु0 की सीमा निश्चित है । मान्यवर, इस महंगाई में तमाम निर्बल वर्ग के लिये इनके पास धन नहीं है । हरिजनों के लिये पेयजल योजना के लिये इनके पास पैसा नहीं है । इनके पास पेयजल योजना के लिए धन नहीं है, इसलिए यहां के लोगों को पानी की बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है, इस ओर शासन का कोई ध्यान नहीं गया है । इस बात को मैंने सदन में भी उठाया है । उत्तर काशी में सेव उत्पादन क्षेत्र है, यहां पर सेव का उत्पादन होता है । सेब में बीमारी का प्रकोप हो गया है, जिससे सेब की फसल नष्ट होती चली जा रही है, लेकिन सरकार की ओर से कोई रोकथाम की व्यवस्था नहीं की गयी है । उत्तर काशी में लगभग 20 लाख पेड़ बीमारी के कारण बरबाद हो गये हैं । वहां पर जो काश्तकार हैं, वह कंगाली के कगार पर आ गये हैं । जो दवा पेड़ों पर छिड़की जा रही है, उसके लिए उनके पास रुपया नहीं है, और इसके लिए सब्सीडी दी जानी चाहिये । सरकार के पास सब्सीडी देने के लिए कोई रुपया नहीं है । जो बड़े-बड़े बागवान हैं वह तो दवा छिड़कने का प्रबन्ध कर लेते हैं लेकिन जो छोटे बागवान हैं, वह दवा का प्रबन्ध नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उनके पेड़ खराब हो रहे हैं, दवा का छिड़काव नहीं कर पाते हैं । वह लोग एक दो बार भी दवा का छिड़काव नहीं करा पाते हैं । यह बीमारी निरन्तर बनी हुई है और बनी रहेगी । मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वहां पर दवा छिड़कने का मुफ्त प्रबन्ध होना चाहिये, लेकिन वह नहीं किया गया है, इस कारण से वहां के जो छोटे-छोटे बागवान हैं वह भुखमरी की स्थिति में आ गये हैं ।

मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन है कि पर्वतीय क्षेत्र में 3-4 जिले हैं, जो औद्योगिक दृष्टि से बहुत ही पिछड़े हुए हैं । वहां पर किसी प्रकार का उद्योग शासन की ओर से नहीं लगाया गया है । शासन की जो संस्था है, उत्तर प्रदेश वित्त निगम, उससे भी वहां के गरीब लोगों को आसानी से ऋण नहीं मिल पाता है और उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो पाता है । मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में इस प्रकार का कोई उद्योग स्थापित किया जाये जो जड़ी-बूटियों से सम्बन्धित हो यहां पर जड़ी-बूटियों का भंडार है, इसलिए जड़ी-बूटियों पर आधारित उद्योग लगाया जाय । परन्तु इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है ।

वहां पर फल काफी मात्रा में पैदा होता है किन्तु उसके विपणन और भंडारण की कोई व्यवस्था इस सरकार द्वारा नहीं की गयी है जिससे वहां के लोगों का आर्थिक रूप से जीवन स्तर ऊंचा हो सके । इसके अलावा आज जो इनके द्वारा कर्जे बट रहे हैं वह उन्हीं लोगों को दिये जा रहे हैं जो इनसे सम्बन्धित हैं । स्वतः रोजगार योजना में देहरादून का उदाहरण देना चाहता हूं । वहां पर इसके अन्तर्गत क्रिमिनल केसेज दर्ज हो गये हैं, मार-पीट शुरू हो गयी है । मंत्री वहां पर झगड़ रहे हैं इस बात पर कि उद्घाटन कौन करेगा । इसी बात पर सरकारी पैसा खर्च हो रहा है । गरीबों की हालत सुधारने पर कोई खर्च यह सरकार नहीं कर रही है । इनको इतनी कम जानकारी है कि वित्त मंत्री जी के चुनाव क्षेत्र देहरादून में एक जगह है चन्द्रबनी। लेकिन रुपया मंजूर हो गया चन्द्रबदनी के लिए जो कि टेहरी गढ़वाल में है । वहां पर 30 शैय्याओं के पर्यटन गृह की स्वीकृति हो गयी । जब यहां पर इसके बारे में गल्ती बताई गई कि देहरादून में चन्द्रबदनी नहीं चन्द्रबनी है । चन्द्रबदनी टेहरी में है जहां पर गौतम ऋषि ने तपस्या की थी । चन्द्रबनी

8 हजार फिट पर नहीं है, चन्द्रबदनी है। यह बात जब इसको बतायी गयी तब इनके दिमाग में आया कि गलती से यह निर्धारण हो गया है। मान्यवर, चूंकि समय कम है इसलिए अन्त में यही कहना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

*श्री चन्द्रबली ब्रह्मचारी--

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि 27 से जब से असेम्बली खुली तब से आज मुझे आपने चर्चा करने का अवसर दिया उसके लिए पुनः आपको धन्यवाद देता हूं। अपने सभी सम्मानित सदस्यों को मैं बारम्बार नमस्कार और प्रणाम करता हूं।

*श्री माता प्रसाद पांडेय--

आशीर्वाद दीजिए।

*श्री चन्द्रबली ब्रह्मचारी--

बस इतनी ही कृपा रहे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करूंगा कि जो कुछ मैं कहूं उसको चुपचाप आप सुनें। मैं ऐसी कोई बात नहीं कहूंगा जो उधर के लोगों के खिलाफ पड़े या इधर के लोगों के खिलाफ पड़े। मैं प्रस्तुत बजट का पूर्ण समर्थन कर रहा हूं। श्रीमन्, जितना मैंने इसको पढ़ा है देखा है अपने संसाधनों के अनुसार यह प्रदेश के सर्वांगीण विकास का द्योतक है। लेकिन इसके सम्बन्ध में हमें कुछ बातें आज आपके सामने रखनी हैं जिससे स्थायी लाभ आपको भी हो सके और इधर के लोगों को भी हो सके। योजनायें हमारी चल रही हैं प्रदेश के विकास के लिए। उसके लिए कुछ रचनात्मक सुझाव भी आते हैं। प्लानिंग कमीशन बैठा हुआ है, सब जगह काम हो रहा है। लेकिन एक जगह रोग है जिसके नाते आप भी परेशान हैं, योजना भी परेशान है और अनुशासन भी चला जा रहा है और वह है शिक्षा। शिक्षा की तरफ आपका ध्यान होना चाहिये। आपके भी लड़के पढ़ते हैं और इधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों के लड़के भी पढ़ते हैं। चाहे इधर के लोग हों या उधर के लोग हों, सभी तपस्वी लोग हैं, जन प्रतिनिधि हैं जनता की भावना को सदन के सामने रखना है। शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शिक्षा जगत में एक ऐसा व्यवधान उपस्थित हो गया है और उसके बारे में आंख मीची हुई है। यह हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए दर्दनाक चीज है।

मान्यवर, आप देखें, दो शिक्षक संघ बने हुये हैं, एक शर्मा गुट और एक पांडे गुट। शर्मा गुट बहुत ऊपर है और पांडे गुट मर्यादा और सीमा के भीतर काम करता है। आप सोचें, 36-36 दिन तक हड़ताल हुई। मान्यवर, 36 दिन की हड़ताल हुई उसमें वह नारे लगे, वह नारे लगे जो कि मजदूर यूनियन वाले भी नहीं लगा सकते थे।

श्री माता प्रसाद पान्डेय--

कीर्तन किया गया।

[समय 2 बजकर 18 मिनट]

श्री चन्द्रबली ब्रह्मचारी--

मान्यवर, मैंने पहले प्रार्थना की थी कि मेरी बात सुनने की कृपा करें।

(व्यवधान)

मेरी तरफ से मत बोलिये, कृपया मेरी बात सुनें। तो मैं कह रहा था कि शिक्षा की तरफ हमारा विशेष ध्यान होना चाहिये। आज भी शर्मा गुट के लोग जो हैं कहते हैं कि जो यह प्रैक्टिकल इम्तहान होने जा रहे हैं यह नहीं होने चाहिये। तो कैसे काम चलेगा जरा सोचने की बात है। उनकी जो मांगें हैं उनको जरा सुनें वह कहते हैं कि मैनेजर शोषण करता है। मैं कहता हूं कि हमारे हाथ में क्या है हम नियुक्ति

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कर नहीं सकते, जुर्माना कर नहीं सकते, मुअत्तल कर नहीं सकते यदि मुअत्तल करते हैं तो एक छोटा सा कर्मचारी इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स रोक देता है। हम गैर-हाजिर कर नहीं सकते हैं, तनख्वाह काट नहीं सकते तो ऐसी दशा में हम कहां से शोषण कर रहे हैं। इस पर सोचने की जरूरत है, पूरे सदन को इस पर विचार करना चाहिये कि हम क्या कर रहे हैं। यह जो दुर्दशा हो रही है इस पर पूरे सदन को विचार करना चाहिये।

आज शिक्षा जगत में जो माहौल बिगड़ा है उसकी तरफ अगर सदन ध्यान नहीं देगा तो ऐसी क्षति होगी जिसको चाहे आप लोगों की सरकार क्यों न आ जाय संभाल नहीं पायेगी। हम लोग सरकार को देने को तैयार हैं गवर्नमेंट कालेजेज को ले लें, कायदे से ले लें, नियम और विधान से ले लें। लेकिन गवर्नमेंट की अपनी वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है। तो सब नियम कानून से होता है खाली हुड़दंग से काम नहीं हो सकता है। पांच सौ करोड़ रुपया अभी सरकार का खर्च हो रहा है अगर राष्ट्रीयकरण होगा तो 15 सौ, 20 सौ करोड़ की और जरूरत होगी। गवर्नमेंट इस दशा में नहीं है। मैं कहता हूं कि सरकार ले ले। लेकिन बच्चों की पढ़ाई हो तो उनको अच्छा आदमी तो बनाया जाय, देश का नागरिक बनाया जाय। सबके लड़के आज पढ़ते हैं चाहे वह मजदूर हों, अमीर हों, हरिजन हों चाहे मंत्री हों सब के पढ़ते हैं इसलिए सबको इस पर सोचने की आवश्यकता है। पार्टी लाइन पर सोचने की जरूरत नहीं है। आज शिक्षा बिगड़ रही है जहां हम करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं वह सरकार के बल की बात नहीं है इतनी अधिक संख्या में वह स्कूल नहीं खोल सकती है।

सारी योजनायें जो चलती हैं वह देश के हित में चलती हैं हम शिक्षा का निर्माण कर रहे हैं तो उस योजना में सबसे अधिक शेयर प्रबंधकों का रहा है। मैं कहता हूं कि अगर हमारा कहीं दोष है तो आपकी ही एक कमेटी बना दी जाय और अगर सही माने में कह दें कि हमारी वजह से अनुशासनहीनता बढ़ी है तो हम जुर्माना देकर छोड़ कर चले जायेंगे। लेकिन चलायेगा कौन? बेसिक शिक्षा सरकार चला रही है, ठीक है। कोई भी योजना हो उसमें जनता का सहयोग जरूरी है सरकार ही सब काम नहीं कर सकती है जब तक जनता का सहयोग उसमें नहीं होगा चाहे कोई सरकार हो, चाहे राम राज्य हो उसमें जनता का सम्बन्ध जरूरी है। जनता का सम्बन्ध तब होता है जब उनको उसमें रुचि हो, बिना जनता के सहयोग के कोई काम हो नहीं सकता है। ऐसी दशा में अगर अनुशासन न रखा गया तो लाखों करोड़ों की संख्या में नवयुवक दिशाविहीन हो जायेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ऐसा करें, श्री मोहन सिंह और सभी लोग मिलकर कोशिश करें कि शिक्षा को आवश्यक चीज मान लिया जाय और जब तक आवश्यक चीज नहीं मानते हैं तब तक शिक्षा में सुधार नहीं ला सकते हैं। आज जैसे लड़के हो रहे हैं, जैसी परीक्षायें हो रही हैं और जो अन्य चीजें हैं उनमें यदि परिवर्तन नहीं होगा तो यह अशांति दूर नहीं होगी, फिर चाहे जो सरकार हो। मान्यवर, मेरा सुझाव है कि यह सरकार ऐसी व्यवस्था करे जिससे जो वहां अनुशासनहीनता फैली है वह दूर हो जाये।

मान्यवर, भाषा के बारे में बहुत कुछ होता है। संस्कृत की शिक्षा यदि यहां से हटा दी जाये तो ऐसा हो जायेगा कि लड़के-लड़की के विवाह में संस्कृत की जरूरत होगी और बिना संस्कृत के काम नहीं चलेगा, पूजा-पाठ और कथा नहीं होगी। कहीं चलते हैं तो विचार करके चलते हैं, गौना होता है तो विचार करके होता है, इसलिये यह सब काम बिना संस्कृत के रुक जायेंगे। अतः संस्कृत की तरफ सरकार का ध्यान होना चाहिये।

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं पुनः बजट का समर्थन करता हुआ अपनी चर्चा को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री कन्हैया लाल—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बजट पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। श्रीमन्, जब हम उत्तर प्रदेश के बजट पर निगाह डालते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तो अनायास ही हमारा ध्यान उत्तर प्रदेश द्वारा स्थापित निगमों की तरफ जाता है। यह निगम इस समय उत्तर प्रदेश की जनता के लिये बोझ और सफेद हाथी बन गये हैं। हर निगम में घाटा है, चाहे ट्रान्सपोर्ट को ले लें तो उसमें एक करोड़ रुपया प्रति दिन घाटा है, बिजली बोर्ड को ले लें तो उसमें, जैसा एक माननीय सदस्य कह रहे थे, 140 करोड़ रुपया प्रति वर्ष घाटा है, चीनी मिल में घाटा है। इस घाटे का क्या कारण है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि यदि आप एक प्राइवेट बस वाले को ले लें तो एक आदमी एक बस एक साल में चलाता है तो उसकी 3 साल में 4 बसें हो जाती हैं, इतना लाभ बसों में है किन्तु हमारे जो निगम हैं वह घाटे में चल रहे हैं। इसी तरह से बिजली में जब मार्टिन कम्पनी थी तो उसका फायदा था, वेतन देता था और शेयर होल्डर्स को भी लाभ मिलता था लेकिन आज बिजली बोर्ड घाटे में चल रहा है। इसी तरह से प्राइवेट चीनी मिलें लाभ में चल रही हैं लेकिन शुगर कारपोरेशन की जो मिलें हैं वह घाटे में हैं। इसका क्या कारण है।

श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि यह सब जो संविधान निगमों का बना है उसके कारण घाटा है। मान्यवर, हर निगम में चेयरमैन और एम0 डी0, आई0 ए0 एस0 अधिकारी हैं। अधिकारी को एडमिनिस्ट्रेशन का अनुभव तो होता है लेकिन व्यापार का अनुभव नहीं होता है। व्यापार का यदि उनको अनुभव होता है तो बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स काहे के लिए है। इसलिए इनको चाहिए कि यह सारे निगमों से आई0 ए0 एस0 अधिकारियों को अविलम्ब हटाकर उनके स्थान पर व्यापार की दृष्टि से अनुभवी अधिकारियों को वहां नियुक्त करें, ताकि उनकी योग्यता और सूझबूझ से सारे निगम घाटे के स्थान पर लाभ पर चल सकें। लेकिन हमारे मंत्री लोग तो इन आई0 ए0 एस0 अधिकारियों के कहने पर और उनके इशारों पर चलते हैं इसलिए यह उनको नाखुश करके इनको रखने का साहस नहीं कर पायेंगे। श्रीमन्, हमारे वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, सबसे पहला उसमें पैराग्राफ लिखा है कि दैवी आपत्तियां थीं। यह ठीक है कि दैवी आपत्ति थी, कहीं बारिश अधिक हुई और बाढ़ भी आयी, साथ ही कहीं पानी कम गिरा या देर में गिरा। लेकिन यह सरकार को मैं बताना चाहता हूं कि बलराम सिंह जी बैठे हैं जो बाढ़ आयी, गरकी हुई, यह सब बाबू बलराम सिंह की देन है। क्योंकि उन्होंने ऐसा नियम बना दिया। यद्यपि वह गांव के रहने वाले हैं, पर उनके सहयोगी अधिकारी शहर के रहने वाले हैं।

पुराने जमाने में गांव में पोखरें होती थीं, जिस समय पोखर सूख जाते थे, गर्मी में किसान उसकी मिट्टी खोदकर ईंट बना लेते थे, परिणाम यह होता था कि बरसात में इसमें एकत्र सारी सिल्ट निकल जाती थी और पोखर गहरी हो जाती थी। लेकिन आपने अपने अधिकारियों के कहने पर यह नियम बनाया है कि जो मिट्टी निकालेगा, उसका चालान होगा, उन्होंने उनका मिट्टी निकालना बिलकुल बन्द कर दिया है। इससे उनके पानी लेने की कैपेसिटी कम हो गयी है और गरकी फैलने लगी है, ओवरफ्लो होने लगा है। दूसरे गर्मी में जब बारिश नहीं होती है और मवेशियों के लिए पानी की आवश्यकता होती है तब पोखरों में पानी नहीं रहता है, जिससे विवश होकर गांव वाले, किसान, नहर विभाग

वालों के पास जाते हैं कि आप पानी छोड़िये। इसलिए आप इस नियम को निकालें और ग्रामीण पोखरों से मिट्टी लेने की किसानों को पूर्ववत् छूट दी जाए। उससे ओवरफ्लो नहीं होगा, पानी मिलेगा और गरकी नहीं होगी।

यह हरिजनों की बहुत बात करते हैं, उनके सम्बन्ध में बीस सूत्री कार्यक्रम की बड़ी चर्चा करते हैं, लेकिन आप जरा वित्त मंत्री जी के भाषण को पढ़ें, शुरू से लेकर आखिर तक एक शब्द भी हरिजन कल्याण के लिए उसमें नहीं है। उसमें वह पूरा विभाग ही छोड़ दिया गया है। इस स्थिति के रहते हुए हरिजन कल्याण के लिए डींग मारना और ढोल पीटना कहां तक ठीक है जब कि असल में उनके लिए कुछ नहीं होता है। स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत कुछ रुपया हरिजनों की इंडस्ट्रीज के लिए दिया जाता है, उसमें छूट दी जाती है। उसके बारे में कम से कम हमें मथुरा जिले की जानकारी मालूम है कि कितना रुपया उस हेतु दिया गया उसमें से एक बहुत बड़ा परसेन्टेज हरिजनों को नहीं दिया गया, गैर हरिजनों को दिया गया। उसमें मुझे मालूम पड़ा है कि कम से कम 20 आदमी गैर हरिजन हैं। उसमें 4-5 ब्राह्मण हैं, 2-3 ठाकुर हैं जिन्होंने जाटव के नाम पर ले लिया है, दो एक माली को दे दिया गया है। तो हरिजनों के नाम पर दूसरे लोग रुपया लूट रहे हैं। उसमें कुछ ऐसे भी नाम हैं, जिनका कहीं संसार में वजूद नहीं है, लेकिन उनके नाम से भी रुपया निकाला गया है।

अब हमारी दीदी जी एजूकेशन से हटकर इधर आई हैं, पता नहीं वह इसे देखेंगी या नहीं? होस्टलों के बारे में भी बात कही गयी है, हमारे यहां उत्तर प्रदेश में कुछ होस्टल पहले के बने हुए हैं? उस होस्टल में जितने भी विद्यार्थी आते हैं वे हरिजन ही होते हैं। कुछ ऐसे भी होस्टल बनाए गए हैं जिनमें 75 प्रतिशत हरिजन तथा 25 प्रतिशत गैर हरिजन छात्र रखे जाते हैं। मैं इस सिद्धान्त के बिलकुल खिलाफ हूं कि हरिजनों के लिये अलग से कोई होस्टल बनाया जाय। आज आवश्यकता उनको समाज में मिलाने की है, अलग रखने की नहीं है। इसलिए हरिजनों के लिए अलग होस्टल बनाने के मैं खिलाफ हूं।

मान्यवर, मथुरा में जो इस तरह का होस्टल है उसकी हालत यह है कि वहां हरिजन एक भी नहीं है, जब कि उसमें 100 प्रतिशत हरिजन होने चाहिए थे। जो रह रहे हैं वे सभी हरिजन होने चाहिए थे वहां 75 प्रतिशत गैर हरिजन हैं और 25 प्रतिशत जहां गैर हरिजन होने चाहिए थे, उनकी जगह 25 प्रतिशत हरिजन हैं। कहीं-कहीं तो होस्टल खाली मिलेंगे। कोई हरिजन छात्र वहां नहीं मिलेगा। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

कृषि विभाग के मंत्री जी बहुत पुराने मंत्री हैं, बहुत अच्छे थे, पर अब उस (सत्ता पक्ष) हवा में ऐसे बह गए हैं कि उनके विभाग में बहुत अधिक भ्रष्टाचार व लूट मची हुई है। मैं उसके कुछ उदाहरण भी देना चाहता हूं।

एटा में साढ़े 14 लाख रुपया ऊसर सुधार के लिए आया। उसमें से 2 नलकूप बने और उन पर 4 लाख रुपया खर्च किया जब कि एटा में जितने भी प्राइवेट नलकूप बने हैं किसी की भी लागत 10-15 हजार रुपये से अधिक नहीं आई है, पर सरकारी नलकूप पर 2-2 लाख खर्च आ गया। यह कितनी बड़ी लूट है। सारा का सारा रुपया फर्जी पेमेन्ट दिखाकर अधिकारी और कर्मचारी खा गए।

मैनपुरी में 60 लाख रुपया खाद वितरण में किसानों को सहायता देने के लिए आया। वह भी सब विभाग वाले खा गए। जो खाद वितरण के लिये गई वह सब डीलर्स के हाथ बेच दी गई,

किसान को नहीं मिली । जो छूट उसको मिलनी थी, वह नहीं मिली ।

मुजफ्फरनगर में जिले के लिए 44 लाख रुपये की कीट नाशक दवायें बांटने के लिए गयीं जिसमें 25 प्रतिशत की सब्सीडी दी जाती है । यह प्लान्ट प्रोटेक्शन यूनिट्स के द्वारा बांटी जाती है । यह सारी दवायें प्राइवेट डीलर्स को दे दी गयीं । किसानों को जो छूट मिलनी चाहिए थी वह छूट का पैसा सब मिलकर खा गए ।

मान्यवर, खाद और कीट नाशक दवाओं के डीलर्स को हर साल लाइसेंस लेना पड़ता है और उसकी फीस 400 रुपये है । एक जिले में करीब 500 लाइसेंस ईशू होते हैं । अब हर साल लाइसेंस लेने के कारण डीलरों को हर साल इतनी लम्बी रकम देनी पड़ती है। अन्ततोगत्वा यह सब बोझ जाकर किसान पर ही पड़ता है । इसी मद से वहां का एग्रीकल्चरल आफिसर 2 लाख रुपया हर साल लें लेता है । आप ऐसा कर दें कि हर साल यह लाइसेंस न बनवाना पड़े, एक बार ही बनाना पड़े, ऐसे आदेश आप देने की कृपा करें । इससे किसानों को बड़ी सुविधा होगी ।

इन शब्दों के साथ में इस बजट का विरोध करता हूं क्योंकि यह काश्तकार विरोधी है, हरिजनों का विरोधी है और प्रदेश विरोधी है ।

श्री हरिप्रसाद कुरील—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने इस बजट पर मुझे अपने विचार प्रकट करने का जो मौका दिया है उसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, जो बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है वह प्रगतिशील है और इसकी बहुत सी विशेषतायें हैं । सबसे पहली विशेषता तो यह है कि यह समय से प्रस्तुत हुआ है और दूसरे बजट में कोई टैक्सेज नहीं लगाये गये हैं । मान्यवर, जो घाटा है उसको पूरा करने के लिये बकाया टैक्सेज को वसूलने की व्यवस्था की गई है । यह कुछ बजट की विशेषतायें हैं । मान्यवर, कृषि उत्पादन को बढ़ाने, औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने तथा ग्रामीणों के हित के लिए यह विशेष कल्याणकारी बजट है । मैं इस बजट के माध्यम से और आपके माध्यम से अपने उन्नाव जनपद की तथा अपने विधान सभा क्षेत्र की कुछ प्रमुख समस्याओं की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

मान्यवर, मेरा क्षेत्र सफीपुर तहसील मुख्यालय है । वहां पर पूरी तहसील में केवल एक इंटरमीडियेट कालेज है जिसमें लड़के तथा लड़कियों दोनों पढ़ते हैं । जुलाई के महीने में जब प्रवेश होता है तो बड़ी असुविधा होती है और हजारों लड़के सड़क पर मारे मारे फिरते हैं वहां लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं, लड़कियों की शिक्षा के लिये अलग से कोई व्यवस्था नहीं है । मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि वहां सफीपुर में, तहसील मुख्यालय पर एक बालिका राजकीय इंटरमीडियेट कालेज होना चाहिये । इसकी व्यवस्था की जाय ।

दूसरे मान्यवर, सफीपुर तहसील मुख्यालय होते हुए भी वहां पर जो अस्पताल है वहां पर केवल 6 शैय्याओं की व्यवस्था है । शासन की यह नीति है और यह घोषणा भी की जा चुकी है कि तहसील मुख्यालय के अस्पतालों का उच्चीकरण किया जायेगा और 30 शैय्याओं का अस्पताल बनाया जायेगा । मैं आपके माध्यम से शासन से अनुरोध करूंगा कि सफीपुर तहसील मुख्यालय पर जो अस्पताल है वहां 30 शैय्याओं की अविलम्ब व्यवस्था की जाय । मान्यवर, हमारे जनपद में कई नदियां हैं जिससे हर वर्ष बाढ़ आती है । हमारे जनपद में बहुत से ऐसे गांव में जहां पर आवागमन का कोई साधन नहीं है । बहुत लम्बा सफर तय करके लोग आते हैं ।

मान्यवर, आप भी उन्नाव जनपद के रहने वाले हैं, आपका भी क्षेत्र

पड़ता है । वहां पर एक सई नदी है । एक बधवाकोला गांव है तथा जो घाट कहलाता है । वहाँ पर पुल नहीं है । इस पार के लोगों को और उस पार के लोगों को इधर उधर जाने में पचासों मील का चक्कर लगाकर जाना पड़ता है तथा लोग तैरकर जाते हैं । मैंने शासन को लिखा था कि वहां पर पुल बनाया जाय । शासन ने यह बतलाया कि चूंकि वहां पर कोई लिंक रोड नहीं है इसलिये वहां पर पुल नहीं बन सकता है । जब लिंक रोड बन जायेगा तो पुल बनाया जा सकता है । मान्यवर, इस समय वहां पर लिंक रोड बन गया है । अब मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वहां पर पुल बना दिया जाय । बड़े-बड़े पुल ब्रिज कारपोरेशन बनाता है लेकिन जिला योजना के अंतर्गत जो धनराशि आबंटित की जाती है उससे बड़े-बड़े पुल नहीं बनाये जा सकते वह प्रांतीय स्तर पर बनाये जा सकते हैं । इसी तरीके से मेरे क्षेत्र में एक कल्याणी नदी पड़ती है । वहां पर कटरी का इलाका पड़ता है । हर साल बाढ़ आती है । लोग नदी को मंझाकर, पार करते हैं । मैं चाहूंगा कि गहोली-सन्हाघाट जहां पर लिंक रोड का निर्माण किया जा रहा है सन्हाघाट पर पुल बनाने की व्यवस्था की जाये । इसी प्रकार से जमाल नगर में भी एक पुल की आवश्यकता है । वहां पर भी पुल बनाया जाय । जहां तक मेरी जानकारी है शासन की ओर से एन0 आर0 पी0 का पैसा जो जनपदों को दिया जाता है, हमारे उन्नाव जनपद को बहुत कम धन आबंटित किया गया है ।

मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वहां पर अधिक पैसा आवंटित किया जाय ताकि लिंक रोड, खडंजे, बहुत से नाले, जो जल निकासी की समस्या है, उसका निराकरण किया जा सके । मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान सिंचाई विभाग की ओर आकर्षित करना चाहूंगा । इस वर्ष सिंचाई विभाग से नहरों की सफाई के लिए कोई धन आवंटित नहीं किया गया, नहरें तो दूर रहीं, छोटे-छोटे जो रजबाहे होते हैं, माईनर होती हैं, उनकी भी सफाई न होने के कारण आखिरी टैल तक पानी नहीं पहुंच पाया, जिससे सैकड़ों बीघा जमीन असिंचित रह गयीं । नहरों में पानी न होने के कारण फसलें सूख रही हैं । इस समय फसल तैयार हो रही है, एक पानी की आवश्यकता है । मान्यवर, तुरन्त नहरों को पानी देने की कृपा करें ताकि अधिक अन्न का उत्पादन हो सके । हमारे क्षेत्र में कुछ कटरी गांव के इलाके पड़ते हैं, जो तहसील हेड क्वार्टर से काफी दूर हैं, वहां पर न तो कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है और न पशु चिकित्सालय ही है । मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि छूही, एतवारपुर, दौलतयारपुर, खुसरूपुर, दलदलहा आदि ऐसे इलाके हैं, जो मुख्यालय से काफी दूर हैं, वहां पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और एक पशु चिकित्सालय स्थापित किया जाय, ताकि वहां के नागरिकों एवं जानवरों का इलाज हो सके ।

हमारे जनपद में वैसे तो प्राइवेट उद्योग बहुत हैं, लेकिन हमारे जनपद को उससे कोई लाभ नहीं मिल पाता है । क्योंकि उन्नाव के लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है । मैं चाहूंगा कि मान्यवर, उन्नाव जिले के किसी भी क्षेत्र में पब्लिक सेक्टर का बड़ा उद्योग वहां पर स्थापित किया जाय ताकि वहां पर लोगों को रोजगार मिल सके । इन शब्दों के साथ मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं ।

धन्यवाद ।

श्री नन्द किशोर सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे इस चुनावी बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, शिक्षा के मामले में जो विद्यालय प्राइमरी स्कूल 1952 में खुल चुके हैं, जो जूनियर हाई स्कूल 1957 में खुले आज उन स्कूलों में पढ़ाई आसमान के नीचे हो रही है । मान्यवर, देवरिया जिले को शासन ने

1 करोड़, 12 लाख रुपये प्राथमिक भवनों को बनाने के लिए दिया था लेकिन एक साल से ऊपर हो गया, आज तक वहां एक भी बिल्डिंग नहीं बनी। 20 सूत्री कार्यक्रम में मैंने माननीय लोकपति त्रिपाठी जी से कहा, लेकिन उसके बाद भी इंजीनियर कहते हैं कि हमारी बनवाई हुई बिल्डिंग की देखभाल कोई नान-टेक्निकल आदमी नहीं करेगा। मान्यवर, आज भी वह बिल्डिंग नहीं बन पा रही है। 115 बिल्डिंग बननी हैं। आज इस समाजवादी सरकार को नीचे से या ऊपर से बराबरी लाना चाहिए।

कान्वेंट स्कूल, नर्सरी स्कूल, तमाम स्कूल जो रोज खुल रहे हैं, उनको तोड़कर बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत एक प्रकार से स्कूलों को चलाया जाय, ताकि बड़ा, छोटा, सबके लड़के एक समान पढ़ सकें। मान्यवर, आज वर्तमान समय में अध्यापक को बैठने के लिए न कुर्सी है और न बच्चों को बैठने के लिए टाट-पट्टी की व्यवस्था है। अध्यापक चारपाई मंगाकर बैठते हैं और कभी-कभी चारपाई भी नहीं मिलती है, तो वह भूमि पर बैठते हैं।

तो मान्यवर, मैं चाहता हूं कि समाजवादी सरकार नीचे से समाजवाद लाना चाहती है तो सारे प्रदेश में प्राइमरी शिक्षा की व्यवस्था एक जैसी करें। एक जैसी व्यवस्था होगी तभी जाकर बड़े आदमी का लड़का और छोटे आदमी के बच्चे एक साथ पढ़ेंगे। 36 वर्ष आजादी के हो गए आज तरह-तरह के कान्वेंट और नर्सरी स्कूल खुल रहे हैं और प्राइमरी स्कूल की स्थिति ऐसी है कि कुछ स्कूलों में हफ्ते में दो तीन दिन पढ़ाई होती है और जहां पांच अध्यापक हैं उनमें से एक अध्यापक पढ़ाता है और 4 घर पर रहते हैं। मैं चाहता हूं कि गांव का किसान और मजदूर 60-65 वर्ष तक जब तक उसके शरीर में ताकत रहती है, मेहनत करता है और देश और प्रदेश को खिलाता है मेरी राय है कि मन्त्री जी समाजवाद लाने के लिए 60 रुपया 50 रुपया पेन्शन के रूप में 50 वर्ष या 60 वर्ष की आयु के बाद दें। असहायता प्राप्त विद्यालयों की स्थिति आप देखें। इन विद्यालयों में 25, 50, 60 रुपया दिया जाता है छठी पंचवर्षीय प्लान में यह तय हुआ था कि अनुदान सूची में 500 विद्यालयों को लिया जायेगा लेकिन केवल ढाई सौ विद्यालयों को लिया गया।

विधान सभा के गेट पर अध्यापक अनशन कर रहे हैं। उनका अनशन जारी है। शिक्षा निदेशक ने 20-25 दिन पहले सूचना भेजी कि 1983-84 में दो सौ विद्यालयों को टोंकन ग्रान्ट दे दी जाय लेकिन शासन सुनने वाला नहीं है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे यहां गन्डक नहर है गन्डक नहर की हालत यह है कि उसकी पटरी टूट गयी है, बन्धे टूट गये हैं, नहर में सिल्ट आ गयी है थोड़ा पानी आता है तो फसल डूबने लगती है लेकिन वहां का इंक्जीक्यूटिव इंजीनियर कहता है कि तीन साल से एक पैसा नहीं आया। हमारे यहां तमाम रबी की फसल डूब गयी। कोई सुनने और देखने वाला नहीं है। वीर बहादुर सिंह के इलाके में जितनी सड़कें हैं उनपर खड़न्जा कर दिया गया है मैं चाहता हूं कि खड़न्जा न करें लेकिन कुछ पैसा जरूर वहां भेजें। हमारे यहां छोटी गन्डक नदी है। मैं इस मसले को बार-बार नियम 301 और 51 में उठा चुका हूं। कप्तान गंज डिस्टिलरी फैक्ट्री और शुगर फैक्ट्री का गन्दा पानी मौन नाले से होकर हेपिनपुर में नदी में गिरता है। नदी का सारा पानी विषाक्त हो गया है। कोई उससे स्नान नहीं कर सकता है, तीन-तीन फर्लांग तक बदबू आती है लोगों का नदी के किनारे रहना मुश्किल हो गया है और शासन की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हुई। 5 हजार मछुआ परिवार मछली का काम करते थे 7-8 व पहले राजस्व विभाग को 50-60 लाख

रुपया मिलता था। 2-3 गांव के बीच में नीलामी होती थी। जब से गन्डक नहर के पास चला गया न मछली है और न कोई उसमें स्नान कर सकता है।

मंत्री जी मैं चाहूंगा कि कप्तान गंज डिस्टिलरी और शूगर फैक्ट्री को आदेश जारी किया जाय कि वह अपना गन्दा पानी गन्डक में न गिराये देवरिया जिले में 14 चीनी मिलें हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक चीनी मिलें देवरिया में हैं एक बार बहुत जोर से शोर हुआ कि कप्तान गंज, पडरौना और राम कोला के बीच में एक कागज की फैक्ट्री लगेगी। दो साल समाप्त हो गया। कच्चे माल की कमी नहीं है। लेकिन पता नहीं फैक्ट्री लगी या नहीं लगी हम प्रयास करते हैं। देवरिया जिले में केन यूनियन है हाटा। जहां पर प्रतिवर्ष पडौना सरदारनगर रामकोटा का 12 लाख से 22 लाख तक गन्ना देता है। हाटा सबसे बड़ी यूनियन है। शुगर फैक्ट्री सरदार नगर को अधिक गन्ना जाती है तो मान्यवर, हाटा में एक चीनी मिल की आवश्यकता है। सामान्य प्रशासन की बात कही मान्यवर, शासक दल द्वारा फाजिलनगर में उपचुनाव में गोली चलाकर हत्यायें की गयीं। 2 मार्च को भलुवनी में गोली चलाकर तीन लोगों की हत्या कर दी। मान्यवर, रुद्रसिंह ब्लाक प्रमुख भलौनी मेडिकल कालेज में हैं। गोली से चार लोग घायल हुए जो देवरिया के अस्पताल में हैं देवरिया के बार्डर पर बड़ी गंडक का किनारा है यह बी0 के0 मिश्रा जी इस बात को नहीं कहेंगे।

मान्यवर, फाजिलनगर कुबेरनाथ तमकोही दुधई तक जाना मुश्किल हो जाता है। मान्यवर, नदी के किनारे एक सड़क की जरूरत है दो बार कहा कि उस जिले में बार्डर से किनारे तक एक बड़ी सड़क बना दी जाए। ताकि पुलिस के लोग गस्त करते रहें और जंगल पार्टी को जिले के अन्दर न आने दें। मान्यवर, रिपोर्ट तो आ रही है लेकिन शासन देने को तैयार नहीं है। मान्यवर, गन्ने के बाकये के बारे में कहना चाहूंगा पिछली साल का पडौना कटकुंया का एक करोड़ रुपया बाकी है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। इस साल का पैसा मिलने का सवाल नहीं है पिछले साल का ही अभी नहीं मिल रहा है। राजस्व विभाग में मान्यवर, जो आबादी की जमीन थी जोत का बंटवारा नहीं किया। मान्यवर, हरिजनों को कागज का बंटवारा नहीं किया गया है देवरिया क्षेत्र के गांव में देखें। कागज कहीं नहीं बटा है। मैंने डी0 एम0 से कहा कि रिपोर्ट दीजिए कि कितना कागज बंटा है।

इसके अलावा मान्यवर, आज तक भूमिहीन किसानों को प्लाट नहीं मिले मान्यवर, विद्युत के मामले में कहना चाहता हूं जो किसानों को गांव में लाइट दी जाए। आप निर्देश करें कि 6 00 बजे से 2 बजे तक लाइट देने की कृपा की जाए। इसके साथ ही मैं बजट का विरोध करता हूं।

श्री पंचानन राय—

मैं आपका आभारी हूं कि आपने 1984-85 के आय व्ययक पर मुझे अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका दिया। मान्यवर, हमारे प्रदेश के वित्त मन्त्री जी ने जो प्रगतिशील और किसान हितैषी बजट प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करते हुये मैं इसके साथ ही अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जिस क्षेत्र से मान्यवर, मैं चुनकर आता हूं आजमगढ़ जिले में वह घाघरा नदी के किनारे बसा हुआ है उसी के साथ उस क्षेत्र में से टौंस नदी जाती है। प्रतिवर्ष बाढ़ से एक तिहाई आबादी जलमग्न हो जाती है। इस बारे में अनेक बार शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि

जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, वहां के गांवों की जो सतह है वह 1954 में आखिरी बार ऊंची की गयी थी। सन् 1983 में बाढ़ का पानी सैकड़ों गांवों की आबादी में प्रवेश कर गया। मेरा सुझाव है कि इन गांवों की सतह दोबारा ऊंची की जानी चाहिये।

घाघरा नदी में प्रतिवर्ष भीषण कटान होती है। कटान के नाम पर लाखों रुपये सिंचाई विभाग के इंजीनियर उदरस्थ कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मैं चाहता हूं कि कटाव रोकने के लिये समुचित कार्यवाही जो पिछले अनेक वर्षों में कभी नहीं हुई, होनी चाहिये। मेरा निर्वाचन क्षेत्र सगड़ी विधान सभा क्षेत्र है। वहां के गांगेपुर मठिया और हाजीपुर धुसवा गांव कट जाते हैं। मेरा सुझाव है कि घाघरा में जो भयंकर कटाव हो रहा है, उसमें फर्जी वाउचरों को रोककर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिये। इस पर एक सुझाव और देना चाहता हूं कि जो राहत कार्य होता है, वह भी हानि के अनुपात में होना चाहिये। जहां जितनी हानि हो वहां उसी अनुपात में राहत मिलनी चाहिये। आजकल प्रभावशाली लोगों के क्षेत्रों में राहत कार्य ज्यादा होता है और पिछड़े क्षेत्रों की उपेक्षा की जाती है। मेरा सुझाव है कि राहत कार्यों का एक सुनिश्चित अनुपात होना चाहिये। मान्यवर, किसानों को हम बिजली देने की बात कहते हैं। यह सही है कि कृषि प्रधान अपने इस प्रदेश में किसानों को सिंचाई के लिये बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं करा सकेंगे तो विगत दिनों में जिस तरह से हमने खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त की है, बढ़ती आबादी के लिये खाद्यान्न जुटा नहीं सकेंगे। आज जो औद्योगीकरण हो रहा है, मैं उसका समर्थक हूं, लेकिन जिस तरीके से उद्योगों को बिजली उपलब्ध करायी जा रही है और किसानों पर बिजली का खर्च कम हो रहा है, वह ठीक नहीं है।

पिछले तीन साल से हमारे क्षेत्र लाटघाट में एक विद्युत् उप केन्द्र स्वीकृत हुआ है, लेकिन अभी तक उसका निर्माण प्रारम्भ नहीं हुआ है। मेरे पूछने पर इसी सदन में जवाब मिला कि अगले वित्तीय वर्ष में कार्य प्रारम्भ किया जायगा। वर्ष 1980-81 में पूछा तो बताया कि 1981-82 में होगा, 1981-82 में पूछा तो बताया 1982-83 में होगा 1982-83 में पूछा तो बताया कि 1983-84 में होगा और इस साल पूछा तो जवाब आया कि 1984-85 में बना दिया जायगा। जो वर्तमान विद्युत् केन्द्र हैं, उनकी इतनी क्षमता नहीं है कि पूरा लोड उठा सकें, फीडर जल जाते हैं, ट्रान्सफार्मर जल जाते हैं, अतः लाटघाट में स्वीकृत विद्युत् उप केन्द्र का निर्माण प्रारम्भ कर दिया जाय और अलियाबाद कटाई और बाजार गोसाई में विद्युत् उप केन्द्र किसानों की आवश्यकता देखते हुए बनाए जाने चाहिये।

स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं। चिकित्सा सुविधाओं का मेरे क्षेत्र में अभाव है, खास तौर पर बाढ़ और बरसात के दिनों में बीमारी बहुत फैलती है। पिछले साल इन्होंने एक टीम इसके लिये भेजी थी। लेकिन यह तो एक अस्थायी व्यवस्था है। हर साल बाढ़ आएगी तो बीमारियां भी निश्चित रूप से फैलेंगी। जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं, उनमें इनके जो मानक हैं, उनको शिथिल करके वहां दवा की समुचित व्यवस्था करके चिकित्सालय खोले जाने चाहिये। एक बात और कहना है कि कोई तहसील मुख्यालय ऐसा नहीं है, जहां एक भी चिकित्सालय न हो। हमारी सगड़ी तहसील के मुख्यालय पर एक भी चिकित्सालय नहीं है। इन्होंने इस साल आश्वासन दिया है कि खुलवा देंगे। इस समय माननीय मंत्री जी उपस्थित हैं, मैं एक बार पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि वहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाना चाहिये।

नगर विकास मंत्री जी बैठे हैं मेरे यहां दो टाउन एरिया हैं। जौनपुर

और अजमतगढ़। अजमगढ़ में घोसी में एक सभा हुई थी उस समय तत्कालीन नगर विकास मंत्री जी ने घोषणा की थी कि इन दोनों टाऊन एरियाज को 20-20 हजार रुपए अनुदान देंगे, किन्तु उन्होंने दिया नहीं और वे चले गये। 30 अक्तूबर, 1983 को उन्होंने यह घोषणा की थी। फरवरी के महीने में प्रश्न का जवाब देने से पहले वर्तमान मंत्री जी ने इस पैसे को भिजवा दिया। अजमतगढ़ टाउन एरिया ब्लाक का मुख्यालय है, किन्तु वहां पीने के पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है। वहां पर पीने के पानी की एक टंकी बना दी जाय। आपने जो नये टाऊन एरियाज स्टेबिलश किए हैं, उन पर जो आपने टौल-टैक्स हटा दिया है, जो हानि उससे हो रही है, उसे पूरा करने के लिए कम्पेन्सेशन दिया जाय और टाऊन एरियाज को सुदृढ़ किया जाय।

श्रीमन् इसी के साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत हमने यह निश्चय किया था कि हम हरिजन बस्तियों में पेयजल की व्यवस्था करेंगे, किन्तु मेरी निजी जानकारी है कि कई ऐसी हरिजन बस्तियां हैं, जहां हम पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कर पाये हैं। 1972 में आपने अभाव ग्रस्त गांवों की सूची बनाई थी और आज 1984 हो गया है। इन 12 सालों में काफी हैंड-पाइप लगे, साथ ही साथ काफी परिवर्तन भी हुए हैं, किन्तु उससे पानी का स्ट्रेटा और नीचे चला गया है, इसलिए ऐसे अभावग्रस्त इलाकों का पुनः सर्वे कराया जाय और प्राथमिकता के आधार पर वहां पेयजल की व्यवस्था की जाय।

श्रीमन्, जहां तक सड़कों के बारे में है, आजमगढ़ से गोरखपुर का जो मार्ग है वह पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही बिजी मार्ग है। गोरखपुर, बनारस, इलाहाबाद, सुलतानपुर तथा जौनपुर को लोग इसी मार्ग से होकर जाते हैं। आज इस मार्ग की हालत बहुत ही खराब है, दोनों तरफ गड्ढे हैं। काफी लम्बे समय से इसमें दुर्घटनाएं होती आ रही हैं। छोटे-मोटे जो मार्ग हैं, उनका कोई मरम्मत नहीं करता है, पता नहीं पैसा कहां जा रहा है, मालूम नहीं कि कहीं फर्जी बाउचर तो नहीं लगाये जा रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस मुख्य मार्ग को ठीक कर दें साथ ही साथ इसे चौड़ा भी कर दें।

श्रीमन्, मैं अब दो शब्द हरिजन कल्याण विभाग के बारे में कहना चाहता हूं। स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत हमने हरिजनों को बहुत सी सुविधायें दिये जाने की जिम्मेदारी ली थी। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस योजना के तहत 50 फीसदी पैसा अधिकारियों की जेब में चला जा रहा है। अजमतगढ़ ब्लाक को 2 वर्ष से इस योजना के अन्तर्गत रखा गया है। इस योजना के तहत वहां पर हरिजनों के लिए सिंचाई हेतु बोरिंग की जानी थी। इसके लिए 7 लाख रुपए के इंजन भी मंगवा लिये गये, क्योंकि अधिकारियों का कमीशन तय हो गया था, अब वे अधिकारी वहां से चले गये हैं, किन्तु वे सारे के सारे इंजन बेकार पड़े हुए हैं, उन पर जंग लग गया है। अब वे काम करने के योग्य नहीं रह गये हैं और बोरिंग अभी तक नहीं हुई है। हमारी नेता और देश की प्रधानमंत्री की भावना है और जो यह कांग्रेस करना चाहती है कि पिछड़े हुए लोगों को ऊपर उठाया जाना चाहिए इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। यह बात सुनिश्चित की जानी चाहिए कि जो हमारे संसाधन सीमित हैं, उन्हें हम सबसे नीचे तक के आदमियों तक पहुंचायें।

श्रीमन्, इसी के साथ ही मैं शिक्षा के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। आज शिक्षा में काफी विकृति हो गई है। हमने इस बात का वायदा किया और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि आजाद हिन्दुस्तान में दिल्ली में महल और गांवों में झोंपड़ियों

का फर्क हम बरदास्त नहीं करेंगे। परन्तु आज शिक्षा के क्षेत्र में इसकी खाई बढ़ती जा रही है। आज गांवों में जहां प्राइमरी स्कूल खोले गये हैं, वहां आज बच्चे पेड़ों के नीचे पढ़ रहे हैं, स्कूलों के लिए वहां पर भवन नहीं हैं, वहां पर अध्यापक नहीं हैं दूसरी तरफ जो साधन-सम्पन्न लोग हैं और जो नव धनाढ्य लोग हैं उन्हें मंहगी शिक्षा दी जा रही है। और उन्हें ऊंचे दर्जे की शिक्षा दी जा रही है। आज इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी विकृति पैदा हो गई है, जिसे आसानी से नहीं मिटाया जा सकता है।

इसलिए मेरा सुझाव है कि...

(लाल बत्ती जलने पर)

एक मिनट और दे दें मान्यवर, इसलिए मेरा सुझाव है कि कोठारी आयोग ने जो संस्तुत किया है, उसके आधार पर निर्धन और धनवान सभी प्रकार के बच्चों के लिये एक तरह की शिक्षा उपलब्ध करायी जाय इसके लिये पड़ोसी विद्यालय व्यवस्था लागू की जानी चाहिये। प्रदेश में इस तरह के विद्यालयों के खोलने की व्यवस्था लागू करानी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री राम स्वरूप वर्मा--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका विशेष रूप से आभारी हूं कि आपने मुझे वर्ष 1984-85 के आय-व्ययक की सामान्य चर्चा में बोलने का अवसर प्रदान किया।

मान्यवर, वर्ष 1984-85 का बजट इस बात का पक्का सबूत है कि इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था दिवालिया हो गयी है। मान्यवर, अर्थव्यवस्था दिवालिया हो गयी है, इसका सबूत इस बजट में मौजूद है। मान्यवर, आप द्वितीय खंड के पृष्ठ 21 पर देखें। इसमें दिया हुआ है कि प्रदेश सरकार कितने ऋण से अन्तर्गत है। उसमें दिया है कि 59 अरब 73 करोड़ 46 लाख 96 हजार रुपए का कर्जा 1984-85 में हम पर हो जायेगा। मान्यवर, इसके अलावा कर्जे की बाबत लेनदेन और भुगतान आदि के बाद भी इस साल 6 अरब रुपए का कर्जा लिया गया है। तो, 53 अरब पिछले साल कर्जा था, और इस हिसाब से 60 अरब मोटे आंकड़ों के हिसाब से हमारे ऊपर कर्जा है। मान्यवर, 60 अरब का कर्जा है और 44 अरब की हमारी टोटल आमदनी है। मान्यवर, यह जो हमारी आमदनी है उसकी बाबत अगर सोचें और साल भर इस तरह हमारा आदमी बैठा रहे, कोई काम न करें, पूरा पैसा उसमें कर दे उसके बाद भी हमारा कर्जा सवाया रह जायेगा। तब भी कर्जा पूरी तरह से पटने वाला नहीं है। मान्यवर, इस तरह से दिवालिया होने का पहला सबूत है और दूसरी बात इतना नहीं है कि यह प्रदेश सरकार की अर्थव्यवस्था ही दिवालिया है, अगर साथ-साथ दिल्ली सरकार के भी हम आंकड़े लें, दिल्ली सरकार के भी हम नागरिक हैं, तो उसमें 11 खरब, 1 अरब, 22 करोड़ 35 लाख का दिल्ली सरकार का देशी, विदेशी दोनों तरह का कर्जा है। अगर इन दोनों को मिला दें, जो देश के अन्दर के और बाहर के सम्मिलित हैं, तो 12 सौ रुपया हर आदमी पर कर्जा हो जाता है। यानि पैदा होते ही हर लड़के पर इतना कर्जा हो जाता है। 540 रु० हमारे प्रदेश के हिसाब से हैं। तो इस हिसाब से प्रत्येक पर 1740 रु० का कर्जा हो गया है। यानि जो बच्चा पैदा होता है। उत्तर प्रदेश में उस पर 1740 रु० कर्जा पैदा होते ही लागू हो जाता है। और, हमारी आमदनी क्या है?

माननीय मंत्री जी ने अपनी सरकार की बड़ी तारीफ की। हमारी आमदनी प्रति व्यक्ति कितनी है, आमदनी अगर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बढ़ रही है, तो कितनी बड़ी वर्तमान भावों पर 1439 रु० आंकी गयी है। यह जो आमदनी है, अगर इसको भी पूरा का पूरा उसमें रख दिया जाय, तब भी हमारा कर्जा सवाया रह जायेगा। 300 रु० का कर्जा तब भी हम पर रह जायेगा। साल भर अगर हम बिल्कुल न खायें, तब भी यह कर्जा हम पर बना ही रहेगा, पूरी तरह से पट नहीं पायेगा। तो, मान्यवर, इस तरह से इससे बड़ा दिवालिया होने का सबूत और क्या है? इससे बड़ा सबूत और कोई नहीं हो सकता है कि साल भर हम बिल्कुल न खायें, तब भी हम पर 300 रु० का कर्जा बना रहे। अगर हर आदमी न खाये, तब तो 1 महीने 2 महीने के अन्दर वह चल बसेगा, पूरा प्रदेश शून्य हो जायेगा, लेकिन तब पर भी कर्जा पट नहीं पायेगा, वह बना रहेगा। इस तरह से कर्जा लेते रहना और फिर दावा करना कि हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत है, इस लिए कर्जा लेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के दो कारण होते हैं। उसमें एक कारण तो यह होता है कि सूबे की जनता में टैक्स देने की ताकत हो या परिसम्पत्ति जो है, सरकारी उद्योग धन्धों में इतना मुनाफा हो कि उससे घटौती पूरी हो सके। यह दो तरीके मान्य हैं। आप पहले तरीके को देख लें। हमारे जितने टैक्स हैं, मान्यवर, वह इतने भारी हैं, कि जनता अब उससे आगे दे नहीं सकती है। उदाहरण के लिये मनोरंजन कर है, यह हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा हमारे यहां है, बिजली कर सबसे ज्यादा हमारे यहां है सिंचाई कर सबसे ज्यादा है, पानी के हिसाब से सबसे ज्यादा हमारा भूमि कर है, जिसे हम लगान कहते हैं। बिक्री कर है, अगर यह और जगहों से ज्यादा नहीं है, तो कम निश्चित रूप से नहीं है। कर्जा देने की ताकत जनता की कितनी कम है यह इसी से मालूम पड़ता है कि प्रत्यक्ष कर नहीं लगा सकते हैं।

अप्रत्यक्ष कर को परिवहन पर 25 प्रतिशत बढ़ा दिया। परिवहन मन्त्री का बयान है कि हमने सोचा था कि मुनाफा हो जायगा, लेकिन किराया ज्यादा हो जाने से सवारियां नहीं बैठीं इससे आमद कम हो गयी। टैक्स की हालत यह हो गयी है कि चाहे प्रत्यक्ष कर हो चाहे अप्रत्यक्ष कर हो, हम अब उसको बढ़ाने की स्थिति में नहीं हैं नहीं तो "घटती आमद यानी "डिमिनिशिंग रिटर्न होने लगेगा। जैसे पका बरतोर जरा सा छू जाने से भी बहुत दर्द करता है उसी प्रकार जरा सा टैक्स बढ़ाने से भी जनता में आक्रोश और रोष व्याप्त हो जायगा। माननीय मंत्री जी ने बजट में कहा है और अपनी पीठ ठोकी है कि मैं करों में किसी संशोधन का प्रस्ताव नहीं कर रहा हूं। अब करों में संशोधन का प्रस्ताव करेंगे कैसे? जब कर लगाने की हैसियत ही खत्म हो गयी है, कर लगा ही नहीं सकते, तो कर कैसे बढ़ायेंगे? अगर लगायेंगे तो निरर्थक होगा, अगर लगायेंगे तो जनता में आक्रोश होगा और उधर से इधर बैठना पड़ सकता है।

जहां तक परिसम्पत्ति का सवाल है, प्रदेश सरकार के 55 उद्योग हैं, जिनमें से 17 निरंतर घाटे पर चल रहे हैं जो रह गये हैं मामूली मुनाफा हो रहा है। ये परिसम्पत्ति की परिभाषा में नहीं आते हैं। कर्ज परिसम्पत्ति की परिभाषा यह है कि जो उद्योग कर्ज और सूद को 10 साल में अदा कर दे, वह परिसम्पत्ति है। जैसे टाटा साहब हैं। उनकी 2448 करोड़ की हैसियत है। इस साल का मुनाफा 213 करोड़ हो गया। यह 213 करोड़ का मुनाफा कर्जा को चुकाकर हुआ। पिछले 3 वर्षों में सारे सरकारी उद्योगों पर 2 अरब 7 करोड़ 84 लाख रु० का घाटा हुआ है यानी प्रति वर्ष 70 करोड़ रु० का घाटा हुआ है। सरकारी उद्योगों में 30 अरब रु० की पूंजी लगी हुई है, फिर भी इतना घाटा हो रहा

है । तीन साल का इसलिये दिया कि अगर एक साल घाटा हो जाता तो सरकार कहती कि विशेष परिस्थिति थी । इसलिये मैंने उस रास्ते को ही बन्द कर दिया । साफ कर दिया कि 3 साल के निरंतर घाटे में औसत घाटा 70 करोड़ का है । ऐसी स्थिति है कि इनके पास ऐसी कोई परिसम्पत्ति नहीं है जिससे कि यह घाटा पूरा हो सके और मुनाफा किया जा सके । जैसा मैंने पहले ही कह दिया टैक्स यह लगा नहीं सकते । दिवालिया तो यह हो ही गये हैं । अब रहा तीसरा विकल्प मितव्ययिता का, जिससे भी घाटा कम किया जा सकता है । इनके बजट भाषण के पृष्ठ 8 पर लिखा हुआ है—

इस उद्देश्य से प्रशासकीय व्यय में यथासम्भव मितव्ययता करने, अनुत्पादक व्यय को घटाने तथा राजकीय कार्यों में सादगी बरतने के निर्देश दिये गये हैं ।

इन पर भी सरकार ने अपनी पीठ ठोकी है । अब सरकार अपनी मितव्ययता से जनता को प्रभावित करना चाह रही है । लेकिन इस बीच में एक आंकड़ा आ गया कि पिछले साल चायपान पर, जो कि बहुत साधारण चीज है, 25 मन्त्रियों ने 20 लाख रुपए की चाय पी थी । सरकारी खर्चा है इसको तो ये कहीं छिपा नहीं सकते । वाजिद अली शाह भी इसी सूबे के रहने वाले थे । इनमें भी फिजूलखर्ची की होड़ लग गयी । इस साल 8 महीने का हिसाब मिल पाया है । इस साल शुरू के 8 महीनों में 25 मन्त्रियों के चायपान पर 30 लाख रुपया खर्च हुआ है । कुछ मन्त्री ऐसे भी हैं जिन पर अकेले डेढ़-डेढ़ लाख रु0 खर्चा हुआ है यानी प्रतिदिन 625 रु0 चाय पर खर्च किया है । इसीलिये मैं बार-बार कहा करता था कि ब्राह्मणवाद पाखण्ड का पुन्ज है और यह सरकार ब्राह्मणवादी सरकार है । इसीलिये इसने चायपान जैसे अनुत्पादक व्यय को, सादगी के दावे के बावजूद, होड़ लगाकर किया है । इन्होंने कहा कि अनुत्पादक व्यय में मितव्ययता बरती जायगी तो चायपान कौन सा उत्पादक व्यय है, यह बता दें ? तो चाय आज कौन से खर्चे में आती है । सवा 6 सौ रु0 सिर्फ एक मंत्री जब चाय पियेगा तो उस जनता का क्या हाल होगा जो गरीबी रेखा से नीचे रह रही है । इसलिए इस सरकार के दिवालिया होने में कोई कसर बाकी नहीं रह गया है, तो यह हमारी सरकार है और ऐसा लगता है कि यह सरकार प्रदेश की वित्त व्यवस्था एक न एक दिन जरूर डुबो देगी ।

मुझे एक मास्टर साहब की कहानी याद आ गयी । डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के एक मास्टर साहब थे, जिनकी तनख्वाह 20 रु0 माहवारी थी । डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जो चेयरमैन थे, उन्होंने एक दिन मुआयना किया और उनके कार्य में कुछ कमी पायी, जिसकी वजह से 2 रु0 तनख्वाह उनकी कम कर दी, तो वह पसमांदा होकर लौटे तो उनसे किसी मित्र ने पूछा कि मास्टर साहब क्या हाल है, तो उन मास्टर साहब ने कहा कि अगर यही हाल रहा तो नौ साल के अन्दर में अवैतनिक हो जाऊंगा । लेकिन मान्यवर, इस सरकार को अब यह अहसास तक नहीं रहा कि वह दिवालिया हो रही है, अगर इसका कुछ भी इसको अहसास होता तो यह 30 लाख रु0 की चाय न पीते और जनता को धोखे में रखने के लिए यह बराबर कहती रहती है कि हम मितव्ययता हर चीज में कर रहे हैं और हर चीज में कटौती भी कर रहे हैं और माननीय प्रधान मंत्री जी यह कहती हैं कि मंत्रीगण सादगी से रहें और इसका और उसका इस्तेमाल न करें, लेकिन यहां पर 8 महीने में 30 लाख रु0 खर्च कर दिया गया सिर्फ चाय पर 25 मंत्रियों ने । जबकि अभी चार महीने और बाकी हैं, उसका क्या हिसाब होगा और दूसरे यह कि अभी 17 मंत्रियों की जो फौज और बढ़ी है, उसका क्या खर्च होगा, उसका हाल

आगे मालूम होगा। मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ में इस बजट का जो दिवालियेपन का बजट है, का घोर विरोध करता हूं।

[समय 3 बजकर 24 मिनट]

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने जो वर्तमान में चर्चा चल रही है, उसमें भाग लेने का अवसर दिया। श्रीमन्, जो बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए कागजी तौर पर अगर हम देखें तो बहुत ही उपयोगी है इसी दृष्टि से हमारे विरोध पक्ष के माननीय सदस्यगण भी इस सीमा तक सहमत होंगे कि जब इस बजट को हम अमली जामा देते हैं तो बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ता है उदाहरण के तौर पर कि जो वर्ष 1983-84 का बजट है, आज 6 मार्च है और 31 मार्च तक यह कह दिया जायेगा कि सारे काम हो गये और सारी योजनायें पूरी हो गयीं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत हमारे जनपद में जो जिला नियोजन के लिए बजट दिया गया था।

हमारे यहां 11 विधायक हैं। रु0 चार लाख की योजना हम सब विधायकों ने अपने विधान सभा क्षेत्र को दी थी, उसके अन्तर्गत यह कहा गया कि माननीय विधायकगण अपनी योजनायें बना कर दे दें, जिसमें सड़कें और पुलों आदि के निर्माण व मरम्मत के कार्य हों और कार्य उसी के अनुसार होंगे तो हम लोगों की तरफ से वह सब दे दिया गया। लेकिन श्रीमन्, आज मालूम हुआ। 6 मार्च तक जो बाढ़ समस्या से सम्बन्धित बजट गया था, वह तो पहुंच गया है, लेकिन जो विधान सभा क्षेत्र की योजना दी गयी थी, उस सम्बन्ध में सरकार से फण्ड रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन मान्यवर, 31 मार्च को यह दिखा दिया जायेगा कागज पर कि सारी योजनाओं के कार्य हो गये। अब इस प्रकार के कार्य हैं आज विधायक की क्या स्थिति है, इनके क्षेत्र की जनता को तो यह जानकारी हो गयी कि यह-यह योजना चली गयी है और काम होगा, लेकिन यहां पर उस कार्य के लिए फण्ड ही रिलीज नहीं हो सका, तो इस तरह से विधायकगण अपनी जनता के सामने आज मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जायेंगे। इसलिए जो भी बजट हो जब यह तय कर लिया गया है कि 40 परसेन्ट जिला योजना को और 60 परसेन्ट राजकीय स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए दिया जायेगा 40 प्रतिशत की जो योजना जिले की होती है उसे माननीय विधायकगण तय कर लेते हैं कि क्या-क्या काम होने हैं लेकिन जब उसका फण्ड रिलीज नहीं होता है तो हम लोगों को मुंह चुराना पड़ता है और उल्टे सीधे बहाने बनाने पड़ते हैं। 1983-84 का वित्तीय वर्ष समाप्त हो रहा है लेकिन जिला स्तर की योजना का पैसा पूरा नहीं गया है। कागज पर वह योजना चाहे भले दिखा दी जाय परन्तु वास्तविकता यही है कि 40 प्रतिशत पैसा जो कि जिला स्तर की योजना को देने के लिए तय किया गया था, उसे नहीं प्राप्त हुआ है। सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह देखे कि जिला योजनाओं के लिए धनराशि भेज दी जाय ताकि हम कुछ निर्णय ले सकें कि यह कार्य किया जाना है और इन कार्यों के क्रियान्वयन के लिए जो पैसा सरकार से हमको मिलना है उसके लिए ग्राम प्रधान को या अधिकारी को या विधायकों को यहां न दौड़ना पड़े और बेकार के चक्कर न लगाने पड़ें।

इसी तरह से बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों के लिए इसी सदन में विचार हुआ था कि जो ग्राम सभायें बाढ़ ग्रस्त हैं वहां की ग्राम सभा को नाव खरीदने के लिए 40 प्रतिशत व्यक्तिगत और 60 प्रतिशत सब्सीडी सरकार की ओर से मिलेगी।

हमारे विधान सभा क्षेत्र में ताजपुर गांव सभा में रघुनाथ प्रधान ने इसी आश्वासन पर नाव खरीद ली पर जब वह तहसील पर आता है कि उसे जो अनुदान मिलना है वह सबसीडी उसे मिलनी चाहिये तो वह सबसीडी उसे आज तक नहीं मिल पायी है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि चाहे जो योजना हो उसके क्रियान्वयन के लिए सरकार ने जो आश्वासन दिये हैं, तो आपके माध्यम से उसे यह निर्देश हों कि तुरन्त उसको असली जामा पहनाया जाय। जब ग्राम प्रधानों से हम बात करते हैं कि सरकार ने यह निर्णय लिया है और जब वह काम नहीं हो पाता है तो हम उनसे मुंह चुराते रहते हैं। सामने नहीं जाते हैं या यदि सामने पड़ जाते हैं तो फिर तरह-तरह के बहाने बनाने पड़ते हैं। इस तरह से जो योजना जिलों को दी गयी थी आज 6 मार्च है, 31 मार्च के थोड़े से दिन शेष हैं और फण्ड अभी तक रिलीज नहीं हुआ है तो इसके लिए निर्देश जारी किए जायं कि सारे कार्य अविलम्ब पूरे किये जायं।

इसी तरह से हरिजन बस्ती में विद्युतीकरण की जो योजना है, यह बहुत ही लाभदायक है। इसमें कोई दो राय नहीं कि गरीब हरिजनों के लिए यह नितान्त आवश्यक है। लेकिन इसके लिए एक सीमित धनराशि, 3 हजार रुपये की दी गयी है। होता क्या है कि इतनी धनराशि में जहां तक खम्भे पहुंच पाते हैं वहां तक खम्भे खड़े कर दिए जाते हैं और तार लगा दिये जाते हैं और एक बल्ब लटका दिया जाता है। जब बल्ब फ्यूज हो जाता है तो उसको दुबारा लगाने की कोई व्यवस्था नहीं इसकी कोई व्यवस्था नहीं है कि उसकी देखभाल कौन करेगा।

मान्यवर, एक बार मुझको इसका उद्घाटन करने के लिए बुलाया गया, मैंने भी स्वीच आन और आफ किया और बिजली जला दी। उसके बाद फिर बिजली नहीं जली जब मैंने पूछा तो कहा कि मेरा काम लगाने का था वह मैंने कर दिया है। गांव सभा के प्रधान से कहा तो उन्होंने कहा कि एस0 डी0 एम0 से मिला था, कि इसके बारे में कोई व्यवस्था की जानी चाहिए। मेरे पास गांव सभा में इस चीज के लिए कोई प्राविधान नहीं है। बिजली के खम्भे हरिजन बस्ती से काफी दूर हैं, इसलिए वहां तक बिजली कैसे जाय। वहां पर व्यक्तिगत रूप से मैंने करा दिया, लेकिन सवाल इस बात का है कि कहां-कहां व्यक्तिगत रूप से कराया जाये। मेरा निवेदन है कि 3 हजार रुपये की सीमा न लगायी जाये, जहां पर हरिजन बस्ती है वहां तक बिजली जरूर पहुंचायी जानी चाहिए चाहे जितना खर्च उस पर लगे, उसको दिया जाना चाहिए।

मान्यवर, अब मैं पेयजल योजना के बारे में आपसे निवेदन करना चाहता हूं। जल निगम के माध्यम से हमारी सरकार ने कुछ पम्प लगाये हैं, जिनके लिए साढ़े चार हजार रुपया एक पम्प के लिए मिलता है। मान्यवर, कुछ तो पुराने हैं लेकिन ब्लाक स्तर पर उनकी सफाई के लिए कोई धन उपलब्ध नहीं है इसलिए उनकी देख-रेख भी ठीक प्रकार से नहीं होती है। जब विकास खंड अधिकारी से कहा जाता है तो वह कहते हैं कि इस काम के लिए हमारे पास कोई पैसा नहीं है। एक विकास क्षेत्र में 2 कुएं मिले हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र में झंझरी विकास खंड है जिसमें 104 गांव सभायें हैं। अगर दो कुएं एक विकास खण्ड में मिलते हैं, तो उससे क्या होता है और हम लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि हरिजन बस्ती में कुएं बनने या पम्प लगाने की संख्या को बढ़ाया जाय जिससे उनको राहत मिल सके।

मान्यवर, जहां तक बजट की बात है। बजट के बारे में मैंने पहले ही कह दिया है यह बजट बड़ा ही विकासशील बजट है। यह बजट विकास को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस सम्बन्ध में मैं एक

चीज निवेदन करना चाहता हूं कि 31 मार्च को जो शर्त है उस पर ध्यान देना चाहिए। इस बारे में मेरा सुझाव है कि सदन की एक कमेटी बना दी जाय जो जनवरी से 15 मार्च तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे कि वास्तव में कार्य प्रगति पर है या नहीं। बजट लैप्स न हो जाये, इसलिए जैसा तैसा काम करते हैं, और कार्य ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है, कार्य अच्छी प्रकार से किया जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ में इस बजट का समर्थन करता हूं और आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं।

श्री राम सागर--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे वर्ष 84-85 के आय-व्ययक पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर हमारे विपक्ष की ओर से जो बजट का विरोध किया गया है, सत्ता पक्ष के सभी लोगों ने उसका समर्थन किया है, केवल बाद में या पहले एक लाइन कह देते हैं कि मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। वह अपने पूरे भाषण में बजट का विरोध ही करते हैं। मान्यवर, अगर बजट को देखा जाय तो यह कल्याणकारी बजट नहीं है इससे किसानों का भला नहीं हो सकता है। और बेरोजगारों का भला नहीं हो सकता है। मान्यवर, आज सुरक्षा की व्यवस्था बहुत ही खराब है। आज जनता के जान की सुरक्षा की कोई गारन्टी नहीं है कि वह सुरक्षित रहेगा या नहीं ....

और मान्यवर, सत्ता पक्ष और वर्तमान सरकार जिस तरीके से राइफल वालों और बन्दूक वालों की पलटन तैयार कर रही है। यह इस प्रदेश का दुर्भाग्य है। ऐसी स्थिति आने वाली है कि इससे न मालूम क्या होगा ? मान्यवर, मैं देवरिया जनपद के फाजिलनगर चुनाव क्षेत्र में गया था मैंने देखा कि वहां पर एक हरिशंकर तिवारी नाम का नामी गुंडा जो कई बदमाशों को साथ लेकर घूमता रहता था। वह 22 गुंडों को जो कि चोर, लफंगे और बदमाश थे उनको साथ लेकर मुख्य मन्त्री के आगे पीछे चल रहा था और हमने देखा कि वह मुख्य मन्त्री के साथ मंच पर भी बैठा हुआ था। जिस दिन वहां पर चुनाव हो रहा था उस दिन उसने बूथ-कैपचारिंग करके तमंचा गोली चलवाई। जिसमें कई लोगों की जानें भी गईं। बदमाशी की जमात वहां पर वह सब कर रही थी। श्रीमन्, मांधवगढ़ में हमारे लोक दल के अध्यक्ष के ऊपर बदमाशों ने राइफल उठा ली थी किन्तु उनको और हरिशंकर तिवारी को आज तक नहीं पकड़ा गया और न ही उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी साथ ही किसी बदमाश के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

मान्यवर, कल ही यहां पर सदन में मैनपुरी में श्री मुलायम सिंह जी के ऊपर हुए कातिलाना हमले के बारे में चर्चा की मांग उठायी गयी थी। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई है किन्तु उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हो पायी। यह राइफल की पलटन जो सरकार तैयार कर रही है। इसके परिणाम भविष्य में अच्छे नहीं होंगे। यह सरकार कहती है कि हम जनता की सुरक्षा करेंगे लेकिन कहीं सुरक्षा नहीं होती है। बाराबंकी में थाना सवई में बटेया एक गांव है वहां पर पुलिस ने यह कर कि एक घर में बदमाश इकट्ठा हैं, चार थानों की पुलिस बुला ली गयी और वहां एक गर्भवती महिला तथा एक 60 साल के बूढ़े आदमी को गोली से मार दिया और मुतवातिर कई घन्टों तक गांव को लूटते रहे और गांव की सारी सम्पत्ति थाने में ले गये और वहां पर उन्होंने आपस में बांट ली। दूसरे दिन उन्होंने फिर 10 घरों को नेस्तो-नाबूद कर दिया और घरों को गिरा दिया। जब मैंने यह मामला उठाया तब भी कोई कार्यवाही पुलिस के खिलाफ नहीं की गयी। दसियों हरिजनों के घर पुलिस वालों ने गिरा दिये किन्तु किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं

की गयी। एक गर्भवती महिला और एक 60 साल के बूढ़े व्यक्ति को मार दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस तरीके से इस प्रदेश में जनता की रक्षा हो सकती है ये कहते हैं कि हम हरिजनों का कल्याण करेंगे। आज उनकी क्या हालत है। उनकी बस्तियों में विद्युतीकरण की बात कही जाती है। रेडियों में कहा जाता है कि जहां हरिजनों की आबादी है वहां हम बिजली देंगे। यह रेडियो में रोज प्रसारण होता है। किन्तु मान्यवर, आप देखें कि यदि किसी ऐसी आबादी में विद्युतीकरण का काम हुआ है तो कहीं तार नहीं है, अगर तार है तो बिजली नहीं है और बिजली है तो उसमें बल्ब नहीं है और अगर सब कुछ है तो बिजली भूल से भी नहीं दी जाती है।

मान्यवर, परसों मैं हैदरगढ़ की तरफ गया था। वहां एक घरकोइया गांव है। वहां पर हरिजनों के लिए एक कालोनी बनायी गयी है। यह पिछले साल बनी थी। वहां के डी0 एम0 ने उसका उद्घाटन किया था। उसमें केवल बोर्ड ही लगा रह गया है। सीमेन्ट से उसमें पुताई कर दी गयी थी और डी0 एम0 साहब का नाम खुदवाया गया था. जिन्होंने उसका उद्घाटन किया था। वही बोर्ड वहां पर रह गया है। बाकी लाइन से सब घर गिर गये हैं, वह सब गिरे पड़े हुए हैं। यह स्थिति हरिजन कालोनियों की है। रिजर्वेशन के कोटे की बात कही जाती है। किसी भी श्रेणी में चाहे वह प्रथम श्रेणी हो, द्वितीय हो, तृतीय श्रेणी हो या चपरासी पिवाई की पोस्ट हो, उसमें भी कहा जाता है कि योग्य हरिजन नहीं मिल रहे हैं। तो मान्यवर, कहीं भी हरिजनों का रिजरवेशन पूरा नहीं है।

स्पेशल कंपोनेंट की बात कहता हू यह कहते हैं बड़ा कल्याण कर रहे हैं हमारे साथी माननीय पंचानन राय जी बोल रहे थे कि 50 फीसदी आफिसर खा जाते हैं। मैं यह कहता हूं कि यह जो बजट पेश किया गया है वित्त मन्त्री जी द्वारा इसका 50 फीसदी उच्च अधिकारियों और मंत्रियों के खाने कमाने का हिस्सा है। तो इस बजट से सोचा जाय कि प्रदेश की जनता का कल्याण होना सम्भव नहीं है। मैं स्पेशल कम्पोनेन्ट की बात कर रहा था कहा गया कि नवयुवकों को उद्योग लगाने के लिए सहायता दी जायेगी लेकिन जो भी उद्योग चुना जाता है उसके लिए पूरा पैसा नही मिलता है तो वह कैसे अपना उद्योग लगायेंगे।

इसी तरह से पिछड़े क्षेत्र की बात करता हूं मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक इलाका है जो रारी नदी, कल्याणी नदी गोमती नदी, नैथ्या और एक बड़े नाले से यानी पांच नदियो से घिरा हुआ है उसको जोड़ने के लिए देवीगंज से सुबेहा को जो सड़क जाती है उसमें घटमापुर में एक लकड़ी का पुल बनाने के लिए मंजूर हुआ था लेकिन उस पुल की लकड़ी को असंदरा थाने का दरोगा बाराबंकी से बनारस उठा लें गया जो माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी के जिले का है। मैंने इस मामलें को सदन में उठाया कि वह दरोगा पुल की लकड़ी को ट्रक में उठा कर ले गया है और इस प्रकार राष्ट्रीय सम्पत्ति की चोरी की है। मैंने उस पर सवाल भी कर रखा है लेकिन ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ उसे कोई सजा नहीं हुई।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री राम सागर--

मान्यवर, मैं खत्म कर रहा हूं। इस प्रकार माननीय वित्त मन्त्री जी ने जो बजट पेश किया है उसका मैं घोर विरोध करता हू और यह कहता हू कि यह बजट किसान विरोधी है, गांव विरोधी है, बेरोजगारों का विरोधी है और प्रदेश जनता विरोधी है।

*श्री प्रभूनारायण सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस प्रगतिशील बजट पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, अगर इस बजट को देखा जाय तो स्पष्ट परिलक्षित होता है कि इस प्रदेश के सर्वांगीण विकास की मंशा इस शासन की है इसलिए ऐसा कोई भी पहलू नहीं है जिसके विकास के लिए इसमें धन न रखा गया हो। श्रीमन्, उत्तर प्रदेश के विकास की दर को अगर देखो जाय और 79-80 को यदि आधार वर्ष मान ले तो विकास 10.5 प्रतिशत आता है जो अपने मे (इस समय 3 बजकर 44 मिनट पर अधिष्ठाता श्री लाल प्रताप सिंह पीठासीन हुए।)

सचमुच में इस प्रदेश के लिए गौरव की बात है। खाद्यान्न के उत्पादन में किसी भी प्रदेश को लिया जाय जिसकी 80 प्रतिशत आबादी खेती पर निर्भर करती है तो खाद्यान्न उत्पादन हमारे प्रदेश का 1982-83 में 263.52 लाख टन उत्पादन हुआ है जो वर्ष 1981-82 से 20.58 लाख टन अधिक है।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, बजट पर सामान्य चर्चा चल रही है और यहां पर कोरम नहीं है, सत्ता पक्ष को जिम्मेदारी है पूरा करने की, लोग यहां आयें।

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठ जायं, कोरम की घंटी बजाई जाय।

(गणपूर्ति हेतु घंटी बजायी गयी तथा गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई।)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रभू नारायण सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं खाद्यान्न उत्पादन के सम्बन्ध में कह रहा था कि रेकार्ड उत्पादन हुआ है प्रदेश में जिसके लिये हमारे साथियों को चाहिये था कि वह सरकार को बधाई देते। मान्यवर, जितनी भी योजनायें हैं इस प्रदेश के विकास के लिये उन सब को सचमुच बजट में देखा जाय तो सब के लिये अच्छा प्राविधान किया है, किसी की उपेक्षा नहीं की गयी है। मान्यवर, एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत अक्टूबर, 1983 तक 57,525 व्यक्तियों को बैंक द्वारा 16.64 करोड़ रुपया दिया गया तथा ट्राइसम योजना के अन्तर्गत 12,723 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है एवं 3,291 व्यक्तियों को 94 लाख रुपया वितरित किये गये हैं। इस प्रकार हर आदमी जो कुछ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिये हर प्रकार की सुविधा देने के लिये सरकार कटिबद्ध है और दे रही है।

हमारे देश की प्रधान मंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी ने अभी 15 अगस्त को देश के नवजवानों के लिये बहुत अच्छी चीज घोषित किया, जिसको सरकार द्रुतिगति से कार्यान्वित कर रही है और वह योजना है शिक्षित युवकों के लिये स्वतः रोजगार योजना है जिसमें हर नवजवान युवक जो हाई स्कूल पास है, 18 वर्ष और अधिक से अधिक उसकी उम्र 35 वर्ष है और वह कोई रोजगार करना चाहता है तो उसको यह सरकार अधिकतम 25 हजार रुपया दे रही है और उसमें 1/4 की छूट भी है। मान्यवर, कुछ जिले जो उद्योग शून्य हैं वहां इस धन पर ब्याज की दर कम है। इस प्रकार जो प्रदेश का नवजवान मारा-मारा फिरता था उसको आगे बढ़ने के लिये कोई योजना नहीं थी जिसको हमारी सरकार ने स्वतः रोजगार करने की योजना दिया है।

मान्यवर, इसी प्रकार से सिंचाई के साधनों को देखा जाये तो उनको तेजी से बढ़ाया जा रहा है। हमारी सरकार ने, कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि चुनाव पंचायतों, जिला परिषदों और नगरपालिकाओं के सरकार नहीं करा रही है लेकिन देखा जाय तो पिछली सरकार ने जो अपने को जन-जन का रक्षक कहती थी, एक कलम से इनको बरखास्त कर दिया था किन्तु हमारी सरकार उनको फिर पुनर्जीवित कर रही है और गांव सभाओं के चुनाव ब्लाक प्रमुखों के चुनाव और जिला परिषदों के मेम्बरों के चुनाव कराये हैं। इसलिये मंशा देखी जाय तो स्पष्ट होता है कि हमारी सरकार की मंशा साफ है। मान्यवर, जो बड़े-बड़े निर्माण के कार्य हैं, मैं सबसे पहले अपनी सरकार को बधाई इसलिए दूंगा कि हमारे क्षेत्र में भी बनारस-जौनपुर रोड पर एक जलालपुर स्थान है, जहां सई नदी इस सड़क को क्रास करती थी और वहां पर एक शाही जमान का पुल था, जो जर्जर हो गया था, जिससे भारी वाहनों का आवागमन उस पर से रुक गया था। वह बरसात के दिनों में डूबा रहता था और कभी-कभी उस पर दुर्घटनाएं भी हो जाया करती थीं। हमारी सरकार ने वहां पर एक नया पुल बनाने का प्राविधान किया है, इसलिए मैं सरकार की बधाई दूंगा।

हमारे जिले में पांच तहसीलें हैं, जिसमें कराकत हमारी तहसील है। उसका आधा भाग गोमती नदी के दक्षिणी छोर पर है और आधा भाग उत्तरी छोर पर पड़ता है, लेकिन वहां पर गोमती नदी पर आज तक कोई पुल नहीं बना है। बरसात के दिनों में पोंटे का पुल हो जाता है, जिससे वहां पर सालों साल लोगों को आवागमन में बड़ी परेशानी होती है। इसलिए मैं सरकार से चाहूंगा कि केराकत तहसील मुख्यालय में गोमती नदी पर एक पुल बनाने की वह कृपा करे। हमारे अपने बयालसी विधान सभा क्षेत्र में, जहां पर गोमती और सई दोनों नदियां होकर बहती हैं, वहां पर दोनों नदियों का संगम हमारे क्षेत्र में पड़ता है (लाल बत्ती होने पर) मान्यवर, मैं निवेदन करूंगा कि मुझे अभी आप थोड़ा सा समय और दे दें। तो मैं कह रहा था कि सई व गोमती के बीच में संगम 'कपास बलाव' नामक एक स्थान है, जो जौनपुर और केराकत को जोड़ता है। वहां पर भी तत्काल एक पुल बनाये जाने की बड़ी आवश्यकता है। मेरा निवेदन यह है कि यदि वहां पर तत्काल कोई नया पुल नहीं बनता है तो कम से कम वहां पर पेन्टून-ब्रिज, पीपे का पुल ही दे दिया जाए, ताकि वहां के लोगों को आवागमन में आसानी हो सके।

हमारा जौनपुर जिला उद्योग शून्य जिला है। हमारे पूरे जिले को इस बार अपेक्षा थी कि हमारे जिले में विशेष कर उद्योगों की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन हम लोगों को निराशा हुई यह जानकर कि इस तरह की कोई बात इसमें नहीं कही गयी है। हमारे क्षेत्र में एक लघु उद्योग तक नहीं दिया गया है।

(व्यवधान)

मैं जानता हूं कि हमारी पूरी व्यवस्था हमारी सरकार ही कर सकती है, मैं आशावादी हूं और इसीलिए अपनी समस्याओं को अपनी सरकार के सामने रखता हूं। हम जानते हैं कि यही सरकार है जो सारे दुखों को दूर कर सकती है। इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी पर विश्वास किया है और उसने सबको छोड़ दिया है। इसके साथ में इस बजट का पुरजोर समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि इससे हमारे प्रदेश की हर तरह से खुशहाली होगी।

(व्यवधान)

*श्री धनी राम वर्मा--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने बजट पर चल रही सामान्य चर्चा पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है। मान्यवर, इस पक्ष के और उस पक्ष के बहुत से माननीय सदस्यों ने इस बजट पर अपने अपने विचार व्यक्त किये हैं। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि यह अक्षम सरकार के मंत्रियों ने, जो दायित्वहीन हैं, जो मुख्य मंत्री को प्रस्तुत किया है वह पूर्णतः प्रदेश की प्रगति और गरीबों की तरक्की में बाधक है। इससे न प्रदेश की तरक्की होने वाली है न गरीब का जीवन स्तर ऊंचा होने वाला है। प्रश्न इस बात का है कि कोई सुनने वाला नहीं है। विधान सभा में कहा जाता है और आशाएं की जाती हैं। कि विधान सभा में जो कुछ कहा जायेगा उस पर अमल होगा। लेकिन देखने में यह आता है कि "अन्धों के आगे रोइये, अपने दीदे खोइये।" आज हो क्या रहा है? आज देखने में यह आ रहा है और वही कहावत चरितार्थ हो रही है कि "अन्धा बांटे कुत्ते खाये।"

पहले यह समझा जाता था कि जिस जिले का अगर कोई मंत्री हो गया है तो उसके जिले में कुछ विकास के कार्य अवश्य होंगे। हमारे जिले के एक मंत्री जी हैं, पर वहां कोई काम विकास के हुये ही नहीं हैं। बलराम सिंह जी हमारे जिले के हैं, वे मंत्री हैं, उनको कुछ देखने की फुरसत ही नहीं है। उनको यह पता ही नहीं है कि नगर की सफाई होती है या नहीं। वहां पर सड़कें अच्छी हालत में हैं या नहीं। आज हालत यह देखने में आती है कि कोई अधिकारी मिनिस्टर को कुछ समझता ही नहीं है। आज अधिकारियों पर मंत्रियों की पकड़ नहीं है। ऐसा लगता है जैसे मंत्रिगण अधिकारियों को शह दिये हुये हों।

माननीय रामस्वरूप वर्मा जी ने बताया कि एक मंत्री के यहां प्रति दिन का औसत चाय का खर्च 625 रुपये है। मान्यवर, एक मंत्री बराबर 30 दिन रहता कहां है। 30 दिन के हिसाब से यह एवरेज उन्होंने निकाला है। मंत्री मुश्किल से 10-12 दिन यहां रहता है। कई तो छुट्टियां निकल जाती हैं। इस हिसाब से अगर एवरेज निकाला जाये तो वह 15-16 सौ रुपये प्रति दिन का खर्च केवल चाय का आयेगा। अब जो मन्त्री 15-1600 रुपये की चाय अपने चेम्बर में बैठ कर पी जायेगा, उससे प्रदेश का क्या भला होगा, यह आप ही समझ लें, मान्यवर।

मान्यवर, यह मंत्रिमंडल आज बिलकुल अक्षम हो गया है और पुलिस को बिलकुल छूट मिली हुई है। इसका एक उदाहरण मैं अपने यहां की 17 सितम्बर, 1983 की एक घटना का देना चाहता हूं।

हमारे वहां एक बाजार लगती है। वहां पर बेला थाने के अन्तर्गत, 4 बजे शाम को बिधुना थाने के दो एस0 आई0 सादे वेष में तथा दो वर्दीधारी सिपाही बाजार में आते हैं और हमारे भतीजे से एक व्यक्ति के बारे में पूंछताछ करते हैं। उसने उनको बतलाया कि वह तो मलेरिया से बीमार हैं और घर पर हैं। उन्होंने पूतूलाल नाम के व्यक्ति के बारे में कुछ और जानना चाहा। उसके बाद उन सिपाहियों ने उस लड़के को मारा। जब पास के लोगों ने आकर टोका तो उन लोगों को भी पुलिस ने मारा। बाद को फायरिंग शुरू कर दी जिसमें एक आदमी के गोली लगी और कई घायल हो गए। रात को 9 बजे जब मुझे सूचना मिली तब मैं वहां पहुंचा। मेरे साथ माननीय नेता, विरोधी दल भी थे। वहां जाकर देखा कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चारों तरफ पुलिस घेरा डाले हुए हैं। थाने में रिपोर्ट लिखाने गए, रिपोर्ट नहीं लिखी गई। एस0 पी0 के यहां गए उन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखी। जिसके गोली लगी उसको अस्पताल लेकर गए, उसका एक्सरे हुआ, गोली निकली, अन्य कई लोग घायल हुए जिनका डाक्टरी मुआ-यना हुआ, उनका इलाज हुआ, पर पुलिस के खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई और न ही कोई कार्यवाही हुई, बल्कि पुलिस ने ही उलटे 17-18 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया और उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू की।

मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री जो उस वक्त मौजूद थे, माननीय मुख्य मंत्री जो उस दिन मौजूद नहीं थे। जब मैं 23 सितम्बर को यहां आया और मैंने लिखकर दिया कि यह झगड़ा पुलिस और आम जनता के बीच में है लेकिन खास तौर से मेरे घर के लोगों को फंस दिया गया है इसलिए आप सी0 आई0 डी0 इन्क्वारी करा लीजिए। उन्होंने लिखा कि सी0 आई0 डी0 इन्क्वारी करा दी जाय। लेकिन मान्यवर, खेद की बात है कि आज तक सी0 आई0 डी0 इन्क्वारी नहीं हुई है। 3 अक्तूबर को मैंने लिखकर दिया लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। 7 अक्तूबर को लिख-कर दिया लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया और 9 अक्तूबर को लिखकर दिया लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। 17 अक्तूबर को लिखकर दिया लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। अभी सदन में जब मैंने 301 में इसको उठाया तो आपका आदेश आता है कि वहां का डिप्टी कलेक्टर जो है इसकी जांच करेगा। तो मान्यवर, केस पहुंच गया अदालत में और डिप्टी कलेक्टर की अब क्या राय मानी जाएगी? उसकी क्या इवीडेंस मानी जायगी। यह क्या मखौल है? क्या यह मंत्रि मंडल अक्षम और दायित्व हीन नहीं है? मैं चैलेन्ज करता हूं, आप इसकी इन्क्वारी करा लें। चाहे रिटायर्ड जज से करा लें या इस सदन के 4 सम्मानित सदस्यों से जो कांग्रेस (आई) के हों करा लें अगर पुलिस ज्यादती न हो तो मुझसे इस्तीफा ले लें और जो चाहे सजा दें। इस बेलगाम पुलिस के खिलाफ इन्क्वारी की जाय। जो पुलिस मुकदमा कायम करवाती है वही चार्जशीट लगा दे इससे बढ़कर और अन्याय की बात कोई नहीं हो सकती।

मान्यवर, इसी के साथ में यह कहना चाहता हूं कि आज 4 वर्ष से सिंचाई और लगान को बाढ़, सूखे और ओला वृष्टि के कारण स्थगित किया जा रहा है। सन् 1388 और 1387 फसली का आंशिक रूप से माफ भी किया गया है। लेकिन यह जो लगान और सिंचाई स्थगित की गई थी इसकी वसूली की जा रही है। हमारे जनपद की तहसील बिघूना, भरथना और औरैया के लोगों को बन्द किया जा रहा है। एक एक कोठरी में 25-25 लोगों को बन्द किया गया है। किसी के ऊपर 200 रुपये लगान का बकाया है किसी के ऊपर 400 बकाया है। उसी कोठरी में पेशाब करना और खाना खाना पड़ता है। आप मान्यवर, स्वयं जाना चाहें तो बिघूना और औरैया तहसील में जाकर देख सकते हैं। उसी कोठरी में लोग खाते बैठते और सोते हैं उनकी बड़ी दुर्दशा है। यह कोई बात नहीं है कि 4-4, 6-6 साल का लगान और सिंचाई स्थगित की जाय और जबरदस्ती वसूली की जाय।

(लाल बत्ती जलने पर)

मान्यवर, मुझको थोड़ा समय और दे दें। सिंचाई के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र के 80 प्रतिशत ट्यूबवेलों में पानी नहीं आ रहा है। बहुत से ट्यूबवेल खराब पड़े हैं। जो ठीक हैं उनमें बिजली नहीं है। अगर बिजली आती है तो आप-रेटर नहीं है। अगर आपरेटर है तो नालियां टूटी पड़ी हैं। मान्यवर, इसी तरह से शिक्षा की व्यवस्था है। स्कूल नहीं हैं। अगर स्कूल हैं तो शिक्षक नहीं हैं। अगर शिक्षक हैं तो भवन नहीं है। यही हालत आज सारे प्रदेश की है।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री धनीराम वर्मा--

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि माइनर खोदने का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया और बजट प्रस्तुत कर दिया गया है । अगर और व्यवस्था न कर सकें तो कम से कम बरसात के लिए नई माइनर खुदवायें और धान के लिए पानी की व्यवस्था करवायें । धान के लिए सिंचाई की व्यवस्था करने से बहुत मात्रा में धान पैदा होगा और प्रदेश खुशहाल होगा और जो विदेशों से अनाज मंगा रहे हैं वह नहीं मंगाना पड़ेगा और सोने चांदी की बचत होगी । इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

*श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अनुग्रहीत हूं कि आपने बजट की सामान्य चर्चा पर मुझे भाग लेने का अवसर दिया । मैं सामान्य बजट जो माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उसे जनोपयोगी और जनहितकारी मानते हुए उसका हार्दिक समर्थन करता हूं । मैं मान्यवर, समर्थन इसलिए भी करता हूं कि जो जनता का साधारण वर्ग है वह करों से मुक्त रखा गया है और जो विकास के काम हैं उस पर ध्यान रखा गया है ।

बजट की कुछ चीजें ऐसी हैं, जिन पर मैं विस्तारपूर्वक चर्चा कर सकता हूं, परन्तु समय की कमी के कारण उनकी चर्चा न कर, अपने निर्वाचन क्षेत्र के सम्बन्ध में आपके माध्यम से कुछ बिन्दुओं पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कुछ सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं । श्रीमन्, मैं इसलिए भी निवेदन करना चाहता हूं कि बिजली का उत्पादन बढ़ा है, बिजली की सप्लाई ठीक हुई है, इसका तो स्वागत करता हूं, लेकिन हड़िया निर्वाचन क्षेत्र के बगल वाराणसी जनपद की तहसील ज्ञानपुर है, जिस जिले के हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, वहां ज्ञानपुर तहसील में एक फेज बिजली रात में आती है, जिससे पम्पिंग सेट और बड़े कारखानों के काम तो नहीं हो सकते, लेकिन जलाने के लिए बिजली उपलब्ध रहती है । हड़िया और ज्ञानपुर दोनों की भौगोलिक और सामान्य स्थिति एक है । दोनों जगह कालीन का कुटीर उद्योग सघन रूप से चलता है । ज्ञानपुर में बिजली पाकर लोग लाभान्वित हैं, लेकिन हड़िया के लोग बिजली की विशेष सुविधा से वंचित हैं । मान्यवर, कुटीर उद्योग में लोग दिन में काम करते हैं, लेकिन रात में बचे हुए समय में कालीन का काम करते हैं, जिससे उन्हें रोशनी की आवश्यकता पड़ती है । हड़िया का दुर्भाग्य है कि वहां के लोग रात्रि में बिजली से ज्ञानपुर की तरह लाभान्वित नहीं हैं । इससे वहां की जनता में रोष व्याप्त है ।

मैं शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं कि ज्ञानपुर की तरह हड़िया में भी एक फेज बिजली रात में दी जाय । इस सम्बन्ध में मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को दो पत्र लिख करके भी भेदभाव न बरते जाने का निवेदन करते हुए हड़िया को बिजली दी जाने की प्रार्थना कर चुका हूं । कालीन के कुटीर उद्योग से बहुत बड़ा निर्यात होता है, जिससे देश को विदेशी मुद्रा अर्जन का लाभ होता है । इस प्रकार हड़िया के लोग बिजली पाने से अधिक उत्पादन कर देश को विदेशी मुद्रा का लाभ पहुंचायेंगे । मान्यवर, इस विभाग के बारे में एक और निवेदन करना चाहता हूं कि बिजली का बिल बाबू लोग मनमाने ढंग से बना देते हैं और प्रसन्न होने पर उसको चाहे जितना भी कम और ज्यादा कर देते हैं । कैसे कम करते हैं, इसको आप स्वयं अन्दाज करें । इसका निराकरण

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

शासन से करायें। इस पर अंकुश लगाने के लिए शासन को कठोर कदम उठाना चाहिए।

श्रीमन् इसी के साथ एक और विसंगति की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आदरणीय लोकपति त्रिपाठी जी जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और कांग्रेस के हमारे नेता भी हैं, संयोग से सदन में उपस्थित हैं, उनको देखकर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब वह सिंचाई मंत्री थे, तो ज्ञानपुर लिफ्ट पम्प नहर केनाल की योजना प्रारम्भ की गयी थी और उस वक्त विचार था कि वाराणसी जनपद की ज्ञानपुर तहसील से गंगा का पानी उठाया जायगा और उसी भाव से उसका नाम ज्ञानपुर पम्प नहर केनाल रखा गया। लेकिन बाद में पानी इलाहाबाद जनपद के हड़िया तहसील के केहुनी ग्राम से गंगा नदी का जल उठाया गया, जिससे हड़िया क्षेत्र के लोगों की जमीन गयी और दूसरी तरह के नुकसान भी हुए, लेकिन वहां के लोगों को दुःख है कि उस नहर के नाम के साथ हड़िया केहुनी भी कहीं जोड़ा नहीं है। इसीलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि ज्ञानपुर पम्प नहर कैनाल के नाम को संशोधित कर उसमें हड़िया (केहुनी) अवश्य जोड़ दें, जिससे वहां के लोगों को भावनात्मक संतोष मिलेगा। इस ओर मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी, सिंचाई मंत्री जी व शासन का ध्यान पूर्व में आकर्षित किया है। आशा है इस पर तुरन्त कार्यवाही करके वहां के लोगों को शासन संतोष देगा। श्रीमन् हर वर्ष यहां पर बजट पिछले वर्ष की तुलना में अधिक पास करते हैं, लेकिन जब जिले में जाते हैं, तो कहते हैं कि बजट कम है, बजट नहीं है। यह बात समझ में नहीं आती कि बजट की धनराशि क्या होती है।

यहां पर बजट जब पास करते हैं, तो उसका हर वर्ष, हर मद में रुपया विगत वर्ष से ज्यादा अवंटित होता है, चाहे 82-83 के मुकाबिले में 83-84 का हो, या उसके मुकाबिले में 84-85 का हो, लेकिन जब हम क्षेत्र में काम के बारे में देखने जाते हैं, तो अधिकारी लोग बताते हैं कि बजट कम है या नहीं है। मैं शासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि ये आखिर जमीन पर काम उतारने में कहां-कहां खामियां रह जाती हैं, उसका शीघ्र निराकरण होना चाहिए। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र हड़िया के कामों के बारे में कहना चाहता हूं कि वहां सड़कें पी0 डब्लू0 डी0 की व आर0 ई0 एस0 की पहले की अपेक्षा बहुत कम यानी नाम मात्र की बन रही हैं? आखिर में क्षेत्र के बजट आवंटित धनराशि का क्या हुआ। 1981-82 में वहां पर सड़कों का काम बहुत तेजी से हुआ, लेकिन बाद में उसकी गति निरन्तर कम होती जा रही है। आज आर0 ई0 एस0 का काम भी बजट के आने में कम हो गया है। मैं मान्यवर, निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य सड़कों को गावों में जन सम्पर्क मार्ग बनाने की जो योजना है, और जिस पर हमारी नेता प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी विशेष जोर दे रही हैं, उसे त्वरित गति से पूरा किया जाय और इस कार्य को पूरा करने के लिए बजट में विशेष प्राविधान रखें।

श्रीमन् इसी के साथ एक और निवेदन करना चाहता हूं कि फूलपुर में इफको का एक विशाल कारखाना खुला है। वहां से खाद ले आने और ले जाने के लिए गंगा नदी सिरसा के सामने पार करने के लिए गंगा नदी पर पुल नहीं है। अतएव मेरा निवेदन है कि मेजा तहसील की सिरसा बाजार के सामने हड़िया तहसील के जोड़ने हेतु गंगा नदी पर एक पक्का पुल बनाने का बजट में प्राविधान करके, खासकर वहां की जनता तथा इलाहाबाद जनपद के लोगों को राहत पहुंचा कर कल्याण करें।

एक और विसंगति की ओर आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित

करना चाहता हूं । बड़ा दुर्भाग्य है लोग शिलान्यास कर देते हैं लेकिन कुछ कार्यवाही नहीं होती है । इसी प्रकार की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना 1965 में ग्राम सभा गोड़री, विकास खन्ड हंडिया में हुई थी । मंत्री जी को याद होगा तत्कालीन सिंचाई मंत्री श्री के0 एल0 राव ने बांध की एक योजना तैयार की थी और 1965 में शिलान्यास कर दिया था । 1985 आने वाला है 20 साल हो गये कुछ रुपया खर्च हुआ, पता नहीं क्यों कुछ रुपया खर्च करने के बाद उस योजना को खटाई में डाल दिया गया । कभी कहते हैं कि योजना लाभकारी नहीं है कभी कहते हैं हो नहीं सकती है शिलान्यास का पत्थर तत्कालीन सिंचाई मंत्री ने रखा था जनता पार्टी का शासन आया तब भी लोगों ने ध्यान आकर्षित किया और कांग्रेस के शासन में भी लोगों ने ध्यान आकृष्ट किया और मैं वहां का जन प्रतिनिधि होने के नाते शासन से एक निवेदन करना चाहता हूं आपका स्वरुप ऐसा होना चाहिये जिसमें जनविश्वास रहे ।

(इस समय 4 बजकर 12 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

शासन निरन्तर रहता है । शासन किसी दल से बदलता नहीं । चाहे जनता पार्टी रही हो तब भी शासन था, कांग्रेस पार्टी शासन करे या दूसरी शासन कर शासन की निरन्तरता बरकरार रहती है । 1965 में हुए शिलान्यास का कार्य यदि पूरा नहीं हो सकता है तो अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहूंगा, आप शासन से एक बात करादें । यदि कार्यक्रम पूरा नहीं हो सकता है तो जो शिलान्यास का पत्थर है, उसके गंगा लाभ का फंक्शन शासन द्वारा करा दें । इसके लिये हम शासन को धन्यवाद देंगे और सदा के लिये उस निशान को मिटा देंगे ।

श्री मोती लाल देहलवी--

कांग्रेस का गंगा लाभ होगा तभी यह होगा ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं हमारे आदरणीय सदस्य श्री मोती लाल देहलवी जी बहुत बुजुर्ग सदस्य हैं, मैं इनका बहुत आदर करता हूं । जनता पार्टी का इन्होंने गंगा लाभ करवा दिया लेकिन उससे भी वहां की जनता को लाभ नहीं हुआ । श्रीमन् 30 शैय्यों के अस्पताल की योजना माननीय स्वास्थ मंत्री जी जानते हैं, शासन ने चलायी थी । हड़िया तहसील के लोग माननीय लोकपति जी के स्नेह के पात्र हैं और सदैव आदर का भाव रखते हैं । वहां के लोगों ने आशा की थी कि 30 बेड वाला अस्पताल हो जायेगा लेकिन आज तक काम शुरु नहीं नहीं हुआ । अभी-अभी लाख रुपया लगाकर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का कार्य शुरु किया गया है मेरा निवेदन है कि उसी को उच्चीकृत करके गोपीगंज की भांति बहुमंजिली इमारत बनाकर 30 बेड वाला अस्पताल खोल दें ।

एक और निवेदन करना चाहता हूं कि विकास खंड हंडिया ग्राम सभा अतरौरा में चन्दा लगाकर लोगों ने अस्पताल की इमारत बनवायी है । वहां पानी पीने के लिये कुआं बना है । इस लिये मेरा निवेदन है कि शासन की ओर से अस्पताल खोलकर जन स्वास्थ की रक्षा का कार्य माननीय स्वास्थ मंत्री जी करने की कृपा करें । यह दोनों अस्पताल वहां की जनता के लिय जन उपयोगी होंगे । मैं जोरदार मांग करता हूं कि इसी सत्र में इस कार्य को शुरु करदें । अन्त में मैं पुनः इस बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री रुद्र प्रताप सिंह—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

माननीय सुनील शास्त्री को बुलाया जाए।

श्री रुद्र प्रताप सिंह—

मान्यवर, अंधरा के आगे रोये, अपना दीदा खोये। इस प्रदेश का भविष्य शिक्षा में निहित है। शिक्षा के माध्यम से नैतिकता बढ़ती है। आचरण बढ़ता है मानसिकता भी बढ़ती है। लेकिन जो सरकार अपने प्रदेश की शिक्षा को ठीक नहीं कर सकती उनसे हम क्या अपेक्षा करेंगे। मेरा अन्दाजा है यहां सब लोग आये हुए हैं सब वस्तुस्थिति को समझते हैं लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया कि शिक्षा में क्या प्राविधान करें जिससे शिक्षा ऊंची उठे। मान्यवर, हमारे यहां विद्यालय में भवन नहीं है अगर भवन नहीं है तो शान्ति निकेतन की तरह बैठ सकते हैं लेकिन बैठने की भी व्यवस्था नहीं है।

मान्यवर, शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं हो रही है जहां हुई भी है वहां सही प्राविधान उसमें नहीं हो रहा है। मान्यवर, जब मैं आपको देखता हूं तो आपसे पहले बापू दीखते हैं जो आपके सिर पर सवार हैं और हमारे सिर पर भी सवार हैं। मान्यवर, बापू ने कहा था कि समान शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा पर कोई समान ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मान्यवर, इनका दोष नहीं है दोष तो है समाज का, जिन्होंने वोट देकर हमको और आपको लखनऊ की विधान सभा में बैठने के लिए भेजा है। मान्यवर, आज दो प्रकार के स्कूल खुले हुए हैं सिटी मांटेसरी और मांटेसरी और यहां प्राइमरी स्कूल है। दोनों की पढ़ाई में कितना फर्क है। सन् 1980 की बात है एक जिलाधीश थे खुर्शीद अहमद उनके यहां मैं गया वहां उनका 12-13 साल का लड़का भी था वह उससे अंग्रेजी में बात कर रहे थे। वह मुझसे कहने लगे आपके यहां कोई इसके बराबर अंग्रेजी में बात कर सकता है। तो मैंने कहा शक्ति में हमारा लड़का आगे है। हमारे लड़के आपके लड़के को चार झापड़ मारें तो डिमलिया खाकर गिर जाएगा। बोले यह डिमलिया क्या है मैंने कहा कलईया। मान्यवर, इस घटना को इसलिए बताया, इससे यह निकाला जायेगा कि आपके बच्चे को पढ़ाने की सुविधा है तो बड़े लोगों के लड़के बड़े होंगे हमें नहीं सुविधा होगी तो नहीं होगें यदि बड़ी जगह होगी तो पांच फीसदी हमारे होंगे और 95 फीसदी आपके होंगे।

मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा की ऐसी व्यवस्था करें कि गरीब लोगों को भी आगे बढ़ने का मौका मिले तो कितना अच्छा हो। बैकवर्ड को सुरक्षित करें और ब्राह्मण को हटायें इससे कतई काम चलने वाला नहीं है। मान्यवर, संविधान में लिखा है कि 14 वर्ष के बालकों की निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था होगी। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री की आस्था होगी संविधान में तो 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था करने का कष्ट करेंगे। इस सवाल को जब उठाया था तो हमारी दीदी थी उस प्रश्न के माध्यम से सवाल किया कि 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देंगी। उन्होंने कहा कि हां देंगे। लेकिन फिर बाद में कहा कि नहीं चौदह वर्ष तक के बच्चों को नहीं कक्षा 6 तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देंगे। कक्षा दस तक निःशुल्क देना चाहिये, लेकिन कक्षा 6 तक ही देगी।

नोट—[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

इस सरकार ने जो बजट बनाया है, इसमें लड़कियों की बात देखिये। श्रीमती इंदिरा गांधी हम सबकी नेता हैं, प्रधान मंत्री हैं, कुछ समय के लिए उनको हम नेता मान लेते हैं। उनको महिलाओं से कितना लगाव है, यह मैं आंकड़ों के माध्यम से आपको बताता हूं। हमारे प्रदेश में लड़कियों की शिक्षा 60 प्रतिशत है। वाह रे स्त्रियों की सहानुभूति रखने वाली प्रधान मंत्री। आज इंदिरा गांधी, मेनका गांधी और राजीव गांधी ये तीन ही तो नेता हैं। ये कुछ नहीं कर सकते। इनके रहते पन्डित जी भी कुछ नहीं कर सकते। मान्यवर, मैं आक्षेप नहीं कर रहा हूं, अपना दर्द कह रहा हूं। दर्द आपसे कह कर दिल हल्का कर लूंगा। लड़कियों की शिक्षा की कोई व्यवस्था की जाय। प्रदेश का भविष्य आज कितना अधर में लटका हुआ है। आप कहते हैं वक्तव्य मंत्री कोई वक्तव्य दे देंगे। परीक्षा होने जा रही है। इतने दिन कोई तैयारी नहीं हुई, प्रैक्टिकल परीक्षा नहीं हुई और लड़कियों को अपने केन्द्र से हटाकर दूसरे केन्द्रों में भेज दिया गया, कितनी कुसंगति है। सबसे बड़ी बात यह है कि शासन का दिमाग इतना खराब हो चुका है कि कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाता।

मान्यवर, आज बोलने दिया जाय। मैं मान्यता समिति में था, वित्त विभाग की सहमति से मान्यता मिलती है। आज असहायता प्राप्त विद्यालयों के बीस हजार अध्यापक मर रहे हैं, हम लोगों ने सवाल उठाया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। असहायता प्राप्त विद्यालयों के अध्यापकों के बारे में जब वित्त विभाग ने स्वीकृति दे दी थी, तब तो इनको देना चाहिये था। मान्यवर, इसी के साथ-साथ कृषि विभाग की बात कहना चाहता हूं। ट्यूबवेल जितने हैं, हमारे जनपद में, बहुत कम हैं। अभी इन्होंने कहा, ये सिर्फ हंडिया की बात करते हैं। पूरे प्रदेश में आज कृषि की जो व्यवस्था है, नहरों की जो व्यवस्था है, नलकूप की जो व्यवस्था है, बिल्कुल खराब हो गई है। बिजली नहीं, पानी नहीं, पानी है तो खेतों में नहीं जा रहा है। यह आपका राज है। मैंने बीसियों चिट्ठियां लिखीं सिंचाई मंत्री वीर बहादुर सिंह जी को कि हमारे इलाके को नदी के किनारे के गांव कट रहे हैं और इन्होंने बड़ी बहादुरी से हस्ताक्षर किये हैं, लिखा है परन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष--

आपका समय समाप्त।

श्री रुद्र प्रताप सिंह--

मान्यवर, गांव गिर रहे हैं....

श्री अध्यक्ष--

आपका समय समाप्त। अब एक शब्द नहीं लिखा जायगा।

(व्यवधान)

श्री सुन्दर सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे बजट पर सामान्य चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। मान्यवर, बजट के समर्थन में और बजट के विरोध में तमाम बातें आपके सामने आयी। मान्यवर, हमारे विद्वान और प्रभावशाली वित्त मंत्री जी ने जिस तरह यह वर्ष 1984-85 का आय व्ययक प्रस्तुत किया है, वह सर्वथा स्वागत योग्य है। मान्यवर, केवल 59 करोड़ के घाटे का बजट प्रस्तुत करके तथा प्रदेश की जनता पर कोई नया कर न लगा कर माननीय वित्त मंत्री ने सराहनीय कार्य किया है।

मान्यवर, यह सर्वविदित है कि उत्तर प्रदेश जिसकी आबादी लगभग 11 करोड़ है, भारतवर्ष का एक सबसे बड़ा प्रदेश है। यह प्रदेश तमाम दैवी आपदाओं जैसे वर्षा से, बाढ़ से और सूखे से ग्रसित रहा है, इस प्रकार की विपरीत परिस्थितियों के होते हुए भी हमारे

माननीय वित्त मंत्री जी ने ऐसा संतुलित बजट पेश किया है, जिससे इस प्रदेश की तमाम जनता को राहत मिली है। आलोचना तो बहुत की जा सकती है, लेकिन रचनात्मक सुझाव देने में काफी कठिनाई होती है। हमारे प्रदेश में जो आज कृषि उत्पादन का, औद्योगिक उत्पादन का और सीमेन्ट तथा टेक्सटाइल उत्पादन का वातावरण बना है, ऐसा वातावरण पहले कभी नहीं था। पिछले बजट में भी चर्चा के दौरान बहुत कुछ चीजें सामने आई थीं, यदि तुलनात्मक अध्ययन किया जाय तो इस साल औद्योगिक उत्पादन में 70 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आज इसी वजह से बड़े-बड़े उद्योग पति अपने उद्योगों को हमारे प्रदेश में स्थापित करना चाहते हैं। ....

श्री अध्यक्ष--

माननीय संसदीय मंत्री जी आप माननीय उद्योग मंत्री जी को तथा माननीय श्रम मंत्री जी को बुलायें, वरना मैं अगला आइटम लेने वाला हूं। मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं।

श्री सुन्दर सिंह--

आज प्रदेश की सबसे बड़ी उपलब्धि है शिक्षित बेरोजगारों को स्वतः रोजगार योजना के तहत धन उपलब्ध कराकर स्वयं कोई कार्य शुरू करना, आज इस योजना के तहत प्रदेश में 47 हजार नवयुवक लाभान्वित हुए हैं, फलस्वरूप गांवों में उद्योगों का विस्तार हुआ है। मान्यवर, मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

(श्री मुख्तार अनीस द्वारा अध्यक्षपीठ को नमन किये बिना बैठ जाने पर।)

श्री अध्यक्ष--

माननीय श्री मुख्तार अनीस जी, आप पहले खड़े हो जाइए। आप नियमों को ध्यान में रखें।

श्री सुन्दर सिंह --

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अपने जनपद बहराइच की समस्याओं के प्रति इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारा जिला बहराइच उद्योग शून्य है। आज यहां पर न तो परिवहन निगम का कोई वर्कशाप ही है और न ही कोई डिपो। हमारे जनपद में कोई भी बड़ा उद्योग नहीं है। तहसील कैसरगंज जिसमें विधान सभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ भी है, उस क्षेत्र में विकास के कार्य रुक गये हैं। इस तहसील की आबादी 8 लाख के करीब है, किन्तु यहां पर बालिकाओं के लिए एक भी हायर सेकेन्डरी स्कूल नहीं है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से और शासन से यह मांग करता हूं कि वहां पर महिलाओं के लिए एक हायर सेकेन्डरी स्कूल खोल दिया जाय। हमारे विधान सभा क्षेत्र में हुजूरपुर एक ब्लाक है, यहां पर कोई भी विद्युत् केन्द्र नहीं है। मान्यवर, यह बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। मान्यवर, आप जानते ही हैं कि यहां पर गन्ना का उत्पादन बहुत होता है। मैं आपके माध्यम से शासन से यह मांग करता हूं कि वहां पर एक चीनी मिल खोली जाय।

मान्यवर, इसी के साथ ही मैं अपने जनपद के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे यहां सरयू नहर योजना बहुत दिनों से चलती आ रही है, जो गोंडा, बहराइच तथा गोरखपुर के लिए जाती है, परन्तु इस परियोजना का कार्य बहुत ही धीमी गति से चल रहा है, जिससे जनपद का 5-6 हजार एकड़ जमीन जल-प्लावित हो जाती है और लाखों किसान बे-घर हो जाते हैं। मेरी शासन से मांग है कि इस सरयू नहर परियोजना को जल्द से जल्द पूरा किया जाय। जिससे लाखों किसानों को राहत मिल सके।

मान्यवर, इसी के साथ ही हमारे जनपद में खाद्यान्न का उत्पादन बहुत अच्छा होता है, परन्तु हमारे जनपद में खाद्यान्न से संबंधित कोई भी उद्योग नहीं है। हमारे जनपद में लकड़ी का बहुत उत्पादन होता है, घने-घने जंगल हैं, किन्तु वहां पर काष्ठ का कोई भी उद्योग नहीं है। मेरी

सरकार से मांग है कि वहां पर एक बड़ा उद्योग लगाया जाय। फैजाबाद, सुल्तानपुर और अमेठी तो बहुत भाग्यशाली क्षेत्र हैं, किन्तु हमारा बहराइच क्षेत्र बहुत ही अभागा है। मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि वहां पर विशाल उद्योग लगाये जायं। एक चीनी मिल नानपारा में लगायी गयी है, किन्तु उसकी भी प्रगति सन्तोषजनक रूप से नहीं चल रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि इसी प्रकार का उद्योग वहां पर बनाया जाय, जिससे 5-6 हजार नव-युवक बेरोजगारों को वहां पर रोजगार मिल जाय।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान लघु सिंचाई योजनाओं की तरफ ले जाना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आज आपने जो लघु सिंचाई हेतु योजनायें शुरू की हैं, उन्हें आप वहां भी शुरू कर दें और विशेष तौर पर हमारे जनपद की ओर आप ध्यान दे दें, क्योंकि वहां पर लघु सिंचाई के साधन बहुत ही कम हैं। मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र में तहसील कैसरगंज में एक भी डिग्री कालेज नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अपेक्षा करता हूं कि तहसील कैसरगंज में एक डिग्री कालेज की स्थापना की जाय, मान्यवर, इसके अतिरिक्त तहसील कैसरगंज की आबादी लगभग 8 लाख की बतायी गयी है, तथा अभी तक कैसरगंज टाउन एरिया भी नहीं बनाया गया है, उसका दर्जा अभी तक नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त, वहां मान्यवर, बिजली का अत्यन्त अभाव है, सदैव अंधेरा बना रहता है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उस ओर आकर्षित करते हुए मांग करता हूं कि उस विधान सभाई क्षेत्र के अन्दर पर्याप्त बिजली उपलब्ध करायी जाय। और इसके लिए मेरी मांग है कि कैसरगंज में कम से कम एक 5 मेगावाट के उपकेन्द्र की व्यवस्था की जाय। टाउन एरिया का भी उसे दर्जा प्रदान कर दिया जाय, ताकि वहां तमाम नागरिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। मान्यवर, इस तरह से हमारे क्षेत्र का विकास हो सकेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस बजट की सामान्य चर्चा में मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं प्रस्तुत बजट का पूर्णरूपेण स्वागत करता हूं।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

मद संख्या-10 के अन्तर्गत, नियम 51 के अन्तर्गत आज मुझे 6 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इसमें पहली सूचना श्री मुख्तार अनीस, श्री रियासत हुसैन, श्री अकबर हुसैन और राम गोविन्द की, ग्राम ब्राह्मण का नगला थाना अछनेरा, आगरा पर डाकुओं के हमले से 4 लोगों के मरने के सम्बन्ध में है। इसके आगे श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की, मेरठ में उग्रपंथी सिखों, बब्बर खालसा द्वारा दैनिक प्रभात के सम्पादक श्री विनोद आर्य तथा उनके परिवार सहित हत्या किये जाने की धमकी के सम्बन्ध में है। श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री की, शिक्षकों द्वारा हाईस्कूल एवं इन्टर की प्रयोगात्मक परीक्षा का बहिष्कार किये जाने के सम्बन्ध में है। श्री शंकर सिंह की, जालौन जनपद के रेढंर थाना के अन्तर्गत आउट पोस्ट नदी गांव पर तैनात सब-इन्सपेक्टर की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में है। श्री यदुनाथ सिंह की सूचना है जो वाराणसी शहर के दोशीपुर मोहल्ले के कब्रों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हटाने के सम्बन्ध में है। श्री केदार नाथ सिंह की चांदपुर महानगर कांग्रेस (ज0) के अध्यक्ष तथा वार्ड अध्यक्ष पर प्राणघातक हमला के सम्बन्ध में है। इसमें मैंने श्री मुख्तार अनीस व अन्य द्वारा दी गयी सूचना को स्वीकार किया है। बाकी को अस्वीकार किया है।

वित्तीय वर्ष 1984-85 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमागत)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय---

मान्यवर, माननीय वित्त मन्त्री ने जो बजट वर्ष 1984-85 के लिये यहां पर प्रस्तुत किया है और बजट के भाषण में जो आशाएं, आकांक्षायें, प्रदेश के गरीबों के विकास और प्रदेश की उन्नति के लिये बतायी हैं, उससे हमको बड़ी निराशा हुई है ।

श्री अध्यक्ष---

यह चर्चा कल जारी रहेगी ।

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, आपने माननीय सुनील शास्त्री, श्रम मंत्री जी को बुलाया था वह अभी तक नहीं आये हैं । मान्यवर, आपको कोई कड़ा रुख अपनाना चाहिए ।

जन स्वास्थ्य मन्त्री (श्री लोकपति)---

श्रम मंत्री जी आ गये हैं ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय श्रम मन्त्री जी, मैं आपको चार बजे से तलाश करा रहा हूं, लेकिन आप मिले नहीं । यह जो मोदीनगर से सम्बन्धित गम्भीर मसला है, उसकी बाबत मैं आपसे अपने कक्ष में बात करना चाहता था । मैंने इसके लिये अपने कक्ष में श्री रियासत हुसैन और श्री मुख्तार अनीस को बिठा रखा था, लेकिन आप मिले ही नहीं ।

श्रम एवं सेवायोजन राज्य मंत्री (श्री सुनील शास्त्री)---

मान्यवर, उस वक्तव्य की तैयारी कर रहा था ।

श्री अध्यक्ष---

मैं चाह यह रहा था और इन लोगों को भी बुला लिया था अपने कक्ष में, आप भी अगर कक्ष में आ गये होते तो इसमें बातचीत हो जाती । प्रश्न तो इसमें होते ही रहेंगे, लेकिन इन लोगों के साथ में आपसे इस विषय पर बातचीत करना चाहता हूं । यह मसला भी काफी दिन से चल रहा है ।

माता प्रसाद पाण्डेय जी, आप अपनी चर्चा कल जारी रखियेगा अब वक्तव्य हो जाने दीजिए ।

मोदीनगर टेक्स्टाइल मिल (मोदी नगर) के मजदूर नेताओं को बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्रम एवं सेवायोजन राज्य मंत्री (श्री सुनील शास्त्री)---

मेसर्स मोदी स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि0, मोदी नगर, गाजियाबाद में 5 इकाइयां सम्मिलित हैं :--

"ए इकाई (मोदी क्लाथ मिल
"बी इकाई (मोदी स्पिनिंग लि0)
सी इकाई (मोदी सिंटेक्स)
"डी इकाई (मोदी थ्रेड्स)
"सिल्क मिल इकाई (मोदी टेक्स टाइल)

उपर्युक्त प्रतिष्ठान की पांचों इकाईयों में लगभग 13,000 श्रमिक नियोजित थे । दिनांक 5 अगस्त, 1983 को सेवायोजकों द्वारा "बी यूनिट बन्द कर दी गयी जिससे 2,138 कर्मचारी एवं स्टाफ प्रभावित हुआ । चूंकि इस मिल को बन्द करने में राज्य शासन की अनुमति नहीं ली गयी थी, अतः प्रतिष्ठान के विरुद्ध उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) अध्यादेश, 1983 जो अब अधिनियम बन गया है, के अन्तर्गत प्राभियोजन दायर किया गया । सेवा-योजकों ने उक्त अध्यादेश/अधिनियम को चुनौती देते हुये माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एक रिट याचिका दायर की और स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये । माननीय उच्च न्यायालय के निदेशानुसार सेवायोजकों ने 26 अगस्त,

1983 को यूनिट की बन्दी की अनुमति दिये जाने हेतु राज्य शासन को आवेदन भेजा जिसे राज्य शासन ने दिनांक 25-10-83 को अस्वीकार कर दिया। सेव योजकों द्वारा इस आदेश के विरुद्ध भी माननीय उच्च न्यायालय से दिनांक 11-1-84 को स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया। माननीय उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिये कि जब तक याचिका की सुनवाई नहीं हो जाती, तब राज्य शासन का दिनांक 25-10-83 का आदेश स्थगित रहेगा। उपरोक्त कारणों से "बी" यूनिट जिसका नया नाम मेसर्स मोदी स्पिनर्स लि0 है को चालू नहीं कराया जा सका है। बन्द "बी" मिल के श्रमिकों के वेतन भुगतान कराये जाने हेतु चल रही कार्यवाही में भी इस कारण व्यवधान उत्पन्न हो गया है।

इस प्रतिष्ठान में वर्ष 1981 में लम्बी हड़ताल चली थी जिसका समाधान हो गया था। वहां पर जुलाई, 1983 से ही इंटक, एच0 एम0 एस0 एवं सीटू की यूनियनें सक्रिय थीं। यूनियनों की आपसी प्रतिद्वन्दिता के कारण एच0 एम0 एस0 से सम्बद्ध कपड़ा मिल मजदूर" यूनियन ने "इन्टक" एवं "सीटू" से सम्बद्ध कर्मचारियों को आतंकित किया जिसके कारण वह अपनी ड्यूटी नहीं कर सके। दिसम्बर, 1982 में ऐसे ही "इन्टक" के 275 कर्मचारियों में से लगभग 30 कर्मचारियों के ड्यूटी पर पहुंचने पर हिन्द मजदूर सभा के आवाहन पर हड़ताल हुयी। मई, 1983 में "सीटू" से सम्बद्ध 123 कर्मचारी काम छोड़कर घर बैठ गये थे। जून, 1983 में इनमें से 25-30 कर्मचारी जब ड्यूटी पर पहुंचे तो एच0 एम0 एस0 ने हड़ताल करा दी। राज्य शासन ने इस समस्या के समाधान हेतु "इन्टक" और "सीटू" के उपरोक्त कर्मचारियों का मामला रेफरेन्स में भेज दिया। दिनांक 20 अगस्त, 1983 को उप श्रमायुक्त, गाजियाबाद क्षेत्र ने एच0 एम0 एस0 व "सीटू" संगठनों के प्रमुख पदाधिकारियों की एक बैठक बुलायी जिसमें यह तय हुआ कि जिन "सीटू" समर्थकों का मामला रेफरेन्स में नहीं गया है, उनके ड्यूटी पर आने में एच0 एम0 एस0 को कोई आपत्ति न होगी। किन्तु 23 अगस्त, 1983 को जब 9 कर्मचारी ड्यूटी के लिये "डी" मिल में पहुंचे तो पुनः हड़ताल हो गयी। इस आशंका से कि कहीं तालाबन्दी न हो जाय या "बी यूनिट की तरह अन्य यूनिटें भी बन्द न कर दी जायें, श्रमिकों ने चारों इकाइयों में काम शुरु कर दिया। इस घटना के बाद "सीटू" का प्रभाव बढ़ने लगा और "डी मिल के एच0 एम0 एस0 से सम्बद्ध 209 श्रमिक असुरक्षा की भावना के कारण कार्य पर नहीं जा सके। दिनांक 11 सितम्बर, 1983 को श्रमायुक्त की अध्यक्षता में एक बैठक हुयी जिसमें एच0 एम0 एस0, "सीटू," "इन्टक" और बी0 एम0 एस0 संगठनों ने एक आचार संहिता पर अपनी सहमति प्रकट की। यह तय हुआ कि 26 जून, 1981 के पूर्व जो भी कर्मचारी काम पर थे, चाहे वह किसी भी यूनियन से सम्बद्ध हो, उन्हें काम पर जाने में कोई दूसरा संगठन न तो रुकावट डालेगा और न इस कारण हड़ताल होगी। दिनांक 1-10-83 को उप श्रमायुक्त गाजियाबाद को देख-रेख में "सीटू" एवं एच0 एम0 एस0 के समर्थकों को अन्दर भेजने के लिए पास बनवाये गये जिसके फलस्वरूप दिनांक 1-10-83 को "सी" मिल में "सीटू" के 11 और एच0 एम0 एस0 के 83 कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर पहुंचे। शेष इच्छुक कर्मचारियों के सम्बन्ध में ड्यूटी पर पहुंचने के लिए 7 दिन का समय दिया गया।

दिनांक 4-10-83 को दुर्भाग्यवश "डी" यूनिट में "सीटू" एवं एच0 एम0 एस0 के समर्थकों के मध्य मार-पीट हुई और एच0 एम0 एस0 के 15 समर्थक घायल हुये। दिनांक 10

अक्तूबर, 1983 को एच0 एम0 एस0 ने अपने समर्थकों को काम पर न जाने का निर्देश दिया, क्यों कि वह असुरक्षा अनुभव कर रहे थे। दिनांक 27 दिसम्बर, 1983 को एच0 एम0 एस0 ने यह निर्णय लिया कि सभी कर्मचारी ड्यूटी पर पहुंचे। इस बीच सेवायोजकों ने कर्मचारियों को काम पर आने को अपीलें बराबर जारी की और इन अपीलों के कारण बहुत से कर्मचारी काम पर लौटे भी। सेवायोजकों ने यह नोटिसें भी निकाली कि जो कर्मचारी 10 नवम्बर, 1983 तक ड्यूटी पर नहीं पहुंचेंगे उनकी सेवा का हक स्थायी आदेशों के अन्तर्गत समाप्त मान लिया जायेगा। सेवायोजकों ने कार्य चालू रखने के लिए कुछ नयी भर्ती भी की और पेड लमर भी रखे। "सीटू" संगठन की ओर से एच0 एम0 एस0 पर यह आरोप लगाया जाता रहा कि वह सुरक्षा की आड़ लेकर कर्मचारियों से हड़ताल करा रहे हैं। श्रमिक संगठनों की आपसी प्रतिद्वन्दिता के फलस्वरूप दिनांक 9 जुलाई, 1983 से 27 दिसम्बर, 1985 के मध्य एक दर्जन से अधिक हत्यायें हुईं। प्राप्त सूचना के अनुसार 27 दिसम्बर, 1983 के बाद हत्या की कोई वारदात नहीं हुई। यह उल्लेखनीय है कि लोक व्यवस्था के अनुरक्षण के लिए जिला प्रशासन ने 14 श्रमिक नेताओं को 17-8-83 से 31-10-83 के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत निरुद्ध किया।

शासन द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप 4-2-84 तक 1639 श्रमिक जो असुरक्षा के कारण काम पर नहीं जा पा रहे थे, उनको ड्यूटी पर वापस लिया गया।

मोदी स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स की चारों यूनिटों में श्रमिकों के नियोजन की 10 अक्तूबर, 1983 से पूर्व की तथा 17-2-84 की स्थिति निम्नवत् है—

नाम ईकाई	10 अक्तूबर, 1984 के पूर्व की स्थिति	17 फरवरी, 1983 को स्थिति
1—मोदी वलाथ "ए" यूनिट	3141	2484
2—मोदी टेक्स-टाइल्स "सिल्क मिल"	1501	912
3—मोदी सिन्टेक्स "सी" मिल	1867	1775
4—मोदी थ्रेड्स "डी" यूनिट	3530	3300

मेसर्स मोदी टेक्सटाइल्स लि0 व मोदी थ्रेड लि0 के एवं मेसर्स मोदी स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स (वलाथ यूनिट) के क्रमशः 405, 576 व 747 कर्मचारियों को दिनांक 9/10 अक्तूबर, 1983 को अनुपस्थिति के बाद से पुरानी सेवा शर्तों के अधीन सेवा में तारतम्यता का अधिकार देते हुए काम पर पुनः वापस न लिए जाने सम्बन्धी विवाद को 18-2-84 को अभिनिर्णय में भेज दिया गया है।

मोदी स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स की श्रमिक समस्याओं के सन्दर्भ में श्री सुरेन्द्र मोहन, संसद सदस्य दिनांक 31-1-84 से 4-2-84 तक आमरण अनशन पर बैठे थे। मैंने निम्न आश्वासन श्री सुरेन्द्र मोहन को अनशन समाप्त करने के समय पर दिये थे—

1—मोदी "बी" यूनिट को खोलने का विधिक प्रयास किया जा रहा है एवं श्रमिक देयों की वसूली का भी विधिक प्रयास किया जा रहा है। इस समय इन मामलों में माननीय उच्च न्यायालय का "स्टे" है।

2—वर्तमान में जो कर्मचारी (बी यूनिट को छोड़कर) कार्य पर नहीं लिए गए हैं, सेवा-योजकों से उनको दो सप्ताह में कार्य पर लेने की विधिवत् कार्यवाही की जायेगी, यदि कुछ मामलों में कर्मचारी को वापस लेने पर विवाद हो तो इन मामलों को अभिनिर्णय के लिए भेजने की कार्यवाही की जायेगी।

जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत निरुद्ध श्रमिक नेताओं का प्रश्न है, उनके पैरोल पर छोड़े जाने का विधिवत् प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर शासन द्वारा गुणावगुण के आधार पर विचार किया जा सकता है।

यह उल्लेखनीय है कि सेवायोजकों द्वारा दिनांक 10-2-84, 11-2-84 एवं 15-2-84 को ऐसे श्रमिकों को जो 10 अक्तूबर, 1983 से पूर्व उपरोक्त चारों यूनिटों में कार्यरत थे और किसी कारण काम पर नहीं आ पा रहे थे एवं जिनके विरुद्ध हिंसा आदि के आरोप नहीं थे या जिनकी सेवायें घरेलू जांच के कारण समाप्त नहीं की गई थी, को काम पर वापस लेने की नोटिस लगाई गई, किन्तु 4-2-84 के बाद ऐसे श्रमिक काम पर वापस नहीं लौटे, क्योंकि एच० एम० एस० ने यह निर्णय ले लिया था कि सभी श्रमिक 9-2-84 को एक साथ काम पर अन्दर जायेंगे। परन्तु दिनांक 19-2-84 को भी कोई श्रमिक काम पर जाने हेतु उपस्थित नहीं हुआ।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होगा कि राज्य शासन द्वारा श्रमिकों को पुनः काम पर लेने हेतु, प्रभावी कार्यवाही की गयी है और 1728 श्रमिकों के मामले अभिनिर्णय हेतु भेजे दिये गये हैं। जहां तक बन्द "बी" यूनिट का प्रश्न है, इस मामले में चूंकि उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश है अतः विधिक कार्यवाही ही सम्भव है।

शासन स्थिति के प्रति सजग है तथा स्थिति सामान्य बनाने हेतु हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है।

श्री मुख्तार अनीस—

यह खेद का विषय है कि हम लोग जो चुनाव जीत कर आते हैं, वह जनता, किसान और मजदूरों के बीच से जीत कर आते हैं लेकिन उसके बाद हम लोग पूंजीपतियों का पक्ष लेने लगते हैं। मैं माननीय श्रम मंत्री की इसलिए निन्दा करना चाहता हूं कि एक भी समस्या का इन्होंने समाधान नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न करें।

श्री मुख्तअनीस—

जी हां, मान्यवर, प्रश्न ही कर रहा हूं।

जब श्री सुरेन्द्र मोहन जी की भूख हड़ताल तुड़वायी गयी थी तो दो घोषणायें की गयी थीं। पहली तो यह कि जिन्हें श्रमिक 9 अक्तूबर से काम पर नहीं हैं, उन सारे लोगों को काम पर लिया जायगा। एक साथ लेना सम्भव नहीं होगा, इसलिए उन लोगों को किस्तों में लिया जायगा। दूसरी यह कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में जितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं, उनमें से किसी को वापस करने से पहले उनको एक-एक महीने के पैरोल पर छोड़ दिया जायगा। मैं जानना चाहता हूं कि अब तक इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

श्री सुनील शास्त्री--

मैं इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि जो भी आश्वासन वहां पर माननीय सांसद सुरेन्द्र मोहन जी का अनशन तुड़वाने के समय दिया गया था, उस पर पूरी तरह से कार्यवाही सरकार ने की है। शासन के निदेश नुसार श्रम विभाग के निदेश पर ही सेवायोजकों को नोटिस गई और अखबार के माध्यम से भी विज्ञप्ति की कि जो लोग काम पर लौटना चाहते हैं, उनको काम दिया जायगा।

श्री रियासत हुसैन--

5 तारीख को जब सुरेन्द्र मोहन जी का व्रत तुड़वाया था तो स्पष्ट रूप से कहा गया था कि 19 तारीख तक दो किश्तों में सवा तीन हजार वे श्रमिक जो 9 अक्तूबर तक पैरोल पर थे, उनको ले लिया जायगा। दूसरी बात, एन0 एच0 ए0 के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी ने सुझाव दिया था कि छानबीन के लिए एक महीने के लिए पैरोल पर छोड़ देंगे और यह छंटाई हो जायगी कि किसका केस विड्रा कर सकते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि दोनों में से कोई आश्वासन पूरा हुआ या नहीं ?

श्री सुनील शास्त्री--

इस बीच 1600 से अधिक लोगों को काम पर रखा गया है। 1728 लोग बाकी बच गये थे, उनके मामले को अभिनिर्णय में भेज दिया गया है। वहां पर यह हुआ था कि किश्तों में उनको लिया जायगा, लेकिन इतनी विज्ञप्तियां और निदेश के बाद भी उन लोगों ने तय किया कि 19 तारीख को एकमुश्त वह लोग पहुंचकर गेट के अन्दर जायेंगे, लेकिन 19 तारीख को भी वह लोग नहीं पहुंचे।

श्री मुख्तार अनीस--

माननीय मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य के पृष्ठ 5 पर कहा है कि--"किन्तु 4-2-84 के बाद ऐसे श्रमिक काम पर वापस नहीं लौटे, क्योंकि एच0 एम0 एस0 ने यह निर्णय ले लिया था कि सभी श्रमिक 19-2-84 को एक साथ काम पर अन्दर जायेंगे। हम लोगों का जो समझौता हुआ था उसमें यह निर्णय लिया था कि एक साथ नहीं जायेंगे, किस्तों में जायेंगे। 4-5 दिन पहले गाजियाबाद के कलेक्टर से मैं और सुरेन्द्र मोहन जी एक साथ जाकर मिले थे।

मान्यवर, मैंने उनसे कहा कि आज तक एक भी कर्मचारी काम पर नहीं गया है, इसके क्या कारण हैं ; दूसरी बात मान्यवर, डी0 एल0 सी0 को बुलाया गया और उस डी0 एल0 सी0 ने यह कहा कि हमने यह कभी नहीं कहा कि हिन्द मजदूर सभा के सारे कर्मचारी एक साथ जायेंगे या एक साथ झंडा उठायेंगे बल्कि उसने यह कहा कि आप हमें 2-3 किश्तों में भेज दीजिए, लेकिन आपके कर्मचारियों ने इसका उल्टा किया और इसका नतीजा यह हुआ कि एक भी आदमी अभी तक काम पर नहीं लिया गया, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि 19-2-84 को जो एक साथ जाने का फैसला हुआ था हिंद मजदूर सभा का, वह किसने आपको बताया ?

श्री सुनील शास्त्री--

मान्यवर, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं और मैंने अपने वक्तव्य में भी इस बात को कहा है कि 10, 11 और 15 फरवरी को नोटिसेज वहां पर लगायी गयी थीं कि जो भी अन्दर आना चाहता है, वह आये और यह भी तय किया गया था कि श्रमिकों को मिल के अन्दर ले लिया जायेगा, लेकिन हमारे श्रमिक कार्यालय में यह सूचना दी गयी कि 19 फरवरी को एक साथ सभी मजदूरों को एकत्रित करके मिल में जाने की बात जो थी, उस पर क्या कर रहे हैं, तो मान्यवर, उस रोज हमारा यह भी प्रबन्ध था कि अगर वह

वहां पर सब आते तो उसमें से हरेक श्रमिक को अन्दर आने का मौका दे दिया जाता ।

श्री दामोदर शर्मा—

मान्यवर, आज मोदी नगर टेक्स-टाइल्स मिल में जो आतंक की स्थिति है, इस सम्बन्ध में हमारी निश्चित जानकारी है कि जो मजदूर नेता बंद हैं और जो वातावरण पूरे मोदी नगर में आतंक का बना रक्खा है, वह सब इन्हीं लोगों की वजह से है । अगर कोई मजदूर मिल में जाने की कोशिश भी करता है, तो उसको मार-पीट कर रोका जाता है, इसलिए सारे मजदूर और कर्मचारी इनके ही इशारों पर चलते हैं और इनके आदमी मिल गेट पर लगे हुए हैं जो कहते हैं कि हम किसी भी मजदूर को मिल में जाने नहीं देंगे, यह सारा आतंक मान्यवर, इन्हीं लोगों की वजह से वहां पर है क्योंकि इन लोगों ने अपने आदमी वहां पर लगा रक्खे हैं ।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री दामोदर शर्मा—

वहां पर इनके द्वारा लगाये गये आदमियों को यदि हटाया जाए और उन पर शख्ती की कार्यवाही की जाए तो स्थिति . . .

श्री अध्यक्ष—

आप इस पर प्रश्न क्या कर रहे हैं अगर इस तरह की बात आप करेंगे तो मैं आपको आज्ञा नहीं दूंगा, आप प्रश्न करें ।

श्री दामोदर शर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो लोग बन्द हैं, उनके छोड़े जाने पर आप विचार कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

जो लोग राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत बन्द हैं, उसके लिए हमने पहले भी कहा था कि उसके पेरोल पर छोड़े जाने के लिए विधिवत प्रार्थना-पत्र, हमें प्राप्त होने चाहिए फिर शासन द्वारा गुणों व गुण के आधार पर उस पर विचार किया जा सकता है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, माननीय सदस्य, इस पटल के आदेशों से फायदा उठाकर शोषक और पूंजीवादी तत्वों के समर्थन में शोर अभी मचा रहे थे, खैर आपने उन्हें ज्यादा बोलने नहीं दिया, इसके लिए मान्यवर, धन्यवाद । मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की चर्चा की गयी और हमारी भी निजी जानकारी है कि जो नेता इसमें निरुद्ध किये गये हैं, उनके छोड़े जाने पर जो विधिवत पेरोल प्रार्थना-पत्र का बन्धन आया है, वह नहीं होना चाहिए क्योंकि जो लोग पकड़े गये हैं वह अपनी ट्रेड-यूनियन के तहत आंदोलन करते हुए पकड़े गये हैं, हिंसा या डकैती करते हुए नहीं पकड़े गये हैं, इसलिए उन पर जो एक मौसा का आरोप

(व्यवधान)

मान्यवर, अभी मोहन सिंह जी ने जो कहा वही उनके अन्दर बोल रहा है । मैं अपना प्रश्न कर रहा हूं कि जो लोग राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्दर बन्द हैं—

(श्री दामोदर शर्मा के पुनः खड़े होकर बोलने का प्रयत्न करने पर—)

श्री अध्यक्ष—

माननीय दामोदर शर्मा, आप क्यों बोल रहे हैं ? मैं आपको बाहर निकाल दूंगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया था कि जो आरोप लगाये गये हैं उनको वापस लेकर उनको तत्काल छोड़ने की क्या आप कृपा करेंगे। मान्यवर, बारीबारी दोनों समस्याओं को सुलझना चाहिये क्योंकि बेचारे मजदूर जिनकी अपनी कोई गलती नहीं है, इसमें सरकार को आगे क्या विचार करना है इस पर श्रम मंत्री जी ध्यान दे कर मजदूरों के साथ न्याय करने की कृपा करेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री—

जहां तक रासुका में बन्द मजदूरों का प्रश्न है उनको ग्रुपों में करके उनको छोड़ने की बात की जायेगी। शासन पूरी तरह से प्रयत्न कर रहा है क्योंकि 1728 श्रमिकों का यह मामला है इसलिये प्रदेश की अखंडता को बनाये रखने की बात है। जैसे ही सेवा योजक अपनी नोटिस लगायें, शासन उनको पूरी तरह से अन्दर करने का प्रयत्न करेगी।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री जी से दो सवाल करना चाहता हूं कि वहां के जो गरीब मजदूर हैं उनसे हम सारे लोग हमदर्दी रखते हैं तो फिर एक प्रश्न इस सम्बन्ध में श्रम मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि आप उन मजदूरों को कब तक ड्यूटी पर ले लेंगे ? दूसरे नेताओं के नाम पर जो अपराधी प्रकृति के लोग हैं जो वहां पर अनुशासनहीनता फैला रहे हैं और जिनको सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत बन्द किये है क्या उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करके आप मजदूरों को राहत दिलायेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, जहां तक श्रमिकों के कठिन कार्य पर फिर से पहुंचाने की बात है, श्रम विभाग इसमें प्रयत्नशील है। उसमें किसी प्रकार की ढील हम लोग नहीं देंगे। जैसे नोटिसेज हो, इसके लिये सेवा योजकों पर दबाव डाला जा रहा है कि नोटिस फिर से करायें और वह लोग एप्लाई करें, हम लोग उनको अन्दर लेंगे। रासुका में जो लोग बन्द हैं, उनके पेरोल पर छोड़े जाने के विधिवत् प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर शासन उनके गुण व अवगुण के आधार पर विचार करके उचित कार्यवाही करेगा।

श्री अध्यक्ष—

पहले आप मेरे कक्ष में आयें और जो नेता लोग बैठे हुए हैं वह भी आयें और उस पर बातचीत की जाय तब उस पर निर्णय किया जायेगा। 6 बजे के बाद जब आज का उपवेशन समाप्त हो जायेगा तब आप लोग मेरे कक्ष में आयें।

(विरोधी पक्ष की ओर के माननीय सदस्यों के द्वारा मेजों का थपथपाया जाना।)

जनपद इटावा के बुनकरों के सत्याग्रह के उपरान्त स्वीकार की गयी मांगों को पूरा न किये जाने से उत्पन्न स्थिति में नियम के सम्बन्ध 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

क्या इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया जाय ?

श्री मोहन सिंह—

इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

उद्योग राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अमीन)—

[जनपद इटावा में बुनकरों ने बुनकर संघर्ष समिति की ओर से अपनी कतिपय मांगों के लिए 18 नवम्बर, 84 से सह निदेशक (हथकरघा) इटावा के कार्यालय के समक्ष क्रमिक अनशन प्रारम्भ किया तथा 7 जनवरी, 1984 से सत्याग्रह आन्दोलन किया जिसमें लगभग 500 बुनकर स्त्री पुरुष गिरफ्तार करके जेल भेज दिये गये। तदुपरान्त जिलाधिकारी ने हस्तक्षेप किया और निम्नलिखित मांगों के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से निम्न मांगें स्वीकार की—

(1) सहकारी समितियों की सदस्य सूची 25 जनवरी, 1984 तक प्रकाशित कर दी जायेगी।

(2) फर्जी सहकारी समितियों की जांच कराई जायेगी। जांच में बुनकर मजदूर संघर्ष समिति के सहयोग का स्वागत किया जायेगा।

(3) जो समितियां उत्पादन कार्य नहीं करती हैं उन्हें प्रदर्शनी में नहीं बुलाया जायेगा। पिछले प्रदर्शनियों में जिन समितियों ने भाग लिया या उनकी सूची प्रकाशित कर दी जायेगी तथा उनमें यदि कोई फर्जी है तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। जिन समितियों को वित्तीय सहायता विभिन्न मदों में दी गई है उसका ब्यौरा भी 25-1-84 तक प्रकाशित कर दिया जायेगा।

(4) प्रत्येक बुनकर को सूत दिलाने की भी व्यवस्था हथकरघा निगम के माध्यम से कराई जायेगी।

उपरोक्त आश्वासन के उपरान्त सत्याग्रह आन्दोलन वापस तो लिया गया लेकिन आज तक एक भी स्वीकृत शर्त पूरी नहीं की गई। बुनकरों में भयंकर असन्तोष है और उनका क्रमिक अनशन चलते 3 माह हो गये हैं और इससे भी घनीभूत आन्दोलन चलेगा। समस्त बुनकरों में क्षोभ व्याप्त है और किसी भी समय आन्दोलन उग्र रूप ले सकता है। अतएव इस अवलम्बनीय तत्कालिक एवं विशिष्ट विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं।

टिप्पणी—जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत मांगों के सम्बन्ध में स्थिति निम्न है :—

1—सहकारी समितियों की सदस्य सूची 25-1-1984 तक प्रकाशित कर दी जायगी।

सहकारी समितियों के सदस्यों की सूची जिला प्रशासन को प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जिलाधिकारी ने 15 जनवरी, 1984 को निदेशक हथकरघा को यह सूचित किया कि उन्हें समितियों के सदस्यों की सूची उपलब्ध करा दी जाय जिसके

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अनुपालन में अब तक 184 समितियों के सदस्यों की सूचियां दो-दो प्रतियों में जिला प्रशासन को सहायक निदेशक, उद्योग (हथकरघा) इटावा द्वारा प्रेषित की जा चुकी हैं जिसमें समितियों को विभाग द्वारा दी गयी आर्थिक सहायता का विवरण भी अंकित है। जिला प्रशासन ने अपने स्तर से उपरोक्त सूचियां आन्दोलनकारियों को अपने स्तर से दी। यहां यह भी अवगत कराना है कि समितियों के सदस्यों की सूची तथा अन्य सूचना को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित कराये जाने के विरुद्ध इटावा जनपद की इटावा डिस्ट्रिक्ट वोवर्स कोआपरेटिव स्टोर इटावा तथा अन्य द्वारा अपनी सदस्यों समितियों की ओर से एक याचिका संख्या 890/198, दिनांक 18-1-84 को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में प्रस्तुत की गई है तथा मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

2--फर्जी सहकारी समितियों की जांच कराई जायेगी। मजदूर संघर्ष समिति के सहयोग का स्वागत किया जायेगा।

जहां तक फर्जी समितियों की जांच का प्रश्न है इस सम्बन्ध में निदेशक हथकरघा ने विभाग के दो वरिष्ठ अधिकारियों को इटावा की बुनकर सहकारी समितियों की जांच कार्य सौंप दिया है। इस क्रम में यह भी अवगत कराना है कि उक्त अधिकारियों द्वारा इटावा की हथकरघा सहकारी समितियों की जांच की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

3--जो समितियां उत्पादन कार्य नहीं करती हैं उन्हें प्रदर्शनी में नहीं बुलाया जायेगा। पिछली प्रदर्शनियों में समितियों ने भाग लिया था उनकी सूची प्रकाशित कर दी जायेगी तथा उनमें यदि कोई फर्जी है तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी जिन समितियों को वित्तीय सहायता विभिन्न मदों में दी गई है। उसका ब्योरा भी 25-1-84 तक प्रकाशित कर दिया जायेगा।

प्रदर्शनियों में उन्हें हथकरघा सहकारी समितियों को भेजा जाता है जिनके पास बिना बिका उत्पादित माल होता है। जिलाधिकारी के पास भेजी गई प्रदर्शनियों में भाग लेने वाली समितियों की सूची में बुनकर मजदूर संघ के प्रतिनिधियों ने कुछ समितियों के विपरीत आपत्ति की थी। इन समितियों की भी जांच की जा रही है ताकि कोई शिकायत की गुन्जाइश न रहे।

4—प्रत्येक बुनकर को सूत दिलाने की भी व्यवस्था हथकरघा निगम के माध्यम से करायी जायेगी ।

बातचीत के दौरान प्रमुख मांग यह आयी कि प्रत्येक बुनकर को 5,000 रुपये प्रति बुनकर की दर से हथकरघा निगम से ऋण/सूत दिया जाय । जिन व्यक्तिगत बुनकरों के पास अपने करघे हैं और वे किसी वित्तीय संस्था के बकायेदार नहीं हैं, उन्हें राष्ट्रीयकृत बैंकों से सूत इत्यादि के क्रय के लिए कार्यशील पूंजी उपलब्ध करायी जा सकती है । आन्दोलनकारी बैंकों इत्यादि से सहायता लेने के इच्छुक नहीं थे तथा हथकरघा निगम से ही सहायता दिलवाने पर बल देते हैं जो कि वित्तीय संसाधन के अभाव में निगम के लिये सम्भव नहीं है । फिर भी इस दशा में अभी विचार किया जा रहा है कि किस प्रकार व्यक्तिगत बुनकरों की ओर से प्रभावी रूप से सुविधाएं उपलब्ध कराकर लाभान्वित किया जा सकता है । उल्लेखनीय है कि इटावा में निगम द्वारा संचालित एक उत्पादन केन्द्र पहले से कार्यरत है । विचारोपरान्त यदि अतिरिक्त उत्पादन केन्द्र खोलने की आवश्यकता समझी गयी तो तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी । इस पृष्ठ भूमि में निगम द्वारा इस सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है ।]

श्री विद्या सागर नौटियाल—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं और वक्तव्य के पृष्ठ 2 की ओर उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जिसमें यह उल्लेख है कि सूची को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करने के विरोध में इटावा जनपद की सहकारी समितियों ने उच्च न्यायालय में एक रिट प्रेषित की है जो विचाराधीन है तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में क्या इसके सम्बन्ध में कोई स्थगन आदेश पारित किया गया है अगर स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया है तो सूची प्रकाशित न करने का क्या कारण है ?

श्री मोहम्मद अमीन—

इलाहाबाद हाई कोर्ट में वहां की सहकारी समितियों एवं बुनकरों ने अपनी दरखास्त दिया है ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

विरोधी दल के लोग हरिजनों को प्रताड़ित करते हैं । मोहन सिंह जी देहलवी जी को डांट रहे हैं । वह परम्परा तोड़ रहे हैं ।

श्री विद्या सागर नौटियाल—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न दूसरा है और उत्तर दूसरा दे रहे हैं अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपना

प्रश्न दुहरा दूं । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अगर माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश सूची प्रकाशित किए जाने के सम्बन्ध में पारित नहीं किया है तो सूची को प्रकाशित किए जाने में क्या कठिनाई है ? मेरा खुला आरोप है कि जिला प्रशासन ने जानबूझकर उच्च न्यायालय में एक रिट दाखिल करवा दी है और कह दिया है कि रिट दाखिल हो गयी है हम कुछ नहीं कर सकते हैं । क्या उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि सूची को प्रकाशित न किया जाय ।

श्री मोहम्मद अमीन--

माननीय सदस्य ने अगर मेरे वक्तव्य को पढ़ लिया होता तो जानकारी हो गयी होती । 184 समितियों के बारे में जिलाधिकारी को सूची दी गयी है । आप लोगों ने उसको पढ़ा नहीं है । इसको पहले पढ़ लें फिर सवाल करें । 184 की सूची प्रकाशित हो गई है । हमारा काम चालू है । 2 बड़े अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी जांच में लगे हुए हैं जैसे ही काम पूरा होगा, अगर बीच में कोई आपत्ति नहीं आई और कोई पाबन्दी नहीं लगती तो हमारा काम चालू रहेगा ।

श्री अध्यक्ष--

आप तैयार होकर आया करें वह प्रश्न कुछ कर रहे हैं और आप उत्तर कुछ दे रहे हैं ।

श्री लल्लू सिंह चौहान--

माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि जो याचिका उच्च न्यायालय में प्रेषित की गई है उसमें स्थगन आदेश दिया गया है या नहीं ? अगर स्थगन आदेश नहीं है तो क्या इस सूची को प्रकाशित करेंगे । माननीय मन्त्री ने बताया कि 184 की सूची प्रकाशित की गयी है तो मैं जानना चाहता हूं कि कुल कितनी समितियां हैं जिनमें से 184 को प्रकाशित की गयी है ।

उद्योग मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

इसमें दिया हुआ है, जिलाधिकारी के समक्ष वार्ता हुई थी और उसमें जो-जो बातें रखी गई थीं उसमें एक यह भी थी कि सूची 25-1-84 तक प्रकाशित कर दी जायेगी । यह मान्यवर, सूची बनाकर जिलाधिकारी को दे दी गई है अब उच्च न्यायालय में रिट दाखिल कर दी गई है जो विचाराधीन है । तो देख लिया जायेगा कि क्या हो सकता है । कोई छिपाने की बात नहीं है ।

हम चाहेंगे कि यह सूची उपलब्ध हो । हम जिलाधिकारी से कहेंगे कि वह सूची इनको दिखवा लें । इसमें कोई दिक्कत नहीं है ।

श्री भोलालाल--

अध्यक्ष जी, बिन्दु-2 में शासन ने बताया कि हथकरघा विभाग ने दो वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाकर सहकारी समितियों की जांच का कार्य सौंपा है । यह जांच का कार्य जो सौंपा गया है यह फर्जी है, कौन सही है, कौन सही नहीं है इसके लिए यह जांच हो रही है । मान्यवर, शिकायत यह है कि हथकरघा विभाग के अधिकारी सांठ-गांठ करके फर्जी समितियां बनाकर रिबेट, बोनस और सहायता का पैसा आपस में बांटकर गोलमाल करते थे इसीलिए वह सूची प्रकाशित नहीं हुई, गुप्त रखी गई है । क्या मंत्री जी हथकरघा विभाग के अधिकारियों के अलावा किसी और अधिकारी से इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ताकि जांच सही हो सके ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, दो बातें हैं । सारे विभाग के अधिकारियों के बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूं कि वे पक्षपात करेंगे ।

यह हो सकता है कि कुछ अधिकारी पक्षपात करते हों। मैं चाहूंगा कि जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके द्वारा जांच कराई जाय। उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। उसे देख लिया जायेगा।

श्री गोरे लाल शाक्य--

मैं जानना चाहता हूं कि इटावा की बुनकर समितियों में ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनकी पूंजी 50 हजार रुपये से लेकर 10 हजार रुपये तक है और वे बुनकर समितियों के सदस्य हैं और बुनकर नहीं हैं। क्या ऐसे लोग जो बुनकर समितियों के सदस्य हैं, जिनकी पूंजी 50 हजार से लेकर 10 हजार तक है और वे बुनकर भी नहीं हैं, ऐसी समितियों को भंग कर देंगे ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

इसकी जांच कर लेंगे कि उसमें कौन-कौन हैं।

श्री ऊदल--

मान्यवर, बिन्दु संख्या 3 का जो उत्तर दिया गया है कि प्रदर्शनियों में केवल उन्हीं हथकरघा सहकारी समितियों को भेजा जाता है। जैसा कि अभी इटावा में एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगी थी और उसकी जांच माननीय मंत्री जी ने कराई और पता चला कि उसमें आधे से ज्यादा ऐसी समितियां थीं जो बोगस और फर्जी थीं ? यदि यह सत्य है तो उसके तथ्य क्या हैं ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, इसकी सूचना तो अभी उपलब्ध नहीं है। मैं इसको दिखवा लूंगा। यदि वे फर्जी हैं तो उनको सहायता नहीं मिलनी चाहिए।

श्री रियासत हुसैन--

यह देखते हुए कि बोगस सोसाइटियां पूरे प्रदेश में फैली हुई हैं और इटावा ही नहीं प्रदेश के हर जिले में यही परिस्थिति है। इसको देखते हुए क्या माननीय मंत्री जी एस० डी० एम० द्वारा इन सोसाइटियों का सत्यापन करने के लिए आदेश देने की कृपा करेंगे ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, मैं नहीं समझता कि एस० डी० एम० के पास कितना समय होगा और कितना समय जांच करने के लिए वे दे पायेंगे। हम विभाग द्वारा जांच करायेंगे और देखेंगे। जहां कहीं कोई गलती होगी, उसे ठीक करेंगे।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से बिन्दु 4 के बारे में जानना चाहता हूं। कि जिस तरह से महाराष्ट्र में जितनी सहकारी चीनी मिलें हैं वे किसानों को खाद, बीज और पानी के लिए कर्जा उपलब्ध कराती हैं और साल भर में उसको काट लेती हैं। उसी तरह से जो हमारा हथकरघा निगम है वह सरकार से कर्जा लेकर उनको देने में क्या कठिनाई है ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, यह बात सही है। यह मांग है कि 5 हजार रुपये तक ऋण दिया जाय या सूत के रूप में उनको दिया जाय। यह हथकरघा निगम बहुत से काम करता है। कपड़े से लेकर उसकी मार्केटिंग तक करता है। हमारी 6 लाख सोसाइटियां हैं, सभी कहेंगी कि हमें पैसा दिया जाय। कितना पैसा होगा। इसीलिए बैंक से कर्जा देने की बात कही गई है। मैं समझता हूं कि इससे कोई दिक्कत नहीं होगी और काम चलता रहेगा।

श्री गोपीनाथ वर्मा--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जैसा सारे माननीय सदस्यों ने इस बात पर आपत्ति की है कि आपके विभाग के जो अधिकारी जांच करेंगे वह निष्पक्ष नहीं होंगे तो आप

को क्या आपत्ति है कि क्षेत्रीय परगना अधिकारी से जांच करायें ? जो ऋण हथकरघा समितियों को दिया गया है उसमें आपके विभाग के उच्च अधिकारी जांच करेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं और आप भी जानते हैं कि आपकी छवि ठीक रहेगी । आप जानबूझ कर दूसरे विभाग के उच्च अधिकारियों से जांच नहीं कराना चाहते हैं । तो उद्योग विभाग के किसी अधिकारी या दूसरे विभाग के किसी उच्च अधिकारी से जांच क्यों नहीं कराते हैं ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

मैंने कहा कि हथकरघा विभाग के अधिकारी को यह काम दिया है । अगर वहीं कोई ऐसी बात हो जहां पर समझते हैं कि हथकरघा विभाग, हैन्डलूम कारपोरेशन के लोगों ने लापरवाही की है तो उद्योग विभाग के उच्च अधिकारी से करा सकते हैं । कोई बात सामने आये कि यहां पर पक्षपात किया गया है या जानबूझ कर ऐसा काम किया गया है तो उनसे करा सकते हैं, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं होगी ।

श्री लल्लू सिंह चौहान--

मान्यवर, माननीय उद्योग मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि 18 नवम्बर से बुनकर संघर्ष समिति ने आंदोलन शुरू किया था और 6 सौ बुनकर स्त्री, पुरुष और बच्चे जेल गए थे और उनकी मुख्य मांग यह थी कि फर्जी सदस्यों की फर्जी समितियों की सूची प्रकाशित कर दी जाय और उनके नाम जो ऋण इत्यादि सरकार ने दिया है वह भी अंकित कर दिया जाय । इनके विभाग के ऊपर मांग पत्र में शक किया गया था कि विभाग मिला हुआ है, जो सभापति हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, उन्होंने करोड़ों रुपया हड़प लिया है । माननीय मंत्री जी जो कहते हैं उन्हीं पर चार्ज है । एक जो सामान्य सिद्धांत न्याय का है उससे सम्बन्धित व्यक्ति से जांच नहीं होनी चाहिए । तो इनके जो डायरेक्टर हैं, एडीशनल डायरेक्टर हैं, सबके खिलाफ चार्ज है । तो इटावा के कलेक्टर से इनक्वायरी करा ली जाय हम चुप हो जायेंगे और आपकी छवि भी साफ होगी तथा बुनकरों का भी भला हो जाय । ऐसे ऐसे परिवार हैं जिनका बुनकरों से कोई सम्बन्ध नहीं है उन लोगों के नाम से 10, 10 हजार रुपया कर्ज लिया है । इसकी जांच जिलाधिकारी, इटावा से कराने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए ।

श्री बीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं कि जिलाधिकारी, इटावा से जांच करा लें तो एक दूसरी सोसायटी है जो कहती है कि जिलाधिकारी इटावा पक्षपात कर रहे हैं तो यह दूसरा पक्ष है जो यह कहता है कि एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं । हम दोनों से नहीं करायेंगे और हथकरघा निगम के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं जो नए आए हैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं कि वह पुराने रहे हैं या पक्षपात किए हैं उनसे जांच करायेंगे ।

श्री अध्यक्ष--

(श्री ऊदल से) जल्दी समाप्त कीजिए ।

श्री ऊदल--

माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि बहुत सी फर्जी सोसायटीज रजिस्टर्ड की गई हैं दूसरा जो बुनकर नहीं हैं उनका नाम उसमें शामिल है और उसके सभापति हैं । तीसरा उनके नाम अनुदान और ऋण लिया गया है जो फर्जी हैं । मेरे ख्याल से सरकार का करोड़ों रुपया इसमें चला गया है तो इसमें माननीय मंत्री जी को किसी ऐसी एजेंसी से जांच कराने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए ताकि सब ठीक हो जाय ।

श्री बीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, मैंने कहा कि जो आपकी मांग थी कि फर्जी सोसायटीज हैं उनकी

जांच होनी चाहिए मैं भी चाहता हूं कि जांच हो जाय। जांच हो रही है उसके बाद आप बतायें कि जांच में किसी ने पक्षपात किया है, गलत रिपोर्ट दी है तो हम उसके बाद किसी और से करा लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जांच हो रही है उसके बाद देख लेंगे।

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

मान्यवर, इटावा की सोसायटीज के बारे में जहां तक विरोधी पक्ष के नेताओं ने कहा तो वहां आन्दोलन समाप्त हो चुका है उनकी दो मांगें थीं एक तो गरीब बुनकरों को सूत दिया जाय। दूसरी मांग थी कि 5 हजार रुपये उनको दिया जाय। एक सप्ताह पहले हमने उनके आंदोलन को समाप्त कर दिया है। अब प्रश्न है उनको सूत देने का तो पहले भी उद्योग विभाग का उद्देश्य रहा है कि हथकरघा निगम से सूत दिया जाएगा और दिया जाता रहा है। दूसरे जैसा मंत्री जी ने कहा है कि धन की कमी है इसलिए 5 हजार रुपये कैसे बांटा जा सकता है।

श्री अध्यक्ष --

आप अपनी बात कहें। आप प्रश्न करें।

श्री रियासत हुसैन--

व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष --

आप क्या प्रश्न नहीं करना चाहती हैं ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

मान्यवर, प्रश्न करना चाहती हूं कि जो मांग चौहान जी कर रहे हैं कि कलेक्टर से इंक्वायरी कर लें, तो वह पहले डाइरेक्टर रह चुके हैं, इसलिए मैं जानना चाहती हूं कि क्या मंत्री जी डाइरेक्टर उद्योग से इंक्वायरी करायेंगे कि नहीं ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, मैंने पहले भी कहा है कि हथकरघा निगम या हैन्डलूम डाइरेक्टेट के वरिष्ठ अधिकारी से इसकी जांच करायेंगे जिसके बारे में आपकी और न किसी को शंका होगी और जांच रिपोर्ट आने के बाद दिक्कत होगी तो उसको फिर देख लेंगे।

श्री भीखा लाल--

अध्यक्ष महोदय, इटावा जनपद के माननीय सदस्यों के विचार आपने सुन लिए। वहां एक सेक्शन कहता है कि बोगस सोसाइटियां हैं जिनकी जांच कराई जाय और दूसरा सेक्शन कहता है कि सोसाइटियां ठीक हैं और हथकरघा उद्योग निगम ठीक कर रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो वरिष्ठ अधिकारी गोलमाल करते थे उन्हीं के संरक्षण में करते थे जिसकी डी० एम० ने सूची मांग लिया तो वह खिलाफ हो गए। इसलिए मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा जो लाखों रुपये का गोलमाल किया गया है और उन्हीं को जांच दी जायेगी तो यह कहां का न्याय है, इसलिये जिलाधिकारी द्वारा या कमिश्नर से जांच कराने में आपको क्या दिक्कत है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, मैंने तो पहले भी बताया है कि बहुत से हमारे अधिकारी नये ट्रान्सफर होकर आये हैं जिनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, इसलिये हम वरिष्ठ अधिकारी से जांच करा रहे हैं और उसके बाद यदि कोई दिक्कत होगी तो कलेक्टर से जांच करा लेंगे।

(मद संख्या 13 पुकारे जाने पर)

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, आज शाम को सदन के बाद आपने मोदी टेक्सटाइल मिल के बारे में अपने कक्ष में एक बैठक बुलाई

हैं, मैं निवेदन करूंगा कि यह मामला मुख्य मन्त्री जी से जुड़ा है, इसलिये आप उनसे भी निवेदन कर दें कि वह भी उपस्थित रहें जिससे सारी बातें साफ हो जायं ।

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने सुन लिया है ।

इटावा जनपद में लोक दल के प्रादेशिक अध्यक्ष एवं विधान परिषद् में विपक्ष के नेता श्री मुलायम सिंह यादव पर किये गये कथित प्राणघातक हमले के सम्बन्ध में चर्चा

श्री अध्यक्ष--

श्री हुकुम सिंह, आप लोग समय का ध्यान रखें ।

*श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, दिनांक 4-3-84 को विधान परिषद् में विपक्ष के नेता और लोक दल के प्रादेशिक अध्यक्ष, श्री मुलायम सिंह यादव पर घातक हमला हुआ । जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जब वह मैनपुरी से इटावा लौट रहे थे तो मईखेड़ा गांव से गुजरने के बाद चंद फर्लांग गये थे कि उन पर फायरिंग शुरू हो गयी, संयोग से पुलिस स्क्वैड उनके साथ था और कुछ कार्यकर्ता भी थे ।

फायरिंग के परिणामस्वरूप हमारे एक कार्यकर्ता मौके पर शहीद हो गये और दूसरे कार्यकर्ता गम्भीर रूप से घायल हुए हैं । जो घायल हुए हैं, उनकी उम्र केवल 23/24 साल है । जिनका स्वर्गवास हो गया है वह अध्यापन कार्य करते थे । इस चर्चा में मुझे दो बातें विशेषकर सदन के और सरकार के सामने रखनी हैं । ऐसा हमला हो जाए तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है, कोई नई चीज नहीं है । ऐसी घटनाएं होती रहती हैं-चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो । इसलिए वह हमला यहां पर चर्चा का विषय नहीं बन पाता है, कार्य-स्थगन का प्रस्ताव नहीं बन पाता है, लेकिन यह कांड विशेषकर इसलिए चर्चा का विषय बना है और बन जाता है, क्योंकि पिछले दो साल से मुलायम सिंह जी बराबर मांग करते रहे हैं कि हमारे प्राण का खतरा है, कुछ राजनीतिक लोग हमारी जान लेना चाहते हैं हमारी पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की जाय ।

विधान परिषद् में वहां के माननीय सदस्यों ने कई बार इस प्रश्न को रखा, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि उनके जैसे आदमी के लिये जो मन्त्री भी रहे हैं और विधान परिषद् में विरोध पक्ष के नेता भी हैं, हमारी पार्टी के नेता हैं, उनके मांगने के बावजूद और सदस्यों के मांग करने के बावजूद इटावा में आज तक किसी भी कार्यक्रम में उनको पुलिस स्क्वायड नहीं दिया गया । क्यों नहीं दिया गया, क्या इसलिये नहीं दिया गया कि वहां का स्थानीय प्रशासन इस बात की आवश्यकता नहीं समझता था या उनके प्रतिद्वन्दी राजनैतिक लोग जो सत्ता पक्ष में बैठते हैं, उनके स्थानीय प्रशासन पर इतना आतंक और प्रभाव था कि उन्होंने जिला प्रशासन पर इतना प्रभाव डाला कि उनको यह सुविधा न मिलने पावे । हमलावरों के इस गैंग को अगर इस बात का पता होता और यह विश्वास होता कि उनको सुरक्षा का पूरा प्रबन्ध है तो शायद वह उन पर हमला करने का दुस्साहस न करते । लेकिन उनको इस बात की जानकारी थी कि जिला प्रशासन पंगु हो चुका है, राजनैतिक हस्तक्षेप के कारण । इसलिए उन्होंने समझा कि 10-5 आए हुये हैं, उनको मार दो, संयोग से पुलिस स्क्वायड था । मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि इन लोगों ने बड़े साहस और बहादुरी के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

साथ उनकी रक्षा की और वह इसमें सफल भी हुए। भले ही हमारा एक कार्यकर्ता मृत्यु को प्राप्त हो गया।

जहां तक इसकी जांच का प्रश्न है, इसकी जांच चल रही है, जो भी परिणाम होगा, वह बाद में आयेगा। लेकिन जब राजनैतिक प्रतिद्वन्द्विता के कारण स्तर इस हद तक गिर जाए कि यदि हमारा किसी राजनैतिक व्यक्ति से कोई मतभेद है तो हम जिला प्रशासन पर दबाव डालकर, उनके प्राण रक्षा के प्रयासों को रोकने की चेष्टा करें तो यह एक गम्भीर प्रश्न है। इतना ही नहीं पिछले दो साल से एक दर्जन बार उनके परिवार के लोग लाइसेंस लेने के लिए आवेदन-पत्र दे चुके हैं। यहां तक कि उनके छोटे भाई जिसके खिलाफ आजतक कोई पुलिस केस नहीं पेंडिंग है, न रहा है, न अदालत में है, उसको भी पुलिस या प्रशासन के माध्यम से कोई लाइसेंस प्रदान नहीं किया गया। इसके विपरीत इटावा में एक नहीं, दो नहीं सैकड़ों लाइसेंस पिछले एक साल में लोगों को दिये गये हैं। वह किस प्रकार के व्यक्तियों को दिये गये हैं, इसकी आप जांच कर लें। उनका इतिहास आपराधिक है, क्रिमिनल है, जहां तक हमारी जानकारी है। इसके बावजूद ऐसे लोगों को इतने बड़े पैमाने पर लाइसेंस दिये जाते रहे। इसका मतलब तो यही हुआ कि कोई व्यक्ति चाहे जितना प्रभावशाली और व्यक्तित्व वाला हो, पर यदि वह सरकार के विरोध में है तो उसकी कोई सुरक्षा नहीं की जायेगी। लेकिन यदि कोई आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी आपके साथ बैठता है, आपकी चुनाव में मदद करता है, उसने चाहे कितनी हत्याएं और अपराध किये हों, उसे लाइसेंस दे दिया जायेगा। यही पृष्ठभूमि है, जिसके कारण से यह प्राणघातक हमला उन पर हुआ है।

मान्यवर, मेरी शिकायत माननीय मुख्य मन्त्री जी से है, अगर वे चाहते हैं कि मर्यादाओं की रक्षा होनी चाहिये, तो उसके लिये पहले आपसे (नेता सदन से) शुरू होनी चाहिये। नैतिकता आपसे (नेता सदन से) शुरू होना चाहिये। लेकिन हुआ क्या? जब-जब मंत्रिमंडल के विस्तार का प्रश्न उठा और पत्रकारों ने माननीय मुख्य मन्त्री जी से पूछा, उन्होंने यही जवाब दिया कि जिला परिषदों और ब्लाकों के जो चुनाव होने वाले हैं उनमें माननीय सदस्यों की परफामेन्स को देखकर चुनाव के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया जायेगा।

(शोर-व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया मुलायम सिंह जी के बारे में बात करें।

(व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह--

आप कृपा कर मेरी बात सुन लें। अखबारों में विस्तार के साथ यह बयान छपा कि जिसकी परफामेन्स चुनाव में अच्छी होगी उसको मंत्रिमंडल में लिया जायेगा। परिणाम क्या हुआ? जो लोग मंत्रिमंडल में आने के इच्छुक थे, या जो अपनी पोजीशन को सुदृढ़ करना चाहते थे, उन्होंने चुनाव में खुले आम पुलिस का दुरुपयोग किया, शासन को अपंग बना कर चोर, डाकू, बदमाश और गुन्डों का सहारा लिया और सत्ता पक्ष के लोगों को जिताने की कोशिश की।

(शोर-व्यवधान)

इसके बाद मान्यवर, फिर वरिष्ठ मंत्रियों को अपनी परफामेन्स दिखाने का मौका मिला, अभी जो माधोगढ़ या फाजिलनगर आदि के जो विधान सभा के 5 उप चुनाव हुए

(शोर)

उसमें भी चोरों और डकैतों तथा गुन्डों के सहारे बूथ कैपचरिंग की गयी तथा बहुत सी ऐसी बातें की गयीं जो नहीं होना चाहिये थी।

(व्यवधान)

मैं केवल भावनाओं पर नहीं जा रहा हूं, कांक्रीट एग्जाम्पिल्स रखना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

मान्यवर, यह मंत्रिमंडल का जो अभी विस्तार हुआ तथा जिस तरह से विभागों का बंटवारा किया गया उसको आप स्वयं देख लीजिये । जिन लोगों की परफार्मेन्स ऐसी देखी गयी कि उनके पीछे यानी उनके साथ चोर-बदमाश, डाकू और गुन्डे सबसे अधिक हैं ।

(शोर-व्यवधान)

उनको उसी हिसाब से विभाग दिये गये और मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय हुकुम सिंह जी, आप कृपया विषय पर ही बोलिये ।

श्री हुकुम सिंह--

मैं उसी पर बोल रहा हूं ।

श्री हरदेव--

किसी चीज को राजनैतिक रूप देने से कोई लाभ नहीं होगा ।

(व्यवधान)

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठें, मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री हुकुम सिंह--

यह जो घटना माननीय मुलायम सिंह जी के साथ हुई यह एक राजनैतिक षड़यन्त्र था । उन पर प्राण घातक हमला किया गया ।

मान्यवर, मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं । आखिर यह चुनाव भी होते रहेंगे, यह विधान सभा भी चलती रहेगी पर यदि आपको संसदीय प्रणाली में विश्वास है, तो आपको कोई ऐसी सीमा अवश्य बांधनी पड़ेगी कि किस सीमा तक कोई जा सकता है और किस सीमा के बाद नहीं जा सकेगा । हम मान्यवर, यह उम्मीद नहीं करते कि जिस एजेन्सी के द्वारा जांच करायी जायेगी उसके सही परिणाम सामने आयेंगे । जिस तरह से यह हत्यायें हो रही हैं, आरोप उधर से भी लगाये जा रहे हैं और इधर से भी लगाये जाते हैं, उससे हमारा राजनैतिक वातावरण दूषित हो रहा है । यदि हम चाहते हैं कि इस बात का किसी प्रकार से निराकरण हो सके तो आपके माध्यम से मैं हाईकोर्ट के जज की इन्क्वायरी की मांग नहीं करता, मैं सर्वोच्च न्यायालय के जज की मांग नहीं करता हूं, मैं मांग करता हूं कि इस माननीय सदन की एक समिति गठित कर दी जाय । मेरा सुझाव है कि एक समिति गठित कर दी जाय, इसके माध्यम से हम यह जानकारी कर सकते हैं कि क्या इन हत्याओं के पीछे राजनीतिक षड़यंत्र था और अगर था तो कौन से राजनीतिक व्यक्ति थे, चाहे वह विपक्ष में बैठे हों या सत्ता पक्ष में बैठे हों । मान्यवर, आपको इसमें संकोच नहीं होना चाहिये । अगर माननीय मुख्य मंत्री जी इस मांग को स्वीकार करते हैं तो चर्चा को मैं यहीं समाप्त करता हूं और यह अपेक्षा करता हूं कि यदि वह इन मूल्यों में विश्वास करते हैं तो इस बात की जांच अवश्य होनी चाहिये । केवल इसी घटना की बात नहीं पिछले 2 सालों में जितनी इस प्रकार की घटनायें हुई हैं, जिनमें राजनीतिक लोगों के शामिल होने के आरोप लगाये गये हैं, इन सबकी जांच केवल इस पहलू पर होनी चाहिये कि उसमें राजनीतिक लोगों ने कितनी भूमिका अदा की है । धन्यवाद ।

पंचायत राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)--

मान्यवर...

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री मोहन सिंह--

अध्यक्ष जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

मोहन सिंह जी, कहिये क्या व्यवस्था का प्रश्न है।

*श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जब किसी बिन्दु पर चर्चा होती है तो जो चर्चा के प्रारम्भ करने वाले होते हैं उनका प्रथम भाषण होता है। उसके बाद जिस मंत्री से वह विषय सम्बन्धित होता है, उनका उत्तर होता है और उसके बाद खुली बहस होती है यहां माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हुए हैं जो गृह मंत्री भी हैं। उनकी ओर से सम्पूर्ण तथ्यों को आना चाहिये। कल उन्होंने कहा था कि सदन उठने से पहले सारे तथ्यों को रख दिया जायगा। लेकिन कल सारे तथ्यों को नहीं रखा गया। हम लोगों के पास जो जानकारी है वह पूर्ण रूप से अधिकृत नहीं मानी जा सकती, शासन की क्या जानकारी है, कितने लोग पकड़े गये हैं और किस तरह का षडयंत्र है उसके बारे में शासन का जो विचार हो वह माननीय मुख्य मंत्री जी प्रकट कर दें। उसके बाद बहस प्रारम्भ हो जाय तब ग्राम्य विकास मंत्री या हम लोग उसमें शरीक होंगे। इसलिए मेरे व्यवस्था के प्रश्न पर विचार करें।

[समय 5 बजकर 24 मिनट]

मुख्य मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)--

माननीय अध्यक्ष, संक्षेप में जो तथ्य कल रखे गये थे उसके आगे जो अब तक प्राप्त हुये हैं उनको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 4 मार्च, 1984 को एक विवाहोत्सव के सम्बन्ध में मुलायम सिंह जी गये हुये थे और साढ़े 7 बजे उनका कार्यक्रम था। साढ़े 7 बज का कार्यक्रम सम्पन्न करके 8 बजे रात को मई खेड़ा थाना कुर्रा में उनको एक जगह और शामिल होने जाना था। वहां के क्षेत्राधिकारी, जो बेवर के हैं वह उनकी ड्यूटी में थे। उन्होंने उसका प्रबन्ध किया और उनके साथ सशस्त्र पुलिस थी और जीप से वह लोग उनके साथ चले। करीब साढ़े 9 बजे मई खेड़ा में रामेश्वर दयाल यादव के यहां वह विवाह म सम्मिलित हुए। वर पक्ष की ओर से विवाह में शामिल हुए।

लगभग साढ़े 10 बजे रात को वह अपने साथियों के साथ मई खेड़ा से इटावा के लिए रवाना हुए। उनकी कार के आगे मोटर साइकिल पर छोटेलाल पुत्र शिवदयाल व नेत्रपाल सिंह पुत्र रामेश्वर दयाल थे। नेत्रपाल श्री रामेश्वर दयाल के लड़के हैं जिनके यहां इस विवाह के सिलसिले में वह गये थे। यादव जी की कार के पहले पुलिस जीप थी और उसके पीछे दो मोटर साइकिल थीं जिनमें एक पर शिवराम सिंह पुत्र मोती लाल यादव, निवासी ग्राम परसोआ थे तथा दूसरी मोटर साइकिल पर एक व्यक्ति कोई और था। इनके साथ कार में दो-तीन और व्यक्ति थे, ड्राइवर तो था ही, सोबरन सिंह, रामेश्वर दयाल स्वतः ये इनकी गाड़ी में बैठे थ। जब वह गाड़ी मईखेड़ा से 4 फर्लांग गयी, तो बम्बे की पटरी के पास 10-12 सशस्त्र व्यक्तियों ने मोटर साइकिल पर हमला किया, जिस पर छोटे लाल और दूसरे व्यक्ति बैठ थे और कार पर भी कुछ हमला हुआ। तब तक ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। तब तक पुलिस वाले आगे आ गये। पुलिस ने फायरिंग की, बदमाश जान बचाकर भाग गये। 20 गोलियां उस तरफ से चलीं, जो बदमाश लोग थे और 35 गोलियां इधर से चलीं। उसके बाद इन लोगों ने थाने में जाकर एक रिपोर्ट लिखाई जो रिपोर्ट

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

147/148/307/302 में लिखायी गयी और इस रिपोर्ट को लिखाया शिवरन सिंह पुत्र मोती लाल यादव जी ने और इस रिपोर्ट की करीब साढ़े 12 बजे रात को सूचना थाने में प्राप्त हुई। उसके बाद इसकी खबर मैनपुरी भेजी गयी और वहां से एस0 पी0 वगैरह आये। इसकी तलाश और जांच हो रही है। अभी तक कोई आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ है और बराबर सब पड़े हुये अधिकारी लोग इसकी जांच कर रहे हैं।

कल एक बात और की गयी और आज भी बहुत सी बातें कही गयीं, कल चूंकि एक बात का हवाला आया था, इसलिए मैं जरूर कहना चाहता हूं, माधवगढ़ चुनाव के सम्बन्ध में एक घटना का जिक्र किया गया था कि माधवगढ़ में किसी राज्य मंत्री के सामने उनकी छाती पर बन्दूक रख दी गयी थी और वह ऐसा षडयंत्र है, किसी राजनीतिक षडयंत्र के पीछे यह सब वाक्या हो रहे हैं। मैंने जो उसकी सूचना प्राप्त की तो वह सूचना इस प्रकार है--

"जनपद में हाल में सम्पन्न हुए चुनाव की अवधि में विभिन्न दलों द्वारा अपराध पंजीकृत कराने व उनका विवरण प्रेषित करने के संबंध में जो सूचना मांगी गयी है, उसके सम्बन्ध में यह कहना है कि जनपद जालौन में हुए विधान सभा के चुनाव की अवधि में किसी भी राजनैतिक दल के द्वारा चुनाव क्षेत्र में कोई घटना पंजीकृत नहीं करायी गयी है। कोई भी एफ0 आई0 आर0 उस घटना के सम्बन्ध में नहीं है।

श्री मुख्तार अनीस--

शासन स्तर से कोई अधिकारी आपने यहां पर जांच के लिए भेजा ?

*श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, मुझे बड़ा अफसोस है कि आज जिस घटना पर चर्चा कर रहे हैं, उस घटना से चाहे इधर के बैठने वाले हों, चाहे उधर के बैठने वाले हों, सबका सिर शर्म से झुक जाना चाहिये, इसलिए कि बूथ कैपचरिंग के नाम पर जो डिमोक्रेसी में यह ट्रेंड शुरू हुआ, यह मोड़ आया और कुछ सालों से एलेक्शन इसी ताकत के ऊपर लड़ा जाने लगा। मुझे याद है कि इससे पहले भी एक एलेक्शन ऐसा लड़ा गया। मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि एक व्यक्ति जीते हुए आपके दल में हैं, उस वक्त वह विरोधी पक्ष में थे, जिस समय मान सिंह का तबका लाया गया था। एक और बूथ कैपचरिंग की बदौलत कामयाबी भी हुई थी। इस समय जो माननीय सदस्य हैं, उनका पलड़ा हल्का हो गया, तो फिर उनके जीतने का क्या प्रश्न पैदा होता था। उसी तरह से पिछले चुनाव में 80 में भी यह नौबत आपने पैदा किया, इटावा, मैनपुरी, जालौन, फर्रुखाबाद, बदायूं वगैरह में जब केन्द्र में श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार बनी तो प्रदेश में वही तरीका इस्तेमाल किया गया। सत्ता पक्ष ने सोचा कि केन्द्र में सत्ता हमारे पास है तो प्रदेश में भी इन 12 जनपदों में कामयाबी बूथ कपचरिंग से हो सकती है।

(व्यवधान)

मैं नाम लेना शुरू कर दूंगा। विधायकों के नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं। जब बूथ कैपचरिंग की बात डेमोक्रेसी में पहुंच जायेगी तो इससे स्तर कितना गिर जायेगा और इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। चाहे जनता पार्टी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, चाहे लोकदल का हो, जिसने भी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस तरीके का इस्तेमाल किया वह लज्जाजनक और शर्मनाक है ।

प्रजातंत्र में इस सदन में बैठकर राष्ट्रपिता महात्मागांधी के नीचे बैठकर चर्चा कर रहे हैं, उन्होंने हिंसा होने के कारण चौरीचौरा के मूवमेन्ट को रोक दिया और मूवमेंट को समाप्त कर दिया । अब इसका दूसरा ट्रेन्ड हो गया है आज हम उसी हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं । हमको आपको सबको अपने गिरेबान में हाथ डालकर देखना होगा प्रजातंत्र को हम मजबूत बना रहे हैं या प्रजातंत्र को धक्का पहुंचा रहे हैं । यह निश्चित ही हो सकता है क्षेत्र के अन्दर पार्टीबन्दी और विरोध हो सकता है । डेमोक्रेसी के अन्दर जब प्रधान के चुनाव के अन्दर इस तरीके की घटनायें हो गयीं जो शर्मनाक थीं तो असेम्बली और पार्लियामेंट के अन्दर ऐसी घटना हुई तो जो लोग इसमें विश्वास रखते हैं उनके लिए मामूली बात है । जब विधान परिषद के नेता विरोधी दल के ऊपर इस तरीके के हमले होंगे कि ऐसे लोगों को किसी तरीके से रास्ते से हटा दिया जाय, सोचने की बात है । चुनाव आने वाला है अतः उसकी भूमिका तैयार हो रही है । वह तरीका इस्तेमाल हो रहा कि आने वाले चुनाव में ऐसे लोगों को जो आपके गलत तरीके का जवाब दे सकते हैं, ऐसे लोगों को आपकी सत्ता पक्ष होने के कारण रास्ते से हटा दिया जाय । ताकि नौबत न आये गलत तरीकों के मुहंतोड़ जवाब का । जैसा माननीय हुकुम सिंह ने सुझाव दिया उसको मुख्य मंत्री मानने को तैयार नहीं होंगे और न आपही उसको स्वीकार करने के लिये तयार होंगे । माननीय सदस्य जब इस तरीके की जांच करते हैं तो जितना इस सदन की कमेटी है उसमें किसी पार्टी को सामने रखकर नहीं करते हैं । पार्टी से ऊपर उठकर मामले की जांच कर के रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं । सत्ता पक्ष इसके लिये तैयार नहीं हो सकता है । यदि सदन की कमेटी बनेगी तो बिना किसी पार्टी के पक्षपात के मामले की रिपोर्ट आयेगी । माननीय मुख्य मंत्री जी इसकी जांच आप सी0 बी0 आई0 से करा दीजिये । ओबरा के मामले में शुरू में सी0 बी0 आई0 से जांच की मांग की गई थी । लेकिन घूमते घुमाते न जाने किसको बचाते बचाते मामला सी0 बी0 आई0 को पहुंच गया । सारे कान्ड का टर्म्स आफ रिफरेंस, बैकग्राउन्ड इसमें जोड़ दीजिये तो अच्छा होगा और सी0 बी0 आई0 से जांच हो जायेगी तो मामला सामने आयेगा । हम आपको बुरा कहते हैं और आप हमको बुरा कहते हैं । यह तो एक दूसरे का व्यवहार है । बलराम सिंह और मुलायम सिंह के अलावा और भी बहुत सी बातें हैं, जसवन्त सिंह विष्ट जी हैं, वह पर्वतीय क्षेत्र में लड़ते हैं तो कुछ तो हमें लड़ने दें कुछ तो हमें विचार करने दें । कुछ माननीय सदस्य और भी बोलना चाहते हैं इसलिये मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और यह कहता हूं कि आप इसकी इन्क्वायरी तुरन्त सी0 बी0 आई0 को दे दें ।

*श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, जो भी घटना माननीय मुलायम सिंह जी के साथ हुई है उसका हमको हार्दिक क्लेश है मैं इस घटना की भर्त्सना करता हूं । मान्यवर, हम सभी राजनीति करते हैं जो इस सदन में बैठे हैं अगर किसी के साथ कहीं कोई दुर्घटना या और कोई बात हो जाती है तो महज यह सोचकर कि फलां व्यक्ति फलां का राजनीतिक प्रतिद्वन्दी है अगर हम इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएं तो यह सरासर अन्यायपूर्ण बात है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि सन् 1980 में हमारा और श्री मुलायम सिंह जी का चुनाव हुआ कि सन् 1980 के बाद से हमारे ऊपर नानाप्रकार के आरोप लगाए जाते रहे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हैं इस माननीय सदन में और विधान परिषद् में भी, और उन आरोपों की जांच भी हुई मैंने तत्कालीन मुख्य मंत्री जी से कहा, प्रधान मंत्री जी से कहा, मैंने कहा कि जो आरोप मेरे ऊपर लगाए गये हैं उसकी जांच सी0 आई0 डी0, विजीलेन्स जिससे कराना चाहें करवायें और जांच हुई भी लेकिन मेरे खिलाफ कोई तथ्य साबित नहीं हो सका। मान्यवर, लगातार आरोप मेरे ऊपर सन् 1980 से लगाए जा रहे हैं मान्यवर, जिस तरह से क्रिमिनल के आरोप हमारे ऊपर लगाए जाते हैं....

श्री मोहन सिंह—

आज तो नहीं लगाये गये।

श्री बलराम सिंह यादव—

आज भी लगाए गये माननीय हुकुम सिंह जी ने जो कहा उससे यही निष्कर्ष मिला....

(शोर)

मैं समझता हूं कि बात का जवाब ठीक तरह से दे दिया जाए तो मान्यवर, सन् 1980 से पहले इस तमाम उत्तर प्रदेश के अन्दर इस तमाम सदन के अन्दर अगर कभी अराजक तत्वों से सांठगांठ करने का आरोप लगा हो तो जो चाहे वह सजा दें। लेकिन सन् 1980 के बाद मुझे इस तरह की बातों में घसीटना बहुत गलत है....

(सत्ता पक्ष की ओर से शेम शेम की आवाजें)

मान्यवर, हमारे इटावा जनपद के अन्दर चार पांच आदमियों की लगातार हत्यायें हुई मैं चाहता तो प्रेस कान्फ्रेंस बुला सकता था और उन बातों को राजनीतिक साजिश कह सकता था। मान्यवर, उसमें मेरे एक रिश्तेदार की भी हत्या हुई। मान्यवर, मैं फिरोजाबाद गया था उस समय मुलायम सिंह जी भी मेरे [illegible] और मेरे जिले के बीच में एक राजाकरतार गांव है उस गांव के बीच जब मैं पहुंचा हमारे पीछे स्क्वायड था और उसके पीछे डिपार्टमेंट की दो गाड़ियां थी। मैं वहां पहुंचा और पेशाब करने के लिये उतरा। खेतों में पेशाब करने के लिये चला गया। तभी पीछे से एक जीप आयी दौड़ती हुई लेफ्ट हैन्ड साइड से, जिधर हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी। वह जीप तेजी से 50-60 किलोमीटर की स्पीड से लेफ्ट हैन्ड साइड से एकाएक निकल गयी। हमारे पीछे स्क्वायड था। उन्हें शक हुआ। उन्होंने कहा कि साहब जीप वालों का इरादा अच्छा नहीं है। मैंने कहा खैर कोई बात नहीं है, जाने दीजिये। उन्होंने कहा कि पीछा करें लेकिन इसमें उनका षड़यंत्र हो सकता है और हो सकता है कि दूसरी जीप आए और अटैक कर दे तो उचित न होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं है।

आगे टूंडला पर मुलायम सिंह यादव जी बैठे मिले। यह शक का कारण हो सकता था। लेकिन मैंने इसको इशू नहीं बनाया क्योंकि मैं इसमें विश्वास नहीं करता। इस घटना को मैंने मुख्य मंत्री जी को जरूर बताया था। मैं प्रेस कान्फ्रेन्स बुलाकर कह सकता था, क्योंकि वह वहां थे। लेफ्ट हैन्ड साइड से जीप आयी। हमारे पास पुलिस वाले थे, उनको भी शक हुआ, उन्होंने देखा कि जीप में दो राइफल लिये लोग बैठे थे। मैं इसको राजनीतिक इशू बना सकता था लेकिन जब तक किसी आदमी के बारे में कोई पुष्ट प्रमाण न हो, ऐसा प्रमाण जिस पर विश्वास करने का कारण हो, इस तरह के मसले को राजनीतिक रूप दे देना, मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। मान्यवर, जहां तक इटावा के नेताओं का सवाल है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, माननीय मोहन सिंह जी गौर करें। इटावा में लोकदल की 25 को कार्यकारिणी है, उसमें से 15 लोग क्रिमिनल हैं। उनमें

से कुछ के बारे में बताना चाहता हूं। एक राम सेवक यादव हैं, इटावा के रहने वाले हैं....

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह—

हमारे पास आपकी इटावा की कार्यकारिणी की सूची है जिसमें एक सौ क्रिमिनल हैं।

(व्यवधान)

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, इसके ऊपर 394/207/120 के अन्तर्गत आर्म्स ऐक्ट के मुकदमे कायम हैं। दूसरे हैं श्री राम बहादुर....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप इस सूची को मेरे पास भेज दीजिएगा।

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये नाम नहीं सुनना चाहते तो ठीक है, लेकिन मेरा कहना है कि इस तरह के लोगों से ये घिरे हैं और पता नहीं बदमाश कोई किसी का नहीं होता है, किसी के भी साथ धोखा दे सकता है। इस तरह की इटावा लोकदल की कार्यकारिणी के 25 में से 15 लोग क्रिमिनल हैं, जिनकी हिस्ट्री है....

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इस आदरणीय सदन की परम्परा है कि जो लोग अपनी सुरक्षा करने के लिये सदन में मौजूद न हों, उनके खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं कही जा सकती है। एक दल विशेष को इस तरह की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि यही एजेन्डा का विषय है, तो इस पर एक अलग से तारीख आप मुकर्रर कर लें। ये लोग 75 फीसदी की बात कहते हैं, हम डेढ़ सौ फीसदी के नाम बताने को तैयार हैं। इन्हीं के मंत्रि-मंडल में 80 फीसदी लोग क्रिमिनल हिस्ट्री वाले हैं। इस पर चर्चा होनी चाहिए। और जो कहा गया है, उसे आप सदन की कार्यवाही से निकाल दें।

(अनेक सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर शोर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्यगण कृपया आप लोग बैठ जायं। मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति)—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय श्री मोहन सिंह जी ने इस बात को सदन में कहा कि जो व्यक्ति इस सदन में नहीं रहता है, उसके नाम की चर्चा यहां नहीं होना चाहिए। अगर यही है तो मान्यवर, जब से यह मौजूदा सत्र चल रहा है, उसी दिन से यदि आप देखें तो हमारे विरोधी भाई, जो इस सदन के व्यक्ति नहीं हैं, उन पर प्रतिदिन चर्चा करते चले आ रहे हैं। इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से विपक्षी नेताओं से यह अनुरोध करता हूं, जैसा कि अभी माननीय श्री मोहन सिंह जी ने कहा था, कि आज से जब तक यह सदन चलेगा, इसकी रक्षा की जाय, और जो व्यक्ति इस सदन का व्यक्ति न हो, उस पर, यहां चर्चा न की जाय, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री गौरी शंकर मैथ्या—

मान्यवर, जो आदमी इस सदन का मेम्बर नहीं है उसको तो आपने मंत्री बना दिया, क्या उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, जहां तक माननीय श्री हुकुम सिंह जी का यह कहना कि मैंने जिला प्रशासन, इटावा को यह कह दिया है कि माननीय श्री मुलायम सिंह जी, क्योंकि माननीय श्री हुकुम सिंह जी ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा है।

श्री मोहन सिंह—

चोर की दाढ़ी में तिनका।

श्री बलराम सिंह यादव—

मैंने कभी भी जिला प्रशासन, इटावा से इस तरह की बात नहीं कही है कि अगर कभी माननीय श्री मुलायम सिंह जी को सुरक्षा व्यवस्था मांगते हैं, तो उनकी सुरक्षा की व्यवस्था न की जाय। अगर ऐसी बात होती तो, मैनपुरी भी हमारा पड़ोसी जिला है, हम वहां के जिला प्रशासन से भी कह सकते थे कि माननीय श्री मुलायम सिंह जी के लिए पुलिस की व्यवस्था न की जाय। मान्यवर, मुझे जानकारी है कि जब-जब उन्होंने पुलिस की व्यवस्था मांगी, उनको व्यवस्था मिली है। चाहे वह किसी मीटिंग में जा रहे हों, हर जगह मैंने स्वयं कह कर उनके लिए पुलिस की व्यवस्था की है, कराई है। मान्यवर, जो आरोप लगाये गये हैं, वे बिल्कुल निराधार हैं, इनमें कोई भी बल नहीं है। यह तो रिकार्ड्स से भी साबित हो सकता है कि जहां-जहां मीटिंगें हुई हैं, उनके लिए पुलिस की व्यवस्था की गयी है।

मान्यवर, दूसरी बात यह है, यहां पर कहा गया कि उनके परिवार वालों को लाइसेंस नहीं मिल रहे हैं। मान्यवर, मुझे निश्चित जानकारी है कि माननीय मुलायम सिंह जी को स्वयं लाइसेन्स मिला हुआ है। माननीय मुलायम सिंह जी के भाई को लाइसेंस मिला हुआ है, माननीय मुलायम सिंह के रिश्तेदारों को लाइसेंस मिला है। इसके अलावा मैं इस बात का दावा करता हूं कि माननीय मुलायम सिंह के गांव में जितने लाइसेंसधारी हैं, शायद ही किसी और गांव में हों, 40 लोगों को आग्नेयास्त्र के लाइसेंस मिले हुए हैं। मान्यवर, इस तरह से यह सब आरोप निराधार हैं और राजनीतिक द्वेष से यह सब बातें नहीं करनी चाहिए। मेरी पूरी सहानुभूति माननीय मुलायम सिंह जी के साथ है, माननीय हुकुम सिंह जी की भावनाओं के साथ है। मैं चाहूंगा, मैं मांग करता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी से कि जिस भी एजेंसी से चाहें, उस एजेंसी से, इस मामले की जांच अवश्य करा दें।

श्री भीखा लाल—

मान्यवर, यह जो विषय यहां पर उठाया गया है..

श्री अध्यक्ष—

मैं निवेदन कर दूं। यह एक बहुत गम्भीर विषय है और मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह के भाषण नहीं होना चाहिए, जिससे एक-दूसरे के लिये चोट पहुंचती हो, भविष्य में इसका ध्यान रखें।

श्री भीखा लाल—

मान्यवर, जिस विषय पर आज यहां पर चर्चा हो रही है, वह बहुत ही अहम है और गम्भीर है। मान्यवर, विधान परिषद् के नेता विरोधी दल के ऊपर शारीरिक हमला हो, उनकी हत्या का प्रयास किया जाय, इससे गम्भीर विषय और कोई नहीं हो सकता। मान्यवर, नेता विरोधी दल की हैसियत शासक पार्टी के अग्रिम पंक्ति में बैठे लोगों के समकक्ष होती है। मान्यवर, जो घटना घटित हुई है वह एक चिन्ता का विषय है।

मान्यवर, मैंने श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलते हुए एक बात कही थी, मैं फिर उसको दोहराता हूं कि राजनीति में गुन्डागर्दी जो घुस रही है, इसको हमको उनको रोकना होगा। मैं स्पष्ट रूप से कहना

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहता हूं कि इसकी शुरुआत इमरजेंसी के जमाने में हुई ।

एक सदस्य--

इसकी शुरुआत तो 1977 से है ।

(व्यवधान)

श्री भीखा लाल--

जरा धैर्य से सुनें । पूरी बात सुन लें तो शायद आप मेजें भी थपथपायें ।

मान्यवर, इसकी शुरुआत इमरजेंसी के जमाने में हुई और 1977 में जनता पार्टी के काल में, इसको बढ़वा दिया गया । 1980 में जब कांग्रेस पार्टी शासनारूढ़ हुआ, तब इसको और बढ़ावा दिया गया । मान्यवर, वह चीज नहीं रुक रही है, इसको हमें रोकना होगा । हमको आपको मिलकर रोकना होगा । मान्यवर, अभी हाल ही में जो पांच विधान सभाई हैं उप चुनाव हुए, उसमें फाजिल नगर में तीन हत्याएं हुई । अभी उन हत्याओं का खून नहीं सूखा है और इधर नेता विरोधी दल पर प्राणघातक हमला होता है । यह बहुत गम्भीर बात है । आज राजनीति में गुंडों को लाकर, राजनीतिक हत्याएं कराने का प्रयास किया जा रहा है, यह षडयंत्र है । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गुन्डे, अराजक तत्व हत्यारे, यह किसी के नहीं होते हैं—यह आवारा कुत्ते हैं । आज आप उनको दाना दे रहे हैं । और हम पर भौंका रहे हैं । कल हम उनको पुचकार सकते हैं और आप पर भौंकवा सकते हैं । यह किसी के नहीं होते हैं । इसलिये प्रयास होना चाहिए हमारी तरफ से आपकी तरफ से इसको रोका जाय । मान्यवर, आज चूंकि इसका संदर्भ आ गया है, इसलिए कहना पड़ रहा है ।

मान्यवर, अभी हाल ही में जो चुनाव हुए, जिला परिषद् के सदस्यों के तथा ब्लाक प्रमुखों के उसमें मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में दो ब्लाकों में प्रमुख, उप प्रमुख और जिला परिषद् के सदस्य की जीत हुई । यह मुझसे सम्बन्धित थे । मान्यवर, तब ही से कांग्रेस के खेमे में मंत्रणायें हो रही हैं कि भीखा लाल को रास्ते से हटा दो, जब तक यह नहीं हटेगा, तब तक हम लोगों के आदमी नहीं आ पायेंगे । मैंने इसकी बाबत मुख्यमंत्री से नहीं कहा । किसी से नहीं कहा मैं अपनी सुरक्षा का प्रबंध खुद करता हूं । मान्यवर, इस तरह से अगर यह बातें चलती हैं, तो यह मान्यवर, चिन्ता का विषय है । इसलिए मैं इस सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता से अपील करना चाहता हूं कि ऐसे हत्यारे लोगों के साथ, ऐसे गुन्डे लोगों के साथ, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, चाहे वह किसी विपक्षी दल से सम्बन्धित हों, या शासक पार्टी से हों, उनके साथ यही व्यवहार होना चाहिए जो मान सिंह और छविराम के साथ होता है ।

मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहता हूं, शासन से अपील करना चाहता हूं, मैं इस वक्त उत्तेजना नहीं पैदा करना चाहता हूं, कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने जो नैतिकता दिखायी थी और उस नैतिकता के बल पर त्याग-पत्र दे दिया था, आपके लिये ऐसा अवसर अभी तक नहीं आया है लेकिन अगर यही प्रवृत्ति जारी रही और यह चीजें होती रहीं, तो आपके लिये भी यह अवसर आ जायेगा, जब हम लोगों को आपसे नैतिकता के आधार पर त्याग-पत्र देने के लिये कहना पड़ेगा । मान्यवर, मैं चाहूंगा कि इस तरह की प्रवृत्तियों को रोका जाय । इस उत्तर प्रदेश को कम से कम पंजाब, असम और काश्मीर न बनायें । यहां पर शान्तिपूर्ण तरीके से काम हो ताकि हमारे प्रदेश में, देश में, जो जनतांत्रिक व्यवस्था है, जिसकी सराहना विदेशी में भी होती है, उसके प्रति जनता की आस्था न हटे । अगर गोली के बल पर वोट डलवाये जायेंगे बूथ कैप्चरिंग की जायगी, प्रत्याशी गोली से मार दिये जायेंगे तो जनतंत्र पर से जनता का विश्वास उठ जायगा । इसलिये इस पर संजीदगी से विचार कीजिये, गम्भीरता से विचार कीजिये और जो भी कोई इसके पीछे हो, उसे उजागर कीजिये ।

*श्री राम औतार दीक्षित—

मान्यवर,

हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम,

वह कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती ।

मैं सिर्फ तीन बातें आपके माध्यम से इस सदन में कहना चाहता हूं । इसमें दो राय नहीं हैं कि घटना की जितनी भी भर्त्सना की जाय, कम है । दूसरी बात जो हमारे माननीय सदस्य श्री हुकुम सिंह जी ने कुछ राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कही, मुझे मजबूर होकर खड़े होना पड़ा । उसी संदर्भ में हमारे रियासत भाई और भीखालाल जी भी बोले । मैं पूछना चाहता हूं कि "बूथ कैप्चरिंग" की पालिटिक्स शुरू कैसे हुई ?

(घोर व्यवधान)

श्री विजय सिंह राना—

संजय गांधी से शुरु हुई ।

(घोर व्यवधान)

श्री राम औतार दीक्षित—

अपनी अन्तरात्माओं को टटोलकर देखिये कि हमारे प्रदेश में यह "बूथ कैप्चरिंग" की पालिटिक्स कहां से शुरु हुई ?

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मुख्तार अनीस—

यह पालिटिक्स संजय गांधी से शुरू हुई और मेनका गांधी उसका प्रायश्चित कर रही हैं ।

(घोर व्यवधान)

श्री राम औतार दीक्षित—

सत्य कड़वा होता है । यह जो बोल रहे हैं ये अभी बच्चे हैं । जिनकी शागिर्दी में इन्होंने सियासत सीखी है, उनसे जाकर पूछें ।

मैं किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम लेना नहीं चाहता लेकिन बड़े अदब के साथ कह देना चाहता हूं कि यह पालिटिक्स जहां से शुरू हुई, सारा प्रान्त इसे भलीभांति जानता है । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी श्री मुलायम सिंह जी के ऊपर हुए अटैक के बारे में, जिसके विषय में चर्चा हो रही है, इसमें दो राय नहीं है कि उसकी जितनी भी भर्त्सना की जाय, कम है । मैं यह भी बाअदब गुजारिश करना चाहता हूं कि पिछले दशक में आतंक की राजनीति पनपी है, इसे मैं स्वयं स्वीकारता हूं । उसे, हमको और आपको मिलकर खत्म करना चाहिए । मैं इस बात पर शतप्रतिशत आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन किसी पर अटैक हो, हत्या का षड्यन्त्र हो, उसे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में लाया जाय, यह एक विडम्बना की बात है । प्रजातंत्र में जुडिशियरी सर्वोपरि है । अभी कुछ ही दिन पूर्व भूतपूर्व मुख्य मंत्री के भाई सी० एस० पी० सिंह मारे गये थे, उनको किसने मारा था, वे किस परिप्रेक्ष्य में मारे गये थे ? उनकी भी हत्या की गयी थी । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हत्यारों की और गुन्डों की एक अलग कौम होती है, न वे सत्ता पक्ष के साथ होते हैं और न विरोधियों के साथ, वे सिर्फ स्वार्थ के साथ हुआ करते हैं । इसका निदान ढूंढ़ना होगा । जब तक हम और आप अपने गिरेबान को नहीं देखेंगे इसका सुधार नहीं कर सकेंगे ।

मैं चाहता हूं कि मूल रूप में आतंकवाद खत्म किया जाए और गुन्डों को प्रश्रय न दिया जाए और राजनीतिक स्तर पर गुंडागर्दी को प्रोत्साहन न दिया जाए और इस विषय को या घटना को पूर्ण रूपेण राजनीतिक रूप देना किसी भी तरह से उचित नहीं होगा, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, आज अपने सार्वजनिक जीवन में इस तरह की गिरावट आ रही है। माननीय मुलायम सिंह जी के ऊपर जो प्राण-घातक हमले हुए, उसका राजनीतिक लाभ हम लोग नहीं उठाना चाहते हैं, न ही हमारी ऐसी मंशा है, लेकिन सचमुच यह आज एक चिंता का विषय है कि इस आदरणीय सदन के 5 माननीय सदस्य इन गुन्डों के हाथों शहीद हुए और उनकी जीवन-लीला समाप्त हुयी और आज भी किन्हीं खास परिस्थितियों में इस सदन में बठने वाले लगभग 250 माननीय सदस्यों ने भी आपके समक्ष और माननीय मुख्य मंत्री के समक्ष अपनी-अपनी सुरक्षा के लिए दरख्वास्ते दी हैं और आपसे अपील की है और उन लोगों को सुरक्षा गार्ड दिये भी गये। तो यह मान्यवर, हमारे सार्वजनिक जीवन के गिरावट की एक निशानी है। तो आज ऐसी चिंताजनक स्थिति को देखते हुए मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं कि क्या आपने अब तक कोई ऐसा संकल्प लेने पर विचार किया है कि जिन लोगों का आपराधिक इतिहास हो उनको किन्हीं भी परिस्थितियों में चाहे वह किसी भी तरफ के हों, किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन न दिया जाए और जब तक ऐसा संकल्प नहीं लिया जायेगा, तब तक इन परेशानियों का हल निकल नहीं सकता है।

आज हर नागरिक का, यहां तक शासन में बैठने वाले लोगों का भी सामान्य जन-जीवन सुरक्षित नहीं है, जो दूसरों के सामान्य जन-जीवन को सुरक्षा पहुंचाने वाले हैं, वही आज असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसीलिए अपनी सुरक्षा की दरख्वास्तें आज दे रहे हैं। यदि आप इस प्रदेश में अमन कायम करना चाहते हैं शांति का वातावरण कायम करना चाहते हैं तो आप एक सम्मेलन बुलवाइये और जिस राजनीतिक दल में इस प्रकार के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हों, मैं उनके नामों को इंगित करना नहीं चाहता क्योंकि अभी इसका समय नहीं आया आप स्वयं अपने विवेक से यह निर्णय करें कि उनको किसी प्रकार का कोई प्रोत्साहन न दिया जाए, यह कार्य आपके स्तर से ही हो सकेगा और इसका कोई समाधान नहीं है। एक बार आपने स्वयं कहा कि तमाम आपराधिक प्रवृत्ति के लोग आज जीत कर आ गये हैं, तो जहां तक मैं समझता हूं कि इस सिलसिले धीरे-धीरे काबू पाया जा सकता है।

जहां तक माननीय मुलायम सिंह जी के हमले की बात है, इस सम्बन्ध में मैं शासन से अब यह जानना चाहता हूं कि इनके लिए भविष्य में सुरक्षा की क्या व्यवस्था कर रहे हैं भविष्य में इनके पास सुरक्षा गार्ड रहेंगे या नहीं। मान्यवर, जब वह इस सदन के सदस्य नहीं थे, तो यह चर्चा पहले भी सामने आती रही है कि उनके ऊपर हमला होने वाला है। इसलिए अब मैं यह जानना चाह रहा हूं कि उनकी सुरक्षा के लिए भविष्य में आप क्या विचार कर रहे हैं और दूसरी बात कृपया यह बतावें कि इस घटना की जांच निष्पक्ष एजेंसी द्वारा हो, तो उसके लिए सी0 बी0 आई0 से जांच करवा दीजिए और जहां तक मैं समझता हूं कि और मेरी राय है कि इसको करा ही देना चाहिए।

श्री गोरे लाल शाक्य--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से...।

श्री अध्यक्ष--

केवल 4 मिनट रह गये हैं, आप संक्षेप में अपनी बात को समाप्त करें।

श्री गोरे लाल शाक्य--

मान्यवर, मैं कह रहा था कि श्री मुलायम सिंह, नेता विरोधी दल विधान परिषद् के ऊपर प्राणघातक हमला हुआ है मैं उसकी निन्दा करता हूं। सैफई थाना कुर्रा जो इटावा और मैनपुरी की सीमा पर स्थित है, अपराधियों व डकैतों

*वक्ता ने भाषण था पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से ग्रस्त क्षेत्र है । इसमें राजनैतिक उद्देश्य होने की कोई सम्भावना नहीं है क्योंकि वह क्षेत्र डकैतों व अपराधियों से ग्रस्त है । मैं मानता हूं कि गौतम और गांधी के देश में हिंसा का कोई स्थान नहीं है और इसकी जांच अवश्य करा दी जाय तो अपने आप ही स्पष्ट हो जायेगा कि इसमें सत्ता पक्ष के लोगों का हाथ नहीं है ।

जहां तक शासन की सुरक्षा व्यवस्था का सम्बन्ध है कि वह कितनी चाक-चौबन्द है तो उसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि मेरी सुरक्षा के लिये जो व्यवस्था या प्रबन्ध किया गया है उसमें मुझे 6 महीने से एक शेडो दिया गया है जो कि बगैर असलहा के है, उसे कोई असलहा नहीं दिया है ।

(हंसी)

और मान्यवर, एस0 एस0 पी0, डी0 आई0 जी0, आई0 जी0 और गृह सचिव सबसे एप्रोच करने के बाद भी मेरे शेडो को अभी तक असलहा नहीं उपलब्ध कराया गया है । लेकिन शासन ने मेरी सुरक्षा के लिये शेडो दिया है तो वह किस प्रकार का शेडो है जो कि बिना असलहा के है ? इसलिये आप शासन को आदेश दें कि माननीय नेता विरोधी दल, विधान परिषद् हों या चाहे कोई और विधायक हो उसके सुरक्षा की व्यवस्था ठीक प्रकार से होनी चाहिए । इस शासन की सुरक्षा व्यवस्था हमें ठीक नहीं जान पड़ती है ।

श्री अध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त ।

*श्री धनीराम वर्मा—

अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता विरोधी दल, विधान परिषद् के ऊपर 4 तारीख को प्राणघातक हमला किया गया है जो कि निहायत निन्दनीय है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष—

आप एक मिनट में अपनी बात को समाप्त करें ।

श्री धनीराम वर्मा—

मान्यवर, तो मैं कह रहा था कि यह प्राणघातक हमला एक निश्चित तरीके से एक सुनिश्चित षड़यन्त्र है और अगर यह षड़यन्त्र नहीं है, यह भी सोच लिया जाय तो निश्चित तरीके से हमला जिस वक्त हुआ तो वहां से जो लोग भागे जिसमें पुलिस के लोग भी बताये जाते हैं उनकी संख्या 20 या 25 से कम नहीं थी । 20, 25 लोग वहां से भागे, पुलिस भी वहां पर आ गई परन्तु उसके बाद से आज तक एक भी व्यक्ति अरेस्ट नहीं हुआ तो निश्चित रूप से यह प्रतीत होता है कि शासन की ओर से ढिलाई बरती जा रही है ।

मान्यवर, अभी श्री बलराम सिंह यादव जी ने कहा कि 25 लोक दल के लोगों में से 15 लोग क्रिमिनल हैं । मैं कहता हूं कि कांग्रेस (आई) के 29 लोग ऐसे हैं जो क्रिमिनल हैं और क्रिमिनल लोगों का पोषण कर रहे हैं और यदि मैं यह सत्य कहता हूं तो आप इस बात की इन्क्वायरी करा लीजिए ।

(व्यवधान)

पहले आप मेरी बात को सुन लीजिये । यदि शासन और प्रशासन को ठीक से चलाना है तो सुरक्षा की व्यवस्था को ठीक करना ही होगा ।

श्री अध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त । अब हुकुम सिंह जी उत्तर भाषण करेंगे ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

मान्यवर, मुझे 5 मिनट का समय दे दें ।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र—

मेरे जिले के इतने सारे लोग बोल लिए और हमको मौका नहीं मिला ।

(व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, ...

श्री नरेश अग्रवाल—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये, मैंने हुकुम सिंह जी को बुला लिया है ।

श्री मंजूर अहमद—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । जिस प्रकार का मसला मुलायम सिंह जी का है, उसी प्रकार हमारे भी साथ हो रहा है । मेरी सुरक्षा नहीं है, इसपर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि मेरी सुरक्षा की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं । यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री मंजूर अहमद—

मेरी बात नहीं सुनी जा रही है, मैं सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(श्री मंजूर अहमद सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, आज जो चर्चा....

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । इस सदन का नियम है कि सत्ता पक्ष के सदस्यों की संख्या अधिक है इसलिए सत्ता पक्ष के दो माननीय सदस्यों को और विरोधी पक्ष के एक माननीय सदस्य को बुलाया जाता है ।

श्री मुख्तार अनीस—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि पहले माननीय सदस्य नियम पढ़ लें ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें । आप नियमों को देखें । यही व्यवस्था है और आप नियमों का पालन करें ।

[समय 6 बजकर 12 मिनट]

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, आज चर्चा में जो कुछ कहा गया है, उसका आशय यह नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाय । जो घटना हुई है, उसी को उजागर करने का प्रयास किया गया है । आपको कहीं न कहीं पर सीमा तो बांधनी ही पड़ेगी और इसका कोई निराकरण निकालना ही पड़ेगा । इस समय आरोप और प्रत्यारोप का वातावरण चल रहा है । मेरा सुझाव है कि आपस में बैठकर इस पर विचार कर लिया जाय और तय कर लिया जाये कि किस प्रकार से इसका निराकरण किया जा सकता है । अगर माननीय मुख्य मंत्री जी चाहें तो घोषणा कर दें । मेरी जानकारी है कि जो घटना हुई उसके सम्बन्ध में मुलायम सिंह जी ने वहां पर प्रार्थना-पत्र दिया और अधिकारियों से मिले भी और लिखित रूप से भी जानकारी दी । केस के रजिस्ट्रेशन के बारे में मुझे जानकारी नहीं है । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और इस बात पर बल देता हूं कि राजनैतिक वातावरण को दूषित होने से बचाने के लिए अपने दायित्व के प्रति शासन को जागरूक होना चाहिये ।

श्री श्रीपति मिश्र—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले यह कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने इस डिबेट में, इस चर्चा में भाग लिया, सामान्यतः सभी लोगों ने यह विचार व्यक्त किया कि सभी जगह पर आतंक फैल रहा है और उसका निराकरण होना

चाहिये । उस बात के आने के पहले में थोड़ा सा घटना के सम्बन्ध में तो बात करीब-करीब सामने आ चुकी है, एक पक्ष उसका और है जिसको मैं विशेष विस्तार में नहीं कहूंगा और वह इसलिये कि उसके कहने की आवश्यकता नहीं है । जांच जब होगी क्या बात हुई, किस तरह से यह बात हुई, नहीं हुई, पहले का भी झगड़ा वहां का था जहां यह घटना हुई, उसमें जिनको चोट लगी उसके बारे में और इसके अलावा वहां पर ब्लाक प्रमुख का चुनाव और दूसरा चुनाव, उसके पहले माननीय मुलायम सिंह जी का अपने किसी व्यक्ति के साथ झगड़ा था, और भी कई बातें हैं जो इससे सम्बन्धित हैं जी कि हम लोगों को राजनीतिक या गैर-राजनीतिक या अन्य बातों की तरफ ले जाती है कि यह घटना क्यों घटी उसकी सही-सही जांच हो ।

अध्यक्ष जी, 3/4 बातें सामने आई थीं जिनको मैंने नोट किया था । एक तो यह है कि कुछ असलहा दिये गये । ठीक है, दिये गये । इस सम्बन्ध में आपके दो सुझाव आये हैं । एक आपका यह प्रस्ताव आया कि मुख्य मंत्री इसकी अगुवाई करें कि सारे दलों के लोग और दूसरे लोग जो भी प्रतिष्ठित लोग हैं जिनको प्रजातांत्रिक प्रणाली में विश्वास है, सब बैठें और इस बात का निराकरण करने का प्रयास करें कि किस तरह से आतंक के बजाय समझाने-बुझाने से हम लोगों को आकर्षित करें । मैं माननीय मोहन सिंह जी के इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं । साथ ही विरोधी दल के नेताओं से कहता हूं कि वे जल्द से जल्द बैठें और इसका प्रारूप तैयार करें, हम किसी भी समय इसके लिए तैयार हैं ।

श्री रियासत हुसैन--

समय तो आपको ही निकालना है । हम हर वक्त तैयार हैं ।

श्री श्रीपति मिश्र--

दूसरी बात लाइसेन्स के बारे में कही गई । माननीय भीखा लाल जी ने कहा कि सन् 1976 में इमरजेन्सी में यह शुरू हुआ । सन् 1977 में और बढ़ा और सन् 1980 में और बढ़ा । जिस जगह से आप जांच शुरू करना चाहते हों लाइसेन्स के बारे में, हम तैयार हैं । क्या इसके लिए आप चाहेंगे कि सन् 1977 से 1980 तक और सन् 1980 से सन् 1983 तक कितने लाइसेन्स जारी किये गये, इसको देख लिया जाय....

(व्यवधान)

श्री माता प्रसाद पांडेय--

हो जाय ।

श्री श्रीपति मिश्र--

हो जाय, तो मैं भी यह घोषणा करता हूं कि हम एक कमेटी बनायगे जो इस बात की जांच करेगी कि सन् 1977 से 1980 तक और सन् 1980 से 1984 तक कितने लाइसेन्स जारी किये गये ।

(व्यवधान)

कितने लाइसेन्स मिले हैं, उनकी जांच हो जाय । किस-किस को मिले हैं इसका लेखा-जोखा और उनकी प्रकृति मालूम हो जायेगी कि किस तरह के हथियार मिले हैं ।

तीसरी, बात परफोर्मेन्स की आई । कल ही एक बात सामने आई । मैं नहीं कहना चाहता था लेकिन रिफरेन्स आ गया । एक तरफ इशारा हो गया जिस तरह से वह इशारा नहीं होना चाहिये था । सदन के अन्दर नहीं होना चाहिये । माननीय मोहन सिंह जी को याद होगा कि सम्पादक के सम्बन्ध में आपने एक प्रश्न उठाया था और जवाब सवाल में इशारा इस तरफ हो गया और सदन के इधर बैठने वाले लोगों के प्रति वह एड्रेस हो गया । मैं नहीं कहना चाहता था लेकिन बार-बार इनका काम है मुझसे पूछना और मेरा काम है जवाब देना । जब सवाल आता है कि कब बढ़ायेंगे तो इसका उत्तर है कि मैं उसे देखूंगा, उसकी परफारमेंस देख कर

बढ़ाऊंगा, बाहर वे कैसे काम करते हैं, इस बात को भी देखूंगा । मैं वह भी देखूंगा कि वे कहीं मार-पीट तो नहीं कर रहे हैं । परफार्मेन्स का अर्थ इस तरह से निकाला जायेगा । खास कर यह परफार्मेन्स का मतलब परफामेन्स देखकर रिवार्ड से है यानी परफार मेन्स का मतलब गुड परफार्मेन्स से है ठीक काम करने के लिए रिवार्ड होता है बुरा काम करने के लिए नहीं । बुरे काम के लिए पनिशमेंट होता है ।

एक बात कही गयी थी कि ऐसे लोग बढ़ गये । तो जो बढ़ गये हैं उनको निगाह डालकर देख लें । बहुत से ऐसे लोग बढ़े हैं जिनके यहां चुनाव नहीं था, एसेम्बली का आपने जिक्र किया बढ़ने वालों में से ऐसे लोग बढ़े हैं । जिनका चुनाव हुआ नहीं था या ऐसे लोग बढ़े जिनके यहां चुनाव हार गये । यह कहना कि केवल परफारमेंस देखी और बूथ कैपचरिंग हो गयी तो उस बात को छोड़ दीजिये ।

आगे मैं आपसे यह कहना चाहता हूं गम्भीरता से कहना चाहता हूं आप अवश्य विश्वास करें किसी भी सदस्य को जिस सदस्य को आपके माध्यम से विशेष स्थान प्राप्त हो जाय उसकी सुरक्षा का पूरा प्रबन्ध करेंगे । माननीय मुलायम सिंह जी की सुरक्षा का जहां तक सम्बन्ध है जो मुझे पता चला है उन्होंने इच्छा जाहिर की कि उनको एक शंडो और दिया जाय तो उसके फौरन आदेश हो गये एक शंडो उनके पास था उन्होंने इच्छा जाहिर की तो वह भी दे दिया । इसके अलावा भी हम देखें कि जिस तरह से भी हो उनकी सुरक्षा का पूरा प्रबन्ध कैसे हो उसमें किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं होगी ।

एक बात और जैसा कि माननीय मोहन सिंह जी ने कही कि बड़ा परिवर्तन हुआ है । माननीय मोहन सिंह भी कई चुनाव लड़ कर आये हैं । यहां बहुत से माननीय सदस्य हैं माननीय भीखालाल जी हैं कितने चुनाव लड़े, गिन नहीं पायेंगे । मैं भी 11 चुनाव लड़ कर आया हूं तो मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूं कि पहले चुनाव के दरम्यान कोई चीज लेकर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, किस वक्त जा रहे हैं इसकी सोचने की जरूरत नहीं पड़ती थी, अगर कभी कहीं पर विरोधी दल का आदमी मिल जाता था और उसके पास कोई सुलभ सवारी होती थी तो उसके साथ बैठ कर चले जाते थे । लेकिन आज मजबूरी है आज की स्थिति परिवर्तित हो गयी है । अगर यह सुधरती नहीं है तो बुद्धि रह ही नहीं जायेगी, अभी तो भ्रष्ट हुई है ।

श्री मुहम्मद आजम खां—

आप पुरानी रवायत की बात कह रहे हैं तो आपको अफसोस होना चाहिए ।

श्री श्रीपति मिश्र—

जो चुनाव में बूथ कैपचरिंग की बात कह रहे हैं कि ऐसे लोगों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है तो वह निश्चित रूप से जरूर बढ़ता जा रहा है लेकिन यह एकांगी नहीं है और इस बात को आप माने या न माने अगर आप शासक दल में किसी भी पदाधिकारी को इंगित कर देंगे हमारे किसी भी पदाधिकारी को इंगित कर देंगे कि यह अपराधी है, उनको सजा मिली है और आपराधिक तत्व है तो उस पर एक्शन जरूर लेंगे । लेकिन मैं आपको बता सकता हूं, यहां मत पूछें, मीटिंग में पूछें तो छांट-छांट कर कि अपराधी अध्यक्ष बनाये जा रहे हैं और मीटिंग में आप सब बैठेंगे तो हिसाब जोड़ेंगे । इसलिये इस टेंडेंसी को कम करने के लिये जब कहें मीटिंग बुलाने के लिये हम तैयार हैं । 12 तारीख को हाऊस खुलेगा, कल सम्भव नहीं है चूंकि इतिला नहीं हो सकती है, इसलिये 12 को आप सब, मेरा विरोधी

बल बैठकर तय कर लें कि किस-किस को बुलाना है और फिर लम्बी तारीख देकर सदन चलने के बीच या उपरान्त चूंकि वास्तविक चीज है जिसको हल करना है ।

आपकी एक बात सी0 बी0 आई0 की इंक्वायरी की आयी है । तो सी0 बी0 आई0 की इंक्वायरी इस पर निर्भर नहीं करती है कि मैं कह दूं और प्रारम्भ हो जाये, सी0 बी0 आई0 की इंक्वायरी इस पर निर्भर करती है कि केन्द्र को लिखा जाये और वह स्वीकार करें तो सी0 बी0 आई0 को इंक्वारी दी जा सकती है । आज इस घटना के बारे में चर्चा हुई । 12 तारीख तक इस घटना के सम्बन्ध में यदि कोई बात सामने नहीं आती है, लेकिन 12 तारीख को फिर आप इस बात के लिये यहां सदन में कहें इसकी जरूरत नहीं है बल्कि इसका जिक्र करेंगे और इसके बारे में आप बतायेंगे, मैं भी इसको देखूंगा, तो 12 तारीख को केन्द्र को लिखेंगे कि ऐसा मसला है और इस में सी0 बी0 आई0 की जांच करायें ।

मान्यवर, आखिर में मैं मोहन सिंह जी से विशेष रूप से क्योंकि इन्होंने बुरा नहीं मानेंगे, हर तरह की बात कहते रहते हैं लेकिन, आज संयोग से ऐसी जरूरी बात और गम्भीरतापूर्वक यह बात उठायी है, मैं चाहता हूं कि, जिसका प्रारम्भ उन्होंने किया है, इस बात को कार्यान्वित कराने के लिये आप हमें पूरा सहयोग दें चूंकि मैं कम त्रस्त नहीं हूं ।

मान्यवर, इस हाऊस में 1952 से मैं बैठकर प्रोसीडिंग देखता रहा हूं, तो आज जो होता है उससे ज्यादा होता था और विरोध भी होता रहा, बीच में लोग आते रहे हैं और बैठ जाते थे, उनको उठाया भी जाता था, लेकिन डर नहीं लगता था कि उनके कमरे में जायेंगे तो गला घोंट देंगे । जो बात किसी के काम में कह दें तो वह बाहर नहीं जाती थी । लेकिन आज जब मान्यता नहीं रह गयी है तो उस मान्यता को स्थापित करने के लिये आप और हम, दोनों मिलकर साथ नहीं देंगे तो चल नहीं पायेंगे और इससे नुकसान होगा, मोहन सिंह जी मेरा ख्याल है कि जितने नेता हैं उनको ज्यादा नुकसान होगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैंने निवेदन किया था कि मुख्य मंत्री के बयान के बाद में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करूंगा । उन्होंने घोषणा किया है कि 12 तारीख तक लोग नहीं पकड़े गये तो सी0 बी0 आई0 की जांच के लिये भेज देंगे ?

श्री श्रीपति मिश्र—

यह नहीं कहा बल्कि यह कहा है कि 12 तारीख तक प्रोग्रेस नहीं हुई, तो आप महसूस करते हैं तो सी0 बी0 आई0 को देने की बात हो, तो 12 तारीख को जब बतायेंगे तो केन्द्र को लिखने की बात है कि सी0 बी0 आई0 की जांच के लिये दे दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, श्री मुलायम सिंह यादव के ऊपर हमले की बात नहीं है बल्कि उसकी पृष्ठभूमि की चर्चा हुई है, तो आगे आने वाले जो चुनाव की घोषणा हो रही है उसमें पहले हिंसा सम्बन्धी पूरा अभ्यास समझा जाये, यह मैंने कहा है ।

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल फिर 11 बजे पूर्वाह्न बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 31 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ : भाल चन्द्र शुक्ल,
6 मार्च, 1984 सचिव,
विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 11 का उत्तर पीछे पृष्ठ 25 पर)

सूची 'क'

पी० सी० एस० संवर्ग के ऐसे अधिकारियों के नाम जो लखनऊ में लगातार पांच वर्ष से अधिक समय से तैनात हैं।

क्रमांक	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती का पद नाम
1	2	3
	सर्वश्री—	
1	भवानी शंकर शुक्ला	संयुक्त सचिव, सांस्कृतिक कार्य एवं निदेशक, सांस्कृतिक कार्य।
2	राम स्वरूप	संयुक्त सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग।
3	सुरेश चन्द्र दीक्षित	निदेशक, युवा कल्याण, उत्तर प्रदेश।
4	ध्यान सिंह वर्मा	संयुक्त उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश।
5	लालता प्रसाद	संयुक्त सचिव, आवास एवं नगर विकास विभाग।
6	गुरु प्रसाद	संयुक्त निदेशक (मुख्यालय) पशु पालन, उत्तर प्रदेश।
7	निरोती लाल गुप्ता	निदेशक, भारत सरकार, जनगणना आप्रेशन्स, उत्तर प्रदेश।
8	हर गोविन्द बिश्नोई	संयुक्त प्रधान प्रबंधक, उत्तर प्रदेश, राज्य सड़क परिवहन निगम।
9	देवी शंकर शुक्ला	संयुक्त सचिव, शिक्षा विभाग।
10	शुकदेव प्रसाद त्रिपाठी	संयुक्त सचिव, उद्योग विभाग।
11	हरि माधव शरण	निदेशक, उत्तर प्रदेश, हिन्दी संस्थान।
12	सूरज प्रकाश सक्सेना	संयुक्त सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग।
13	गोपाल कृष्ण शुक्ला	संयुक्त सचिव, गोपन विभाग।
14	राम शरण वार्ष्णेय	प्रबन्ध निदेशक, राज्य हार्टीकल्चरल, प्रोड्यूस मार्केटिंग एवं प्रोसेसिंग कारपोरेशन।
15	श्याम नारायण सेठ	संयुक्त सचिव, खाद्य तथा रसद विभाग।

1	2	3
	सर्वश्री:—	
16	कौशल किशोर नारायण सिंह	संयुक्त सचिव, मुख्य मंत्री तथा संयुक्त सचिव, नागरिक उड्डयन ।
17	मंगला प्रसाद मिश्रा	सचिव एवं उपायुक्त, उत्तर प्रदेश, आवास विकास परिषद् ।
18	दिनेश प्रकाश सक्सेना	संयुक्त सचिव, हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग ।
19	प्रमोद कुमार पाण्डे	संयुक्त सचिव, कार्मिक विभाग ।
20	मानवेन्द्र बहादुर सिंह	अतिरिक्त कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश ।
21	राजेन्द्र कुमार दुबे	उप सचिव, राजस्व विभाग ।
22	जफरल हसन खां	उप सचिव, गृह विभाग ।
23	डा० विशम्भर नाथ तिवारी	संयुक्त सचिव, संस्थागत वित्त विभाग ।
24	नरेन्द्र नाथ पाण्डे	उप सचिव, संस्थागत वित्त विभाग ।
25	श्रीमती ऊषा कंसल	सहायक भूमि सुधार आयुक्त, राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश ।
26	प्रेमपत राय	उप निदेशक, नगर भूमि सीमारोपण ।
27	दिवाकर त्रिपाठी	अपर जिलाधिकारी (आपूर्ति) ।
28	रामानुज दास कुदेसिया	उप संचालक, चकबन्दी ।
29	अजीज उद्दीन अहमद सिद्दीकी	विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी एवं पदेन विशेष कार्याधिकारी, प्रमुख अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्यालय ।
30	हुसैन अहमद अब्बासी	सहायक निदेशक, नगर भूमि सीमारोपण, उत्तर प्रदेश ।
31	बृज नारायण श्रीवास्तव	विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी, उत्तर प्रदेश, राज्य सड़क परिवहन निगम ।
32	सर्वजीत उपाध्याय	प्रशासनिक अधिकारी, चकबन्दी निदेशालय, उत्तर प्रदेश ।
33	कुंवर रमेन्द्र बहादुर	निबन्धक, उत्तर प्रदेश, राज्य सेवाधिकरण ।
34	चन्द्र शेखर गुप्ता	सहायक निदेशक (राजस्व), लखनऊ, विकास प्राधिकरण ।
35	श्री राम	विशेष कार्याधिकारी, राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश ।

1	2	3
	सर्वश्री—	
36	रमेश चन्द्र पान्डे	उप नियन्त्रक, नागरिक सुरक्षा ।
37	राजेश्वरी प्रसाद पान्डे	सहायक राज्य सम्पत्ति अधिकारी ।

सूची 'ख'

पी० सी० एस० संवर्ग के ऐसे अधिकारियों के नाम जो लखनऊ में लगातार 10 वर्ष से अधिक समय से तैनात हैं ।

क्रमांक	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती का पद नाम
	सर्वश्री—	
1	महेश चन्द्र चतुर्वेदी	संयुक्त नियंत्रक, बांट तथा माप, उत्तर प्रदेश ।
2	श्याम सुन्दर	आयुक्त, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, उत्तर प्रदेश ।
3	प्रभुनाथ मिश्रा	सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।
4	ललित कान्त श्रीवास्तव	प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य आवश्यक वस्तु निगम ।
5	ओम प्रकाश शर्मा	उप श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

उत्तर प्रदेश राजपत्र

नत्थी 'ख'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 82 का उत्तर पीछे पृष्ठ 59 पर)

श्रमिक संघ, बस्ती के पत्रांक 302/श्रमिक, दिनांक 12-5-83 में अंकित शिकायतों/समस्याओं एवं उन पर कृत कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण

शिकायत/समस्या	कृत/की जा रही कार्यवाही
(1) बस्ती-कलवारी मार्ग के मजदूरों के सी0 डी0 एस0 का पैसा सम्बन्धित लिपिक ने ले लिया। नौगढ़ के श्रमिकों को सी0 डी0 एस0 का भुगतान नहीं किया गया।	बस्ती-कलवारी मार्ग के कर्मचारियों को सी0 डी0 एस0 का भुगतान अवर अभियन्ता श्री वी0 पी0 ओझा ने करके जो एक्योन्टेन्स रोल वापस किया वह उपलब्ध नहीं हो रहा है। नौगढ़ क्षेत्र के श्रमिकों को सी0 डी0 एस0 का भुगतान शीघ्र किया जायगा।
(2) सरकारी श्रमिकों से बेगारी लेकर सरकारी धन का दुरुपयोग करना	प्रान्तीय खंड, सा0 नि0 वि0, बस्ती में ऐसा कोई मामला नहीं है।
(3) छाता और कम्बल केवल उन्हीं कर्मचारियों को दिया गया है जो घरों पर कार्यरत हैं	आरोप सत्य नहीं है।
(4) मृतक के आश्रितों को क्षतिपूर्ति का भुगतान न करना	प्रान्तीय खंड सा0 नि0 वि0, बस्ती में किसी मृतक के आश्रित को भुगतान लम्बित नहीं है।
(5) वर्क एजेन्ट तथा वर्क मिस्त्री की सूची न बनाया जाना	वर्क एजेन्ट की ज्येष्ठता सूची बनाई जा चुकी है।
(6) जी0 पी0 एफ0 की रसीदें कर्मचारियों को कई वर्षों से न देना	लेखा पर्ची शीघ्र दे दी जायेगी।
(7) श्री टासुल बेलदार को अगस्त एवं सितम्बर, 79 का वेतन न देना	सम्बन्धित अवर अभियन्ता से आख्या मांगी जा रही है और भुगतान की कार्यवाही शीघ्र की जायेगी।
(8) आनन्द नगर, नौगढ़ के कुछ कर्मचारियों को 4 प्रतिशत एरियर न देना	समस्त कर्मचारियों को भुगतान किया जा चुका है।
(9) श्री टीडी प्रसाद को चार माह का वेतन न देना	भुगतान किया जा चुका है।
(10) श्री भवई मेट नौगढ़ के एम/एल का भुगतान न होना	भुगतान किया जा चुका है।
(11) श्री रमेशर को नये वेतनमान के एरियर का भुगतान न होना	भुगतान कर दिया गया है।

शिकायत/समस्या	कृत/की जा रही कार्यवाही
(12) कर्मचारियों को ई0 बी0 का एरियर न देना।	एरियर का भुगतान किया जा चुका है।
(13) श्री भागीरथी बेलदार को फन्ड से अग्रिम न देना।	दिनांक 15-12-1983 को अग्रिम दिया जा चुका है।
(14) श्री राम प्रसाद बेलदार को 17 दिन का वेतन न देना।	17 दिन के वेतन की निश्चित अवधि स्पष्ट नहीं है।
(15) श्री राधेश्याम बेलदार को 180 रु0 प्रति माह वेतन देना।	आरोप सत्य नहीं है।
(16) कुछ कर्मचारियों को फन्ड अग्रिम तथा नकदीकरण की सुविधा से वंचित रखना एवं उनके प्रार्थना-पत्र को फेंक देना।	प्रार्थना-पत्र फेंके जाने की बात असत्य है। प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर नियमानुसार नकदीकरण एवं जी0 पी0 एफ0 अग्रिम स्वीकृत करने की कार्यवाही की जाती है।
(17) सर्वश्री कन्हैया तथा दुखीराम वर्क मिस्त्री को वर्कचार्ज पर न रखना।	दोनों व्यक्तियों को कार्य प्रभारित अधिष्ठान में रखने हेतु कार्यवाही की जा रही है।
(18) खोये हुये मस्टर रोल से प्रभावित मजदूरों का भुगतान न करना।	भुगतान हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

2—श्रमिक संघ, बस्ती के पत्रांक 304/श्रमिक, दिनांक 12-5-83 में अंकित शिकायतें/समस्यायें एवं उन पर कृत कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण

(1) फन्ड का स्लिप कर्मचारियों को वर्षों से न देना।	बाकी लगभग पूर्ण कर ली गई है। लेखा पर्ची शीघ्र वितरित की जायेगी।
(2) नौगढ़ क्षेत्र के कर्मचारियों को सी0 डी0 एस0 का खाता प्रान्तीय खंड बस्ती को न भेजना।	15-2-84 को खाता प्रां0 ख0 बस्ती भेज दिया गया है।
(3) कार्य प्रभारित तथा मस्टररोल की सूची में जानबूझकर ज्येष्ठता को बदलना।	आरोप सही नहीं है।
(4) तीन वर्ष से अधिक के कर्मचारियों को स्थायी मस्टररोल और वर्क-चार्ज पर न रखना।	ऐतराज आमंत्रित करते हुये वरिष्ठता सूची 11-1-84 को प्रकाशित कर दी गई है और नियमित पदों की मांग की जा रही है। पद स्वीकृत होने पर नियमितीकरण की कार्यवाही की जावेगी।

शिकायत/समस्या	कृत/की जा रही कार्यवाही
(5) छटनी शुदा कर्मचारियों को भी तीन साल की अवधि के ऊपर भी दैनिक वेतन पर रखना।	जनपद ज्येष्ठता सूची बना दी गई है और स्थायी पदों की मांग की जा रही है जिनके उपलब्ध हो जाने पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जावेगी।
(6) कर्मचारियों की जी० पी० एफ० की किताबें न बनाना।	किताबें बन गई हैं।
(7) बेगारी प्रथा चरम सीमा पर होना।	आरोप असत्य है।
(8) श्री बलिकरन, सेवा-निवृत बेलदार को देयकों का भुगतान न होना।	समस्त देयकों का भुगतान हो चुका है।
(9) कहीं साढ़े नौ तथा कहीं सात रुपये पर बेलदारों को रखना।	बेलदारों हेतु 7·00 से 9·50 की दर स्वीकृत है और तदनुसार मजदूरी दी जाती है।
(10) आदेशों का उल्लंघन करते हुये नेपाली निवासी को नियमित करना।	वरीयता के अनुसार नियमितीकरण किया गया है। दुखरन बेलदार को 1-3-80 से नियमित किया जा चुका है।
(11) ईकाई में प्रयोगशाला की व्यवस्था न होना।	व्यवस्था हो गई है।

विद्या भूषण,

मंत्री,

सार्वजनिक निर्माण विभाग।

उत्तर प्रदेश संसदीय संग्रहालय

नत्थी 'ग'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 93. का उत्तर पीछे पृष्ठ 68 पर)

क्रम सं०	प्रश्नगत घटनायें	घटनाओं की संख्या	कितने-कितने मुकदमों में गिरफ्तारियां हुई	किन-किन मुकदमों में फाइनल रिपोर्ट लगी	चार्जशीट लगी	अन्य
1	2	3	4	5	6	7
1	डकैती	47	26	23	21	3
2	चोरी	489	73	367	89	33
3	राहजनी	21	10	9	9	3
4	आगजनी	99	29	57	40	2
5	हत्या	30	23	4	23	3

5 वि० सभा—13

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी "घ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 97 का उत्तर पीछे पृष्ठ 64 पर।)

क्रमांक	मद का नाम	कितने परिवार को	नकद धनराशि अनुदान के रूप में	अन्य सहायता
1	आगजनी में क्षतिग्रस्तों के लिये	204	819,600 रुपये	गेहूं 4,455 कि0 ग्रा0 कम्बल 204 अदद चादरें 51 अदद बांस 525 अदद कसहरी 318 बोझे।
2	मृतकों के आश्रितों के लिए	03	15,000 रुपये	प्रत्येक मृतक परिवार के आश्रित को 5,000 रु0 की दर से आर्थिक सहायता दिये जाने का निर्णय लिया गया है जिसमें से तीन को भुगतान कर दिया गया है और दो मृतकों के परिवार वालों को सहायता की धनराशि का भुगतान शेष है। एक व्यक्ति लावारिस मरा है।

उत्तर प्रदेश विधानसभा

नत्थी "ङ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 105 का उत्तर पीछे पृष्ठ 66 पर)

तालिका

सिंचाई विभाग में कार्यरत ट्रेड यूनियन ऐक्ट, 1926 के अन्तर्गत पंजीकृत यूनियन का नाम

क्रमांक		सदस्य संख्या
1	2	3
1	एसोसियेटेड ट्यूब-वेल मजदूर यूनियन, मोदीनगर, गाजियाबाद	49
2	यू0 पी0 आई0 एल0 श्रमिक संघ, लखनऊ	366
3	उत्तर प्रदेश पाताल कूप कर्मचारी संघ, कानपुर	25
4	इरीगेशन वर्कशाप वर्कर्स यूनियन, बरेली	219
5	रामगंगा परियोजना मजदूर संघ, कालागढ़, बिजनौर	463
6	इरीगेशन डिपार्ट इम्पलाइज यूनियन, देहरादून	475
7	सिंचाई वर्कशाप कर्मचारी संघ, मेरठ	281
8	मातातोला सिंचाई योजना कर्मचारी संघ, झांसी	70
9	राष्ट्रीय श्रमिक संघ, राजकीय सिंचाई उद्योग शाला, झांसी	166
10	इरीगेशन इंजीनियरिंग वर्कशाप कर्मचारी यूनियन, कानपुर	50
11	उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग वर्कचार्ज कर्मचारी परिषद्, वाराणसी	748
12	गंगा परियोजना कर्मचारी यूनियन, उत्तरकाशी	91
13	सिंचाई विभाग वर्कचार्ज कर्मचारी संघ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	15,450
14	सिंचाई एवं बांध परियोजना कर्मचारी संयुक्त परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	2,575
15	वाराणसी सर्किल सिंचाई कर्मचारी संघ, गाजीपुर	440
16	यू0 पी0 आई0 एल0 कर्मचारी संघ, लखनऊ	307
17	प्रान्तीय सिंचाई एवं बांध योजना श्रमिक महापरिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	75
18	राजकीय सिंचाई वर्कशाप मजदूर यूनियन, बरेली	90
19	सिंचाई मजदूर संघ, आगरा	15,386
20	यू0 पी0 आई0 एल0 इम्पलाइज यूनियन, लखनऊ	398
21	राजकीय सिंचाई विभाग कार्यशाला श्रमिक संघ, रुड़की, सहारनपुर	विवरण प्राप्त नहीं
22	उत्तर प्रदेश नलकूप कर्मचारी संगठन, आगरा	विवरण प्राप्त नहीं

नत्थी "ख"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 151 का उत्तर पैरा 6 पृष्ठ 78 पर।)

वर्ष 1980-81, 1981-82, 1982-83 तक विद्युतीकृत हरिजन बस्तियों की सूची

क्रम-संख्या	ग्राम का नाम	विकास खण्ड	वर्ष	विद्युतीकरण की तिथि
1	2	3	4	5
1	पवई	पवई	1980-81	20-12-80
2	बस्तीचकगुलरा	"	"	22-10-80
3	अल्दीपुर	"	"	24-12-80
4	सियारपुर	फूलपुर	"	8-1-81
1	मरचकिया	पवई	1981-82	20-2-82
2	मखलो	"	"	28-3-82
3	सलारपुर	"	"	30-3-82
4	बसरापुरवा नं0 1	फूलपुर	"	10-8-81
5	कुशल गांव	"	"	26-3-82
6	मुहवारा खुर्द	"	"	31-3-82
7	बिलारमऊ-1	"	"	30-3-82
8	कटार	"	"	31-3-82
1	शाहमरदानपुर	पवई	1982-83	22-3-83
2	निजामपुर	"	"	31-3-83
3	कादीपुर	"	"	25-3-83
4	मौलानीपुर	"	"	22-3-83
5	रामापुर	"	"	15-3-83
6	मनेरकला	"	"	16-3-83
7	छज्जो पट्टी	"	"	21-3-83
8	झोडिया	फूलपुर	"	27-3-83

1	2	3	4	5
9	खानजहांपुर	फूलपुर	82–83	31–3–83
10	सजई	,,	,,	31–3–83
11	शाहपुर	,,	,,	25–3–83
12	बक्सीपुर	,,	,,	27–3–83
13	खरसहन खुर्द	,,	,,	31–3–83
14	बिलारमऊ —11	,,	,,	31–3–83
15	बखरपुरवा नं0 2	,,	,,	29–12–82
16	मंसूरीनपुर	पवई	,,	12–3–83

वर्ष 1980–81, 1981–82, 1982–83 तक एल0 टी0 मेल द्वारा विद्युतीकृत ग्रामों की सूची

क्रम–संख्या	ग्राम का नाम	विकास खण्ड	वर्ष	विद्युतीकरण की तिथि
1	2	3	4	5
1	शोखवलिया	फूलपुर	1980–81	8–8–80
2	अमरेश	,,	,,	10–12–80
3	पत्थी	,,	,,	16–12–80
4	रम्भीपुर	,,	,,	10–12–80
5	धकिपिचका मुर्तजा	,,	,,	17–1–81
6	भरमा	पवई	,,	16–11–80
7	बलवाई	,,	,,	26–11–80
8	मझौरा	,,	,,	7–3–81
9	खोयीपुर	,,	,,	13–3–81
1	शिवापुर	फूलपुर	1981–82	15–12–81
2	बस्यापुर	,,	,,	12–12–81
3	कटार	,,	,,	31–3–82

1	2	3	4	5
4	बिलारमऊ	फूलपुर	81–82	30–3–82
5	महुवारा खुर्द	”	”	31–3–82
6	हुडवा	”	”	29–3–82
7	मुहम्मदपुर	पवई	”	22–2–82
8	मरचकिया	”	”	20–2–82
9	अडिका	”	”	29–3–82
10	भुखली	”	”	28–3–82
11	सलेमपुर	”	”	24–3–82
12	बखरिया	”	”	29–3–82
13	सलारपुर	”	”	30–3–82
14	मुतकल्लीपुर	”	”	22–11–81
15	बरचन्दा	”	”	29–10–81
16	दलीपुर	”	”	31–3–82
1	खानजहांपुर	फूलपुर	82–83	31–3–83
2	शाहपुर	”	”	31–3–83
3	बक्सपुर	”	”	31–3–83
4	दहिडिया	”	”	25–3–83
5	खरसुहन खुर्द	”	”	31–3–83
6	सबई	”	”	31–3–83
7	महुवाराकला	”	”	31–12–82
8	बिलारमठ—11	”	”	31–3–83
9	रामापुर	पवई	”	15–3–83
10	मठ एकला	”	”	16–3–83
11	छज्जो पट्टी	”	”	31–3–83
12	कादीपुर	”	”	25–3–83
13	शाहपुर पर्दाजनपुर	”	”	12–3–83
14	निजामपुर	”	”	31–3–83
15	मोलानीपुर	”	”	22–3–83

सत्यमेव जयते

सूची "छ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 194 का उत्तर पीछे पृष्ठ 95 पर ।)

उत्तर प्रदेश में जनपदवार प्रति व्यक्ति विद्युत् उपभोग की मात्रा

(किलोवाट घंटा में 0·00)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	जनपद	वर्ष				
		1976-77	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81
1	2	3	4	5	6	7
1	अलीगढ़	74.90	90·50	99·31	100·02	97·01
2	आगरा	77·30	83·60	80.00	84·63	84·71
3	एटा	34·40	34·30	35·14	33·83	33·05
4	मथुरा	39.20	42·70	50·49	54·41	60·24
5	मैनपुरी	36·70	35·20	41·46	43·77	43·73
6	इलाहाबाद	116·60	126·10	120·95	125·34	121·29
7	इटावा	28·30	27·10	35·00	35·07	29·59
8	कानपुर	264·10	240·60	266·60	254·15	218·46

1	2	3	4	5	6	7
9	फतेहपुर	30·60	25·50	36·73	36·92	36.27
10	फर्रुखाबाद	56·90	58·20	66·36	68·48	64·15
11	अल्मोड़ा	16·10	19·20	18·52	19·64	21·83
12	पिथौरागढ़	2·50	8·10	9·81	15·16	26·18
13	नैनीताल	79·30	92·10	109·65	100·51	86.08
14	उत्तरकाशी	6·20	10·30	8·47	10·03	9·38
15	गढ़वाल (पौड़ी)	7·60	8·60	10·33	10·71	12·55
16	चमोली	5·20	5·60	5·93	6·65	7·38
17	टेहरी गढ़वाल	3·80	2·70	4·07	6·15	7·17
18	देहरादून	335·40	323·60	318·66	296·32	337·86
19	आजमगढ़	33·30	38·20	43·57	45·57	42·04
20	गोरखपुर	129·00	125·50	126·76	94.67	79·65
21	देवरिया	23·00	20·90	23·65	25·76	22·53
22	बस्ती	14·90	14·00	16·69	17·04	14·31
23	जालौन	14·00	12·30	19·39	20·46	20·77
24	झांसी	59·30	58·00	63·83	58·51	56·48

उत्तर प्रदेश विधान सभा

25	बांदा	15·70	17·50	27·74	23·57	22·80
26	ललितपुर	16·50	12·20	16·97	14·35	12·41
27	हमीरपुर	10·90	11·00	14·68	18·49	20·65
28	गोन्डा	14·80	19·10	17·53	16·70	15·11
29	प्रतापगढ़	17·60	17·30	21·67	19·20	20·28
30	फैजाबाद	42·90	43·70	44·97	49·24	43·45
31	बाराबंकी	23·70	29·10	31·53	27·53	23·62
32	बहराइच	13·10	12·80	15·20	13·71	12·27
33	सुल्तानपुर	18·30	16·90	20·96	22·01	21·72
34	पीलीभीत	38·90	41·30	53·97	46·18	43·28
35	बदायूं	37·30	40·60	40·25	45·39	43·99
36	बरेली	65·60	70·40	68·72	62·34	57·69
37	शाहजहांपुर	31·30	33·70	37·80	38·75	38·74
38	मुरादाबाद	60·30	62·90	74·09	74·26	71·16
39	रामपुर	48·00	50·30	57·32	57·29	53·10
40	बिजनौर	95·80	100·50	105·87	104·74	106·44
41	बुलन्दशहर	85·20	86·20	100·49	100·59	97·69
42	मुजफ्फरनगर	114·20	108·20	137·40	127·09	107·91

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7
43	मेरठ	121·60	127·10	151·40	142·11	144·59
44	सहारनपुर	111·20	111·40	139·91	132·34	136·74
45	गाजियाबाद	321·80	293·70	345·40	322·74	323·82
46	उन्नाव	24·40	20·40	26·43	26·09	24·83
47	खीरी	38·80	34·80	41·96	40·17	39·21
48	रायबरेली	49·70	49·70	44·27	48·10	40·70
49	लखनऊ	115·60	124·00	137·50	130·35	125·06
50	सीतापुर	27·70	26·60	23·19	25·93	22·75
51	हरदोई	14·00	14·60	20·09	20·16	20·55
52	गाजीपुर	41·90	42·40	54·81	45·72	59.47
53	जौनपुर	37·30	41·80	39·47	36·91	39·97
54	बलिया	26·90	25.90	30·11	32·91	30·18
55	मिर्जापुर	1164·30	886·80	833·52	911·20	812·38
56	वाराणसी	83·60	94·40	102·67	101·34	96·39
	उत्तर प्रदेश	86·00	82·00	88·83	87·61	82·70

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ज"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 196 का उत्तर पीछे पृष्ठ 96 पर।)

कृषकों के नाम की सूची

1—श्रीमती सीयारानी जौजे श्री बाबूराम।

2—श्री रामचन्द्र पुत्र श्री माता बक्श।

3—श्री हरीश चन्द्र पुत्र श्री राम अवध।

4—श्रीमती रामकली उर्फ बुद्धा पुत्री श्री सुखदेव।

5—श्री राजधर पुत्र श्री पतीराम।

6—श्री बंशीधर पुत्र श्री पतीराम।

7—श्री मुरलीधर पुत्र श्री पतीराम।

8—श्री शिवधर पुत्र श्री पतीराम।

पी० एस० यू० पी—5 वि० सभा—14-6-84—813 (पी० डी०)।

विधान सभा उत्तर प्रदेश